रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1986 (चैत्र 1, 1908)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1986 (CHAITRA 1, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

शहरी बैंक विभाग

बम्बई-400005, दिनांक 3 मार्च 1986

संदर्भ यू० बी० डी सं० बी०आर० 81/ए०18-85-86—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के खण्ड (यक) के साथ पठित धारा 36-क की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित वेतनभोगी कर्मचारियों की सहकारी समिति उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत अब सहकारी बैंक नहीं रह गई है।

समिति का नाम	राज्य
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एम्पलाइज को-आपरेटिव बैंक लि० स्टेट बैंक आफ मैसूर, एवेन्यू रोड, बंगलूर-9।	कर्नाटक

कु० आइ० टी० वाज,
मुख्य अधिकारी

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता-700071, दिनांक 27 दिसम्बर 1986

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

सं 3-ई०सी० ए/8/6/85-86:—रेगुलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस के रेगूलेशन 1964 के अधिनियम 10(2)(बी) के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र 1 अगस्त, 1984 से रद्द समझे जायेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1984-85 के लिये कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई, 1984 तक नहीं किया था।

क्र सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1	2	3
1.	50797	श्री एन० आर० चक्रवर्ती, ए सी ए, केयर आफ ए० एस० चटर्जी, बी० बी०-150, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-64।

1	2	3
2.	50581	श्रीमती इला विश्वास, ए० सी० ए०, 6, गंगाधर बाबू लेन, कलकत्ता–12।
3.	50492	श्री टी० के० सिन्हा, ए० सी० ए०, एन० टी० पी० सी०, परमानेन्ट टाउनशिप, पोस्ट केजुरीआघाट, डिस्ट० मालदा।
4.	50860	श्री एस० के० चौधरी, ए० सी० ए०, 3/8, सेन्ट्रल एवेन्यू, दुर्गापुर 713204।
5.	50862	श्री पी० रे०, ए० सी० ए०, 7, सूटरकिन स्ट्रीट (टोप फ्लोर), कलकत्ता–72।
6.	50874	श्री एस० डी० सिन्हा राय, ए०सी०ए० 69/1, एस० के० देब रोड, जनाक-सी फ्लैट 8, कलकत्ता–48।
7.	51615	श्री आर० के० पारख, ए० सी० ए०, कोमर्शियल इक्जीक्यूटिव, इन्टरनल आडिट डिपार्टमेंट, बोकेज टी० इस्टेट, पी० ओ० लाहोवाल, डिस्ट० डिब्रूगढ़ आसाम।
8.	50960	श्री एस० बसू, ए० सी० ए०, हरामोहन घोष स्ट्रीट, पी० ओ० एण्ड विलेज हरीनवी, डिस्ट० 24 परगनास
9.	51058	श्री बी० पी० सरकार, ए० सी० ए०, 6/1बी, मदन मित्रा लेन, कलकत्ता–6।
10.	51381	श्री पी० के० चक्रवर्ती, ए० सी० ए०, पी० ओ० पुर्चा, डिस्ट पुरुलिया।
11.	51396	श्री ए० के० लाहिरी, ए० सी० ए०, 14/1, के० पी० राय रोड, कलकत्ता–31।
12.	51479	श्री डी० के० मजुमदार, ए० सी० ए०, 78, जोय नारायन साहा लेन, हावड़ा–711101।
13	51751	श्री ए० के० भार, ए० सी० ए०, पी० ओ० एण्ड विलेज द्वारहाट्टा, डिस्ट हुगली।

दिनांक 16 जनवरी 1986

सं० 3-ई० सी० ए० (8)/7/85-86—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	52040	श्री प्रदीप कुमार, बनर्जी, ए० सी० ए०, । पी०–162, सी० आई० टी० स्कीम, नं० 6 एम, कलकत्ता–700054।	1–8–85
2.	52778	श्री असोक कुमार चक्रवर्ती, ए० सी० ए०, 31, के० सी० लेन रोड, पी० ओ० रिशरा, डिस्ट० हुगली।	30–12–85

आर० एस० चोपड़ा,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 1986

सं० एल–15/13/7/2/85-यो० एवं वि० (2):—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण), विनियम, 1950 के

विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-2-86 ऐसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे, यानी:—

केन्द्र — तुमकुर रोड़ के बाहरी क्षेत्र

क्र० सं०	राजस्व गांव के नाम	हुबली	तालुक	जिला
1.	दासनापुरा	दासनापुरा	नेलामंगला	बंगलौर
2.	चिक्काबीदारा कल्लु	वही	वही	वही
4.	मकाली ग्राम	वही	वही	वही
4.	बगाल गुन्टा	येशवन्तपुर	बंगलौर (उत्तर)	वही
5.	मदवारा	दासनापुरा	नेलामंगला	वही
6.	दोदाबी दारा कल्लू	वही	वही	वही

दिनांक 7 मार्च 1986

सं० एन-15/13/1/4/82-यो० एवं वि० (2):—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 95:क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-2-86 ऐसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त अधिनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे, यानी:—

"आदिलाबाद जिले के निर्मल राजस्व मण्डल के अन्तर्गत वेंकटापुर राजस्व गाव के अन्दर आने वाला क्षेत्र।"

सं० एन-15/13/7/1/85-यो० एवं वि० (2):—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-2-1986 ऐसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे, यानी:—

केन्द्र — बयाटारायानापुरा

"जिला बंगलौर के तालुक बंगलौर उत्तर में हुबली येलाहान्डा में बयाटारायानापुरा राजस्व ग्राम"।

एम० सुब्बा राव,
निदेशक (योजना एवं विकास)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1986

सं० रा० स० वि० नि० 3-6/81-प्रशा० —राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियम, 1967 के विनियम 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम के प्रबन्ध मण्डल ने 27 जनवरी, 1986 को हुई अपनी 36वीं बैठक में, 11 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में सृजित तथा दिनांक 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित सहायक (सांख्यिकी) के संवर्ग को सहायक के पद के लिये अपरिवर्तित योग्यताओं आदि सहित सहायकों के संवर्ग में मिलाने का अनुमोदन किया है।

2. सहायक (सांख्यिकी) के पदों के पदधारियों को, निगम में सहायक (सांख्यिकी) के पद पर उनकी सेवा अवधि के आधार पर, सहायकों के संवर्ग में परस्पर की वरिष्ठता प्रदान की जाएगी।

3. सहायक (सांख्यिकी) के संवर्ग को सहायक के संवर्ग के साथ मिलाये जाने के फलस्वरूप सहायक (सांख्यिकी) के पद के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों को अनावश्यक समझा जाएगा।

4. उपरोक्त प्रावधान सहायक के पद के लिए भर्ती नियमों के नीचे नोट के रूप में जोड़ा जाएगा।

रवि वीर गुप्ता,
प्रबन्ध निदेशक

अनुबन्ध–II

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1986

सं० एन० बी० एस० ई० सी० बाई 243/सी०–7/85–86:—

भारत का राजपत्र सं० 51, नई दिल्ली, शनिवार दिसम्बर 21, 1985 में प्रकाशित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1984–85 के वार्षिक लेखे में पाई गई अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप

क्रम सं०	पृष्ठ संख्या	पैरा, मद, पंक्ति	अशुद्ध छपाई	शुद्ध रूप	
1.	2274	मद 1 (पूंजी)	—	100,00,00,000	
2.	,,	मद 2 (ii)	17,24,22,878	17,24,22,876	
3.	2275	मद 3 (i)	774,79,33,605	764,79,33,605	
4.	2276	मद 7, स्तम्भ 2 और 3	3,86,30,000 एवं 24,28,40,904	— —	
5.	2277	मद 6, स्तंभ 2	78,11,111	—	
6.	,,	मद 7, स्तंभ 2	31,07,083	31,07,483	
7.	2278	मद 9, स्तम्भ 4	46,65,32,928	46,64,32,928	
8.	,,	मद 9 (v)	38,03,000	78,03,000	
9.	2279	मद 9 (vii)	44,56,248	4,56,248	
10.	,,	मद 9 (vii)	33,71,948	3,71,948	
11.	,,	मद 9 (xii)	77,757,35,129	7,57,35,129	
12.	2280	स्तम्भ 4	5,25,07,01,304	52,57,01,804	
13.	,,	,,	1,43,30,04,695	143,30,04,699	
14.	,,	स्तम्भ 3	18,83,45,879	184,83,45,879	
15.	2281	स्तम्भ 3	90,58,59,522	90,68,59,522	
16.	2282	टिप्पणी 1	6.5	6.5%	
17.	,,	टिप्पणी 6 (i) के सामने		117,58,66,242 —	249,58,65,242 —
18.	,,	टिप्पणी 6 (ii) के सामने		281,28,55,674 —	281,28,56,674 —
				398,87,20,916	530,87,20,916

आर० सुन्दरराजन,
महा प्रबंधक

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

परिचालन वातावरण और दृष्टिकोण

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों पर 37वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है, किन्तु वर्ष 1984–85 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों और कार्य परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में (क) देश के आर्थिक दृश्य, (ख) महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों, (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में परिचालन गतिविधियों, (घ) उद्योगों का कार्य निष्पादन सामान्य रूप में और (ङ) भविष्य के प्रति दृष्टिकोण और योजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन करना लाभदायक होगा ।

(क) आर्थिक दृश्य

1.02 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1983–84 में आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और 1984–85 में इसने आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा। सन्तोषजनक खाद्य स्थिति, मुद्रा स्फीति की निम्न दर, अनुकूल निवेश वातावरण, औद्योगिक उत्पादन की सुदृढ़ दर, उन्नत निर्यात तथा अपेक्षाकृत सन्तोषजनक भुगतान सन्तुलन स्थिति से, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष 1984–85 आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ समाप्त हुआ ।

1.03 सामान्य मानसून के बावजूद, 1984–85 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1510 लाख टन हुआ जबकि 1983–84 में यह 1515 लाख टन था ।

1.04 लगातार दूसरे वर्ष वाणिज्यिक फसलों में, 1984–85 में नौ प्रमुख तिलहनों के 142 लाख टन के उत्पादन से, 1983–84 की तुलना में 11% की प्रभावशाली वृद्धि हुई। वर्ष 1984–85 में दो महत्वपूर्ण तन्तु रेशा फसलों, अर्थात् कपास और पटसन के उत्पादन में भी क्रमशः 18.7% और 5.5% की वृद्धि हुई जो क्रमशः 13.3 लाख टन और 11.5 लाख टन रहा जब कि 1983–84 में कपास का उत्पादन 11.2 लाख टन और पटसन का उत्पादन 10.9 लाख टन था। बागान फसलों, अर्थात् चाय, काफी और रबर के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। 1983–84 से 1984–85 में चाय के उत्पादन में लगभग 10%, काफी के उत्पादन में 50% और रबर के उत्पादन में 11.8% की वृद्धि हुई। लेकिन, 1984–85 में 1750 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ जिससे 1984–85 में 1.1% की गिरावट आई ।

1.05 कुल मिलाकर, छठी योजना के दौरान कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से तीव्र प्रगति हुई। 5 वर्ष की अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में हुई समग्र वृद्धि 3.6% की मिश्रित विकास दर की द्योतक है जो आधार वर्ष 1979–80 के प्रवृत्ति-मूल्य पर आधारित है ।

1.06 1984–85 में औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकास दर 1983–84 के 5.5% की तुलना में 5.7% रही। समग्र रूप से, छठी योजना की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 5.6% की औसत विकास दर की उपलब्धि हुई ।

1.07 1984–85 में अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में 9.8% विकास दर से भी बेहतर रही। 1984–85 में कुल शक्ति जनन 1983–84 के 139.89 बिलियन यूनिट से 12% बढ़कर 156.65 बिलियन यूनिट हो गया। वर्ष के दौरान, थर्मल पावर जनन 1983-84 के 86.53 बिलियन यूनिट की तुलना में 98.77 बिलियन यूनिट हो गया जो 14.1% की प्रभावशाली वृद्धि है। हाइडल पावर में 7.9% की वृद्धि हुई जिससे यह 1983–84 के 49.86 बिलियन यूनिट से बढ़कर 1984–85 में 53.81 बिलियन यूनिट हो गया। 1984–85 में परमाणु शक्ति जनन में भी 16.6% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और यह 1983–84 के 3.49 बिलियन यूनिट से बढ़कर 4.07 बिलियन यूनिट हो गया तथा 3.50 बिलियन यूनिट के लक्ष्य से भी 16.3% अधिक जनन हुआ ।

1.08 वर्ष 1984–85 में कोयले का उत्पादन 1474.5 लाख टन रहा जो कि वर्ष 1983–84 में 1382.4 लाख टन था जिससे 6.7% की वृद्धि परिलक्षित होती है। लेकिन, वर्ष के दौरान कोयले की ढुलाई में पिछले वर्ष के 6% की तुलना में केवल 2.2% की मामूली वृद्धि हुई ।

1.09 वर्ष 1984–85 में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन 289.9 लाख टन रहा जो कि 1983–84 में 260.2 लाख टन था जिससे 11.4% की वृद्धि परिलक्षित होती है। लेकिन, यह पिछले वर्ष उपलब्ध की गई 23.2% की उल्लेखनीय वृद्धि से कम रही। इसी प्रकार, पेट्रोलियम शोधन उत्पादों के उत्पादन में भी 1984–85 में केवल 0.8% की मामूली वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1983–84 में 6.3% की वृद्धि हुई थी। फिर भी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का समग्र उत्पादन इसके लक्ष्य से लगभग 10% अधिक रहा ।

1.10 वर्ष 1984–85 में नाइट्रोजीनियस और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन क्रमशः 39.2 लाख टन और 12.6 लाख टन रहा जबकि 1983–84 में यह क्रमशः 34.9 लाख टन और 10.4 लाख टन था जिससे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्रमशः 12.3% और 21.1% की वृद्धि परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, 1984–85 में नाइट्रोजीनियस और फास्फेटिक उर्वरकों का 51.8 लाख टन का उत्पादन, 1984–85 के लिए निर्धारित 48 लाख टन के लक्ष्य से अधिक था ।

1.11 प्रमुख इस्पात संयंत्रों के बिक्री-योग्य इस्पात का उत्पादन, (जो कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 85% है) 1983–84 के 64 लाख टन की तुलना में 1984–85 में 70 लाख टन हुआ जिससे 9.4% की वृद्धि परिलक्षित होती है। सीमेंट का उत्पादन, वर्ष 1983–84 के 271 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1984–85 में 301 लाख टन हो गया जिससे 11.1% की वृद्धि परिलक्षित होती है ।

1.12 1984–85 के दौरान, रेलवे ने राजस्व अर्जित करने वाले 2355.8 लाख टन माल की ढुलाई की जबकि वर्ष 1983-84 में 2294.7 लाख टन माल की ढुलाई की गयी। वर्ष के दौरान 2.7% की वृद्धि हुई जो 1983–84 में उपलब्ध 0.3% की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। रेलवे के राजस्व अर्जित करने वाले माल की ढुलाई में वृद्धि में योगदान करने वाली मदें थीं—उर्वरक, निर्यात के लिए कच्चा लोहा, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल, सीमेंट, ढलवां लोहा और इस्पात संयंत्रों से तैयार इस्पात और कोयला। लेकिन, समीक्षाधीन वर्ष में खाद्यान्नों और अन्य माल माल की ढुलाई में गिरावट आई ।

1.13 1984–85 में प्रमुख बन्दरगाहों पर 1060 लाख टन माल लदान और उतारने का रिकार्ड स्तर प्राप्त हुआ जबकि 1983–84 में 1004 लाख टन माल चढ़ाया और उतारा गया जिससे पिछले वर्ष उपलब्ध 2.4% की वृद्धि की तुलना में 5.5% की वृद्धि परिलक्षित होती है। बन्दरगाहों में 1984–85 में 3 लाख टन कन्टेनरों के लदान और उतारने से भी अन्य रिकार्ड स्थापित किया गया जबकि 1983–84 में 2 लाख कन्टेनर चढ़ाए और उतारे गए। अतिरिक्त सुविधाओं/योजनाओं के आधुनिकीकरण से, प्रमुख बन्दरगाहों की माल लदान और उतारने की क्षमता, छठी योजना के प्रारम्भ में 1013 लाख टन से बढ़कर मार्च, 1985 के अन्त तक 1367 लाख टन हो गयी थी जो छठी योजना के लिए निर्धारित 1310 लाख टन के लक्ष्य से अधिक है ।

1.14 1984–85 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 4% प्रगति होने का अनुमान है जबकि 1983–84 में यह 7.4% थी। 1983–84 में उच्च विकास दर का कारण कृषि उत्पादन में 13.6% की वृद्धि थी जबकि 1984–85 में कृषि उत्पादन के स्तर में लगभग एक प्रतिशत की ही मामूली वृद्धि हुई। फिर भी, समग्र रूप से देखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980–85) के दौरान औसत विकास दर 5.2% रही जो योजना के लक्ष्य के बराबर है ।

1.15 1984–85 के दौरान 'सकल घरेलू बचत' और 'सकल पूंजी निर्माण' की दरों का स्तर 1983–84 में रिकार्ड की गयी दरों के बराबर

अर्थात् 'सकल घरेलू उत्पाद' के क्रमशः 22.6% और 23.9% रहने की सम्भावना है।

1.16 वर्ष 1984–85 की समग्र अवधि के दौरान निवेश वातावरण अनुकूल बना रहा। जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या 1983–84 में 1093 थी जो 1984–85 में बढ़कर 1263 हो गयी। लेकिन, 1983–84 में जारी किए गए 1042 औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या कुछ कम होकर 1984–85 में 944 रह गयी।

1.17 1984–85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 743.37 करोड़ रुपए के पूंजी माल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए 628.23 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया था जिससे 18.3% की वृद्धि परिलक्षित होती है। उद्योग-वार समीक्षा करने पर जिन उद्योगों में अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई वे हैं—लोहा व इस्पात, रसायन, सीमेंट, सिरेमिक और रिफैक्ट्रीज, रबर और रबर उत्पाद तथा आटोमोबाइल उद्योग। वर्ष 1984 के दौरान मंजूरी प्रदान किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या 752 रही जो कि 1983 में 673 और 1982 में 590 थी। जनवरी से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान 225 और विदेशी सहयोग अनुमोदनों के सम्बन्ध में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

1.18 वर्ष 1984–85 (जुलाई–जून) में कुल 2098.8 करोड़ रुपए की राशि के पूंजी निर्गमों के लिए मंजूरियां प्रदान की गई जो 1983–84 (जुलाई–जून) में 1184.5 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1984–85 (जुलाई–जून) के दौरान शेयरों और डिबेंचरों के रूप में कुल 1452.2 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई गयी जो कि वर्ष 1983–84 की इसी अवधि के दौरान उगाहे गए 1076.8 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय रूप से 34.9% अधिक है। गैर-सम्परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम (827.3 करोड़ रुपए), संपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम (159.5 करोड़ रुपए) और शेयर निर्गम (465.4 करोड़ रुपए) से कहीं अधिक रहे। यद्यपि, 1984–85 में अधिमान शेयरों का कोई निर्गम नहीं हुआ लेकिन 1983–84 और 1984–85 दोनों ही वर्षों में विभिन्न प्रकार के पूंजी निर्गमों में गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम प्रमुख रहे। 1984–85 के दौरान किए गए अधिकांश डिबेंचर निर्गम, सितम्बर, 1984 में जारी किए गए निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप थे जिनके द्वारा कम्पनियों को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के अतिरिक्त नई तथा विस्तार/विशाखन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी "आधिकारिक" गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का "आधिकारिक" आधार पर निर्गम करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 786.0 करोड़ रुपए के "आधिकारिक" पूंजी निर्गम, कुल पूंजी निर्गमों के आधे भाग से अधिक थे और इनमें 595 करोड़ रुपए के "आधिकारिक" गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम सम्मिलित हैं।

1.19 1983–84 में परिलक्षित मूल्य दबाव में 1984–85 में कमी के कुछ संकेत परिलक्षित हुए। अंकों के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970–71=100) में वृद्धि 31 मार्च, 1984 के 8.2% की तुलना में 30 मार्च, 1985 को 7.4% रही।

1.20 थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, जून, 1985 को समाप्त 12 मास की अवधि के लिए मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.7% की तुलना में कम होकर 5.6% रह गयी।

1.21 वित्तीय वर्ष 1984–85 के दौरान, सार्वजनिक रूप से मुद्रा पूर्ति (मुद्रा 1) 33,066 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,179 करोड़ रुपए हो गयी और विकास दर पिछले वर्ष के 15.9% की तुलना में 15.5% हो गयी। सार्वजनिक मुद्रा, बैंकों में मांग जमा और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियां 1984–85 में बढ़कर क्रमशः 22,685 करोड़ रुपए, 14,841 करोड़ रुपए और 653 करोड़ रुपए हो गईं जबकि 1983–84 में ये क्रमशः 19,553 करोड़ रुपए, 13,195 करोड़ रुपए तथा 318 करोड़ रुपए थीं। 1984–85 के दौरान कुल आर्थिक स्रोत (मुद्रा 3) 85,899 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,00,550 करोड़ रुपए हो गए जिसमें 17.1% की विकासदर परिलक्षित हुई जो 1983–84 के दौरान रिकार्ड की गयी 17.9% की विकास दर से कुछ कम रही। कुल आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के महत्वपूर्ण पहलू हैं: (क) सरकार को बैंक से प्राप्त निवल उधारों का 40,505 करोड़ रुपए से बढ़कर 47,014 करोड़ रुपए हो जाना, (ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक उधार का 59,992 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,312 करोड़ रुपए हो जाना, और (ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों का 1,580 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,999 करोड़ रुपए हो जाना। सार्वजनिक रूप से सरकार के मुद्रा दायित्वों के 719 करोड़ रुपए से बढ़कर 777 करोड़ रुपए हो जाने से इस विकास में और वृद्धि हुई। यद्यपि सरकार को निवल बैंक उधार और वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक उधार का क्रमशः 16.1% और 15.5% विकास दरें पिछले वर्ष उपलब्ध की गयी क्रमशः 16.6% और 17.3% विकास दरों से कम थीं, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में 1984–85 के दौरान 89.8% की वृद्धि परिलक्षित हुई, जो पिछले वर्ष के दौरान 6.2% की गिरावट से एकदम विपरीत थी। बैंकिंग क्षेत्र के सावधि जमा से भिन्न निवल गैर मुद्रा देयताओं में 1983–84 के दौरान हुई वृद्धि (9.7%) की तुलना में 16,897 करोड़ रुपए से 19,552 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि (15.7%) के होने के कारण प्रसारात्मक प्रभाव पर कुछ हद तक कम प्रभाव रहा।

1.22 1984–85 में बैंक उधार, 41,294 करोड़ रुपए से बढ़कर 48,168 करोड़ रुपए हो गए जो 1983–84 में रिकार्ड की गयी वृद्धि (16.3%) से 16.6% हो गयी है। इस वृद्धि में खाद्यान्न साख और गैर-खाद्यान्न साख दोनों का योगदान है जो क्रमशः 4,022 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,827 करोड़ रुपए तथा 37,272 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,341 करोड़ रुपए हो गए। बैंकों की कुल जमा राशि ने 10,590 करोड़ रुपए की वृद्धि से यह 1984–85 में 60,596 करोड़ रुपए से बढ़कर 71,186 करोड़ रुपए हो गयी जो पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध 9,238 करोड़ रुपए की वृद्धि से अधिक है। जिसमें 1983–84 में उपलब्ध 18% की विकास दर से कम अर्थात 17.5% विकास दर परिलक्षित होती है।

1.23 निरन्तर कठिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के बावजूद भी पिछले वर्ष भारत के विदेशी व्यापार में देखी गयी सुधार की प्रवृत्ति बनी रही। 1984–85 में निर्यात 9,872 करोड़ रुपए से 15.4% बढ़कर 11,396 करोड़ रुपए हो गया। आयात 15,763 करोड़ रुपए से 5.3% बढ़कर 16,592 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार वर्ष 1984–85 के दौरान, 5,196 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा, 1983–84 के 5,891 करोड़ रुपए के घाटे से काफी कम हो गया।

1.24 भुगतान संतुलन की स्थिति, विभिन्न लेखों में निवल आवतियों के कारण मजबूत बनी रही हालांकि अनेक अनिश्चित परिस्थितियों ने इन आवतियों को प्रभावित किया। भारतीय बैंकों में प्रवासी भारतीयों से जमा के रूप में प्राप्त आवतियां, जो बढ़कर 961 करोड़ रुपए हो गई थी, विदेशों में उच्च ब्याज दर के कारण 1984–85 में कम हो गई। वाणिज्यिक उधारों की राशि में भी वृद्धि हुई जिसने आयात वित्तपोषण में बाह्य सहायता के सामान्य बहाव को पूरा करने में योगदान दिया। कुल मिलाकर, 1984-85 में भुगतान सन्तुलन स्थिति संतोषजनक रही और अनुमानित घाटा, 1983–84 की तरह 2000 करोड़ रुपए के लगभग बराबर स्तर पर रहा।

1.25 भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार के सिवाय), जो 1983–84 की समाप्ति पर 5497.9 करोड़ रुपए थे, बढ़कर 6816.8 करोड़ रुपए हो गए जो पिछले वर्ष से 23.9% अधिक है।

1.26 बढ़े हुए वाणिज्यिक उधारों, विदेशी सहायता, ऋण संरचना में परिवर्तन, आदि के परिणामस्वरूप ऋण सेवा दायित्वों में वृद्धि होने से, हालांकि ऋण-सेवा अनुपात में वृद्धि परिलक्षित हुई, परन्तु अर्थव्यवस्था में अन्तर्निहित शक्ति से यह नियंत्रण सीमा में रही जैसा कि इसकी वर्ष 1984–85 में प्रगति और छठी योजना अवधि (1980–85) की समग्र प्रगति से परिलक्षित है।

(ख) नीति परिवर्तन

लाइसेंसिंग नीतियां

1.27 औद्योगिक क्षेत्र में विकास और दक्षता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1984–85 के दौरान नीति स्तर पर विभिन्न परिवर्तन घोषित किए गए। आत्म-विश्वास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों पर उचित ध्यान देते हुए, तीव्र आर्थिक विकास की उपलब्धि के कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, वर्तमान नीतियों को उदार बनाकर, कार्यपद्धतियों को तर्कसंगत बनाकर तथा नियंत्रणों में ढील, जहां आवश्यक समझा गया, देकर अनेक गतिशील प्रारम्भिक उपाय किए गए। कुछ महत्वपूर्ण नीति घोषणाएं निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

— लघु स्तर की इकाई की परिभाषा के प्रयोजन के लिए संयंत्र और उपकरण में अधिकतम निवेश से सम्बन्धित सीमा में 20 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तथा लघु स्तर की सहायक इकाई की परिभाषा के प्रयोजन के लिए 25 लाख रुपए से 45 लाख रुपए की वृद्धि।

— बीस उद्योगों, जिनमें 'अन्य के साथ-साथ' दो पहिए वाले मोटर-वाहन, चार पहिए वाले वाहन, रसायन, फार्मास्युटिकल, पेट्रो-रसायन और उर्वरक मशीनरी उद्योग, कागज और कागज उद्योग, 11 विस्तृत लाइसेंसिंग श्रेणियों में वर्गीकृत इंजीनियरिंग मदें, सभी प्रकार के टाइपराइटर-मैनुअल, इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रानिक्स, आदि भी हैं, का विस्तृत वर्गीकरण या विस्तृत समूह बनाना।

— उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 25 और उद्योगों तथा 82 अनिवार्य और अत्यधिक मात्रा में उपभोग की जाने वाली थोक औषधियों एवं उनके मिश्रण को लाइसेंस से छूट प्रदान करना।

— किसी कम्पनी के एम० आर० टी० पी० कम्पनी होने का निर्धारण करने के लिए परिसम्पत्तियों की सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करना जिसके अनुसार अनेक औद्योगिक संस्थाएं एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों से मुक्त कर दी गईं।

— बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की सीमा के भीतर आने वाली कम्पनियों को, 27 निरूपित उद्योगों के सम्बन्ध में नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन अथवा वर्तमान क्षमताओं के विस्तार के प्रयोजन के लिए कम्पनी विधि बोर्ड से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने से छूट।

उद्योगों से सम्बन्धित नीतियां

1.28 कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में, उनकी प्रगति और विकास को ठोस आधार पर प्रोत्साहित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने नई नीतियों की घोषणा की। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

— चीनी उद्योग से सम्बन्धित नीति (24 सितम्बर, 1984 को घोषित)

— वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित नीति (6 जून, 1985 को घोषित)

— सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित नीति (4 जून, 1985 को घोषित)

— कम्प्यूटरों से सम्बन्धित नीति (19 नवम्बर, 1984 को घोषित)

— इलैक्ट्रानिक्स उद्योग से सम्बन्धित नीति (21 मार्च, 1985 को घोषित)

राजस्व और अन्य नीतियां

1.29 वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्नलिखित के सम्बन्ध में थीं:—

— 1985–86 के लिए निर्यात-आयात नीति जो बढ़े हुए उत्पादन को आगे बढ़ाने तथा निर्यात आधार को मजबूत करने की दृष्टि से, तीन वर्ष (1985–88) की अवधि के लिए स्थिरता और निरन्तरता के लिए वचनबद्ध है।

— बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1985–86 के लिए राजस्व नीति ताकि आर्थिक विकास दर को बढ़ाया जा सके। सितम्बर, 1985 में एक दीर्घावधि राजस्व नीति घोषित किए जाने की सम्भावना है जिसमें जिससे एक "सुनिश्चित निवेश वातावरण" बनाया जा सके तथा नियम निर्धारित राजस्व और वित्तीय नीति की विस्तृत भूमिका सुनिश्चित की जा सके तथा विवेकाधिकार निर्णयों की निर्भरता मामले के अनुसार ही रह सके।

— अक्तूबर, 1984 और अप्रैल, 1985 में साख-नीति घोषणाएं जिनका उद्देश्य जटिल और बहुविध निर्धारणों को कम करना और साख नियंत्रण परिचालनों को सरल बनाना है।

पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित नीति

1.30 वर्ष के दौरान, सरकार ने 20 उद्योगों अर्थात मुख्य धातुकर्म उत्पादक उद्योग जैसे जस्ता, सीसा, तांबा, एल्यूमीनियम और इस्पात, कागज, लुगदी और अखबारी कागज; कीटनाशक, तेलशोधक कारखाने, उर्वरक; पेण्ट; रंग; चर्म शोधन; रेयन; सोडियम/पोटेशियम सायनाइड; मूल औषधियां, फाउण्ड्री; स्टोरेज बैटरियां; एसिड/एलकलीज; प्लास्टिक; रबर; सीमेंट, एसबेस्टोस; फरमेण्टेशन और इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, को अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों के रूप में घोषित किया, तथा ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास पंजीकरण से इच्छुक उद्यमियों के लिए राज्य उद्योग निदेशक से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस आशय का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया कि सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुमोदित करें। पर्यावरण संरक्षण नीति के अनुसार उद्यमी को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार, दोनों को, वचन देना होता है कि वह उपयुक्त उपकरण स्थापित करेगा तथा प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए उपाय करेगा। इसके अतिरिक्त, उद्यमी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस आशय का भी एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि स्थापित किया गया अथवा स्थापित किए जाने वाला उपकरण वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए नीति

1.31 विनिर्दिष्ट कम विकसित क्षेत्रों में परियोजनाएं लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में 1983 में लागू की गयी सरकारी नीति को, वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 1986 को समाप्त एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

1.32 इसके अतिरिक्त, श्रेणी 'क' (अर्थात उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों के अन्तर्गत आने वाले पर्वतीय जिलों में और अधिक इलैक्ट्रानिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि श्रेणी 'क' के विशेष क्षेत्र जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों के मामले में केन्द्रीय निवेश सहायता की अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपए अथवा अचल पूंजी निवेश के 25% जो भी कम हो, कर दी जाएगी।

1.33 वर्ष के दौरान, सरकार ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि वास्तव में अदा किए गए और पूंजी में परिणत किए गए जानकारी, डिजाइन और इंजीनियरिंग शुल्क, आदि को, लेकिन भवन, संयंत्र और मशीनरी की पूंजी लागत से 5% अधिक न हो, केन्द्रीय निवेश उप सहायता के प्रयोजन के लिए कुल 'अचल पूंजी निवेश' के गणन के लिए हिसाब में लिया जा सकता है।

1.34 प्रत्येक उद्योग रहित जिले में निरूपित विकास केन्द्रों में अवस्थापना विकास कार्य करने वाली राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेखनीय किया गया था। वर्ष के दौरान, और गतिविधियों तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप सहमति व्यक्त की गयी कि प्रत्येक उद्योग रहित जिले में अवस्थापना विकास योजना की लागत 6.00 करोड़ रुपए तक, जिसमें से 2.00 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त उप-सहायता के रूप में, 2.00 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में और 2.00 करोड़ रुपए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से रियायती दर पर ऋणों के रूप में

मिलकर पूरी की जा सकती है। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी कि प्रत्येक उद्योग रहित जिले के लिए 6.00 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के भीतर सामान्यतः एक विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। लेकिन, यदि कोई राज्य सरकार एक उद्योग रहित जिले के लिए एक विकास केन्द्र से अधिक केन्द्र स्थापित करना चाहती है तो 6.00 करोड़ रुपए की समग्र कुल व्यय सीमा के भीतर, प्रति उद्योग रहित जिले में दो विकास केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है।

निवेश बढ़ाने के सम्बन्ध में नीतियां

1.35 निवेश बढ़ाने की दृष्टि से अधिमान शेयरों पर लाभांश की दर की अधिकतम सीमा मई, 1984 में 13.5% वार्षिक से बढ़ाकर 15% वार्षिक कर दी गयी (कम्पनी कर से मुक्त लेकिन निर्धारित दर पर कर कटौती की शर्त के अधीन)। बजट प्रस्तावों के दौरान, एक नए दस्तावेज की घोषणा की, जिसका नाम है, संपरिवर्तनीय संचयी अधिमान शेयर। गैर-एम० आर० टी० पी० तथा गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों द्वारा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर देय अधिकतम ब्याज में भी 13.5% से 15% की वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी ताकि उनकी विक्रयता में सुधार किया जा सके। गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में ब्याज की दर 15% वार्षिक पर पूर्ववत् रहेगी।

1.36 वर्ष के दौरान, बोनस शेयरों के निर्गम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में ढील प्रदान की गयी। बोनस शेयरों के निर्गम के लिए एक अनिवार्यता यह है कि कभी भी मुक्त रिजर्व में से पूंजी के रूप में परिणत किए जाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी कुल राशि, कम्पनी की प्रदत्त साधारण पूंजी की कुल राशि से अधिक नहीं हो सकती। मार्च, 1985 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कि उन गैर-सूचीबद्ध गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों के सम्बन्ध में, जो 10 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में हों अथवा जो उस वर्ष, जिसमें उन्होंने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अधीन सूचीबद्ध किए जाने के लिए मांग की हो, से पहले पांच वर्ष से लाभ अर्जित कर रहे हों, गुणावगुणों के आधार पर उपर्युक्त में ढील दी जा सकती है। समीप रूप से धारित कम्पनियों की भी मामले-वार आधार पर 31 मार्च, 1986 तक के लिए उपर्युक्त ढील दी गयी।

1.37 15 सितम्बर, 1984 को सरकार ने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा डिबेंचरों के निर्गम के लिए संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए। इन संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उन उद्देश्यों का विस्तार में उल्लेख किया गया जिनके लिए पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सुरक्षित संपरिवर्तनीय तथा गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम किया जा सकता है। इन उद्देश्यों में न केवल नई परियोजनाओं की स्थापना और विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार, विशाखन या आधुनिकीकरण शामिल है अपितु बैंकों/वित्तीय संस्थानों और/अथवा किसी विधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसरण में कम्पनियों के विलयन/समाकलन से सम्बन्धित प्रस्ताव, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और/अथवा किसी विधिक प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित पूंजी के पुनर्निर्माण, विधिक प्रावधानों और/अथवा एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अनुसार परिसम्पत्तियों की खरीद तथा कम्पनी की कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके दीर्घावधि स्रोतों में वृद्धि करना भी शामिल है। संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों में यह भी उल्लेख किया गया कि डिबेंचर निर्गम के अधिक अभिदान होने की स्थिति में कम्पनियां किस सीमा तक अभिदान रोके रख सकती हैं और उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जिनके अधीन, डिबेंचरों की सामान्य विमोचन अवधि में ढील दी जा सकती है। शेयरों और डिबेंचरों के साथ-साथ सूचीकरण, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को कुछ परिस्थितियों में शेयरों के सूचीकरण से छूट, शेयर निर्गम को डिबेंचर निर्गम से जोड़ने तथा डिबेंचर निर्गमों के लिए अवांछनीय समझे गए वित्तीय और गैर-वित्तीय अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर प्रतिबन्ध की भी संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों में व्यवस्था की गयी।

1.38 स्टाक एक्सचेंज के दायरे में गैर-सूचीबद्ध उन और कम्पनियों को पिछले पांच वर्ष से लाभ अर्जित कर रही हैं और जिनके पास आरक्षित निधियां हैं, की प्रविष्टि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगस्त, 1984 में सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि समीप रूप से धारित विद्यमान कम्पनियों को दो स्तरीय सार्वजनिक अभिदान प्रस्तावों के आधार पर सूचीकरण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि कुल सार्वजनिक अभिदान प्रस्तावों की राशि कम्पनी की निर्गमित पूंजी के 40% से कम न हो और यह कि प्रारम्भिक सार्वजनिक अभिदान प्रस्ताव की प्रथम अवस्था कम्पनी की निर्गमित पूंजी के 33⅓% से कम न हो तथा शेष सार्वजनिक अभिदान प्रस्तावों की दूसरी अवस्था कम्पनी द्वारा क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर किए जाने का प्रस्ताव हो। साधारण शेयरों और डिबेंचरों के साथ-साथ निर्गम और सूचीकरण की भी इस शर्त के अधीन अनुमति दी गयी कि डिबेंचरों/शेयरों के निर्गम के सम्बन्ध में सूचीकरण अपेक्षाओं तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

1.39 तदुपरांत, मार्च, 1985 में, पूंजी बाजार को और विकसित करने तथा और अधिक कम्पनियों को सूचीबद्ध करने की दृष्टि से सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कि विद्यमान गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों को, जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों में लाभ अर्जित किया हो, उनकी निर्गमित पूंजी की 49% की वर्तमान अनिवार्यता की बजाय 40% के सार्वजनिक प्रस्ताव से स्टाक एक्सचेंज में सूचीकरण सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कम्पनियां अपने विकल्प पर दो अवस्थाओं में सार्वजनिक निर्गम कर सकती हैं, पहली अवस्था सूचीकरण के समय 20% तथा शेष सूचीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर।

1.40 18 मार्च, 1985 को केन्द्रीय सरकार ने, स्वैच्छिक आधार पर नए/अतिरिक्त पूंजी निर्गम के सम्बन्ध में और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जिससे, साधारण पूंजी बढ़ानेवाली कम्पनियां केन्द्रीय सरकार की सहमति तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की शर्त के अधीन, 25% की सीमा तक अति अभिदत्त साधारण पूंजी को रोके रख सकें।

1.41 स्टाक एक्सचेंजों की उच्चा धिकार समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों के आधार पर 7 मई, 1985 को सार्वजनिक निर्गमों की वर्तमान उच्च लागत को कम करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गयी। इसमें, सार्वजनिक निर्गम, आदि के हामीदारों, दलालों, व्यवस्थापकों के शुल्क/कमीशन संरचना को युक्तिसंगत बनाना और सार्वजनिक निर्गम-लागत की समग्र अधिकतम सीमा निर्धारित करना शामिल है। प्रतिभूतियों के लिए आवेदनों के सम्बन्ध में तथा न्यूनतम आवेदन के लिए भी न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की गईं।

(ग) परिचालन गतिविधियां

उपकरण वित्तपोषण योजना

1.42 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, रुपया, या विदेशी मुद्रा के छोटे ऋणों के लिए आवेदनों पर तकनीकी सलाहकारी समिति/तदर्थ सलाहकार समूह, आदि को हवाला दिए बिना तत्परता से विचार करने की पूर्वी विद्यमान पद्धति को 'उपकरण वित्तपोषण योजना' के रूप में व्यवस्थित किया है ताकि वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं को, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विदेशी ऋणों से पूंजी माल और संतुलनकारी प्रकृति के उपकरणों की खरीद के लिए अथवा तकनीकी विकास निधि लाइसेंसों के अन्तर्गत आने वाले आयातों के लिए रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त आवेदनों को सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्परता से निपटाया जा सके। योजना के अन्तर्गत वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं को सहायता की मंजूरी के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायी जा रही है ताकि प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना और आंकड़ों की प्राप्ति से एक महीने के भीतर सहायता मंजूर की जा सके और साख पत्र भी खोला जा सके।

विदेशी मुद्रा ऋण

1.43 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से ऋण जुटाकर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए अपने स्रोतों में वृद्धि की। इस समय, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विदेशी मुद्रा स्रोतों में, क्रेडिटांस्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) जर्मन संघीय गणराज्य से 23 ऋण भारत-जर्मन संघीय गणराज्य वित्तीय सहयोग करारों के अन्तर्गत जर्मन मार्क आवर्ती निधियां, बांडों के निजी धारण के माध्यम से 45 मिलियन अमरीकी डालर तथा 5 बिलियन जापानी येन के यूरो-मुद्रा ऋण सम्मिलित हैं।

1.44 वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए आवेदनों को निपटाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया तथा साख-पत्र खोले जाने से पूर्व ऋणी द्वारा अनुपालन की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण अपेक्षाओं की जांच-सूची को अन्तिम रूप दिया गया ताकि साख-पत्र यथाशीघ्र खोले जा सकें।

1.45 भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ने वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को, अपने उप-ऋणियों को उसकी ओर से अनुमोदन देने के लिए, कुछ शर्तों का अनुपालन किए जाने पर ऋण करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्तियां भी प्रत्यायोजित की हैं।
से अधिक प्रवासी हितों वाली कम्पनियों के पक्ष में भारतीय औद्योगिक वित्त-निगम द्वारा अनुमोदित किए गए विदेशी मुद्रा ऋण भी भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अनुमति के दायरे में लाए गए। जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋण लेनदेन का सम्बन्ध है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को दी गयी इस सामान्य अनुमति से कारोबार के शीघ्र निपटान का कार्य और भी सरल हो गया।

निरूपित 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी जिलों की परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त योजना

1.46 उद्योग रहित जिलों/कम विकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली अप्रैल, 1983 से 31 मार्च 1985 को समाप्त दो वर्ष की अवधि के लिए लागू की गयी संशोधित प्रोत्साहन योजना को वर्ष के दौरान, एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। उसके अनुरूप, निरूपित 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी जिलों की परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान करने की संस्थानों की योजना भी, 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी।

1.47 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी जिलों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए संस्थानात्मक रियायती वित्त योजना के मूलभूत सिद्धान्तों में वर्ष के दौरान सिवाय इसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि समग्र पंजाब की सभी नई परियोजनाओं को पहली जुलाई, 1985 संस्थानों से वित्तीय सहायता का पात्र बनाया गया जैसी कि श्रेणी 'ख' कम विकसित जिलों को उपलब्ध है।

1.48 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने 'ख' और 'ग' श्रेणियों के 54 खण्डों/तालुकों/शहरी समूहों/ टाऊनशिप विस्तारों, जहां 31 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार निवेश 30.00 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, को भी अधिसूचित किया। तदनुसार सहमति व्यक्त की गयी कि श्रेणी 'ख' और 'ग' जिलों के इन अधिसूचित खण्डों की परियोजनाओं के सम्बन्ध में संस्थानों द्वारा रियायती सहायता प्रदान न की जाए; लेकिन, सरकारी अधिसूचना की सीमा से बाहर के पाइप लाईन मामले तथा संस्थानों द्वारा रियायती दरों पर पहले ही सहायता मंजूर किए गए मामले, पहले की तरह रियायती सहायता के पात्र बने रहेंगे।

1.49 वर्ष के दौरान, सहमति व्यक्त की गयी कि केवल 50.00 करोड़ रुपए तक की पूंजी लागत वाली परियोजनाएं ही 'परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना विकास ऋण' की पात्र होंगी, ऐसे ऋण की अधिकतम राशि 5.00 करोड़ रुपए अथवा परियोजना लागत के 20%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी कि निर्माण अवधि के दौरान ऐसे ऋणों पर ब्याज न लगाये जाने के प्रयोजन के लिए, परियोजना के पूरे होने की तारीख (उत्पादन आरम्भ करने की तारीख नहीं), मूल्यांकन के समय यथा परिकल्पित पूर्णता की तारीख होगी।

उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उदार ऋण योजना

1.50 आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने के लिए उदार ऋण योजना में वर्ष के दौरान, सिवाय इसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित मशीनरी और उपकरण की आयु के सम्बन्ध में 10 वर्ष की सीमा में, उन परियोजनाओं को ढील देने के लिए स्वीकृति दी गयी जिनमें शीघ्र परिवर्तनशील टेक्नोलोजी हो अथवा जिनमें आधुनिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से टेक्नोलाजी के उन्नयन से विशेष लाभ हो अथवा जिसमें आधुनिकीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य, निर्यात में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, उर्जा संरक्षण और प्रदूषण विरोधी उपाय, अपनाया गया हो।

1.51 इसके अतिरिक्त सहमति व्यक्त की गयी कि हालांकि सभी आधुनिकीकरण प्रस्तावों से सामान्यतः क्षमता में कुछ वृद्धि होने की सम्भावना होती है, लेकिन योजना के समग्र सिद्धांतों के अधीन वर्तमान लाइसेंस क्षमता के भीतर क्षमता में 25% तक वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार, पूर्व-भस्मीकरण टेक्नोलाजी लागू करने के कारण क्षमता में 25% तक वृद्धि करने वाली सीमेंट इकाइयों के आधुनिकीकरण प्रस्तावों को, विनिर्दिष्ट सीमाओं तक उदार ऋण योजना के अन्तर्गत पात्र माना गया। इसी प्रकार, चीनी इकाइयों के सम्बन्ध में प्रतिदिन 1500 टन गन्ना पेराई क्षमता तक विस्तार यदि आधुनिकीकरण कार्यक्रम द्वारा किया गया हो, आधुनिकीकरण सहायता के लिए पात्र समझा गया। इसी प्रकार, कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में, मामले-वार आधार पर योजना के अन्तर्गत पश्चगामी/अग्रगामी संकलन की अनुमति भी दी गयी उदाहरणार्थ, रोलिंग मिल, आदि के समावेश से अति लघु इस्पात मिलों का विशाखन।

1.52 वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों, जिन्हें मामले-वार आधार पर 10% वार्षिक ब्याज दर से उदार ऋण सहायता प्रदान की गयी थी, के सम्बन्ध में संस्थानों ने, समीक्षा करने और बाद में ब्याज दर को बढ़ाने, यदि वित्तपोषित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होने से इसकी गुंजाइश हो, का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए सहमति व्यक्त की।

1.53 पहली जुलाई, 1985 से, वर्तमान उपकरण के उन्नयन से क्षमताओं का विस्तार और सम्बन्धित उत्पादों का विशाखन उदार ऋण योजना के अन्तर्गत तब तक अनुमन्य है जब तक कि ऐसा विस्तार/विशाखन आधुनिकीकरण के साथ आनुषंगिक हो तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक सरकारी अनुमोदन उपलब्ध हो। विभिन्न स्थलों पर स्थित इकाइयों वाली और/अथवा विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली बहु-विभागीय कम्पनियों को भी, पहली जुलाई, 1985 से योजना के अन्तर्गत अलग-अलग प्रभाग-वार उदार ऋण सहायता का पात्र बना दिया गया। इसी तारीख से, आधुनिकीकरण से सम्बन्धित श्रम औचित्यकरण पर व्यय को उदार ऋण योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने की अनुमति दी गयी है।

100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को सहायता

1.54 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में संस्थानों द्वारा पहली जनवरी, 1984 से, 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को इकाई की निर्यात प्रगति के आधार पर पहले पांच परिचालन वर्षों के लिए, रुपया ऋणों पर लागू ब्याज की दर (यथास्थिति सामान्य या रियायती) में 1.5% वार्षिक की छूट दिए जाने का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, निर्णय किया गया कि 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को ब्याज में 1.5% वार्षिक की छूट, 4.00 करोड़ रुपए तक की रुपया ऋण सहायता की राशि पर उपलब्ध होगी और यह कि प्रथम पांच परिचालन वर्षों की अवधि, मूल्यांकन के समय वाणिज्यिक उत्पादन की यथा परिकल्पित तारीख से मानी जाएगी।

संपरिवर्तनीयता खण्ड

1.55 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, पात्र औद्योगिक संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करते समय वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाई/लागू किए जाने वाले संपरिवर्तनीयता विकल्प के विषय में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1984-85 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए संपरिवर्तनीयता मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप, वित्तीय संस्थानों से संपरिवर्तन विकल्प लगाने के लिए तथा संपरिवर्तन के परिचालन के लिए कारगर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए।

1.56 संस्थानों द्वारा बनाए गए कारगर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संपरिवर्तनीयता खण्ड अब केवल उन्हीं मामलों पर लागू होता है जिनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता (बकाया राशि सहित) 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। जिन मामलों में कुल सहायता 5 करोड़ रुपए से अधिक हो उनमें 5 करोड़ रुपए तक की सहायता को मानक कटौती के रूप में छूट दे दी जाती है और केवल शेष सहायता के सम्बन्ध में ही संपरिवर्तनीयता खण्ड लागू किया जाता है। संपरिवर्तनीयता खण्ड की प्रयोज्यता के प्रयोजन के लिए कुल वित्तीय सहायता में, परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में रुपया ऋण और/अथवा रुपया डिबेंचर मंजूरियां, और पहले दी गयी इसी प्रकार की सहायता की शेष बकाया राशि तथा संस्थानों द्वारा दी गयी वित्तीय गारंटियों के सम्बन्ध में वास्तविक देनदारी, यदि कोई हो, शामिल है। संपरिवर्तन विकल्प, यदि लागू हो, प्रयोग किए जाने की सीमा और मूल्य का निर्धारण संस्थानों द्वारा सामान्यतः विभिन्न सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संपरिवर्तन विकल्प लागू करते समय किया जाता है। सामान्यतः ऋणों/डिबेंचरों का 20% भाग संपरिवर्तन विकल्प की शर्त के अधीन होता है। नई परियोजनाओं के मामले में संपरिवर्तन विकल्प का प्रयोग शेयरों के सम-मूल्य पर किया जा सकता है जबकि विद्यमान संस्थाओं के मामले में शेयरों का मूल्य, सामान्य मूल्यांकन फार्मूले तथा इस सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित पहलुओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त ब्याज लगाना

1.57 पहली अप्रैल, 1980 से, संस्थानों द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और समीप रूप से धारित कम्पनियों को मंजूर की गयी सहायता के सम्बन्ध में 1% अतिरिक्त ब्याज लगाने की पद्धति अपनायी जा रही थी। इस पद्धति के पीछे औचित्य यह था कि शेयरों के सूचीकरण को पर्याप्त महत्व देने की सरकारी नीति के अनुसार गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों को यूं ही निरुत्साहित किया जा सके, ताकि उनका स्वामित्व और अधिक विस्तृत हो सके और लाभ समाज के विस्तृत वर्ग को प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, शेयरों के सूचीकरण से वित्तीय संस्थानों को, संपरिवर्तन विकल्प के अधिकार का समय आने पर इसका प्रयोग करने और अनुकूल समय पर पूंजी बाजार में शेयर बेचने में भी सहायता प्राप्त होती है।

1.58 वर्ष के दौरान, समीप रूप से धारित कम्पनियों को प्रदान की गयी सहायता के सम्बन्ध में 1% अतिरिक्त ब्याज लगाने के मामले की समीक्षा की गयी जिसके परिणामस्वरूप विकसित की गयी और इस समय परिचालित पद्धति निम्नानुसार है :

— 1% अतिरिक्त ब्याज अब केवल गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में ही लगाया जाता है और 75% या उससे अधिक प्रवर्तक शेयर धारिता वाली सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में 1% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज लगाने की पद्धति समाप्त कर दी गयी है।

— गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों को मंजूर की गयी 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक सहायता इस शर्त के अधीन है कि कम्पनी सहायता की मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अपने शेयर सूचीबद्ध करवाएगी जिसके पश्चात् 1% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज लगना बन्द हो जाएगा।

— नई परियोजनाओं के मामले में 1% वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज, मूल्यांकन के समय वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की यथा परिकल्पित तारीख और विद्यमान परियोजनाओं के मामले में प्रथम संवितरण की तारीख से लगाया जाता है। यदि परियोजना अनुसूची में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वयन निर्धारित किया गया हो तो अतिरिक्त ब्याज लगाने की तारीख प्रथम चरण पूरा होने की तारीख से होगी जैसा कि मूल्यांकन के समय निर्धारित किया गया था।

— 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज उन कम्पनियों पर लागू नहीं होगा जिसके शेयर निम्नलिखित के परिणामस्वरूप सूचीबद्ध नहीं है : (क) जिन मामलों में सार्वजनिक अभिदान की राशि प्रवर्तक अंशदान के सिवाय 50 लाख रुपए से अधिक न हो उनके सार्वजनिक निर्गम व्यय रोकने की दृष्टि से संस्थाओं की शेयर पूंजी में संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष अभिदान किया जाना और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या सरकारी एजेंसियों द्वारा समस्त शेयरों अथवा शेयरों के प्रमुख भाग का धारण अथवा 51% शेयरों का सरकारी क्षेत्र के संस्थान अथवा सहकारी समितियों अथवा विस्तृत रूप से धारित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की पूर्ण स्वामित्व में सहायक कम्पनियों द्वारा धारण।

परियोजनाओं में प्रवर्तकों के रूप में राज्य औद्योगिक विकास निगमों का अंशदान

1.59 वर्ष के दौरान, सहमति व्यक्त की गयी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाभांश दरों से 12 से 15 वर्ष के बीच विमोच्य गैर-सचयी अधिमान शेयरों के रूप में राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगमों द्वारा किया गया अंशदान, राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगमों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तक अंशदान के रूप में माना जाए।

नामित निदेशकों की भूमिका

1.60 संस्थानात्मक नामित निदेशकों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन, वर्ष के दौरान, ऋण करार में एक उपयुक्त खण्ड जोड़ा गया जिसके अनुसार बोर्ड की लेखा समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित है जैसा कि वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षा की जाए। ऋण करार में उपर्युक्त प्रावधान किए जाने से वित्तीय संस्थान उपर्युक्त मामलों में वित्तपोषित संस्थाओं का उनके संचालक बोर्डों की लेखा-परीक्षा उप समितियों का गठन करने के लिए निदेश दे सकते हैं जैसा कि इस विषय पर सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपेक्षित है। ऋणियों के कार्य चालन के विभिन्न पहलुओं के ध्यानपूर्वक अनुप्रवर्तन के लिए वर्ष के दौरान निगम में एक "नामित निदेशक कक्ष" भी स्थापित किया गया।

ब्याज, हामीदारी कमीशन, दलाली, आदि की दरें

1.61 वर्ष के दौरान, ब्याज की मूल उधार दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन, वित्तीय संस्थानों के येन उधारों में से विदेशी मुद्रा ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज दर पहली अप्रैल, 1985 से कम करके 10 प्रतिशत कर दी गई। इसी प्रकार, हामीदारी कमीशन, दलाली, व्यवस्थापक दलालों के पारिश्रमिक, आदि की दरों को भी 7 मई, 1985 से, सरकार के निर्देशों के अनुसार युक्तिसंगत कर दिया गया। 30 जून, 1985, वर्ष की समाप्ति पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में लागू ब्याज, कमीशन, प्रभार, आदि की दरें परिशिष्ट 1 में दी गई है।

प्रक्रियात्मक गतिविधियां

1.62 वर्ष के दौरान सहमति व्यक्त की गई कि उदार ऋण योजना के रियायती घटकों के आस्थगित/स्थगित किस्तों के सम्बन्ध में संस्थान, दूसरी ओर और उसके बाद के अवसरों के लिए दी गई उदार ऋण सहायता के रियायती संघटक की आस्थगित किस्तों पर, चालू ब्याज पर (सामान्य ऋणों पर लागू) प्रभारित करेंगे। लेकिन, ऋण इकाइयों के सम्बन्ध में गुणावगुणों के आधार पर, रियायती ब्याज दर पर ही ऐसे आस्थगन को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

1.63 संस्थानात्मक वित्तपोषण के क्षेत्र में "अग्रणी संस्थान" की धारणा को और अधिक गहन बनाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान सहमति व्यक्त की गई कि :

— वर्तमान ऋणियों से 50 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता के प्रस्तावों का अग्रणी संस्थान द्वारा अकेले ही पूर्णतः पूरा किया जाए और 50 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के बीच की अतिरिक्त

सहायता में सम्बन्ध में अग्रणी संस्थान को अधिकार है कि स्वयं उसके द्वारा अथवा अन्य संस्थानों की भागीदारी से सहायता प्रदान की जाए।

—"परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना विकास ऋण" के 5 लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अग्रणी संस्थान इसे अकेले ही मंजूर कर सकता है।

—10 करोड़ रुपये की पूंजी लागत वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में मूल पुनर्भुगतान अनुसूची दायरे के भीतर रहकर, अग्रणी संस्थान अन्तर संस्थानात्मक मंच से संदर्भ के बिना प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर मूलधन और ब्याज को पुनर्सर्चीकृत कर सकता है, बशर्ते कि संस्थानों द्वारा इस संबंध में किसी अन्य प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े।

1.64 परियोजना वित्तपोषण भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना को प्रत्येक भागीदार संस्थान द्वारा, शोधन गृह के रूप में किए जाने वाले कार्यों का प्रभावशाली समन्वय करने और परियोजना वित्तपोषण भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना के संचालन-परिचालनों को और अधिक सरल बनाने की दृष्टि से अपने संगठनात्मक ढांचे में केन्द्र बिन्दु स्थापित करके और अधिक कारगर बनाया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, निवेश संस्थानों, अर्थात् जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने भी परियोजना वित्तपोषण भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना के अन्तर्गत भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की ताकि अखिल भारतीय ऋण प्रदाता संस्थानों तथा निवेश संस्थानों के स्तर पर साख का एक ही स्थान पर पूर्ण संवितरण उपलब्ध किया जा सके।

वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच समन्वय

1.65 वित्तीय संस्थानों अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय, वर्ष के दौरान, स्थायी समन्वय समिति नामक मंच के माध्यम से बनाए रखा गया। 18 अगस्त, 1984 को आयोजित इस समिति की पांचवीं बैठक में सहमति व्यक्त की गई कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, प्राधिमानतः राज्य स्तरीय संस्थानों की भागीदारी में, वित्तपोषित की जा सकने वाली परियोजनाओं की लागत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सीमा 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दी जाए। "धूसर क्षेत्र" की परियोजनाओं के सम्बन्ध में, अर्थात् जिनके वित्तपोषण में सामान्यतः बैंकों की भागीदारी की आशा नहीं की जाती, सहमति व्यक्त की गई कि वित्तीय संस्थान, 3.00 करोड़ रुपये से 7.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत में बैंकों की भागीदारी की आशा नहीं करेंगे। लेकिन, बैंक आस्थगित अदायगी गारंटियां प्रदान करके ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण में भागीदारी करते रहेंगे बशर्ते कि ऐसी गारंटियां, वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण ढांचे की शर्तों के अनुरूप दी गई हों। बैंक, विशेष मामलों में, अपनी विद्यमान वित्तपोषित संस्थाओं के साथ अपने वर्तमान सम्बन्ध बनाए रखने के प्रयोजन से उनकी ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण (यदि वे स्वयं अपनी ओर से ऐसा करना चाहें) में भी भागीदारी कर सकते हैं। 7.50 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लागत वाली बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गई कि बैंक, अपने विकल्प पर, परियोजना की दीर्घावधि ऋण (आस्थगित अदायगी गारंटी सहित) आवश्यकता के 25 या 30 प्रतिशत सीमा तक भागीदारी कर सकते हैं।

1.66 इसके अतिरिक्त, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने के उपाय के रूप में सहमति व्यक्त की गई कि एक करोड़ रुपये से अधिक दीर्घावधि रुपया ऋण वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण ढांचे के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुमोदन की विद्यमान अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन, आस्थगित अदायगी गारंटी सहित, 3 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना लागत वाले मामलों में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सम्बद्ध होने से वित्तपोषण होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

1.67 इसके अतिरिक्त सहमति व्यक्त की गई कि कुछ परिस्थितियों में, वित्तीय संस्थान, ऋणी की स्थिर परिसम्पत्तियों पर बैंकों के पक्ष में द्वितीय प्रभार देने के लिए, प्रथम प्रभार देने के लिए, प्रथम प्रभारधारक के हितों के संरक्षण के लिए अपेक्षित सामान्य शर्तों के अधीन स्वीकृति दे सकते हैं।

(घ) उद्योगों की सामान्य समीक्षा

औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व

1.68 1984-85 में शक्ति जनन में पर्याप्त सुधार होने के बावजूद देश में बिजली की कमी बनी रही क्योंकि बिजली की आपूर्ति उसकी बढ़ती हुई मांग से कम रही। फिर भी, वर्ष के दौरान समग्र शक्ति जनन में 12 प्रतिशत वृद्धि के कारण 1984-85 में बिजली की कमी छठी योजना की अवधि के दौरान, न्यूनतम रही। उत्तरी क्षेत्र में, बिजली की कमी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य थे; हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक रही। पूर्वी क्षेत्र में, बिजली में 17 प्रतिशत से अधिक कमी आई। बिजली की सर्वाधिक कमी बिहार में रही जो कि लगभग 39 प्रतिशत थी और उड़ीसा में यह कमी 16.5 प्रतिशत थी। दक्षिणी क्षेत्र में हालांकि आन्ध्र प्रदेश में बिजली की आपूर्ति कुछ अतिरिक्त रही लेकिन कर्नाटक राज्य को बिजली की काफी कमी का सामना करना पड़ा। केरल और तमिलनाडु में बिजली की स्थिति, हालांकि कुल मिलाकर संतोषजनक रही लेकिन बिजली की कमी और समय-समय पर परिवर्तनशील मात्रा में प्रतिबन्धों से बीच-बीच में रुकावट आती रही।

1.69 वर्ष 1984-85 के दौरान श्रमिक स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही और केवल पटसन वस्त्र उद्योग के सिवाय औद्योगिक क्षेत्र में 1984 में कोई उल्लेखनीय हड़ताल नहीं हुई।

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.70 उपर्युक्त स्थिति तथा अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से संतोषजनक प्रगति के कारण 1984-85 में औद्योगिक उत्पादन में सुधार होना शुरू हो गया। 1984-85 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान उत्पादन का समग्र स्तर, 1983-84 की इसी अवधि के औद्योगिक उत्पादन से लगभग 7 प्रतिशत अधिक रहा। लेकिन, यह उल्लेखनीय उच्च विकास दर 1984-85 की दूसरी छमाही में बनाई नहीं रखी जा सकी जिसका मुख्य कारण था हाइडल शक्ति जनन में गिरावट और बिजली की अत्यधिक कमी। फिर भी, औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक (आधार 1970=100) 183.4 से बढ़कर 193.9 हो गया जो 1984-85 के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। 1983-84 और 1984-85 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्तियां सारणी I में दी गई हैं।

सारणी 1. औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

(आधार 1970=100)

अधिभार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
		(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-मार्च)
9.7	खनन और खदान	11.5%	8.0%
81.1	निर्माण	4.5%	4.7%
9.2	बिजली	7.6%	12.0%
100.0	समस्त उद्योग	5.5%	5.7%

1.71 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 149 उद्योगों में से (औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचकांक के अनुसार जिनका कुल भार में से लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है) 1984-85 के दौरान 110 उद्योगों के

उत्पादन में वृद्धि हुई। केवल 37 उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई जबकि दो उद्योग, अर्थात्, घुलनशील एसीटिलीन गैस और माइकिलें, 1983–84 के दौरान उपलब्ध उत्पादन स्तर को ही बनाए रखने में सफल रहे।

1.72 जिन उद्योगों के उत्पादन में 1983–84 के उत्पादन से 10% और उससे अधिक वृद्धि हुई, वे हैं: कच्चा तेल (11.2%), बेबी फूड (13.8%), पटसन वस्त्र (30.1%), सिले सिलाए (135.1%), अखबारी कागज (12.1%), ट्रैक्टर टायर (13.1%), स्कूटर टायर (27.3%), नाइट्रोजीनियस उर्वरक (12.2%), फास्फेटिक उर्वरक (20.6%), पी० वी० सी० रेजिन्स (31.3%), पोलिस्ट्रीन (12.1%), सिंथेटिक रबर (24.9%), विस्कोस स्टेपल रेशा (22.1%), नायलन टायर कॉर्ड (20%), पॉलिएस्टर रेशा (44.5%), पोलिएस्टर फिलामेन्ट धागा (14.6%), रंग व वार्निश (14.8%), डी० डी० टी० (20.8%), मैलाथियन (12.9%), सल्फा ड्रग्स (18.6%), क्लोरेम फिनिकोल (35.3%), सिंथेटिक डिटर्जेन्ट (17.9%), सीमेंट (11.1%), ग्राइंडिग व्हील्स (18.7%), एल्युमीनियम (25.7%), कापर कैथोड (14.7%), ट्विस्ट ड्रिल (11.4%), बायलर (10.1%), सीमेंट मशीनरी (20.1%) मुद्रण मशीनरी (42.7%), लिफ्टें (27.6%), बाल व रोलर बेयरिंग्स (17.6%), मशीन औजार (12.3%), ट्रैक्टर (12.1%), घरेलू रेफ्रिजरेटर (18.4%), फ्लोरोसेंट ट्यूब (14.8%), ए० सी० एस० आर०/ ए० ए० सी० वायर और केबल्स (15.4%), ए० सी० एस० आर० के लिए तार की छड़ें (51.6%), पी० आई० एल० सी० तारें (31.7%), वी० आई० आर०/पी० वी० सी० तारें (13.6%), सूखे सैल (11.1%), ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और एनोड्स (12.4%), यात्री कारें (58.5%), मोटर साइकिल (13.4%), स्कूटर (14.9%), मोपेड (22.4%), तिपहिये (13.3%), हाऊस सर्विस मीटर (30.1%), अलाफ (32.1%), और जिप फास्टनर (15.4%)।

1.73 जो उद्योग 1984–85 में अपने उत्पादन में 10 या इससे अधिक पीछे रहे और जिनकी उत्पादन विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक रही, वे हैं: चीनी (–13.8%), विस्कोस टायर कॉर्ड (–26.0%), सेल्युलोज फिल्म (–20.0%), बी० एच० सी० (तकनीकी) (–10.6%), पेनिसिलीन (–27.3%), विटामिन ए (–11.4%), विक्रेय कच्चा लोहा (–20%), सी० आई० स्पन पाइप (–29.6%), चीनी मशीनरी (–12.2%), कागज व लुगदी मशीनरी (–16.9%), रबर मशीनरी (–52.6%), धरती धकेल मशीनरी (–10.3%) रोड रोलर (–29.8%), और रेलवे वैगन (–25.0%)।

क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियां

1.74 पिछले वर्ष की तुलना में 1984–85 के दौरान जिन उद्योगों में क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वे हैं: मूल उद्योग समूह के अन्तर्गत उर्वरक, सीमेंट, एल्युमीनियम, शक्ति जनन, पूंजी माल उद्योग समूह के अन्तर्गत संचालक बैटरियां सूखे सैल, पावर ट्रांसफार्मर्स, डीजल इंजिन, बिजली की मोटरें, कृषि ट्रैक्टर, मध्यवर्ती माल उद्योग समूह के अन्तर्गत; पेट्रोलियम उत्पाद, पटसन निर्माण, सूत कताई, तथा उपभोक्ता माल उद्योग समूह के अन्तर्गत; रबर उत्पाद, बिजली के पंखे, वनस्पति और सिगरेट। समग्र रूप से उद्योग के औसत क्षमता उपयोग में गिरावट प्रवृत्ति को 1984–85 में भी रोका नहीं जा सका। इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 2 में वर्ष 1984–85 के लिए चुने हुए 52 उद्योगों की स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग प्रतिशत और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 605 वित्तपोषित संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर उनके सम्बन्ध में स्थिति दर्शायी गई है।

1.75 उपभोक्ता माल उद्योग के क्षेत्र में, जिसका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वित्तपोषण कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है, 1984–85 के दौरान चीनी, सूती, ऊनी और पटसन वस्त्र, कागज तथा अन्य विविध उद्योगों की प्रगति कुछ धीमी रही।

1.76 1983–84 में 71.49 लाख टन चीनी के उत्पादन की तुलना में 1984–85 में उत्पादन कम होकर 61.59 लाख टन रह गया जिसका कारण था, देश भर में गन्ने की उपलब्धता में कमी तथा विशिष्ट कृषि-जलवायु तत्वों के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय कमी। 1984–85 में उद्योग का प्रतिशत क्षमता उपयोग कम होकर 85.2 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछले वर्ष यह 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध किया गया था। चीनी मिलों द्वारा अदा की गई गन्ने की ऊंची और अलाभकारी वास्तविक कीमतों के कारण उनके वित्तीय परिणामों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। 1983–84 के मौसम के लिए गन्ना उत्पादकों को गन्ने का देय बकाया राशि भी, कुछ सीमा तक, गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कमी के लिए उत्तरदायी है। गन्ना क्षेत्र, जो बढ़कर 33.58 लाख हेक्टेयर हो चुका था, 1983–84 में कम होकर, 31.66 लाख हेक्टेयर और 1984–85 में 30.02 लाख हेक्टेयर रह गया। चीनी की कमी को पूरा करने के लिए देश को 1984–85 में लगभग 9 लाख टन चीनी का आयात करना पड़ा।

1.77 वस्त्र उद्योग में, 1983–84 में हुए 13407 लाख कि० ग्रा० धागे के उत्पादन में मामूली वृद्धि परिलक्षित हुई यह 1984–85 में 13825 लाख कि० ग्रा० हो गया। लेकिन, वर्ष के दौरान, कपड़े का उत्पादन केवल 34322 लाख मीटर रहा जबकि 1983–84 में यह 35563 लाख मीटर था। मिल-निर्मित कपड़े में गिरावट का कारण वस्त्र की मांग में कमी और बन्द मिलों की बढ़ती हुई संख्या थी। समग्रतः वर्ष 1984 में, बन्द मिलों की संख्या 151 थी। इन बन्द मिलों में से तमिलनाडु (70), गुजरात (22) और उत्तर प्रदेश (19) का इसमें कुल का 73 प्रतिशत भाग रहा। 1984–85 के पिछले तीन महीनों के दौरान गुजरात राज्य में लगातार आन्दोलन से भी औद्योगिक उत्पादन, विशेषतः गुजरात का वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, संयंत्र और मशीनरी के अप्रचलित हो जाने, मांग के सन्दर्भ में कच्ची कपास की कमी और परिणामतः उनकी कीमतों में वृद्धि, आयातित विस्कोस स्टेपल फाइबर प्राप्त करने में विलम्ब और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशेषतः पावरलूम क्षेत्र, के सदैव वृद्धिशील भाग का, संगठित संयुक्त मिल क्षेत्र के वस्त्र उद्योग की धीमी प्रगति में विशेष योगदान रहा। कुल मिलाकर, यद्यपि कताई क्षेत्र में क्षमता उपयोग में 1984 में 66.4 प्रतिशत से 66.9 प्रतिशत का मामूली सुधार परिलक्षित हुआ, लेकिन मिल के कपड़े में क्षमता उपयोग 65.3 प्रतिशत से 59.6 प्रतिशत की गिरावट आ गई। केन्द्रीकृत प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम, कपास की कीमतों में गिरावट तथा नई वस्त्र नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप हाल ही में कपास की नई और सुधरी हुई फसल बाजार में आने से वस्त्र उद्योग में सुधार के लक्षण परिलक्षित होने शुरू हो गए हैं।

1.78 पटसन वस्त्र उद्योग में 1983–84 की प्रतिकूल स्थिति के बाद वर्ष 1984–85 उत्पादन में मामूली सुधार का वर्ष रहा। उद्योग ने 11.37 लाख टन का उत्पादन करके 30.1 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जब कि 1983–84 में उत्पादन 8.74 लाख टन था। औसत क्षमता उपयोग, पिछले वर्ष के 57.5 प्रतिशत की तुलना में 72.3 प्रतिशत हो गया। लेकिन, मांग से कम मात्रा में कच्चे पटसन के उत्पादन के कारण उद्योग में कच्चे पटसन का अभाव बना रहा जिससे कच्चे पटसन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, उच्च उत्पादन लागत, संयंत्र और मशीनों का अनुप्रयुक्त रहना और अनियमित बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ा। वर्ष के अन्त में, 20 पटसन मिलें ताला-बन्द/बन्द थी। लेकिन, वर्ष के दौरान उद्योग की प्रगति की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि खाद्यान्नों और पैकेज किए जाने वाली अन्य सामग्री के लगातार उत्पादन के कारण पटसन वस्तुओं की मांग मजबूत बनी रही। पटसन वस्तुओं का 2.75 लाख टन के निर्यात से, जो 3.50 लाख टन के लक्ष्य से कम था, उच्चतर इकाई मूल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए 300 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई जबकि लक्ष्य 260 करोड़ रुपये का था। निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने, पहली अप्रैल, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए पटसन माल निर्यात के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता

भी प्रदान की। उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए निकट भविष्य में एक नई गहन नीति बनाए जाने की संभावना है।

1.79 कागज और कागज-बोर्डों तथा अखबारी कागज के उत्पादन में 1983-84 की तुलना में 1984-85 में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कागज और कागज उत्पादों की अधिक मांग, अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए जाने, उत्पादेयों की बेहतर उपलब्धता, आदि उत्पादन में वृद्धि के प्रमुख कारण थे। यह उत्पादन 1983-84 में 21.78 लाख टन की तुलना में 1984-85 में 23.75 लाख टन (अखबारी कागज, छपाई कागज, कागज और कागज बोर्डों सहित) हो गया। तीव्र मांग और कागज की लागत में वृद्धि के बावजूद भी कागज उद्योग की स्थिति कटु बनी रही। लुगदी और कागज की तीन बड़ी एकीकृत मिल वर्ष के दौरान बन्द रहीं। जंगलों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल जैसे बांस और मिश्रित ठोस-लकड़ी पर आधारित इकाईयां, पुराने संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण की कठिन समस्या के अतिरिक्त कच्चे माल की घटती हुई सप्लाई का सामना करती रहीं। अति लघु कागज इकाईयों को अपनी स्वाभाविक कमजोरियों के अतिरिक्त, कृषि अवशेषों और अन्य गौण रेशो की उपलब्धता तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव और आयातित पुरानी कागज मशीनों के बार-बार खराब होने से कम प्रगति होने के कारण कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा। स्थापित क्षमता में तीव्र विकास होने के कारण उद्योग का औसत क्षमता उपयोग भी 63 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका।

1.80 मूल उद्योग, अर्थात् मूल धातु उद्योग मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि ने भी, 1984-85 में उच्च विकास दर में उल्लेखनीय योगदान दिया।

1.81 मूल धातु उद्योग में, प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा बिक्री-योग्य इस्पात का उत्पादन, बिजली की उपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धता, आयातित तथा घरेलू कोकिंग कोयले की बढ़ती हुई पूर्ति तथा मांग में वृद्धि के कारण, 9.4 प्रतिशत अधिक हुआ। फिर भी, अति लघु इस्पात इकाइयों की प्रगति उतनी उत्साहजनक नहीं रही जितनी कि संभावना थी। 1984-85 में बिक्री-योग्य इस्पात का समग्र उत्पादन 88.5 लाख टन रहा, जो हालांकि 1983-84 से बेहतर था लेकिन 1982-83 में उपलब्ध 95.2 लाख टन के स्तर का नहीं था। क्षमता उपयोग भी 61 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका। फिर भी, 1984-85 के दौरान बेहतर उत्पादन से छड़ों की कमी, एल० पी० जी० बढ़िया इस्पात, एच० आर० तथा सी० आर० कॉयलों, आदि की कमी में राहत प्राप्त हुई।

1.82 अलौह धातु उद्योग में, यद्यपि एल्यूमीनियम और तांबे के उत्पादन में 1983-84 में प्राप्त उत्पादन की तुलना में 1984-85 में क्रमशः 25.7 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई, जस्ते और सीसे का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत कम रहा। एल्युमीनियम इकाइयों की प्रगति और अधिक बेहतर होती यदि पर्याप्त मात्रा में बिजली, जो कि एल्युमीनियम के उत्पादन के लिए आधारभूत उत्पादेय है, की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती। फिर भी, उल्लेखनीय है कि इन उद्योगों का क्षमता उपयोग 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने में सफलता प्राप्त हुई।

1.83 उर्वरक और सीमेंट उद्योगों में 1984-85 में प्रभावशाली विकास दर रही। नाइट्रोजीनियस और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 20.6 प्रतिशत अधिक रहा। सीमेंट का 301 लाख टन का उत्पादन भी 1983-84 के उत्पादन से 11.1 प्रतिशत अधिक रहा।

1.84 पूंजी माल उद्योगों में, मशीन औजार उद्योग, मुद्रण मशीनरी, सीमेंट मशीनरी, धातु-कर्मीय मशीनरी और उपकरण में संतोषजनक विकास दर परिलक्षित हुई। लेकिन, 1984-85 में चीनी मशीनरी, कागज और लुगदी मशीनरी, रबर मशीनरी, धरती धकेल मशीनरी का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर तक नहीं पहुंच सका। इसके विपरीत, बिजली मशीनरी तथा तार और केबलस समूह के अन्तर्गत आने वाली मदों के उत्पादन में वर्ष के दौरान प्रभावशाली प्रगति परिलक्षित हुई। पी० आई० एल० सी० केबलस, ए० सी० एस० आर० के लिए तार की छड़ों, बी० आई० आर०/पी० वी० सी० केबलस, ड्राई सैल, ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस पावर, ट्रांसफार्मर्स तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबों का वर्ष के दौरान उत्पादन 1983-84 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर रहा।

1.85 औद्योगिक (गैर-इलैक्ट्रिकल) मशीनरी के औद्योगिक उत्पादन सूचक में 1984-85 में समग्र वृद्धि 3.4 प्रतिशत थी और बिजली मशीनरी में 4.5 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान, बिजली मशीनरी समूह में पर्याप्त विकास राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन और ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में की गई ठोस प्रगति के कारण हुआ।

1.86 परिवहन क्षेत्र में, 1984-85 में औद्योगिक उत्पादन सूचक में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि का कारण वाणिज्यिक वाहनों, यात्री कारों, तिपहियों, स्कूटरों, मोपेड और मोटरसाइकिलों की मांग में तेजी रही। वास्तव में, रेलवे वैगनों के सिवाय, जिनका उत्पादन 1983-84 में 17,400 की तुलना में 1984-85 लगभग 13,000 रहा, दो/तीन/चार पहियों वाले वाहनों के उत्पादन में कुल मिलाकर बहुत प्रभावशाली वृद्धि हुई। आटोमोबाइल की गरमबाजारी से टायरों और ट्यूबों के उत्पादन में भी 1984-85 में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

1.87 कृषि ट्रैक्टर उद्योग में भी कुल मिलाकर संतोषजनक प्रगति हुई और 1983-84 की तुलना में 1984-85 में लगभग 12.1 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। लेकिन, कुछ ट्रैक्टर इकाइयों को, क्रय संघटक प्राप्त करने में समस्याओं, संयंत्र में असंतुलन और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। पावर टिलर इकाइयों की प्रगति पिछले वर्ष की तरह ही सामान्य से कम रही।

1.88 वर्ष 1984-85 के दौरान औषध और फार्मास्यूटिकल उद्योग के उत्पादन मूल्य में थोक औषध के क्षेत्र में 6.2% और मिश्रणों के क्षेत्र में 3.80% की कम वृद्धि परिलक्षित हुई। पिछले पांच वर्ष के लिए औषध और फार्मास्युटिकल उद्योग की घटती हुई विकास दर को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष के दौरान अनेक थोक औषधों और मिश्रणों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। वर्ष 1985 के अन्त में इनकी संख्या, देश में उत्पादित लगभग 225 औषधियों में से 94 थी। सरकार ने, अनुप्रमाहित औषधों के वितरण के लिए नई नीति के अन्तर्गत मिश्रणों की विस्थापित क्षमता के आधार पर इकाइयों को उनकी पात्रता से 25% अधिक की अनुमति प्रदान की। आशा है कि किए गए उपायों से थोक औषधों और मिश्रणों के उत्पादन में 1985-86 में अच्छी प्रगति परिलक्षित होने की सम्भावना है।

प्रगति विश्लेषण

1.89 जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तपोषित इकाइयों के परिचालनों के आधार पर, निगमित क्षेत्र की लाभप्रदता का संबंध है, उल्लेखनीय है कि समग्र रूप से उनकी वित्तीय प्रगति 1983-84 में असन्तोषजनक बनी रही। 1983-84 में 400 चुनिन्दा संस्थाओं की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 8.3% की मामूली वृद्धि हुई। लाभ (अर्थात बिक्री प्रतिशत के रूप में सकल लाभ) में 1983-84 में 8.9% की गिरावट हुई।

1.90 फिर भी, 400 चुनिन्दा संस्थाओं के सकल पूंजी निर्माण में 1983-84 में 12.6% की वृद्धि परिलक्षित हुई जिसमें स्थिर परिसम्पत्तियों में 90.4% की वृद्धि हुई। सकल स्थिर परिसम्पत्तियों की विकास दर 15.9% रही जबकि तैयार माल की वस्तुओं में 4.4% की गिरावट आई।

1.91 वर्ष 1984-85 के दौरान, 605 औद्योगिक संस्थाओं, जो उत्पादन में रत थी, के शीघ्र मूल्यांकन के आधार पर केवल 323 ने सूचित किया है कि 1984-85 में उनके परिचालनों में लाभ होने की आशा है जिससे परिलक्षित होता है कि 46.6% वित्तपोषित औद्योगिक संस्थाओं के घाटे रहने की सम्भावना है।

(ङ) दृष्टिकोण और योजनाएं ।

1.92 पिछले दो वर्ष से खाद्यान्न का लगभग 151.5 मिलियन टन के रिकार्ड उत्पादन और जून, 1985 के अन्त तक खाद्यान्नों के जमा भण्डार के 31 मिलियन टन तक पहुंचने के अनुमान से, समग्र विकास में वृद्धि को बढ़ाने के लिए आर्थिक आधार को मजबूत बनाने में पर्याप्त रूप से सहायक हुई। समय पर मानसून शुरू हो जाने से, 1985–86 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन का 160.0 मिलियन टन का लक्ष्य निश्चय ही निष्पाद्य प्रतीत होता है ।

1.93 अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में, भी क्षमता/उत्पादन में तथा क्षमता उपयोग की दर में वृद्धि के माध्यम से ठोस सुधार परिलक्षित हुआ । औद्योगिक नीतियों को उदार बनाने और नियंत्रणों में ढील देने से, औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक प्रेरक वातावरण बना है । 1985–86 के बजट में सरकार ने देश के विकास और आर्थिक परिपक्वता की दिशा में इसकी प्रगति के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सहायता प्रदान की है । इन गतिविधियों से, आधुनिक कृषि–औद्योगिक समाज के रूप में, 21वीं शताब्दी में देश के उद्योगीकरण और प्रौद्योगिकी प्रगति का भली-भांति प्रवेश प्रतीत होता है ।

1.94 'भोजन', 'काम' तथा 'उत्पादकता' को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के तीन परस्पर–संबंधित प्रमुख लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है । उद्योग के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण उपायों सहित भारतीय उद्योग के उत्पादों और सेवाओं में गुणवत्ता में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करने पर जोर दिया गया है । औद्योगिक क्षेत्र में 7% की प्रगति अनुभावित की गई है जिसके लिए उद्योग द्वारा, उत्पादकता बढ़ाने, विद्यमान क्षमता के पूर्ण–उपयोग, निर्माणाधीन परियोजनाओं को, जहां तक संभव हो अधिक समय और लागत के बिना, समय पर पूरा करने, प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा उत्पादों एवं सेवाओं की कोटि को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन लागत को कम करने पर अधिक महत्व दिया जाना होगा । सातवीं योजना में स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों को, दक्ष और कम लागत उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम स्तर के होने की आवश्यकता है । वर्तमान इकाइयों को भी पैमाने की बचत से लाभ उठाने और परिवर्तनशील बाजार स्थितियों के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाने में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अपना विस्तार और विशालन करने की आवश्यकता है । ऐसी निवेश नीति, जिसमें निर्यात की उच्च विकास दर और प्रभावशाली आयात प्रतिस्थापन को पर्याप्त महत्व दिया गया हो, कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की परि–चालन योजनाओं का आधार होनी चाहिए ।

1.95 1985–86 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों का कुल योजना व्यय 32,161 करोड़ रुपए है जो कि 1984–85 में 30,371 करोड़ रुपए के संशोधित योजना व्यय से लगभग 6% अधिक है । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 1985–86 के लिए 6,752 करोड़ रुपए है जो 1984–85 की केन्द्रीय सहायता से 30% अधिक है । राज्यों को कुल बाजार उधारों में भी अधिक भाग आवंटित किया गया है ।

1.96 योजना व्यय में वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण है सामरिक क्षेत्र में व्यय में हुई पर्याप्त वृद्धि । केन्द्रीय क्षेत्र में 1985–86 के दौरान पावर विकास की व्यवस्था में 1984–85 की संशोधित लागत से भी 35.8% अधिक प्रावधान है । परिवहन और संचार क्षेत्र में भी, प्रावधान में 9.9% वृद्धि निश्चित की गई है ।

1.97 उपर्युक्त सभी उपायों से उद्योग के स्थायी और क्रमबद्ध विकास के लिए मजबूत आधार बनाने में सफलता मिलनी चाहिए । वर्तमान पूंजी स्टाक से ही उद्योग, उत्पादन दरों और वृद्धि–शील पूंजी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि ला सकता है यदि कार्य क्षेत्र में लाई जाने वाली परियोजनाएं अधिक समय और लागत से बचने के लिए समय पर भली–भांति निरूपित और कार्यान्वित की जाएं और इष्टतम क्षमता उपयोग के शीघ्र निर्माण करने में सफल हों ।

1.98 यदि उद्योग इस प्रकार की समिष्टि नीतियां अपना ले जिनसे इसके संयंत्र और उपस्कर को दक्ष स्थिति में रखने तथा आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में सहायता मिल सके तो यह अपनी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है । आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है परन्तु समय की आवश्यकता है कि संकलित आधुनिकीकरण कार्यक्रम (मशीनरी और उपस्कर के आधुनिकी–करण; डिजाइन गुणवत्ता और मानकीकरण की दृष्टि से उत्पादों का आधुनिकी–करण; अचल, कार्यकुशलता तथा गुणवत्ता के अनुरूप प्रौद्योगिकी का आधुनिकी–करण; परिचालन संरचना के आधुनिकीकरण सहित सर्वोपरि 'प्रबंध संस्कार' का आधुनिकीकरण) शुरू किया जाए ताकि औद्योगिक इकाइयों की समग्र लाभप्रदता और व्यवहार्यता में सकारात्मक सुधार हो सके ।

1.99 बेहतर मूल्यांकन, अनुरक्षण और अनुवर्तन कार्यवाही के माध्यम से, परियोजना अभिज्ञान, परियोजना मूल्यांकन और परियोजना कार्यान्वयन के गुणात्मक पहलुओं में सुधार लाने का दायित्व वित्तीय संस्थानों का है । वित्तीय संस्थानों का ध्यान इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहा है और वे निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्य–प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा प्रवृत्तियों में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1985–86 में अपने परिचालनों के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में कम्प्यूटर–आधारित प्रणाली प्रारम्भ करेगा ताकि इसकी ऋणी संस्थाओं को बेहतर और कुशल सेवा प्रदान की जा सके । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपने भौतिक और मानवीय दोनों स्रोतों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भी प्रयास कर रहा है ।

अध्याय 2

परियोजना वित्तपोषण कार्य एवं कार्य परिणाम

(क) परियोजना वित्तपोषण कार्य

भा०औ०वि०नि० की समग्र प्रगति

2.01 वर्ष 1984–85 में भा०औ०वि०नि० के कार्यों ने नई बुलंदियां प्राप्त कीं । 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निवल मंजूरियों की राशि प्रथम बार 450 करोड़ रुपए की सीमा को भी पार कर गई, इस वर्ष 385 संस्थाओं की 418 परियोजनाओं के लिए 450.64 करोड़ रुपए की कुल मंजूरियां 37 वर्षों में सर्वाधिक रहीं, जबकि पिछले वर्ष 337 परियोजनाओं को 354.27 करोड़ रुपए की मंजूरियां प्रदान की गई थीं । इस प्रकार 27.2% विकास दर परिलक्षित हुई ।

2.02 वर्ष 1984–85 में कुल संवितरित सहायता 309.72 करोड़ रुपए रही जबकि पिछले वर्ष यह संवितरित सहायता 253.53 करोड़ रुपए थी । जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22.2% की वृद्धि हुई ।

2.03 वर्ष 1984–85 के दौरान भा०औ०वि०नि० द्वारा मंजूर सहायता और मंजूरियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि कुल सहायता का 60% से अधिक भाग अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को प्राप्त हुआ । अधिसूचित पिछड़े जिलों की प्रत्येक श्रेणी अर्थात् श्रेणी "क", "ख" तथा "ग" को अधिसूचित पिछड़े जिलों की परियोजनाओं के लिए मंजूर कुल सहायता का क्रमशः 32%, 36% तथा 32% भाग प्राप्त हुआ ।

आवेदनों की आवती

2.04 वर्ष 1984–85 के दौरान, वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । भा०औ०वि०नि० ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर वर्ष के दौरान 419 संस्थाओं के आवेदनों पर कुल 3,028.57 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जबकि पिछले वर्ष 332 संस्थानों के आवेदन कुल 1,931.19 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए थे । इन 419 आवेदक संस्थाओं में से 150 संस्थाओं के आवेदन नई परियोजनाएं लगाने के लिए थे और 269 संस्थाओं के आवेदन उनके विस्तार/विशालन/आधुनिकीकरण योजनाओं और/अथवा अतिरिक्त के आंशिक भाग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता आदि के लिए थे ।

2.05 वर्ष के दौरान जिन 419 संस्थाओं के आवेदनों पर विचार किया गया उनमें से 385 संस्थाओं के आवेदनों पर 452.38 करोड़ रुपए की कुल सकल वित्तीय सहायता मंजूर की गई और 5 संस्थाओं के आवेदनों को वापस लिया अथवा बन्द किया हुआ मान लिया गया । वर्ष की समाप्ति के समय 182.53 करोड़ रुपए की संयुक्त वित्तपोषण आधार पर कुल वित्तीय सहाय

के लिए 29 संस्थाओं के आवेदन भा०औ०वि०नि० के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे।

वर्ष के अन्त में बकाया आवेदन

2.06 जिन मामलों में भा०औ०वि०नि० अग्रणी रहा उनमें 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन आवेदनों की स्थिति (पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित) सारणी 2 में दी गई है।

सारणी 2 . बकाया आवेदन

(30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

बकाया आवेदनों की श्रेणी (भा०औ०वि०नि० अग्रणी मामले)	जिन संस्थाओं के आवेदन विचाराधीन थे उनकी संख्या	सहायता की राशि जो संयुक्त रूप से वित्तीय संस्थानों से मांगी गई थी
(1)	(2)	(3)
प्रक्रिया हेतु तैयार संस्थाओं से आवेदन (श्रेणी 'क' के रूप में वर्गीकृत)।	3	8.50
	(8)	(29.78)
उन संस्थाओं के आवेदन जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले/आधारभूत मुद्दे बकाया हैं और जिन्हें अभी तय किया जाना है (श्रेणी 'ख' के रूप में वर्गीकृत)	26	174.03
	(9)	(120.15)
जोड़	29	182.53

टिप्पणी : कोष्ठकों में पिछले वर्ष, अर्थात 1983–84 की समाप्ति पर विद्यमान स्थिति दी गई है।

2.07 इसके अतिरिक्त भा० औ० वि० बैं०, भा० औ० सा० नि० नि० और भा० औ० पु० बैं० के अग्रणी दायित्व में 969.03 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 78 संस्थाओं के आवेदन विचाराधीन थे, जिनमें 1985–86 के दौरान भा० औ० वि० नि० के भी मिलाए जाने की सम्भावना है।

मंजूरियां और संवितरण

2.08 भा० औ० वि० नि० द्वारा वर्ष के दौरान 385 संस्थाओं की 418 परियोजनाओं के लिए कुल 450.64 करोड़ रुपए की निवल वित्तीय सहायता, 1.74 करोड़ रुपए की रद्द की गई मंजूरियों आदि को समायोजित करने के बाद, मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष यह सहायता 308 संस्थाओं की 337 परियोजनाओं के लिए 354.27 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी।

2.09 1984-85 में 309.72 करोड़ रुपए के संवितरण किए गए जबकि 1983-84 में यह राशि 253.53 करोड़ रुपए थी।

2.10 सारणी 3 में भा० औ० वि० नि० द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान और आरम्भ से लेकर 30 जून, 1985 तक मंजूर और संवितरित की गई सहायता का सुविधा-वार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 3 : मंजूरियों और संवितरणों का सुविधा-वार वर्गीकरण (करोड़ रुपये)

सुविधा	1984–85 (जुलाई-जून)		30 जून, 1985 तक संचयी	
	मंजूरियां रु.	संवितरण रु.	मंजूरियां रु.	संवितरण रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रुपया ऋण–सामान्य	231.11 (51.3%)	239.73 (77.4%)	1669.61 (64.4%)	1382.26 (72.2%)
उदार ऋण योजना	63.12 (14.0%)	35.35 (11.4%)	265.78 (10.3%)	192.67 (10.0%)
विदेशी मुद्रा ऋण	99.85 (22.1%)	27.50 (8.9%)	255.69 (13.7%)	217.32 (11.3%)
हामीदारी	31.54 (7.0%)	8.81 (1.6%)	191.34 (7.4%)	55.18 (2.9%)
प्रत्यक्ष अभिदान	1.18 (0.3%)	1.03 (0.3%)	12.28 (0.5%)	10.92 (0.6%)
गारंटियां				
आस्थगित	15.63	1.20	61.38	32.73
अदायगियों के लिए	(3.5%)	(0.4%)	(2.4%)	(1.7%)
विदेशी ऋणों के लिए	8.21	—	38.42	24.92
	(1.8%)	(—)	(1.3%)	(1.3%)
जोड़	450.64 (100.0%)	309.72 (100.0%)	2590.90 (100.0%)	1916.00 (100.0%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं

आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने की समयावधि

2.11 वर्ष के दौरान, सहायता प्राप्त 385 संस्थाओं में से, प्रत्येक मामले में पूरी सूचना, प्राप्त होने की तारीख से 4 महीने के भीतर 373 संस्थाओं को सहायता मंजूर की गई, 9 को चार से छः महीने के भीतर तथा 3 को छः महीने से अधिक की अवधि में सहायता मंजूर की गई।

रुपया ऋण

2.12 वर्ष के दौरान, रुपया ऋण की मंजूरियों की राशि 294.23 करोड़ रुपए रही जो कि पिछले वर्ष की 252.35 करोड़ रुपए की मंजूरियों से 16.6% अधिक है। इसमें 63.12 करोड़ रुपए की उदार ऋण सहायता भी सम्मिलित है जो कि उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की गई। यह सहायता, वर्ष 1983-84 में उदार ऋण योजना के अधीन की गई मंजूरियों की तुलना में 104.5% अधिक है।

2.13 वर्ष के दौरान, उदार ऋण योजना के अधीन संवितरणों को मिलकार रुपया ऋण के संवितरणों की राशि 275.08 करोड़ रुपए रही जो कि 1983–84 के 234.22 करोड़ रुपए के संवितरणों की तुलना में 17.4% अधिक है।

विदेशी मुद्रा ऋण

2.14 वर्ष के दौरान मंजूर विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि पिछले वर्ष 1983-84 में मंजूर की गई 55.70 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण की तुलना में 99.85 करोड़ रुपए रही। विदेशी मुद्रा स्रोतों में वृद्धि होने पर, विदेशी मुद्रा ऋण की मंजूरियों में 79.3% की विकास दर से सर्वांगिक वृद्धि हुई।

2.15 1984-85 में विदेशी मुद्रा ऋणों के संवितरण, 1983-84 में 12.09 करोड़ रुपए की तुलना में 27.60 करोड़ रुपए के थे। इन में वृद्धि 128.3% हुई।

गारंटियां

2.16 1984-85 में 'आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटी' तथा 'विदेशी ऋणों' की मंजूरियां कुल 23.84 करोड़ रुपए रही जबकि 1983-84 में यह राशि 7.45 करोड़ रुपए थी जिसमें 220.0% की वृद्धि हुई।

विदेशों से उपकरण का आयात करने के लिए आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटी सुविधा के रूप में 15.63 करोड़ रुपए की सहायता दी गई उक्त सुविधा सब्जियों के अभिसंस्कार और शीतकृत करने सिरेमिक, उर्वरक, जस्ता, घड़ियों, वस्त्र और खानों के क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के लिए थी। 8.21 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा ऋणों की गारंटियों के रूप में दो परियोजनाओं, एक साईकल तथा एक हार्ड कार्बन चार्ज फ्रोम इकाइयों को मंजूर किए गए

2.17 वर्ष के दौरान, 1.20 करोड़ रुपए की गारंटियां, केरल की एक जिंक परियोजना तथा कर्नाटक की एक सुपारी अभिसंस्कार परियोजना के सम्बन्ध में जारी की गई।

हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान सहायता

2.18 वर्ष के दौरान, 31.04 करोड़ रुपए तथा 0.50 करोड़ रुपए तक इक्विटी शेयरों तथा डिबेंचरों की हामीदारी की सुविधा क्रमश: 86 संस्थाओं और 1 संस्था के मामलों में मंजूर की गई। 0.79 करोड़ रुपए 11 संस्थाओं के इक्विटी शेयरों तथा 0.39 करोड़ रुपए 1 संस्था के डिबेंचरों के लिए प्रत्यक्ष अभिदान भी मंजूर किए गए।

2.19 इस वर्ष के दौरान, 14.76 करोड़ रुपए के 49 शेयर निर्गम जो कि निगम द्वारा हामीदारीकृत किए गए थे; जारी किए गए जबकि 1983-84 में 12.37 करोड़ रुपए के 42 शेयर निर्गम जारी किए गए थे। हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में भा० औ० वि० नि० को 3.92 करोड़ रुपए की राशि के शेयर लेने पड़े।

2.20 वर्ष 1984-85 के दौरान हामीदारी दायित्वों के अन्तर्गत लिए गए शेयरों (पहले के वर्षों में लिए गए शेयरों सहित) के सम्बन्ध में संवितरण 4.81 करोड़ रुपए रहा। इसके अतिरिक्त शेयरों एवं डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 में कुल 1.03 करोड़ रुपए (13 कम्पनियों के लिए) के संवितरण भी किए गए थे।

संचयी मंजूरियां तथा संवितरण

2.21 भाऔविनि द्वारा मंजूर संचयी निवल वित्तीय सहायता जो भारतीय उद्योग की सेवा में 37 वर्षों के दौरान पूरे देश में 1,728 संस्थाओं को उनकी 2,093 परियोजनाओं के लिए दी गई थी, वह 2,590.90 करोड़ रुपए रही। 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण 1,916.00 करोड़ रुपए रहा, जो कुल मंजूरियों का 74 प्रतिशत है लेकिन मंजूर की गई कुल ऋण सहायता के सम्बन्ध में किया गया संवितरण 30 जून 1985 को 78.2% रहा। 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार 1,302 संस्थाओं पर 1,372.31 करोड़ रुपए की सहायता बकाया थी।

प्राथमिकता क्षेत्र को सहायता

2.22 उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों को 1984-85 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि 228 परियोजनाओं के लिए 249.21 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों (मूलत:, समय समय पर संशोधित दिनांक 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित परन्तु पहले से ही उच्च प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित को छोड़ कर) की 74 औद्योगिक परियोजनाओं को 90.63 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई इस प्रकार, जिन 418 औद्योगिक परियोजनाओं को 450.64 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई थी, उनमें से उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले और अन्य महत्वपूर्ण चुनिन्दा उद्योगों की 302 परियोजनाओं को 339.84 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई जो कि वर्ष 1984-85 में मंजूर सहायता का 75.4 प्रतिशत है।

2.23 1984-85 में 309.72 करोड़ रुपए की सहायता के संवितरण में से 85.0 प्रतिशत भाग, अर्थात 263.14 करोड़ रुपए का संवितरण उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को किया गया।

2.24 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1975-85 के दशक के दौरान प्रदान की गई सहायता का लगभग 82% भाग उच्च प्राथमिकता वाले तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राप्त हुआ।

सहायता का उद्देश्यवार वर्गीकरण

2.25 सारणी 4 में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1985 तक संचयी रूप से मंजूर तथा वितरित की गई सहायता का उद्देश्य-वार विश्लेषण दिया गया है।

सारणी 4 : मंजूर तथा संवितरित सहायता का उद्देश्यवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

उद्देश्य	1984-85 (जुलाई-जून)			30 जून 1985 तक संचयी	
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०
1	2	3	4	5	6
(i) नई परियोजनाएं	141	244.54 (54.3%)	215.38 (69.5%)	1668.48 (64.4%)	1227.61 (64.1%)
(ii) विस्तार/विशाखन	50	67.60 (15.0%)	27.54 (8.9%)	474.93 (18.3%)	380.75 (19.9%)
(iii) आधुनिकीकरण/नवीकरण, आदि —उदार ऋण योजना	87	63.12 (14.0%)	35.35 (11.4%)	265.78 (10.3%)	192.67 (10.0%)
—सामान्य					
(iv) अन्य उद्देश्य अर्थात्, परियोजना लागत में अतिव्यय को पूरा करने के लिए, पुनरुद्धार संतुलनकारी उपकरण, आदि	140	75.38 (16.7%)	31.45 (10.2%)	181.71 (7.0%)	114.9 (6.0%)
जोड़	418	450.64 (100.0%)	309.72 (100.0%)	2590.90 (100.0%)	1916.00 (100.0%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

नई परियोजनाओं को सहायता

2.26 वर्ष के दौरान, सहायता प्राप्त 418 परियोजनाओं में से 141 (33 7%) नई परियोजनाएं रहीं, जिन्हें 244.54 करोड रुपये की सहायता (कुल मंजूरियों का 54.3%) प्रदान की गई। इनमें से 19 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी; 33 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम थी; 48 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम थी; तथा 41 परियोजनाएं ऐसी थीं जिनकी, प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक थी। अतः स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनाओं में से 36.9% परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये तक थी और 34.0% परियोजनाएं ऐसी थीं जिनकी प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये के बीच थी जबकि 29.1% परियोजनाओं की प्रत्येक की परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक थी।

आधुनिकीकरण परियोजनाओं को सहायता

2.27 आधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए 87 परियोजनाओं को 63.12 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्रदान की गई जो कि वर्ष के दौरान मंजूर कुल सहायता का 14% भाग है जबकि 1983-84 में 74 परियोजनाओं को 42.17 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी। इस प्रकार, आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या में 17.6% की वृद्धि तथा मंजूर की गई सहायता की माला में 49.7% की वृद्धि परिलक्षित है।

2.28 उदार ऋण योजना के अधीन वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण के लिये मंजूर की गई समग्र सहायता पिछले वर्ष 67 परियोजनाओं को मंजूर की गई 30.87 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से 29.9% तथा सहायता की राशि की दृष्टि से 104.5% अधिक रही।

विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं को सहायता

2.29 1984-85 में 50 परियोजनाओं को उनके विस्तार तथा विशाखन कार्यक्रमों के लिए 67.60 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। यह 92.0% अधिक थी, पिछले वर्ष 44 परियोजनाओं को उनके विस्तार विशाखन कार्यक्रमों के लिए मंजूर 35.21 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में परियोजनाओं की संख्या 13.6% अधिक थी।

अन्य प्रयोजनों के लिए सहायता

2.30 पिछले वर्ष 72 परियोजनाओं को मंजूर की गई 24.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान 140 परियोजनाओं को अन्य प्रयोजनों, अर्थात् परियोजनाओं में अतिव्यय की लागत को पूरा करने के लिए, पुनर्स्थापन योजना, आदि के लिए 75.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(क) सहकारी क्षेत्र

2.31 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने सहकारी क्षेत्र की 28 परियोजनाओं को 26.45 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। इनमें से 10 चीनी सहकारिताओं को 7.65 करोड़ रुपये की सहायता, 14 वस्त्र सहकारिताओं को 14.45 करोड़ रुपये की सहायता तथा सहकारी क्षेत्र की चार खोई आधारित कागज मिलों को 4.35 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। 1984-85 में औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर सहायता, वर्ष के दौरान मंजूर कुल सहायता का 5.9% है।

2.32 वर्ष के दौरान, सहकारी क्षेत्र की यूनिटों को 25.86 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया जिसमें से 12.86 करोड़ रुपये 40 चीनी सहकारिताओं, 8.26 करोड़ रुपये 33 वस्त्र सहकारिताओं को, 1.81 करोड़ रुपये कोकोआ तैयार करने वाली एक सहकारिता तथा 2.93 करोड़ रुपये की सहायता 3 कागज सहकारिताओं को प्राप्त हुई।

2.33 30 जून, 1985 तक संचयी रूप में भाऔविनि 274 सहकारिताओं को 294.05 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर कर चुका है जिसमें से 253.09 करोड़ रुपये (86.1%) का संवितरण पहले ही किया जा चुका है। सारणी 5 में, विभिन्न औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर तथा संवितरित की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है।

सारणी 5 : औद्योगिक सहकारिताओं को वित्तीय सहायता (1984-58)

(करोड़ रुपये)

औद्योगिक सहकारिताओं की प्रकृति	सहकारिताओं की संख्या	मंजूर की गई सहायता	संवितरित राशि
चीनी	183	192.69	183.96
सूत कताई	80	73.63	57.88
पटसन	1	0.79	0.79
कागज	4	4.35	2.93
उर्वरक	3	18.00	3.00
कृत्रिम रेशे	1	2.50	2.50
वनस्पति तेल	1	0.22	0.22
कोकोआ प्रोसेसिंग	1	1.87	1.81
जोड़	274	294.05	253.09

30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि द्वारा की गई कुल संचयी सहायता का 11.3% भाग सहकारी क्षेत्र को प्राप्त हुआ।

(ख) निगमित क्षेत्र

2.34 सारणी 6 में, निगमित क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को जिनमें निजी, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक यूनिटें शामिल है, वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1985 तक संचयी रूप में मंजूर सहायता का विश्लेषण दिया गया है।

सारणी 6 : निगमित-क्षेत्र को मंजूर और संवितरित की गई सहायता का विश्लेषण (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1984-85 (जुलाई-जून)			30 जून, 1985 तक संचय		
	मंजूरियां		संवितरण	मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	रु०	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	रु०
निजी	314	331.01	189.52	1419	1641.49	1198.27
संयुक्त	52	56.25	58.30	179	346.47	224.03
सरकारी	24	36.93	36.04	221	308.69	240.61
जोड़	390	424.19	283.86	1819	2296.85	1662.91

2.35 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सहायता की राशि में 62.8% की वृद्धि हुई लेकिन वर्ष के दौरान, संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को दी गई सहायता का भाग पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 33.1% तथा 7.3% कम हो गया। वर्ष के दौरान, निजी, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को कुल सहायता का क्रमशः 73.4%, 12.5% तथा 8.2% भाग प्राप्त हुआ।

2.36 एम०आर०टी०पी०/एफ०ई०आर०ए० कंपनियों को दी गई उल्लेखनीय रियायतों के कारण बड़े औद्योगिक गृहों (अर्थात् एम० आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत 20 करोड़ रुपये से अधिक कुल परिसम्पत्तियों वाले पारम्परिक रूप से सम्बद्ध उपक्रम) को वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता पिछले वर्ष के 22.10 करोड़ रुपये की तुलना में 87.17 करोड़ रुपये तक बढ़ गई जो कि 48 संस्थाओं की 61 परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई। यह पिछले वर्ष कुल मंजूर सहायता के 6.2% की तुलना में 1984-85 में कुल मंजूर सहायता का 19.3% हो गई।

2.37 1984-85 में बड़े औद्योगिक समूहों से सम्बद्ध जिन 61 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई, उन में से 49 परियोजनाएं उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के उद्योगों जैसे खाद, सीमेंट, कागज, वस्त्र, अलौह धातु, मूल औद्योगिक रसायन, आदि की थी। बाकी 12 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं उदार ऋण योजना के अधीन आधुनिकीकरण सहायता के संबंध में तथा एक परियोजना पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित की गई।

2.38 30 जून, 1985 तक भा०औ०वि०नि० द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों अर्थात् एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत 20 करोड़ रुपये से अधिक कुल परिसम्पत्तियों वाले पारम्परिक रूप से सम्बद्ध उपक्रमों की संस्थाओं को उनकी 378 परियोजनाओं के लिए संचयी वित्तीय सहायता 543.52 करोड़ रुपये प्रदान की गई। इस सहायता में 346.52 करोड़ रुपये रुपया ऋण, 134.80 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा ऋण, 32.46 करोड़ रुपये हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान तथा 29.74 करोड़ रुपये गारंटी के रूप में सम्मिलित है तथा 30 जून, 1985 तक भा०औ०वि०नि० द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को मंजूर कुल संचयी सहायता का 21% भाग था।

2.39 यह उल्लेखनीय है कि भा०औ०वि०नि० की स्थापना के समय मुख्यतः निजी निगमित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के मध्यम तथा बड़े वर्ग के उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य दायित्व सौंपा गया था। 1970 से ही भा०औ०वि०नि० द्वारा चयनात्मक आधार पर लेकिन निजी निगमित क्षेत्र के संबंध में लागू निबंधन तथा शर्तों पर सरकारी क्षेत्र की मध्यम दर्जे की यूनिटों को भी वित्तपोषित किया जाने लगा। तत्पश्चात् संयुक्त क्षेत्र में उस समय विकसित उद्योग स्थापित करने की धारणा के अधीन आने वाली परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान की जाने लगी। भा०औ०वि०नि० के कार्यों में सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के भाग को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

2.40 संचयी रूप से भी देखा जाए तो 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की कुल सहायता में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग सर्वाधिक, अर्थात् 63.4% रहा, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग, क्रमशः 13.4% तथा 11.9% रहा। समग्र निगमित क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता, भा०औ०वि०नि० द्वारा 30 जून, 1985 तक दी गई कुल सहायता का 88.7% रहा।

सहायता का उद्योग-वार प्रसार

2.41 वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1985 तक संचयी रूप से सहायता का उद्योग वार प्रसार सारणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7 : सहायता का उद्योगवार प्रसार (करोड़ रुपये)

उद्योग	1984-85 (जुलाई-जून)			30 जून 1985 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
मूल उद्योग (अर्थात् मूल धातु उद्योग, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	110	163.08	36.2	459	883.21	34.1
पूंजी माल उद्योग (अर्थात् मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर, आदि)	56	61.72	13.7	337	312.55	12.0
मध्यवर्ती माल उद्योग (अर्थात् रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब, आदि)	99	106.31	23.6	391	450.26	17.4
उपभोक्ता माल उद्योग (अर्थात चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	137	107.45	23.8	881	890.86	34.4
सेवा उद्योग (अर्थात होटल, जहाजरानी, आदि)	16	12.08	2.7	55	54.02	2.1
जोड़	418	450.64	100.0	2093	2590.90	100.00

2.42 वर्ष के दौरान, भा०औ०वि०नि० की सहायता का उल्लेखनीय भाग जिन उद्योगों को प्राप्त हुआ वे हैं : वस्त्र (11.6%) उर्वरक (10.1%) कृत्रिम रेशे (9.9%) सीमेंट (9.4%), रसायन और रसायन उत्पाद (6.1%), विद्युतीय मशीनरी तथा उपस्कर (5.9%), परिवहन उपस्कर (5.5%), प्लास्टिक उत्पाद तथा सामग्री (4.9%) कागज (3.9%), लोहा तथा इस्पात (3.5%) आदि।

2.43 संचयी रूप से, वस्त्र, सीमेंट तथा चीनी उद्योगों को भा० औ०वि०नि० की सहायता का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता रहा जोकि निगम की कुल सहायता का 36.2% था। तत्पश्चात् रसायन तथा रसायन उत्पाद (8.5%), कागज (6.4%), उर्वरक तथा कीटनाशक (5.9%) लोहा तथा इस्पात (5.7%) कृत्रिम रेशे (5.2%) परिवहन उपस्कर (4.7%) बिजली मशीनरी तथा उपकरण (3.8%) अलौह धातुएं (2.4%) शक्ति जनन (2.3%) आदि।

सारणी 8 : सहायता का राज्य/राज्य-क्षेत्र-वार प्रसार (करोड़ रुपये)

राज्य/राज्य-क्षेत्र	1984-85 (जुलाई-जून) परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	30 जून, 1985 तक संचयी परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	35	45.79	10.2	184	257.69	9.9
असम	1	3.20	0.7	19	25.89	1.0
बिहार	7	4.76	1.1	62	64.89	2.5
गुजरात	33	34 13	7.6	198	270.43	10 4
हरियाणा	11	6.42	1.3	90	78.22	3.0
हिमाचल प्रदेश	7	5.71	1.3	23	26.77	1.0
जम्मू व कश्मीर	5	7.66	1.7	14	14.50	0.6
कर्नाटक	27	24.71	5.5	157	184.99	7.1
केरल	13	16.28	3.6	66	83.83	3.2
मध्य प्रदेश	24	23.11	5.1	76	107.58	4.2
महाराष्ट्र	57	65.88	14.7	372	393.36	15.2
मेघालय	--	--	--	2	2.74	0.1
नागालैंड	1	1.41	0.3	3	2.08	0.1
उड़ीसा	10	20.61	4.5	48	89.20	3.5
पंजाब	23	17.81	3.9	77	104.98	4.1
राजस्थान	32	25.51	5.7	92	148.85	5.8
सिक्किम	—	—	—	1	1.00	--
तमिलनाडु	42	32.41	7.2	177	220.95	8.5
त्रिपुरा	--	--	--	1	1.16	—
उत्तर प्रदेश	54	84.81	18.9	226	315.56	12.2
पश्चिम बंगाल	20	21.33	4.7	160	141.41	5.5
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.30	0.1	1	0.82	—
अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	1	0.16	—
चण्डीगढ़	2	0.41	0.1	2	0.76	—
दादरा और नगर हवेली	1	0.61	0.1	1	0.61	--
दिल्ली	8	5.17	1.1	20	30.99	1.2
गोवा	2	1.25	0.3	11	11.78	0.5
पांडिचेरी	2	1.36	0.3	9	9.70	0.4
जोड़	418	450.64	100.0	2093	2590.90	100.0

सहायता का राज्य-वार प्रसार

2.44 वर्ष के दौरान तथा 30 जून 1985 तक संचयी रूप से भा०औ०वि०नि० की सहायता का राज्य-वार प्रसार सारणी 8 में दिया गया है।

2.45 वर्ष के दौरान राज्य-वार सहायता की प्रवृत्ति की विशेष बात यह रही कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा व नगर हवेली को पहली बार सहायता प्रदान की गई जहां एक वर्तमान संस्था को उसकी विशाखन योजना के अधीन आटो-सहायक और बिल्ट रगड़ाई मशीन निर्माण की नई इकाई लगाने के लिए सहायता मंजूर की गई।

2.46 1984-85 के दौरान प्रथम तीन स्थानों पर उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश को भा०औ०वि०नि० की मंजूर की गई कुल सहायता का क्रमशः 18.9% 14.7% तथा 10.2% भाग प्राप्त हुआ।

2.47 पिछले वर्ष की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल को इस वर्ष भा०औ०वि०नि० की सहायता में अधिक भाग प्राप्त हुआ, वर्ष के दौरान जिन राज्यों का भाग कम हुआ वे हैं: गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा।

2.48 संचयी रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात भा०औ० वि०नि० की कुल सहायता के प्रथम तीन स्थानों पर बने रहे। इस क्रम में, इनके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल का स्थान रहा।

अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता

2.49 वर्ष के दौरान, 418 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई 450.64 करोड़ रुपये की कुल सहायता में से 60.5% अर्थात् 272.59 करोड़ रुपये अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 220 परियोजनाओं (वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल संख्या का 52.6%) के लिए मंजूर किए गए थे।

2.50 पिछड़े जिलों/क्षेत्रों का श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले) "ख" तथा "ग" में पुनर्वर्गीकरण किए जाने के पश्चात् भा०औ०वि०नि० का यह प्रयास रहा है, कि इसकी सहायता यथासंभव अधिक से अधिक उद्योग रहित जिलों/औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को प्राप्त हो सके। वर्ष के दौरान, श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों में सहायता, पिछले वर्ष 23 परियोजनाओं को मंजूर 26.99 करोड़ रुपये की तुलना में 49 परियोजनाओं को 87.03 करोड़ रुपये मंजूर की गई। इस प्रकार 1984–85 में श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों की परियोजनाओं को 1983-84 में मंजूर सहायता तिगुने से भी अधिक हो गई। श्रेणी "ख" तथा "ग" जिलों में क्रमशः 97 तथा 74 परियोजनाओं को क्रमशः 97.75 करोड़ रुपये तथा 87.11 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई।

2.51 अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में जो नई परियोजनाएं वित्तपोषित की गईं, वे 100 थीं जिनमें से 72 परियोजनाओं की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये तक तथा 28 परियोजनाओं की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक थी।

2.52 श्रेणी "क", "ख" तथा "ग" जिलों की वित्तपोषित परियोजनाओं के मुख्य उद्योग थे: वस्त्र (37), सीमेंट (29), रसायन तथा रसायन उत्पाद (21), उर्वरक व कीटनाशक (17), कृत्रिम रेसिन्स और प्लास्टिक उत्पाद (13), विद्युतीय मशीनरी तथा उपकरण (13), लोहा तथा इस्पात (9), कृत्रिम रेशे (13), कागज (10), परिवहन उपस्कर (9), धातु उत्पाद (7), विविध धातु खनिज उत्पाद (7), चीनी (6), आदि।

2.53 30 जून, 1985 तक संचयी रूप से भा०औ०वि०नि० ने अधिसूचित रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 954 परियोजनाओं को 1,345.80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी जो कि निगम की निवल संचयी मंजूरियों का 51.9% है।

नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएं

2.54 वर्ष के दौरान, वित्तपोषित 141 नई परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं नए और तकनीकज्ञ उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई जिन्हें 17.56 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। उक्त परियोजनाओं के उद्योग सीमेंट, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन कांच, होटल, विविध खाद्य उत्पाद, आदि थे। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 18 नई परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं अधिसूचित पिछड़े जिलों क्षेत्रों में स्थित थीं जिनमें से 7 परियोजनाएं श्रेणी "क" के (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों में स्थित थीं।

2.55 भारतीय उद्योग की 37 वर्ष की सेवा के दौरान भा०औ०वि०नि० विस्तृत पृष्ठभूमि से प्रथम पीढ़ी के अनेक उद्यमियों को देश के औद्योगिक क्षेत्र में लाने में सफल रहा है। इन नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 253 परियोजनाओं को केवल भा०औ०वि०नि० से ही 167.63 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।

निर्यात उन्मुख परियोजनाओं को सहायता

2.56 वर्ष के दौरान भा०औ०वि०नि० ने 100% निर्यात-उन्मुख 9 परियोजनाओं को 21.92 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त तीन अन्य परियोजनाओं, जिनका 60% से अधिक उत्पादन महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व था, को भी वर्ष के दौरान 4.48 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। परियोजनाएं चमड़ा उत्पाद, सूती लच्छीदार धागे, फ्लोपी डिस्क, इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी० सिस्टम, कलाई घड़ियां, मैगनेटिक टेपें, उच्च कार्बन लौह क्रोम, सिरेमिक टाइलें, विविध खाद्य उत्पाद, जंगरहित इस्पात कटलरी, डीजल इंजिन, आदि सामान का उत्पादन करेंगी।

विदेशी सहयोग पर आधारित तथा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण करने वाली परियोजनाओं को सहायता

2.57 वर्ष के दौरान, वित्तपोषित 418 परियोजनाओं में 68 ऐसी परियोजनाओं को 149.63 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई जो विदेशी सहयोग तथा/या विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण पर आधारित थीं। उपर्युक्त में से 21 परियोजनाएं वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग पर आधारित थीं जबकि बाकी 47 परियोजनाएं केवल तकनीकी सहयोग पर आधारित थीं। विदेशी सहयोग पर आधारित 68 परियोजनाओं के उद्योग थे आटोमोबाइल्स (11 परियोजनाएं), विद्युतीय मशीनरी तथा उपस्कर (13 परियोजनाएं), औद्योगिक मशीनरी (6 परियोजनाएं), प्लास्टिक उत्पाद (6 परियोजनाएं), सिंथेटिक फाबर्स (5 परियोजनाएं), लोहा तथा इस्पात (4 परियोजनाएं), धातु उत्पाद (4 परियोजनाएं), रसायन तथा रसायन उत्पाद (4 परियोजनाएं) तथा अन्य उद्योग (15 परियोजनाएं)।

2.58 जिन देशों से टेक्नोलोजी प्राप्त की गई तथा उन परियोजनाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार रहा: जापान (10), संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (24), जर्मन संघीय गणराज्य (12), इटली (2), फ्रांस (6), ब्रिटेन (3), स्विटज़रलैण्ड (2), डेनमार्क (1), नार्वे (1), फिनलैंड (1), आयरलैंड (1), नीदरलैंड (1), लक्जमबर्ग (1), दक्षिणी कोरिया (1), सिंगापुर (1) तथा पोलैंड (1)।

वित्तपोषित परियोजनाओं (1984-85) के विशेष अभिलक्षण

2.59 वर्ष के दौरान, भा०औ०वि०नि० ने कई ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की, जिनके कुछ विशेष अभिलक्षण थे, जैसे निर्मित किए जाने वाले उत्पाद का देश में पहली बार प्रस्तुत किया जाना, स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों के उपयोग के अतिरिक्त उप-उत्पादों या अपशिष्ट सामग्री का पूर्ण उपयोग ईंधन सक्षम या बिजली सक्षम प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि। इन परियोजनाओं में ऐसी परियोजनाएं भी थीं जिनका प्रस्ताव भारी और हल्के वजन के बिना बने वस्त्र, पोली-टेट्रा क्लोरो इथीलीन, बाइक्सिली उन्मुख तथा संतुलित टेप और कृत्रिम दर्पण की संतुलित पोलियस्टर फिल्म, कास फिल्म लेमिनेटर थर्मोस्टेटिक बाइमैटल पत्तियां, वीडियो टेप और कैसेट, जिप्सम फाइबर बोर्ड, चावल की भूसी, खाद्य ग्रेड तेल, आदि उत्पादों को पहली बार प्रस्तुत करना था। वर्ष के दौरान जिन सल्फ्यूरिक एसिड तथा इकहरी सुपरफास्फेट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, उनके संबंध में यह सुनिश्चित किया गया कि संयंत्रों में डी०सी०डी०ए० प्रणाली को अपनाया जाए ताकि सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को प्रदूषण रहित बनाया जा सके तथा उस संयंत्र में फ्लोराइन जैसे कि सोडियम सिलिकोफ्लोराइड के पुनर्लाभ की सुविधा भी हो। यह भी सुनिश्चित किया गया कि संयंत्र ईंधन सक्षम हो तथा सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की प्रक्रियाधीन गैसों से प्राप्त अपशिष्ट ताप का उचित उपयोग करने में समर्थ हों। अन्य मामलों में, विदेशी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण पर विचार करते समय यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रौद्योगिकी केवल विकसित ही न हो बल्कि ईंधन तथा शक्ति सक्षम भी हो।

2.60 वर्षों के दौरान भा०औ०वि०नि० के कार्यों की महत्वपूर्ण विशेषता देश की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ, इसकी उधार नीतियों के साथ एकीकरण की रही। इस प्रकार, निगम प्रत्येक योजना की अवधि के दौरान देश में उद्योगीकरण की नीति के अनुरूप चलने में समर्थ रहा है। इसका स्पष्ट अनुमान अगले पृष्ठ पर सारणी 9 में मंजूर तथा संवितरित सहायता से लगाया जा सकता है।

2.61 उपर्युक्त से यह पता लगेगा कि छठी योजना की अवधि (1980-85) के दौरान भा०औ०वि०नि० की कुल मंजूरियां तथा संवितरण जो कि क्रमशः 1,505.76 करोड़ रुपये तथा 1,098.18 करोड़ रुपये है, जो कि पांचवीं योजना की अवधि तथा वर्ष 1978-79 और 1979-80 में की गई मंजूरियों तथा संवितरणों से क्रमशः 160.1% तथा 191.9% अधिक है।

सारणी 9 : योजना-वार मंजूर और संवितरित की गई सहायता (करोड़ रुपये)

30 जून को समाप्त वर्ष	मंजूर की गई वित्तीय सहायता				संवितरित की गई वित्तीय सहायता			
	ऋण रु०	हामीदारियां रु०	गारंटियां रु०	कुल रु०	ऋण रु०	हामीदारियां रु०	गारंटियां रु०	जोड़ रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पहली योजना से पूर्व की अवधि	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली योजना	27.03	—	—	27.03	10.94	—	—	10.94
दूसरी योजना	52.96	3.57	16.30	72.83	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी योजना	123.92	17.22	29.48	170.62	100.33	14.00	26.80	141.13
वार्षिक योजनाएं								
1967	13.18	1.87	4.00	19.05	34.76	2.90	5.64	43.30
1968	14.95	1.49	0.89	17.33	27.24	1.06	2.62	30.92
1969	24.19	2.41	0.39	26.99	16.44	1.68	0.28	18.40
जोड़	52.32	5.77	5.28	63.37	78.44	5.64	8.54	92.62
चौथी योजना								
1970	12.07	1.24	0.04	13.35	18.04	0.85	0.34	19.23
1971	28.29	2.15	0.42	30.86	19.03	0.87	0.20	20.10
1972	33.71	4.57	—	38.28	23.82	1.00	0.12	24.94
1973	40.87	2.01	0.60	43.48	33.43	2.30	0.62	36.35
1974	35.75	2.47	0.04	38.26	30.67	1.46	0.05	32.18
जोड़	150.69	12.44	1.10	164.23	124.99	6.48	1 33	132.80
पांचवीं योजना :								
1975	29.73	3.89	—	33.62	37.72	1.07	0.34	39.13
1976	45.18	3.10	—	48.28	43.65	2.40	—	46.05
1977	84.18	8.29	—	92.47	58.85	1.72	—	60.57
1978	99.33	5.50	0.28	105.11	59.36	5.10	—	64.46
जोड़	258.42	20.78	0.28	279.48	199.58	10.29	0.34	210.21
वार्षिक योजनाएं								
1979	138.98	9.67	—	148.65	68.97	3.15	0.20	72.32
1980	142.12	8.68	—	150.80	92.73	2.24	—	94.97
जोड़	281.10	18.35	—	299.45	161.70	5.39	0.20	167.29
छठी योजना :								
1981	177.93	17.15	0.70	195.78	125.96	2.14	—	128.10
1982	227.10	19.41	5.77	252.28	183.97	2.67	0.87	187.51
1983	238.23	18.79	5.71	262.73	210.94	7.04	1.34	219.32
1984	299.17	37.42	7.74	344.33	246.31	5.30	1.92	253.53
1985	394.08	32.72	23.84	450.64	302.68	5.84	1.20	309.72
जोड़	1336.51	125.49	43.76	1505.76	1069.86	22.99	5.33	1098.18
कुल जोड़	2291.08	203.62	96.20	2590.90	1792.25	66.10	57.65	1916.00

भा० औ० वि० नि० द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की स्रोत प्रवृत्ति

2.62 औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिए स्रोत जुटाने में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता की उल्लेखनीय उत्प्रेरक भूमिका है। वर्ष 1984-85 के दौरान भा० औ० वि० नि० द्वारा वित्तपोषित 342 परियोजनाओं (परियोजना लागत, आदि के अतिव्यय के वित्तपोषण के लिए, वर्ष के दौरान, अतिरिक्त सहायता की मंजूरियों के 76 मामलों को छोड़कर) की वित्त व्यवस्था के विश्लेषण से पता लगता है कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 4,508.48 करोड़ रुपए को अगले पृष्ठ पर सारणी 10 में दिए विवरण के अनुसार निधिबद्ध किया गया।

संपरिवर्तनीयता विकल्प का निर्धारण, प्रयोग और छूट

2.63 वर्ष के दौरान, की गयी मंजूरियों के सम्बन्ध में केवल 68 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड का निर्धारण किया गया। वर्ष के दौरान केवल 10 मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का प्रयोग किया गया और 61 मामलों में संपरिवर्तनीयता समाप्त कर दी गयी।

2.64 संचयी रूप से भा० औ० वि० नि० 997 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड निर्धारित कर चुका है, 403 मामलों में संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग किया जा चुका है और सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 346 मामलों में इससे छूट दी जा चुकी है।

नामांकन

2.65 वर्ष के दौरान, भा० औ० वि० नि० ने 60 वित्तपोषित संस्थाओं के निदेशक बोर्डों में नामित (विभागीय और गैर-विभागीय) नियुक्त किए। संचयी रूप से 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार भा० औ० वि० नि० ने 486 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 265 नामितों को नियुक्त किया जिनमें से 104 विभागीय तथा 161 गैर-विभागीय थे।

जनहित में की गयी मंजूरियां

2.66 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26(2) की व्यवस्थाओं के अधीन कारोबार को नियमित करने के उद्देश्य से निदेशक बोर्ड द्वारा बनाए गए तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किए गए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अधीन, 1984-85 में जनहित में उन दो संस्थाओं को निदेशक बोर्ड द्वारा 1.62 करोड़ रुपए में सहायता प्रदान की गयी, जिनमें भा० औ० वि० नि० के दो निदेशक हितबद्ध थे। उक्त मंजूरियों का विवरण सारणीबद्ध रूप में इस रिपोर्ट के परिशिष्ट III में दिया गया है।

सारणी 10 : भा० औ० वि० नि. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति (करोड़ रुपए)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/विशाखन परियोजनाएं	आधुनिकीकरण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन, संतुलन उपस्कर, आदि के लिए सहायता	जोड़
परियोजनाओं की संख्या	141	50	87	64	342
I प्रवर्तक योगदान					
—शेयर पूंजी	346.82 (13.4%)	47.43 (8.8%)	38.12 (3.4%)	2.94 (1.1%)	435.31 (9.7%)
—अरक्षित गौण ऋण	11.16 (0.4%)	4.11 (0.8%)	5.67 (0.5%)	8.70 (3.2%)	29.64 (0.7%)
—आन्तरिक प्रोद्भूत, आदि	151.86 (5.9%)	91.54 (17.0%)	179.98 (16.2%)	56.88 (21.2%)	480.26 (10.7%)
II दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् भाऔविनि भाऔविबैं और भाऔसानिनि, द्वारा सहायता					
—ऋण तथा डिबेन्चर	148.48 (44.3%)	170.89 (31.8%)	365.26 (32.9%)	125.29 (46.6%)	1809.92 (40.2%)
—साधारण शेयर सहायता	159.67 (6.3%)	1.70 (0.3%)	— (—)	— (—)	161.37 (3.6%)
III निवेश संस्थानों, अर्थात जी० बी० नि०, सा० बी० नि०, भा० यू० ट्र० द्वारा सहायता	97.82 (3.8%)	43.65 (8.1%)	100.59 (9.1%)	25.23 (9.4%)	267.29 (5.9%)
IV बैंकों द्वारा सहायता (दीर्घकाली वित्त)	262.94 (10.2%)	21.50 (4.0%)	55.26 (5.0%)	30.63 (11.4%)	370.33 (8.2%)
V राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता	39.26 (1.5%)	7.38 (1.4%)	3.50 (0.3%)	2.42 (0.9%)	52.56 (1.1%)
VI आधिकारिक निर्गम	78.78 (3.0%)	57.64 (10.7%)	9.16 (0.8%)	0.53 (0.2%)	146.11 (3.2%)
VII आस्थगित अदायगियां	256.91 (9.9%)	24.45 (4.5%)	— (—)	13.76 (5.2%)	295.12 (6.5%)
VIII विदेशी संस्थानों ऋण	10.48 (0.4%)	16.87 (3.1%)	205.00 (18.5%)	— (—)	232.35 (5.2%)
IX अन्य	27.20 (1.0%)	51.00 (9.5%)	147.79 (13.3%)	2.23 (0.8%)	228.22 (5.0%)
जोड़ :	2591.38 (100.0%)	538.16 (100.0%)	1110.33 (100.0%)	268.61 (100.0%)	4508.48 (100.00%)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

2. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अतिव्यय को पूरा करने के लिए सहायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं।

(ख) स्रोत

2.67 भा० औ० वि० नि० के परियोजना वित्तपोषण कार्यों के लिए भा० औ० वि० नि० के स्रोतों में इसकी शेयर पूंजी, आरक्षित निधियां, ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनः अदायगी और निवेशों की बिक्री/विमोचन बांडों के निर्गमन द्वारा बाजार से उधार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से ऋण, विदेशी वित्तीय संस्थानों से विदेशी ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से ऋण सम्मिलित हैं। 1984-85 में स्रोतों के सम्बन्ध में निगम की स्थिति निम्नलिखित है ।

शेयर पूंजी

2.68 वर्ष के दौरान, भा० औ० वि० नि० की प्रदत्त शेयर पूंजी 27.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 35.00 करोड़ रुपए हो गयी जिसके लिए 5,000/- रुपए प्रत्येक के 10,000 शेयरों (नौवीं सीरीज) पर 2,500/- रुपए प्रति शेयर की दर से बकाया राशि की मांग की गयी 5,000/- रुपए के 20,000 शेयरों (बसवीं सीरीज) का अतिरिक्त निर्गम किया गया जिसके प्रत्येक शेयर पर 50% आवेदन राशि की मांग की गयी ।

आरक्षित निधियां

2.69 30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से 25.99 करोड़ रुपए के अन्तरण और ब्याज अन्तर जन्य निधि (अनुदान भाग) के अन्तर्गत निधियों की प्राप्ति और उपयोग के परिणामस्वरूप 0.01 करोड़ रुपए और वातव्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत 0.23 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि की व्यवस्था करने के पश्चात् भा० औ० वि० नि० की आरक्षित निधियां 88.09 करोड़ रुपए से बढ़कर 114.32 करोड़ रुपए हो गयी। इस प्रकार भा० औ० वि० नि० की आरक्षित निधियां इसकी प्रदत्त पूंजी से 79.32 करोड़ रुपए अधिक हो गयी हैं ।

ऋणों की पुनर्अदायगी और प्रतिभूतियों की बिक्री/विमोचन

2.70 वर्ष के दौरान, निगम को ऋणियों द्वारा मूलधन के रूप में 67.05 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी की गयी जो कि पिछले वर्ष 57.75 करोड़ रुपए थी ।

2.71 निवेशों की बिक्री/विमोचन से वर्ष के दौरान 1.42 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1.85 करोड़ रुपए थी ।

2.72 (क) ऋणों की पुनर्अदायगी, (ख) निवेशों के बिक्री/विमोचन और (ग) 0.90 करोड़ रुपए ऋणों को साधारण पूंजी में अन्तरित करने से 1984-85 में 69.37 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति हुई जो पिछले वर्ष के 60.12 करोड़ रुपए से 15.4% अधिक है ।

बांड निर्गम

2.73 भा० औ० वि० नि० ने वर्ष के दौरान दो सार्वजनिक बांड निर्गम जारी किए, अर्थात् 20 दिसम्बर, 1984 को 69.25 करोड़ रुपए के 9% बांड 1999 (दूसरी सीरीज); 10 जून 1985 को 160.00 करोड़ रुपए के 9.75% बांड 1998 (इकतालीसवीं सीरीज) दोनों निर्गमों में पूर्ण अभिदान हुआ और निर्गमों की अनमय 10% राशि, जो भा० औ० वि० नि० द्वारा रखी जा सकती थीं, मिलाकर बांडों के निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान 248.02 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटायी गयी ।

2.74 47.65 करोड़ रुपए के बांडों की चार सीरीज अर्थात् 11.01 करोड़ रुपए, 13.17 करोड़ रुपए, 11.00 करोड़ रुपए तथा 12.47 करोड़ रुपए के क्रमशः 5¾% बांड, 1984, 6% बांड, 1984, 5 3/4% बांड 1985 तथा 6% बांड 1985 को विमोचित करने के बाद कुल मिलाकर 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार बांडों की निवल बकाया राशि 1,081.91 करोड़ रुपए हो गयी जबकि 30 जून, 1984 को यह राशि 881.54 करोड़ रुपए थी, येन मुद्रा में 25.09 करोड़ रुपए के 7.6% बांडों से बकाया राशि 1,107.00 करोड़ रुपए हो गयी ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से उधार

2.75 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 40.00 करोड़ रुपए के बकाया अस्थायी उधार के सिवाय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं लिया गया, लेकिन वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा केन्द्रीय सरकार को क्रमशः 2.50 करोड़ रुपए तथा 0.68 करोड़ रुपए पुनः अदा किए गए जिसके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से लिए गए उधारों की निवल राशि 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 83.75 करोड़ रुपए और 4.12 करोड़ रुपए से कम होकर 81.25 करोड़ रुपए तथा 3.44 करोड़ रुपए रह गयी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 40 करोड़ रुपए का अस्थायी उधार शामिल करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बकाया उधार 121.25 करोड़ रुपए हो गया ।

2.76 ब्याज अन्तरजन्य निधियों के अन्तर्गत जहां तक ऋण भाग का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से 0.90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और इस खाते में 0.24 करोड़ रुपए की राशि पुनः अदा की गयी। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज अन्तर जन्य निधियों के कुल ऋण भाग की राशि 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार 6.03 करोड़ रुपए हो गयी जबकि 30 जून, 1984 को यह राशि 5.37 करोड़ रुपए थी ।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण

2.77 वर्ष के दौरान, क्रेडितांस्तल्ट-फर-वाइडरफबाउ (के० ए० फ० डब्ल्यू०) जर्मन संघीय गणराज्य से 25 मिलियन जर्मन मार्क के 23वें ऋण के आबंटन से भा० औ० वि० नि० के विदेशी मुद्रा उधार 302.500 मिलियन जर्मन मार्क हो गए, जिनमें से भा० औ० वि० नि० ने 30 जून, 1985 तक पात्र औद्योगिक संस्थाओं को 313.890 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए । इसके अतिरिक्त जर्मन मार्क आवर्ती निधियों में से 97.074 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए गए; इन निधियों में उप-ऋणियों से वसूल की गयी वह राशि होती है जिसे जर्मन गणराज्य के के० एफ० डब्ल्यू०, को पुनर्भुगतान किए जाने तक भारत सरकार के अनुमोदन से जर्मन मार्क में परिवर्तित किया गया है ।

2.78 30 जून 1984 की स्थिति के अनुसार भा० औ० वि० नि० को के० एफ० डब्ल्यू० से उपलब्ध जर्मन मार्क ऋण की बकाया राशि 155.704 मिलियन जर्मन मार्क थी। वर्ष के दौरान 28.912 मिलियन जर्मन मार्क के समकक्ष राशि प्राप्त की गई और 5.028 मिलियन जर्मन मार्क की राशि पुनः अदा की गयी। विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों के अधीन 30 जून 1985 को 179.588 मिलियन जर्मन मार्क (30 जून 1985 को लागू तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर) 73.24 करोड़ रुपए के समकक्ष की राशि बकाया रह गयी ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उधार

2.79 वर्ष के दौरान भा० औ० वि० नि० ने अपने विदेशी मुद्रा स्रोतों को बढ़ाने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का यूरो डालर ऋण लेने के लिए अन्य भागीदार बैंकों/वित्तीय संस्थानों अर्थात् मित्सुबिशी बैंक (यूरोप) एस० ए० बैंक-आफ याकोहामा (यूरोप) (एस० ए०); यूरोपियन अरब बैंक (ब्रुसेल्स) एस० ए० तथा मित्सुबिशी ट्रस्ट ब बैंकिंग कारपोरेशन (यूरोप) एस० ए० के प्रबन्धक और एजेंट के रूप में कार्य कर रहे कान्टिनेंटल बैंक एस० ए०/एन० वी० ब्रुसेल्स (बेल्जियम) के साथ 24 जुलाई 1984 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस ऋण में से 12 मिलियन अमरीकी डालर की राशि (30 जून 1985 को लागू तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर) 14.98 करोड़ रुपए के समकक्ष 30 जून 1985 तक आहरित की गयी । 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त ऋण उप-ऋणियों को पूर्णतया निश्चित किया जा चुका है ।

2.80 उपर्युक्त यूरो डालर ऋण के तिरिक्त भा० औ० वि० नि० ने पहली बार दिसम्बर 1984 में जापानी पूंजी बाजार में बांडों के निजी विनियोजन द्वारा 5 बिलियन जापानी येन (30 जून 1985 को लागू तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर) 25.09 करोड़ रुपये के समकक्ष भी लिए/प्राप्त किए। इस सम्बन्ध में एक करार पर 5 दिसम्बर 1984 को उपर्युक्त बांड निर्गम के लिए अग्रणी व्यवस्थापक के रूप में दैवा सिक्यौरिटीज कम्पनी लि० के साथ हस्ताक्षर किए गए। यह राशि भी 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार पूर्णतः निश्चित है।

2.81 अपने विदेशी मुद्रा स्रोतों को और अधिक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति से भा० औ० वि० नि० ने 25 मिलियन अमरीकी डालर के द्वितीय यूरो डालर ऋण के लिए 12 जुलाई 1985 को एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसका अग्रणी प्रबन्धक लायड्स बैंक इण्टरनेशनल लि० है तथा भागीदार लायड्स बैंक इण्टरनेशनल लि०, बैंक्यू बैल्जे लि०, बैंक्यू बेलजे पोर एल० एट्रेंजर एस० ए०, क्रेडिट इनोर्ड इटालियन इण्टरनेशनल बैंक पी० एल० सी०, रायल बैंक आफ कनाडा (बेल्जियम) एस० ए० तथा निपॉन यूरोपियन बैंक एस० ए० हैं।

2.82 उपर्युक्त वाणिज्यिक ऋण लेने से भा० औ० वि० नि०, अन्यों के साथ-साथ, ऐसी औद्योगिक संस्थाओं, अर्थात खनन, जहाजरानी, समुद्री मछली उद्योग तथा बिजली पावर, गैस के उत्पादन तथा होटल आदि से सम्बद्ध संस्थाओं की भी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो गया है जो कि अन्यथा के० एफ० डब्ल्यू से प्राप्त जर्मन मार्क ऋण के अधीन पात्र नहीं थी। इसके अतिरिक्त भा० औ० वि० नि० के उपर्युक्त वाणिज्यिक ऋणों द्वारा बड़ी परियोजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं सहित, उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित होंगी।

2.83 चूंकि ऋणों के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार 1984–85 वर्ष के दौरान पुनर्भदायगी दायित्व नहीं था, अतः वर्ष के दौरान इन ऋणों के संबंध में कोई भी पुनःअदायगी नहीं की गई।

निधियों के स्रोत और उपयोग

2.84 सहायता के संवितरण, उधार की पुनर्भदायगी, बांडों के विमोचन, ब्याज, लाभांश, कर की अदायगी और नकद शेष, आदि के लिए निधियों की कुल आवश्यकता 1984–85 में 519.88 करोड़ रुपये रही जो पिछले वर्ष की 347.35 करोड़ रुपये की निधियों की आवश्यकता से 49.7% अधिक है।

2.85 निधियों की उक्त आवश्यकताओं को (i) प्रदत्त पूंजी में 7.50 करोड़ रुपये तक की वृद्धि, (ii) 42.09 करोड़ रुपये का कर से पूर्व लाभ, (iii) ऋणियों से ऋण के मूलधनों की वसूली और निवेशों की बिक्री, आदि 69.37 करोड़ रुपये तक, (iv) बांडों के माध्यम से बाजार से उधार 248.02 करोड़ रुपये, (v) 4 करोड़ रुपये तक की जमा, (vi) 51.86 करोड़ रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्रा उधार, (vii) ब्याज अन्तर जन्य निधियों के अन्तर्गत 2.00 करोड़ रुपये की प्राप्ति, (viii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 40.00 करोड़ रुपये का उधार, (ix) विविध स्रोतों से 1.36 करोड़ रुपये और (x) प्रारम्भिक नकद बकाया 53.68 करोड़ रुपये से पूरा किया गया।

(ग) अतिदेय, आदि

अतिदेय

2.86 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जिन वित्तपोषित संस्थाओं से 1,307.31 करोड़ रुपये की ऋण सहायता बकाया थी उनकी संख्या 1,245 थी। निस्सन्देह इनमें से कुछ को कार्यान्वयन अवस्था में मुश्किलें आईं, कुछ तो परिचालन के प्रारम्भिक वर्षों में और कुछ कई वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात रुग्ण हो गई इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कुछ उद्योगों जैसे वस्त्र, चीनी, धातु उद्योग, कागज, आदि की असन्तोषजनक प्रगति के कारण अधिकांश संस्थाओं को वित्तीय संस्थाओं के प्रति समय पर अपने वायदे पूरे करने में वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ा। भा० औ० वि० नि० ने कठिनाई का सामना करने वाली इकाईयों (विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें चूंकि औद्योगिक इकाइयों के विस्तृत समूह में पूर्णतया "बाह्य" कारणों में थी) की सहायता करने की अपनी नीति के अनुरूप उन्हें अतिदेय राशियों, आदि का भुगतान क्रम स्थगित कर के पुनः निर्धारित करके आवश्यकतानुसार राहत प्रदान की।

2.87 कठिनाई ग्रस्त संस्थाओं को दी गई राहत को छोड़कर वर्ष के अन्त में 184 संस्थाएं थी तथा कुल अतिदेय 50.78 करोड़ रुपये (33.73 करोड़ रुपये के मूलधन और 17.05 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) रहे। 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार ये अतिदेय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गये कुल बकाया ऋणों का 3.9% रहे, जबकि 30 जून, 1984 को यह 5.9% था

2.88 वर्ष 1984–85 के लिए इन अतिदेय राशियों के उद्योगवार विश्लेषण से पता चलता है कि चूककर्ता 181 संस्थाओं में 31 संस्थाएं वस्त्र की, 24 चीनी की, 17 धातु उत्पादों की, 14 कागज की और 11 लोहा एवं इस्पात उद्योग की थी और इनको क्रमशः 7.88 करोड़ रुपये, 12.54 करोड़ रुपये, 4.52 करोड़ रुपये 7.48 करोड़ रुपये, और 2.90 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। उपरोक्त पाँच उद्योगों में 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार निगम की कुल अतिदेय का 69.6% भाग था।

रुग्ण इकाईयों का पुनर्स्थापन

2.89 वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के "समस्या मामले विभाग" पर रुग्ण इकाईयों के पुनर्स्थापन की सरकारी नीति के अनुरूप, 9 मामलों में पुनर्स्थापन योजनाएं बनाई, 5 मामलों में प्रबन्ध व्यवस्था/प्रबन्ध हित में परिवर्तन किए/अनुमोदित किए, 2 मामलों में परिचालन चालू रखने के लिये सहायता प्रदान की, दो मामलों में विलयन की योजनाएं अनुमोदित की और 3 मामलों में देय राशियों के निपटान के लिए व्यवस्था की।

2.90 वर्ष के दौरान ऋणदाता संस्थानों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम/संस्थाओं ने 10 मामलों में ऋणों को वापिस लौटाने की मांग प्रस्तुत की।

2.91 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 4 रुग्ण इकाइयों के मामले में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को संदर्भ किया, जो पुनर्स्थापन के लिए उचित योजनाएं बनाने की प्रमुख पुनर्निर्माण एजेन्सी है।

2.92 अन्य मामलों में, समन्वित अग्रणी संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों, बैंकों और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ संयुक्त रूप से पुनर्स्थापन कार्यक्रम अथवा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

2.93 पूर्णतया अध्यवहार्य इकाइयों के बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया और सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य स्तरीय एजेन्सियों के साथ भी सम्पर्क बनाए रखा गया।

(घ) कार्य परिणाम

सकल लाभ

2.94 वर्ष के दौरान सकल लाभ 42.09 करोड़ रुपये रहा जबकि वर्ष 1983–84 में यह 34.03 करोड़ रुपये था। इसमें 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निवल लाभ

2.95 12.78 करोड़ रुपये की कराधान व्यवस्था करने के बाद वर्ष 1984–85 में निवल लाभ 29.31 करोड़ रुपये रहा जबकि 1983–84 में यह 23.89 करोड़ रुपये था। इसमें 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विनियोजन

2.96 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए विनियोजन सारणी 2 में दिए गए है।

सारणी 2 : निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

	यह वर्ष (1984-85) (जुलाई-जून)		पिछला वर्ष (1983-84) (जुलाई जून)	
(1)	(2)		(3)	
वर्ष के लिए निवल लाभ	29.31		23.89	
विनियोजन				
अन्तरित:				
(क) सामान्य आरक्षित निधि	8.23		8.15	
(ख) दातव्य आरक्षित निधि	0.50		0.50	
(ग) विशेष रिज़र्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन)	17.76	26.49	13.14	21.79
कर्मचारी कल्याण निधि को आबंटन	0.15		0.01	
लाभांश की अदायगी ।	1.67		2.09	
जोड़	29.31		23.89	

लाभांश

2.97 सन्तोषजनक कार्य परिणामों को देखते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर 9.0% वार्षिक की दर से लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया जब कि पिछले वर्ष यह 8 1/2% वार्षिक किया गया था ।

कर

2.98 30 जून, 1985 को समाप्त हुए लेखांकन वर्ष में कराधान के लिए 12.78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जबकि पिछले वर्ष 10.14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

मनोरंजन आदि पर व्यय

2.99 वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने मनोरंजन पर 1.57 लाख रुपये, अपने स्टाफ ट्रेनिंग गृहों के रख-रखाव पर 1.44 लाख रुपये, प्रचार और विज्ञापन पर 3.09 लाख रुपये और अपने अधिकारियों द्वारा विदेशों में पाठयक्रमों/सेमिनारों में जाने/भाग लेने पर 2.04 लाख रुपये की राशि व्यय की। सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित अध्यक्ष की विदेश यात्राओं पर 0.84 लाख रुपये का व्यय हुआ।

कार्य परिणामों की प्रवृत्ति

2.100 5 वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य परिणाम सारणी 12 में दिए गए हैं :—

सारणी 12 : पांच वर्षों के दौरान भा० औ० वि० नि० के कार्य परिणाम :

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून को समाप्त				
	1981 रु०	1982 रु०	1983 रु०	1984 रु०	1985 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिए गए उधारों पर ब्याज	44.93	59.89	78.56	99.83	128.09
घटाइए : लिए गए उधारों की लागत	31.17	40.16	51.56	65.40	85.62
निवल ब्याज राजस्व	13.76	19.73	27.00	34.43	42.47
अन्य आय	3.32	4.04	4.86	5.14	6.91
निवल आय	17.08	23.77	31.86	39.57	49.38
व्यय :					
—कार्मिक व्यय	2.60	2.60	3.09	3.57	4.44
निवेशों से हानि	0.47	0.64	0.44	0.14	0.19
—निदेशक तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
—अन्य व्यय व अनुदान	1.00	1.03	1.16	1.51	2.29
—मूल्य ह्रास	0.05	0.11	0.12	0.29	0.34
सकल लाभ	12.94	19.36	27.02	34.03	42.09
कराधान	4.56	6.85	9.71	10.14	12.78
निवल लाभ	8.38	12.51	17.31	23.89	29.31
लाभांश (दर)	7.0%	7.5%	8.0%	8.5%	9.0%

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि :

*'ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज' शीर्ष के अन्तर्गत पिछले वर्ष से 28.3% वृद्धी थी।

*पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 'उधार लागत' शीर्ष के अन्तर्गत 30.9% की वृद्धी हुई।

* पिछले वर्ष की तुलना में निवल ब्याज राजस्व और अन्य कार्यकलाप से प्राप्त आय के रूप में 'निवल आय' में 24.8% की वृद्धि हुई।

* पिछले वर्ष की तुलना मे 'सकल लाभ' 23.7% वृद्धी हुई।

* पिछले वर्ष के 'निवल लाभ' की तुलना मे इस वर्ष निवल लाभ मे 22.7% की वृद्धि हुई।

वित्तीय स्थिति

2.101 पांच वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सारणी 13 में दी गयी है।

सारणी 13 : पांच वर्षों के दौरान भा० औ० वि० नि० की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति (करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				
	1981 रु०	1982 रु०	1983 रु०	1984 रु०	1985 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	21.16	47.81	39.83	53.68	142.13
निवेश					
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	34.52	38.31	44.60	52.25	57.16
—अन्य संस्थाओं में	0.96	1.21	1.21	1.21	0.21
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	548.01	690.82	864.73	1,054.93	1,307.31
परिसर, उपकरण तथा अन्य परिसम्पत्तियां	23.61	26.86	34.96	44.46	65.68
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	0.50	1.21	2.40	4.11	7.87
	628.76	806.82	987.73	1,210.64	1,580.36
देयताएं					
उधार					
(क) बांड	433.47	554.55	689.30	881.54	1,107.00
(ख) सरकार तथा भाऔवि बैंक से उधार	59.84	85.25	96.60	93.24	124.70
(ग) विदेशी मुद्राओं ;	42.51	51.01	59.67	62.76	94.25
चालू देयताएं और प्रावधान	32.50	40.16	46.90	49.39	92.36
निर्धारित निधियां	2.32	2.84	3.43	4.01	4.86
स्वीकृतियों पर देयता	0.50	1.21	2.40	4.11	7.87
	571.14	735.02	898.30	1,095.05	1,431.04
निम्नलिखित के रूप में निवल मूल्य					
शेयर पूंजी	17.50	20.00	22.50	27.50	35.00
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	40.12	51.20	66.93	88.09	114.32
ऋण : इक्विटी अनुपात	9.3:1	9.7:1	9.5:1	9.0:1	8.9:1

लेखे

2.102 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का लेखा परीक्षित लेखा वर्ष का लाभ-हानि-लेखा और 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, परिसम्पत्तियों और देयताओं के पूर्ण विवरण सहित इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2.103 वर्ष के दौरान परामर्शदाताओं द्वारा लेखांकन व्यवस्था की समीक्षा के तदनुरूप सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कदम उठाए गए ताकि वर्तमान लेखांकन पद्धतियों को सुचारू बनाया जा सके और लेखांकन कार्यों के लिए कम्प्यूटर प्रणाली लागू हो सके। आशा है कि 1985–86 की समाप्ति तक प्रधान कार्यालय में वित्तीय तथा ऋण लेखांकन, दोनों ही, कम्प्यूटर आधारित हो जाएंगे।

लेखा–परीक्षा

2.104 नियमित "आन्तरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली" के अलावा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लेखों की सांविधिक लेखा–परीक्षा प्रत्येक वर्ष दो लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जिनमें से एक का नामांकन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाता है तथा दूसरा लेखा परीक्षक (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) शेयरधारियों द्वारा चुना जाता है। वर्ष 1984–85 के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स ठाकुर वैदनाथ अय्यर एंड कं० सनदी लेखापाल को सांविधिक लेखा परीक्षक नामित किया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारियों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) मैसर्स एन० एम० रायजी एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, बम्बई को उसी अवधि के लिए लेखा परीक्षक चुना। वर्ष 1984–85 के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट, में इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है।

अध्याय 3

भाऔविनी के कार्यों का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

छठी योजना अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य

3.01 1984–85 का वर्ष न केवल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अस्तित्व का 37 वां वर्ष था अपितु यह देश की छठी पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष भी था।

3.02 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने परियोजना वित्तपोषण कार्यों के रूप में 1,505.76

करोड़ रुपये की निवल वित्तिय सहायता मंजूर की जिसमें से 1,098.18 करोड़ रुपये के संवितरण किए गए। भाऔवित्तनि द्वारा मंजूर और संवितरित की गई कुल सहायता भाऔवित्तनि द्वारा पिछले 32 वर्षों की अवधि जिसमें पाँच पंचवर्षीय योजनाएं, पांच मध्यवर्ती वार्षिक योजनाएं और पहली योजना से पूर्व के तीन वर्षों की अवधि सम्मिलित है, में मंजूर और संवितरित की गई कुल सहायता से अधिक थी।

3.03 जून, 1980 की समाप्ति पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं की संख्या 1,265 थी जो कि जून, 1985 की समाप्ति पर बढ़कर 2,093 हो गई, इनमें से बहुतों को एक बार से अधिक सहायता दी गई थी।

3.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता की राशि से अधिक महत्वपूर्ण इसका उत्प्रेरक दायित्व रहा है जिसके अनुसार निगम ने 30 जून, 1985 तक इन वित्तपोषित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 22,385.49 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जुटाने में अपना योगदान दिया है।

3.05 भारतीय औद्योगिक वित्तनिगम की परियोजना वित्त-पोषण कार्य की परिधि में बहुत से विस्तृत उद्योग हैं और संगठित क्षेत्र में संभवतः कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिसे निगम की सहायता का लाभ प्राप्त न हुआ हो।

3.06 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परियोजना वित्तपोषण कार्यों का एक उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित की गई राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा किया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य दौतिकांचे और उनके परिचालनों में आर्थिक और सामाजिक विकास की विभिन्न परियोजनाओं में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों में सामंजस्य है। भारतीय औद्योगिक निगम के कार्य देश के पिछले साढ़े तीन दशकों की अवधि के दौरान हुए योजनाबद्ध आर्थिक विकास के फलस्वरूप उद्योग में परिलक्षित हुई प्रवृत्ति और संगठनात्मक ढांचे को यद्यपि स्पष्ट परन्तु उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित करते है।

प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

3.07 पिछले 37 वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्तनिगम द्वारा प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान को, सहायता प्राप्ति के पश्चात् हुए समग्र औद्योगिकरण प्रसार-प्रभाव में देखा जा सकता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता, जहां कहीं भी देश के किसी भाग में बड़े अथवा मध्यम स्तर की परियोजना स्थापित हुई है, पहुंची है।

3.08 भारतीय औद्योगिक वित्तनिगम की सहायता छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न उद्योगों जैसे चीनी (14.83 लाख टन), सूती वस्त्र (21.76 लाख, नकुए), सीमेन्ट (173.51 लाख टन), कागज (3.08 लाख टन), उर्वरक (46.17 लाख टन), आदि उद्योगों में उल्लेखनीय रूप से क्षमता स्थापित करने से/बढ़ाने में समर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त होजल उद्योग सहित अन्य उद्योगों में उल्लेखनीय रूप से क्षमता कायम करने में निगम ने सहायता प्रदान की है। भारतीय औद्योगिक वित्त-निगम द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तपोषित नई, विस्तृत और विशाखन परियोजनाएं 3 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने में समर्थ रही है।

3.09 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1984-85 में 191 वित्तपोषित नई तथा विस्तृत/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता से विभिन्न प्रकार के उद्योगों में क्षमता उत्पन्न किए जाने की संभावना है। 1984-85 की अवधि में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित नई और विस्तार विशाखन परियोजनाओं के प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान का विश्लेषण सारणी 14 में दिया गया है।

सारणी 14 : 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपये)

उद्योग	परियोजनाएं (संख्या)	कुल पूंजी लागत (रु०)	सम्भावित प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	प्रति वर्ष क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी	11	67.61	2,710	59.48	14.95	1.59 लाख टन चीनी
वस्त्र	23	149.14	12,760	161.15	40.21	3.29 लाख तकुए, 24 करघे, 187 लाख मीटर रेशे का अभिसंस्कार, 875 टन सिलाई धागा, हल्के वजन के न बने हुए 480 टन रेशे और 396 टन ऊनी कम्बल तथा ऑटो फ्लोर कवरिंग
कागज और कागज उत्पाद	6	59.16	1,960	38.56	13.90	23,100 टन लेखन व मुद्रण कागज, 24,550 टन एम० जी० क्राफ्ट व पैकिंग कागज तथा 9,900 टन ड्यूप्लेक्स बोर्ड
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	10	373.10	2,364	162.18	83.72	33.24 लाख टन सीमेंट और 0.36 लाख टन एस्बेस्टोस चादरें
रसायन और रसायन उत्पाद	16	123.38	2,546	79.20	36.15	22,440 टन कास्टिक सोडा, 19,800 टन तरल क्लोरीन, 9,900 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 10,000 टन विस्फोटक घोल, 3,900 टन कैल्शियम कार्बाइड, 2,500 टन कैल्शियम सिलिसाइड, 2,500 टन फैरो सिलिकान, 33,000 टन मेथानोल, 18,500 टन अल्यूमीनियम सल्फेट/फेरिक एलम, 2,560 टन एल्यूमीनियम फ्लोराइड, 10.75 लाख घनमीटर आक्सीजन, 1.92 लाख घन मीटर घुलनशील एसीटिलीन, 4,100 टन ऐलिसाइलिक एसिड, 250 टन एनालजिन, 1,000 टन एस्प्रीन, 150 कि० ग्रा० रिबाफ्लाविन-5 फास्फेट सोडियम, 30 टन सोडियम सैक्रीन, 300 टन कृत्रिम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						स्वीटनर्स, 5,000 लाख हार्ड शैल जिलेटिन कैप्सयूल, रक्त-आधार घोल की 25 लाख बोतलें, 10 लाख एमोक्सीसिलीन कैप्सयूल, 5 लाख रिफैम्पीसिन कैप्सयूल, 100 लाख फैरो-शैलेट कैप्सयूल, इन्ट्राविनस डेक्सट्रोज फ्लुइड्स/सोल्यूशन सहित 75 लाख प्लास्टिक एसेप्टिक एम्पुलस और 200 टन पाउडर किए हुए पेन्ट ।
उर्वरक	11	814.59	2,563	474.20	240.17	5.94 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट, 2.75 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड, 4.45 लाख टन अमोनिया, 7.26 लाख टन यूरिया और 1.50 लाख टन डाइ-अमोनियम फास्फेट
कृत्रिम व मानव-निर्मित रेशे	8	372.37	1,532	380 04	135.75	7,830 टन नायलोन-फिलामेंट धागा, 8000, टन पोलिएस्टर फिलामेंट धागा, 45,000 टन पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर, 2,000 टन टायर कार्ड धागा, 1,700 टन टायर कार्ड को फाइबर में धागा बदलने के लिए और 4,500 टन पालिस्टर चिप्स सुविधा ।
रबर और प्लास्टिक उत्पाद, आदि	19	124.59	2,305	148.50	46.85	3,900 टन परिष्कृत रबर, 500 टन रबर के टुकड़े, 4,000 टन पोलिएस्टर फिल्म, 2,900 टन बायक्सली ओरिएन्टिड पोलिएस्टर फिल्म, 800 टन बायक्सली ओरिएन्टिड पोलिप्रोपेलीन फिल्म, 150 टन डायलैक्ट्रिक ग्रेड मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म, 1,325 टन कास फिल्म लेमिनेट्स, 1,500 टन कम घनत्व वाली पोलिथिलीन, 500 टन पोलिटाइटल फेरो इथिलीन, 4,940 टन उच्च घनत्व वाली पोलिथिलीन के बुने हुए टाट, टेलिविजनों के लिए 6.56 लाख मोल्डिड केबिनेट्स, ब्लैक एन्ड व्हाइट टेलीविजन सेटों के लिए उपांगों के 108 लाख सेट, 1,500 टन सिंथेटिक शीशे और 637 टन पोलिथिलीन टेरीफलेटों बोतलें तथा 2,550 टन थर्मो-प्लास्टिक ।
लोहा व इस्पात	8	48.24	1,211	82.81	16.74	2.50 लाख टन इस्पात की छड़ें, 19,440 टन माइल्ड स्टील, मिश्र धातु सिल्लियां, 1000 टन हाई क्रोम हाई हार्डनेस लाइनर्स, 25,000 टन कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील स्ट्रिप, 4,250 टन लौह सूक्ष्म फाजिंग्स, 16,000 टन कोल्ड ट्विस्टिड विकृत छड़ें और 215 टन द्विधातु स्ट्रिप तथा क्लैड उत्पाद ।
मशीनरी और उपांग	4	41.66	2,180	65.52	30.75	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, भारी पानी संयंत्रों और अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए 6,000 टन उपकरण, 20 वाटर वैल ड्रिल, 25 हाइड्रोलिक डायमंड कोर ड्रिल, 6,000 रौक रोलर बिट्स, 550 फ्लोट शूज/फ्लोर कौलर, 10,000 इलैक्ट्रिक टाइपराइटर, 60,000 जिग-जैग सिलाई मशीनें और 8 बिलेट ग्राईंडिंग मशीनें ।
बिजली मशीनरी	17	133.85	3,640	212.18	62.01	881 माइक्रो-प्रोसैसर आधारित संचार एवं नियन्त्रण प्रणाली, स्याही की लिखावट पहचानने वाले कूटबद्ध, 1,000 चुम्बकीय उपकरण, 760 परीक्षण एवं मापक यंत्र, आंकड़े प्राप्त करने वाली 20 प्रणालियां, 8,500 पोर्टेबल जेनरेटर सेट, 30,000 बहु-उपयोगी इंजिन, 3,000 स्वचालित नियन्त्रण वाल्व और उपांग, 72 लाख लचकदार चुम्बकीय मीडिया/फ्लापी डिस्क, 1,000 एम० आर० एम० वीडियो चुम्बकीय टेपें, 2,350 टन श्रव्य टेपें, पूर्णतः इलैक्ट्रानिक 'प्राइवेट स्वचालित शाखा एक्सचेंज की 54,000 लाइनें और सम्बद्ध उपकरण, 1,500 विजुअल लाइन फीचर टेलीफोन, प्रिंटिड सर्किट बोर्ड और विभिन्न अवेम्ब्लियों के 1.02 लाख स्टफिंग/सोल्डरिंग, 18.50 लाख कंडक्टर किलो-मीटर पोलिथिलीन इंसुलेटिड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल, 820 टेलीफोन केबल प्रेशराइजेशन/मानीटरिंग सिस्टम, 565.5 लाख एल्यूमीनियम इलैक्ट्रोलाइटिक कैपिसिटर्स, 3 लाख थर्मामीटर ग्लास एपाक्सी कापर लेमिनेट्स, 3,000 स्वचालित नियंत्रण वाल्व और उपांग, 215 टन थर्मोस्टेटिक द्विधातू स्ट्रिप और क्लैड उत्पाद, 230 लाख जी० एल० एस० लैम्प और 110 लाख फ्लोरेसेंट ट्यूबें ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परिवहन उपस्कर	13	169.09	6,592	537.77	84.38	0.27 लाख हल्के वाणिज्यिक वाहन, 2.25 लाख दो-पहिए स्कूटर, 500 लिफ्टें, 10.00 लाख साइकिलें, 5.84 लाख व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए हवाई रज्जु मार्ग, एक लाख हाई पावर फ्लाइ व्हील मेगनेट्स, 7,400 आटोमोबाइल एयर ब्रेक सिस्टम, 2 लाख टाइ राड एंड्स, और एक लाख ड्रैग लाइन असेम्बलियां, 2.50 लाख ब्रेक पेनल, फ्लैंज पेनल ड्राइव और ब्रेक शूज, 80,000 क्लिचप्लेट तथा 50,000 आटोमोबाइल सीटें।
होटल	6	54.47	1,673	25.99	14.54	931 कमरे
अन्य	39	598.19	12,033	330.33	150.23	
जोड़	191	3,129.54	56,069	2,757.91	970.35	

3.10 उक्त परियोजनाओं से लगभग 56,069 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किये जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं द्वारा उत्पादन किये गये माल का मूल्य 2,757.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इनसे 970.35 करोड़ रुपये की "सकल मूल्य वृद्धी" होने की संभावना है जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन को इन परियोजनाओं का योगदान है। समग्रत: 1984-85 के दौरान वित्तपोषित 418 योजनाओं की कुल पूंजीगत लागत 4,852.79 करोड़ होने का अनुमान है। जो उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जुटाए गए साधनों के प्रयासों का स्वत: प्रमाण है।

राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

3.11 भारतीय औद्योगिक वित्त नियम ने लगातार अपने कारोबार को लाभप्रद बनाने के लिए प्रयास किया है। अपने अस्तित्व के 37 वर्षों के दौरान निगम ने आयकर के रूप में राष्ट्रीय राजकोष में 75.36 करोड़ रुपये की राशि अदा की है जो कि इसकी प्रदत्त पूंजी से दुगुनी से भी अधिक है।

परियोजनाओं की विश्लेषण-प्रक्रिया पर प्रभाव

3.12 भारत में राष्ट्रीय स्तर के विकास वित्तीय संस्थान, विशेषकर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो देश के विकास बैंकों में सबसे प्राचीन है, औद्योगिक क्षेत्र में परियोजना नियोजन कार्यान्वियन और औद्योगिक परियोजनाओं के परिचालन से सम्बन्धित मूल अनुशासन कायम करने का कुछ दावा कर सकता है।

3.13 परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय वर्तमान "परियोजना वित्तपोषित" और "अग्रणी संस्थान" धारणाओं के अधीन आज विकास वित्तीय संस्थान एक दूसरे की बुद्धिमत्ता और कौशल को एकत्र रूप से प्रयुक्त करने में कहीं सक्षम है, वे संस्थान को प्रवर्तन करने वाली तथा प्रबन्ध और तकनीकी संचालन क्षमताओं की विशद विश्लेषण करते हैं, और जहां कहीं कुछ भी अभाव अनुभव किया जाता है वहां वित्तीय संस्थान उन्हें इस सम्बन्ध में परामर्श देते हैं और कई बार वित्तीय सहायता मंजूर करते समय ऐसी शर्तों का निर्धारण करते हैं कि योजना की आरम्भ की अवस्था से ही वे विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादन, वित्त बाजार, प्रशिक्षण स्तर में प्रबन्ध आदि में व्यावसायिक स्टाफ की भर्ती करेंगे अग्रणी संस्थान के रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कई बार परियोजना की अवधारणा अवस्था पर ही उद्यमियों का मार्ग दर्शन करता है जिसमें उत्पाद मिश्रता चयन, तकनीकी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को ठीक करने जैसे मामले निहित होते हैं। परियोजना की व्यवहार्यता के अतिरिक्त जिसका परीक्षण विभिन्न पहलुओं जैसे तकनीकी, वित्तीय वाणिज्यिक और आर्थिक दृष्टि से किया जाता है तो भी अत्यधिक महत्व परियोजना के प्रबन्धकीय और सामाजिक पहलुओं को दिया जाता है।

3.14 अब संस्थान प्रवर्तकों को विदेशी सहयोग, करारों आदि के मामले में भी उन्हें परामर्श देते हैं ताकि वह बाहर तकनीकी संगठन आदि के सम्बन्ध में बेहतर शर्तों पर सौदेबाजी कर सकें। प्रबुद्ध प्रवर्तक और सक्षम प्रबन्धक वर्ग परियोजना में सुधार करने की दृष्टि से वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले योगदान को भली प्रकार से मूल्यांकित करने में समर्थ हैं, जिस क्षेत्र में कि, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रबन्धकीय प्रभावशीलता पर प्रभाव

3.15 परियोजना के कार्यान्वियन की अवधि तथा इसके पश्चात उचित संगठनात्मक ढांचे, सिस्टम और प्रबन्धकीय प्रभावशीलता को कम महत्व नहीं दिया जा सकता। भारत में लगभग 2 दशक पूर्व "मिल्कियत" और "प्रबन्ध" दोनों को एक दूसरे से अलग करना कठिन था। अब धीरे-धीरे उद्यमी तथा प्रवर्तक इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि परियोजना का काफी सीमा तक सफल परिचालन इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रबन्ध किस प्रकार किया जा रहा है। प्रबन्ध में व्यवसायीकरण की जड़ें मजबूत हो रही हैं। प्रबन्ध विकास के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण अन्तराल को पूरा करने का प्रयास किया है। चूंकि जब तक काफी मात्रा में व्यवसायिक अनुभवी और सक्षम तथा प्रशिक्षित प्रबन्धक विकसित नहीं किए जाएंगे तब तक उल्लेखनीय दर से प्रबन्धक वर्गों के व्यावसायीकरण में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।

3.16 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित वित्तीय संस्थानों का इस बात पर जोर रहा है कि उचित प्रबन्धकीय ढांचे अर्थात् (क) निवेशक बोर्डों का उचित गठन, (ख) दूसरे स्तर पर अच्छे प्रबन्धक वर्ग का सृजन (ग) जहां आवश्यक हो प्रबन्धक समितियों/लेखांकन समितियों का गठन और (घ) सक्षम आधार पर परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग अथवा वर्तमान परिचालन व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था की जाए। वित्तपोषित संस्थानों के बोर्डों की रचना का निर्धारण करते समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रयास किन्हीं विशिष्ट नियमों का उल्लेख करना नहीं है अपितु एक ओर इसका उद्देश्य प्रवर्तकों के उचित प्रतिनिधित्व और दूसरी ओर सम्बन्धित क्षेत्रों में सहायता बाहरी विशेषज्ञों को उचित मात्रा में सम्मिलित करना है जिन मामलों में निगम के विचारानुसार प्रमुख कार्यपालक अथवा प्रबन्ध निदेशक को उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। आमतौर पर वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में संस्थानात्मक नामित निदेशकों की नियुक्ति अन्य सम्बन्धित संस्थानों में विचार विमर्श करने और संस्थाओं की संयुक्त शेयरधारिता की मात्रा, कुल सहायता का आकार और इसकी श्रेणी अर्थात् संस्था एम० आर० टी० पी० अथवा गैर एम० आर० टी० पी० है, के तथ्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। इन सब उपायों के फलस्वरूप वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्ध संस्कारों पर कुछ गुणात्मक प्रभाव पड़ा है, परन्तु इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

परामर्श के लिए संस्कार विकास

3.17 न तो कोई प्रवर्तक और न ही कोई संगठन सभी कलाओं में दक्ष हो सकता है। जिस प्रकार से मानव-बच्चे के जन्म के समय प्रसूति की आवश्यकता होती है और पूर्व प्रसूति तथा उत्तरप्रसूति के दौरान उचित देखभाल जरूरी होती है, उसी प्रकार एक नई परियोजना के जन्म के समय भी इसकी पूर्व प्रसव तथा उत्तर प्रसव अवस्थाओं में विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा उचित देखभाल अपेक्षित है। बड़ी परियोजनाओं के मामले में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित वित्तीय संस्थान इस बात पर जोर देते हैं कि परियोजना की प्रारम्भ अवस्थाओं से ही परामर्शदाता इंजीनियरों की फौरन नियुक्ति की जाए ताकि वह विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना सूचीकरण, स्थल निरीक्षण और सामान्य समन्वय आदि के क्षेत्रों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उचित विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध करा सकें। मध्यम और मध्यम-बड़े स्तर की परियोजनाओं के मामले में शुरू से ही इसके संगठन ढांचे में ही परामर्शदाता या परियोजना प्रबन्धक की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। वास्तव में विकास वित्तीय संस्थानों ने परियोजना के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता को अनुभव किया है। मध्यम और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की कोई कमी नहीं है लेकिन विकास वित्तीय संस्थाओं ने विशेषकर छोटे पैमाने की परियोजनाओं के लिए एक ही स्थान पर "अवधारणा" अवस्था से लेकर "कार्यान्वयन" अवस्था तक समग्र परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकारी संगठनों की स्थापना की है। इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों से लघु तथा मध्यम स्तर की परियोजनाओं को इनकी सेवाओं का प्रसार तथा परामर्श परिचालन अवधि के दौरान भी उपलब्ध है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि० के संयुक्त उद्यम से औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका तैयार की गई है जिसमें भारत में उपलब्ध परामर्शदायी सेवाओं के सम्बन्ध में उपयोगी मूलभूत सूचना दी गई है। उन सभी उपायों के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्वस्थ "परामर्श संस्कार" के विकसित होने में सहायता मिली है।

उद्यमीयता विकास और प्रसार पर प्रभाव

3.18 केवल मात्र वित्त, कच्चे माल और अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से ही किसी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास को उचित रूप में प्रभावित नहीं किया जा सकता, जब तक कि औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए और उद्यमीय जोखिम उठाने के लिए मानवीय साधनों का उचित रूप से पुर्नविन्यास न किया जाए, यह तथ्य अब काफी मान्यता प्राप्त कर चुका है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित संस्थान न केवल उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों के रूप में अपनी सहायता दे रहे हैं अपितु इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान नामक संस्थान का भी गठन किया है। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान देश में उद्यमीयता आन्दोलन को गति प्रदान करने में सक्षम रहा है और यहां तक कि कई राज्य सरकारों ने उद्यमीयता विकास की आवश्यकताओं को पहचान लिया है और इन्होंने सातवीं योजना अवधि के दौरान अपने सम्बन्धित राज्यों में उद्यमीयता विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखे हैं।

3.19 विशेषकर मध्यम और मध्यम-बड़े स्तर के क्षेत्रों में देश में उद्यमीयता आधार को विकसित करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तित तथा निधि प्रदत्त जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने प्रवर्तकों को ब्याज रहित एवं मामूली सेवा प्रभार पर वित्त उपलब्ध कराकर "जोखिम पूंजी वित्तपोषण" उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव स्थापित किया है। जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान देश के औद्योगिक धरातल पर 136 तकनीकज्ञों को मध्यम और मध्यम-बड़े आकार की परियोजनाओं के प्रवर्तकों के रूप में ला सकने में समर्थ रहा है।

औद्योगिक विकास को सहायता

3.20 देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए संकलित तकनीकज्ञ उत्पादेय एक तीव्र गति वाहन के रूप में माना गया है। पूंजी अभाव राष्ट्र होने के नाते तकनीकी दक्षता की आवश्यकता हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। अपनी ओर से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी दो प्रवर्तन योजनाओं अर्थात् देशी तकनीक को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उप-सहायता योजना और इन-हाऊस अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के माध्यम से तकनीक विकास के लिए सहायता योजना, द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है चाहे यह अभी मामूली है। 5.00 करोड़ रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली अति लघु तथा लघु क्षेत्र की परियोजनाओं एवं मध्यम स्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदान की जाने वाली देशी तकनीक ग्रहण करने के प्रस्ताव के लिए उप सहायता योजना बनाई गई है और मध्यम स्तर की परियोजनाओं के लिए 20,000 रुपये की सीमा तक अथवा देशी जानकारी प्राप्त करने का 80% मध्यम क्षेत्र की परियोजनाओं को 5.00 लाख रुपये, परियोजना लागत के अधिकतम 10% तक की समग्र उप सहायता प्रदान की जाती है। इन-हाऊस अनुसन्धान और प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से तकनीक का विकास करने के लिए प्रारम्भ की गई सहायता योजना का उद्देश्य भी 10% रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराना है जो कि देशी तकनीक के विकास/अभिग्रहण के लिए प्रयोगशाला स्तर से वाणिज्यिक स्तर पर विकसित करने के लिए इन-हाऊस अनुसन्धान और शोध व्यय में आई लागत का 50% अथवा 25.00 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। हाल ही में प्रारम्भ की गई इन दोनों योजनाओं से अपेक्षा है कि ये आने वाले समय में तकनीक के विकास पर अपना उचित प्रभाव स्थापित कर सकेंगी। इस दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के माध्यम से देश में प्रायोगिक ढांचे में सुधार लाने तथा उद्योग में अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पैदा करने के दृष्टिकोण से "प्रौद्योगिक वित्त" उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रहा है।

स्वः विकास तथा स्वः नियोजन प्रयासों के लिए सहायता

3.21 गरीबी तथा बेरोजगारी को मिटाने और देश के बेरोजगार युवाओं में निः सहायता के स्थान पर साधन सम्पन्नता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की एक अन्य योजना है जिसका नाम है, स्वः विकास तथा स्वः नियोजन प्रयासों के लिये सहायता योजना। इस प्रवर्तन योजना के अधीन, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उन द्वारा लगाये जाने वाले सीमान्त धन की राशि तकनीकी सलाहकारी संगठनों/विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से उधार ऋण के रूप में निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

सहायकीकरण में सहायता

3.22 सहायकीकरण को एक ओर आधुनिक बड़े स्तर के उत्पादन में बचत प्राप्त करने तथा दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण परिचालनों और रोजगार उपलब्धता के लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से आंका जाना चाहिए। परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उत्पादन की जाने वाली बहुत सी मदों का इस दृष्टि से मूल्यांकन तथा निरीक्षण करता है ताकि इन परियोजनाओं से सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं के क्षेत्र पर पहले से ही विचार किया जा सके। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निरीक्षण अधिकारी अनुवर्तन निरीक्षणों के दौरान (क) सहायकीकरण के लिए संभावनाओं, यदि कोई सहायक इकाई नहीं है (ख) वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा सहायक इकाइयों के विकास में दिया गया योगदान, यदि कोई है, और (ग) पैतृक-सहायक इकाई का सम्बन्ध और इसके स्तर, जैसे पहलुओं पर भी विचार करते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

की प्रवर्तन योजनाएं सहायकीकरण के लिए उपयुक्त उत्पाद तथा इसके अभिसंस्कार के सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करता है और यदि यह वस्तकार्य तकनीकी सलाहकारी संगठन/विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा किया जाए तो उद्यमी को 100% लागत-शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वस्तकार्य पूरा होने के पश्चात् 75% उप-सहायता की अदायगी तकनीकी सलाहकारी संगठन/विशिष्ट एजेन्सियों को कर दी जाती है और शेष 25% उप-सहायता सहायक इकाइयों द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर लेने तथा पैतृक इकाई के साथ सहायक दर्जा प्राप्त करने में व्यवस्था कर लेने के पश्चात् उपलब्ध करा दी जाती है।

उद्योग रहित जिलों में वित्तपोषित परियोजनाओं पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का प्रभाव

3.23 1984-85 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की उद्योग रहित जिलों की परियोजनाओं को सहायता तीन गुणा से भी अधिक रही। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का उद्योग रहित जिलों/अन्य औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की परियोजनाओं पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इस बात से आंका जा सकता है कि इन परियोजनाओं ने स्थानीय लोगों के आर्थिक कल्याण को पूरा करने के लिए "विकासात्मक जागरूकता" पैदा की है और सामाजिक मूल-स्थापना सुविधाएं संगठित हुई हैं। चूंकि अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की गई अधिकतर परियोजनाएं ग्रामीण और/अथवा अर्ध-ग्रामीण परिवेश में स्थापित की गई हैं, अतः इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। इन परियोजनाओं में प्रत्येक रोजगार तथा अप्रत्यक्ष रोजगार को पैदा करने में भी भारी सहायता मिलती है और इन इलाकों में काफी मात्रा में अति लघु तथा छोटे स्तर की इकाइयों और विभिन्न कारोबार, दुकानों, मरम्मत सेवाओं आदि से सम्बन्धित दुकानें स्थापित हुई हैं।

ऊर्जा संरक्षण और उसके प्रबन्ध उपायों को प्रोत्साहन

3.24 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऊर्जा संरक्षण और इसके औद्योगिक वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा उचित प्रबन्ध की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय निगम ऊर्जा उपभोग पहलुओं, ऊर्जा क्षमता में सुधार करने अथवा ऊर्जा हानि में कटौती करने या नवीकरणीय अथवा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के उपयोग की संभावनाओं पर गहराई से विचार किया जाता है।

3.25 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऊर्जा प्रबन्ध पर न केवल राष्ट्रीय हित के विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करता है अपितु इसे उत्पादन लागत में कटौती करने के साधन के रूप में भी देखता है ताकि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हो सके अथवा कम से कम इसके लाभ का न्यूनतम सीमान्त स्तर बना रहे। इन उपायों का प्रभाव ऊर्जा प्रबन्ध के क्षेत्र में उद्योग में पैदा हुई जागरूकता और "ऊर्जा लेखा परीक्षण" आदि से आंका जा सकता है। वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा साधनों के उपयोग के सम्बन्ध उपस्करों का उत्पादन करने वाली औद्योगिक संस्थाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा रियायती ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

प्रदूषण नियन्त्रण/निवारण उपायों को प्रोत्साहन

3.26 औद्योगिक प्रदूषण का नियन्त्रण करने तथा सुरक्षा उपायों को अपनाने की ओर अधिक ध्यान दिए जाने से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थानिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है और वित्तपोषित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि औद्योगिक बहिःस्राव प्रत्येक राज्य में नियंत्रण निकायों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन नियंत्रण और काबू में रखा जा सके। वित्तपोषण के मामलों में व्यर्थ माल का पुनरुपयोग करने, वातावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण करने वाली परियोजनाओं को उचित महत्व दिया जाता है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का प्रभाव

3.27 यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के आगमन से उद्योग में सहकारी आन्दोलन ने अपनी जड़ें पकड़नी शुरू की। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने भारतीय उद्योग को अपनी 37 वर्षों की सेवा के दौरान 274 सहकारिताओं को कुल 294.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। चूंकि इन सहकारिताओं में से लगभग सभी कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र में हैं अतः उद्योग में सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान कर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कृषि तथा उद्योग और उद्योग व कृषि में सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा है।

3.28 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की इन कृषि आधारित औद्योगिक सहकारिताओं को प्रदान की गई सहायता का उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि यह सहायता देश के सुदूर कोनों में स्थित इकाइयों को पहुंची है और इससे न केवल ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कोई भी उद्योग नहीं था उद्योग स्थापित होने में सहायता मिली है अपितु इसने समग्र ग्रामीण दृश्य को भी परिवर्तित किया है। प्रायः यह होता है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक औद्योगिक सहकारिता के स्थापित होने से वहां पर बेहतर सड़कें, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, पीने के पानी की व्यवस्था, पाठशालाओं और अस्पतालों की स्थापना जैसी सुविधाएं आने के साथ-साथ सहकारिता आन्दोलन में ग्रामीणों का विश्वास दृढ़ होता है और कृषि क्षेत्र की बचत उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने लगती है। सहायक और सहयोगी उद्योग जैसे औद्योगिक अल्कोहल, मिष्ठान्न, इकाइयां, गन्ने की खोई आधारित कागज संयंत्र अथवा मिश्रित और दानेदार उर्वरकों का उत्पादन आदि, भी इनकी छोटी-छोटी शाखाओं के रूप में उभर आये हैं। इसी प्रकार सूत कताई सहकारिताओं ने ग्रामीण और अर्धग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के विकास को आवश्यक अवसर प्रदान किया है। कुछ राज्यों में अधिकतर सहकारिताओं के सफलतापूर्वक चलने के कारण सहकारिता आंदोलन में जन सामान्य का विश्वास जमा है और इससे देश में एक नए उद्यमियों का वर्ग पनपा है। बहुत से अन्य उद्योगों जैसे, पटसन, उवरक, कृत्रिम रेशा, वनस्पति तेल, कोको प्रोसेसिंग, कागज, आदि का वर्षों के दौरान, सहकारी क्षेत्र में प्रसार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है।

प्रवर्तन कार्य

सामान्य समीक्षा

4.01 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भा०औ०वि०नि० के प्रवर्तन कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। देशी टेक्नालाजी के प्रोत्साहन को वर्तमान योजना में सुधार करके, (क) इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा टेक्नालाजी को उन्नत करने के लिए, (ख) ग्रामीण, कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए और लघु क्षेत्र में इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ करके, इसके प्रवर्तन कार्यों में वर्ष के दौरान नए आयाम जोड़े गए।

4.02 निगम ने अपने विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर वर्ष 1984-85 के दौरान 305.49 लाख रुपये प्रयोग किए जब कि 1983-84 में यह राशि 180.28 लाख रुपये थी, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 69.5% की वृद्धि हुई।

4.03 वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से 30 जून, 1985 तक विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर निगम द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा सारणी 15 में दिया गया है।

सारणी 15 : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तन कार्यों के लिए उपयोग की गई राशि :

(लाख रुपये)

सहायता प्राप्त कार्यों की प्रकृति	1984-85 जुलाई-जून राशि रु०	30 जून, 1985 तक संचयी, राशि रु०
(i) प्रवर्तन योजनाएं (उप-सहायता)	59.90	161.72
(ii) उद्योग-रहित जिलों सहित कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण	3.61	6.66
(iii) तकनीकी सलाहकारी सहायता		
—तकनीकी सलाहकारी संगठनों को इक्विटी तथा अन्य सहायता	9.21	52.56
—औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	0.13	0.22
(iv) बीज/जोखिम पूंजी सहायता	190.00	600.85
(v) प्रबन्ध विकास तथा प्रबन्धकीय कौशल का उन्नयन	25.23	462.36
(vi) उद्यमीयता विकास		
उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता	4.66	6.69
—भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान को ओत-सहायता	9.75	37.75
(vii) ग्रामीण विकास कार्यक्रम	—	1.00
(viii) अनुसंधान, अध्ययन, आदि का प्रवर्तन		
—आ०औ०वि०नि० पीठें	2.64	22.68
—विशेष अनुसन्धान अध्ययन, रिपोर्टें, आदि	0.31	9.99
—इंडियन इकनौमिक जर्नल	0.05	0.05
(ix) गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसन्धान एवं सूचना प्रणाली पर सम्मेलन	1.00	1.00
(x) अनुस्थापन कार्यक्रम तथा राज्य-स्तरीय संस्थानों को सहायता	—	4.30
(xi) अन्य*	—	59.36
जोड़	305.49	1,426.99

*परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त।

प्रवर्तन योजनाएं

4.04 वर्ष 1984-85 के प्रारम्भ में निगम की निम्नलिखित सात प्रवर्तन योजनाएं थीं जो कि निगम में अपनी ओर से शुरू की थीं और जो प्रत्येक के साथ दी गई तारीखों से चालू हैं :—

(क) उप-सहायता योजनाएं

—देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए उप-सहायता योजना (30-11-1977)

—बाजार अध्ययन आदि लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना (30-11-1977)

—व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना (1-7-1978)

—सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना (1-9-1978)

—अति लघु तथा लघु स्तर के क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए उप-सहायता योजना (28-6-1982)

(ख) सहायता योजनाएं

—बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए सहायता योजना (28-6-1982)

—इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा टेक्नालॉजी के विकास के लिए सहायता की योजना (1-7-1984)

4.05 व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना का वर्ष के अन्त में नवीकरण किया गया और एक संशोधित योजना पहली अगस्त, 1985 से लागू की गई है। संशोधित रूप में यह योजना केवल ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र में (उन इकाइयों को जिनकी कुल पूंजीगत लागत दस लाख रुपये से अधिक न हो) छोटे उद्यमियों पर ही लागू होगी। उसी तारीख से लघु स्तर औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप-सहायता योजना नामक एक नई योजना वर्तमान प्रवर्तन योजनाओं में सम्मिलित की गई है। इन दो योजनाओं की प्रमुख विशिष्टताएं जैसी कि वह अब हैं, निम्नानुसार हैं :

(क) व्यवहार्यता अध्ययन आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर एवं अति लघु क्षेत्र में छोटे उद्यमियों के लिए उप-सहायता योजना

योजना के अन्तर्गत प्रथम पीढ़ी उद्यमियों द्वारा स्थापित की जा रही ग्रामीण, कुटीर, अति लघु, और लघु क्षेत्र में (उन इकाइयों को जिनकी पूंजीगत कुल लागत, दस लाख रुपये से अधिक न हो) औद्योगिक इकाइयां तकनीकी सलाहकारी संगठन से सस्ती दरों पर व्यवहार्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट, आदि की पात्र हैं; निगम की उप-सहायता राशि तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा लिए जा रहे शुल्क का 90% या 2700/- रुपये, जो भी कम हो, होगी। उप-सहायता की राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले उद्यमियों के मामले में 100% या 3,000 रुपये तक हो सकती है।

(ख) लघु क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप-सहायता योजना

योजना के अन्तर्गत सभी लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां, ग्रामीण, कुटीर एवं अति लघु क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयों सहित, तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध विपणन सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित का समावेश हो सकता है (क) बाजार सूचना, (ख) बाजार कौशल को विकसित करना, (ग) औद्योगिक इकाई के लिए विपणन संगठन की रूप-रेखा बनाना, (घ) किसी अन्य इकाई या एजेंसी के साथ विपणन प्रतिबंध रखने में लघु क्षेत्र औद्योगिक इकाई की सहायता करना, (ङ) उत्पाद सुधार और टेक्नालॉजी उन्नयन पर विचार-विमर्श करना ताकि उत्पाद की

विपणन प्रतिस्पर्धात्मकताओं सुधार किया जा सके, और (घ) दक्ष सेवाएं उपलब्ध करवाना जैसा कि विपणन परामर्शदाताओं से सामान्यतया अपेक्षा की जाती है। योजना के अन्तर्गत तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा अपने हाथ में लिया गया कार्य न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसमें कि लघु क्षेत्र औद्योगिक इकाई को आवश्यकता-आधारित विपणन सहायता उप-लब्धित होगी। तकनीकी सलाहकारी संगठन, पार्टी से अपने शुल्क का 20% कार्य स्वीकार करते समय, इससे अगला 20% उस समय जब यह पार्टी को विपणन कौशल या विपणन संगठन, आदि का खाका उपलब्ध करवाने में समर्थ हो, इससे अगला 40% उस समय जब तकनीकी सलाहकारी संगठन पार्टी को बाजार सहायता के सम्बन्ध में इसके द्वारा तैयार की गई योजना को कार्यान्वित करने में समर्थ हो, वसूल कर सकता है और इसके शुल्क अन्तिम 20% को, बजाय, पार्टी से, तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा रु० 3500/- की सीमा के अधीन, निगम से उप-सहायता के रूप में प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि सुविधा भोगी पार्टी से एक प्रमाण-पत्र लिया जाए कि तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाई गई विपणन सहायता वास्तव में कार्यान्वित की गई और इससे सुविधा-भोगी पार्टी को अपनी बिक्री राशि को प्रत्यक्ष सुधारने में सहायता मिली है।

निगम कि प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत संवितरित उप-सहायता

4.06 उप-सहायता प्रदान करने वाली निगम की प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में इसके द्वारा संवितरित राशि और 30 जून, 1985 तक संचयी रूप से उप-सहायता संवितरणों की स्थिति नीचे सारणी 16 में दर्शायी गई है। उपरोक्त से यह विदित होगा कि वर्ष के दौरान निगम की प्रवर्तन (उप-सहायता) योजनाओं के अन्तर्गत 58.90 लाख रुपये की उप-सहायता प्राप्त कर 953 परियोजनाएं लाभान्वित हुई जब कि 1983-84 में 638 परियोजनाओं को 40.45 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, जिससे कि 45.6 की वृद्धि परिलक्षित होती है।

सारणी 16 : भा०औ०वि०नि० की प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत संवितरित की गई उप-सहायता

(लाख रुपये)

प्रवर्तन (उप-सहायता) योजनाएं	1984-85 (जुलाई-जून)		30 जून, 1985 तक संचयी	
	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित की गई राशि
1	2	3	4	5
—देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए उप-सहायता योजना	1	18.58	3	42.95
—बाजार अध्ययन, आदि की लागत पूरी करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना	1	0.15	6	0.87
—व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत पूरी करने के लिए लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना	892	37.29	2,969	104.92
—सहायक और लघु उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना	7	0.83	97	10.50
—अति लघु और लघु उद्योगों की रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए उप-सहायता योजना	52	2.05	61	2.48
जोड़	953	58.90	3,136	161.72

निगम कि प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर की गई सहायता

4.07 जैसा कि अनुच्छेद 4.04 में उल्लिखित है, निगम की दो प्रवर्तन योजनाएं उदार शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करती हैं। यद्यपि बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास एवं स्व-नियोजन के लिए सहायता की योजना को, जो कि तकनीकी सलाहकारी संगठनों तथा अन्य निर्दिष्ट एजेन्सियों के माध्यम से चलाई जा रही है, अभी गति प्राप्त होनी थी, इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा टेक्नालॉजी को विकास के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत निगम ने वर्ष के दौरान संश्लिष्ट भारी औषधियों/औषध इन्टरमीडिएट्स अनुसंधान, प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान, स्टीरॉयड्स अनुसंधान और फार्मास्युटिकल फारमुलेशन्स अनुसंधान के क्षेत्रों में प्रयोगशाला से लेकर वाणिज्यिक स्तर तक टेक्नालाजी को विकसित और उन्नत करने के लक्ष्य वाली इसकी अनुसंधान एवं विकास परियोजना के एक भाग के वित्तपोषण के लिए भारी औषधियों, बढ़िया रसायनों और फारमुलेशनों के निर्माण के क्षेत्र में लगी हुई एक कम्पनी को 23.50 लाख रुपये की ऋण सहायता मंजूर की। अनुसंधान में अन्य बातों के साथ-साथ "एन्टी-अल्सर", "एन्टी-इन्फ्लेमेटरी", "एन्टी-एस्थमेटिक", "एन्टी-हाइपरटेन्सिव" और "एन्टी कालिनैर्जिक" औषधों का विकास, नैजल ड्रग डिलिवरी सिस्टमों का विकास और साथ ही एन्डोमोट्रियोसिस, आदि की अभिक्रिया के लिए स्टीरॉयड अनुसंधान सम्मिलित हैं।

उद्योग-रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों के लिए सहायता

4.08 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भा०औ०वि०नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से 30 'उद्योग रहित जिलों', का व्यवस्थित एवं सुनियोजित औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण करने का कार्य हाथ में लिया था। इस संबंध में परियोजना रूप-रेखा के निरूपण के लिए प्रारम्भिक कार्य और साथ ही इन उद्योग-रहित जिलों की "परियोजना विशिष्ट" और "क्षेत्र-विशिष्ट" दोनों अवस्थापना सुविधा आवश्यकता की मात्रा के मूल्यांकन का कार्य तकनीकी सलाहकारी संगठनों को सौंपा गया था। वर्ष के दौरान सभी 30 उद्योग-रहित जिलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट तकनीकी सलाहकारी संगठनों से प्राप्त हो गई, और भा०औ०वि० बैंक, भा०औ०वि०नि० एवं भा०औ०सा०नि०नि० के अधिकारियों की एक जांच समिति द्वारा उनकी परख की गई, जिसके फलस्वरूप 215 करोड़ रुपये के निवेश वाले 24 उद्योग-रहित जिलों के संबंध में 66 परियोजना-रूपरेखाएं वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित की गईं जो कि आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य-स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दी गई थीं।

4.09 उद्यमियों के चयन और साथ ही निर्धारित परियोजना-रूप-रेखाओं के प्रचार करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय विकासात्मक संस्थाओं में निहित है। लेकिन किसी उद्यमी

कि एक बार निश्चित हो जाने पर भा०औ०वि० बैंक, भा०औ०वि०नि० एवं भा०औ०सा०नि०नि० 75% की सीमा तक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने की लागत को इकट्ठे उप-सहायता देने के लिए सहमत हैं बशर्ते कि उद्यमी लागत के 25% को पूरा करे और इस कार्य को कोई तकनीकी सलाहकारी संगठन करे। यदि कोई उद्यमी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी सलाहकारी संगठन से भिन्न किसी अनुमोदित परामर्शदाता से परामर्श लेना चाहता है तो संस्थान तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के तैयार करने की लागत को 50% की सीमा तक उप-सहायता दे सकता है।

4.10 वर्ष की समाप्ति तक निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 14 और "उद्योग-रहित" जिलों के सम्बन्ध में औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण कार्य 5 तकनीकी सलाहकारी संगठनों को सौंपा गया।

तकनीकी सलाहकारी सहायता

(क) तकनीकी सलाहकारी संगठन

4.11 पिछले वर्ष यह रिपोर्ट किया गया था कि जून, 1984 की समाप्ति के समय 16 तकनीकी सलाहकारी संगठन, ग्रामीण, अति लघु, छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों, विशेषकर नए उद्यमियों, सरकारी विभागों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक संवर्धन एवं प्रबन्ध व्यवस्था में लगी हुई अन्य एजेंसियों को व्यापक पैमाने पर सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे थे। वर्ष 1984-85 के दौरान हरियाणा इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड नामक एक अन्य तकनीकी सलाहकारी संगठन, जिसका कि पंजीकृत कार्यालय सोनीपत (हरियाणा) में और शाखा कार्यालय नई दिल्ली में होगा, निगम के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया है, ताकि हरियाणा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उद्यमियों को कम लागत वाली लेकिन गुणवत्ता युक्त सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसको मिलाकर पूरे देश में 17 तकनीकी सलाहकारी संगठनों (भा०औ०वि०ब० के मार्गदर्शन में 8 भा०औ०वि०नि० के मार्गदर्शन में 5, भा०औ०सा०नि०नि० के मार्गदर्शन में 3 और कर्नाटक सरकार द्वारा प्रायोजित 1) का जाल बिछ गया है।

4.12 निगम ने न केवल अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों को स्थापित करने में हाथ बंटाया है अपितु अपनी बहुत सी प्रवर्तन योजनाओं, (4.04 अनुच्छेद में उल्लिखित), के माध्यम से उनके कारोबार एवं विकास को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छः प्रवर्तन योजनायें तकनीकी सलाहकारी संगठनों की एजंसी के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

4.13 समग्रतः सभी सोलह तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने 1984-85 के दौरान 2,422 दत्त-कार्य किये और संचयी रूप से 30 जून, 1985 तक व्यवहार्यता अध्ययनों, परियोजना रिपोर्टों, परियोजना प्रोफाइलों, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों, पुनर्स्थापन अध्ययनों, मूल्यांकनों एवं अन्य दत्त कार्यों आदि से सम्बन्धित 17,082 दत्त कार्य किए थे जिसका विवरण सारणी 17 में दिया गया है, और जो कि अति लघु, लघु तथा लघु-मध्यम औद्योगिक परियोजनाओं को परामर्श के क्षेत्र में उनके द्वारा उत्पन्न किए जा रहे बढ़ते हुए प्रभाव के प्रमाण हैं।

सारणी 17 : सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दत्तकार्यों की प्रकृति	पूरे किए गए दत्तकार्यों की सं०	
	1984-85 (जुलाई-जून)	प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के प्रारम्भ से 30 जून, 1985 तक
1	2	3
I. निवेश-पूर्व सलाहकारी दत्तकार्य		
—व्यवहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट . .	1,222	6,825
—औद्योगिक सम्भावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	56	338
—बाजार सर्वेक्षण . . .	39	230
—परियोजना रूपरेखा . .	410	5,918
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण अध्ययन .	4	79
—मूल्यांकन . . .	39	854
—अन्य . . .	316	1,258
उप जोड़ (I) . . .	2,086	15,502
II निवेश-पश्चात् सलाहकारी दत्तकार्य		
—निदानात्मक अध्ययन . .	71	566
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन .	62	259
—अन्य . . .	194	737
उप जोड़ (II) . . .	327	1,562
III. टर्नकी दत्तकार्य/क्रियात्मक औद्योगिक काम्पलक्स, आदि . . .	9	18
उप जोड़ (III) . .	9	18
कुल जोड़ (I+II+III) . .	2,422	17,082

4.14 उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में अधिकांश राज्यों में तकनीकी सलाहकारी संगठन उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहे। कुल मिलाकर तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने 30 जून, 1985 तक 312 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए और 9254 उद्यमियों का प्रशिक्षण किया और प्रशिक्षित उद्यमियों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी सहायता की।

4.15 वर्ष के दौरान, निगम के मार्गदर्शन के अधीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों की समग्र कार्यप्रणाली में बहुतर अनुवर्तन और "व्यवस्थागित दृष्टिकोण" के द्वारा उनकी कार्यप्रणाली के गुणात्मक पहलुओं को सुधारने पर निगम का जोर बना रहा।

(घ) औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

4.16 एक संयुक्त प्रयास के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका निकाली थी, जिसका तृतीय संस्करण अक्तूबर, 1984 में प्रकाशित हुआ। निर्देशिका में, जो कि मार्गदर्शक एवं एक संदर्भ मैनुअल का कार्य करती है, 469 तकनीकी तथा गैर-तकनीकी परामर्शदाताओं के विशिष्टीकरण के क्षेत्र सहित पूरे ब्योरे और साथ ही केन्द्रीय/राज्य सरकार/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि से सम्बद्ध अनुसंधान प्रयोगशालाओं के ब्योरे भी दिए गए हैं।

जोखिम पूंजी सहायता के लिए सहायता

4.17 यदि उद्योग के उद्यमीय एवं टेक्नालॉजी आधार को विस्तृत करना है तो "जोखिम पूंजी" एवं "टेक्नालॉजी" का वित्तपोषण दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि प्रमुख महत्ता दिए जाने की आवश्यकता है। 1975 में निगम द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान जिसने कि वित्तपोषण के इस कार्य में एक अनुपम संगठन के रूप में स्वयं पहले ही विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है और जो नई परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रवर्तकों के अंशदान के प्रवर्तकों के नियतांश को 50% को पूरा करने में समर्थ होने के लिए 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक (प्रवर्तकों की संख्या पर निर्भर करते हुए) के बीच ब्याज-मुक्त व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाता है, उस को वर्ष के दौरान निगम द्वारा "टेक्नालॉजी" के वित्तपोषण के लिए गहन योजना बनाने हेतु कहा गया था जिससे कि प्रतिष्ठान परिवर्तित नाम, अर्थात् "जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिक वित्त प्रतिष्ठान" के अधीन वित्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए संस्थानात्मक अवस्थापना सुविधाएं दिलाकर तथा उदार शर्तों पर वित्त प्रदान करके एक और अन्तराल को भर सके। यह आशा की जाती है कि विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा होने पर यह योजना 1986 में लागू हो जायेगी।

4.18 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त अपने वित्तीय वर्ष में और उसके बाद 30 जून, 1985 को समाप्त अवधि के दौरान नीचे सारणी 18 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार मंजूरियां दी और संवितरण किए :

सारणी 18 : जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां और संवितरण

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की जोखिम पूंजी सहायता से सम्बन्धित विवरण	1984 (जनवरी-दिसम्बर)	1985 (जनवरी-जून)	30 जून, 1985 तक संचयी
1	2	3	4
(i) मंजूर की गई परियोजनाएं (संख्या)	22	6	84
(ii) उपर्युक्त (i) से सम्बन्धित उद्यमी (संख्या)	37	8	136
(iii) निवल मंजूरियां (लाख रुपये)	262.49	71.12	787.09
(vi) संवितरण (लाख रुपये)	102.39	78.10	530.07

4.19 वर्ष 1984 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां एवं संवितरण वर्ष 1983 की 93.14 लाख रुपये की मंजूरियों एवं 59.74 लाख रुपये के संवितरणों से क्रमशः 181.8% और 71.4% अधिक थे। वर्ष 1984 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता में पर्याप्त वृद्धि जोखिम पूंजी सहायता योजना के उदारीकरण और जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान सहायता के क्षेत्र और इसके पात्रता माप-दण्ड को विस्तृत बनाये जाने के कारण थी।

4.20 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की जोखिम पूंजी सहायता की उदारीकृत योजना के अन्तर्गत भारत में भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को प्रवर्तित करने वाले और किसी औद्योगिक परियोजना (3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के बीच की लागत वाली) को चलाने का प्रस्ताव करने वाले उद्यमियों की निम्नलिखित श्रेणियां अब जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता की पात्र हैं बशर्ते कि उन्होंने पात्रता के अन्य मापदण्ड पूरे किए हों :

—तकनीकी/व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त उद्यमी या उद्योग या व्यापार में पर्याप्त अनुभव रखने वाले उद्यमी जो मध्यम आकार के उद्योग को पहली बार स्थापित कर रहे हों।

—वे उद्यमी जो कि पहली बार उद्योग के लघु क्षेत्र से मध्यम स्तर क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहते हों।

—वे उद्यमी जो कि पहले से ही मध्यम स्तर क्षेत्र में हैं किन्तु बेहतर व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों का विशाखन या विस्तार करना चाहते हों।

—वे उद्यमी जिनके पास सम्बन्धित औद्योगिक अनुभव हो और जो वित्तीय संस्थान (संस्थानों)/बैंक (बैंकों) द्वारा विधिवत अनुमोदित पुनर्स्थापन/अभिग्रहण की सुनियोजित योजना के अनुसार वर्तमान रुग्ण या बन्द पड़ी इकाइयों का अभिग्रहण करना चाहते हों।

4.21 विशेष मामलों में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान उन परियोजनाओं की, जिनके लिए कि जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा सहायता मूल रूप से मंजूर की गई हो, लागत में अति-व्यय के कारण होने वाले अतिरिक्त प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए वर्तमान लाभ भोगियों को अतिरिक्त ऋणों की मंजूरी पर गुणावगुणों के आधार पर अब विचार कर सकता है। इसी तरह जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान अपने वर्तमान लाभ-भोगियों को अपनी निर्धारित परिसीमा में, अतिरिक्त ऋणों की मंजूरी पर भी विचार कर सकता है ताकि वे उनके द्वारा अभिगृहीत विस्तार/विशाखन योजनाओं की लागत के भाग के वित्तपोषण के लिए उनकी कम्पनियों द्वारा निर्मित अतिरिक्त इक्विटी में अपने "आधिकारिकों" का अभिदान कर सकें।

4.22 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के स्रोत इस समय पूरी तरह से निगम द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। 30 जून, 1985 तक निगम ने जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को 760.00 लाख रुपये की स्रोत सहायता उपलब्ध करवाई थी जिसमें से 590.94 लाख रुपये इसको पहले ही संवितरित किए जा चुके थे।

प्रबन्ध विकास और प्रबन्धकीय दक्षताओं का उन्नयन

4.23 उद्योग में प्रबन्धकीय पुरातनपन उतना ही बुरा है जितना कि संयंत्र और उपस्कर का पुरातनपन। उद्योग में उत्पादकता और औद्योगिक रुग्णता का उपचार प्रबन्धकीय व्यावसायीकरण तथा प्रबन्धकीय दक्षताओं के उन्नयन, आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों आदि को अपनाने पर निर्भर करता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1973 में प्रबन्ध विकास संस्थान का प्रवर्तन किया। यह उद्योग की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। देश तथा विदेशों के विकास वित्तीय संस्थानों की प्रशिक्षण और मानव साधन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रबन्ध विकास

संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें से कुछ कार्यक्रम अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन, एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों का संगठन, आर्थिक विकास संस्थान, आदि, के सहयोग से किये गये।

4.24 अपने लेखाकन वर्ष 1984 के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) ने 78 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिनसे 1,484 भागीदार लाभान्वित हुए। 30 जून, 1985 तक समाप्त हुए अगले छ: महीनों की अवधि के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) ने 47 कार्यक्रम और आयोजित किए, जिनसे 1,128 भागीदार लाभान्वित हुए।

4.25 संचयी रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) ने 30 जून, 1985 तक 629 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 15,795 भागीदार लाभान्वित हुए और इनमें से 518 भागीदार अन्य विकासशील देशों के थे।

उद्यमीयता का विकास

4.26 नए उद्यमियों की बढ़ोत्तरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम; तकनीकी सलाहकारी संगठनों, राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी उद्यमीयता विकास बोर्ड और पूरे देश की अन्य बहुत सी एजेन्सियों द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को अपनी सक्रिय सहायता प्रदान करता रहा है। 1984–85 के दौरान 2,300 संभावी उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु 112 उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 4.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। संचयी रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 122 उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए 6.69 लाख रुपये की सहायता प्रदान की, जिससे लगभग 2,500 उद्यमियों को लाभ प्राप्त हुआ।

4.27 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की उद्यमीयता विकास गतिविधि का अन्य उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसने भोपाल में गैस से प्रभावित पीड़ितों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश कन्सलटेन्सी आर्गनाइजेशन लि० द्वारा आयोजित किए जाने वाले उद्यमीय विकास कार्यक्रमों की समग्र लागत की पूर्ति करना स्वीकार किया है। विशिष्ट लक्ष्य समूह, जैसे महिला उद्यमियों, विज्ञान और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों, ग्रामीण और जनजाति समुदाय आदि से सम्बन्धित उद्यमियों के लिए आयोजित किए जाने वाले उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान

4.28 उद्यमीयता विकास के लिए एक प्रमुख एजेन्सी के तौर पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 1983 के मध्य में स्थापित किए गए भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपने कार्यों में गति प्रदान की, और इसने वर्ष 1984–85 (अप्रैल–मार्च) के दौरान 12 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें से पटना और भुवनेश्वर में दो प्रदर्शन मॉडल कार्यक्रम, गंगटोक (सिक्किम) और इटानगर (अरुणाचलप्रदेश) में दो सामान्य कार्यक्रम, न्यू इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में एक विशेष स्व: रोजगार पाठ्यक्रम, पणजी (गोवा) में वर्तमान उद्यमियों के लिए एक कार्यक्रम, पणजी (गोवा) में आर्थिक विकास निगम और इटानगर (अरुणाचलप्रदेश) में उद्योग निदेशालय के अधिकारियों के लिए दो उत्प्रेरण विस्तार कार्यक्रम, विकासशील राष्ट्रों के भागीदारों के लिए लन्दन (यू०के०) में एक उपलब्धि उत्प्रेरण कार्यक्रम और नई दिल्ली के महिला पोलिटैक्नीक, गोवा की आर्थिक विकास निगम और गोहाटी की उत्तर पूर्वी औद्योगिक एवं तकनीकी सलाहकारी संगठन के विशेष योगदान/सहयोग से तीन विज्ञान और तकनीकी उद्यमीय विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने विभिन्न संस्थानों को प्रशिक्षण में मदद देने तथा उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए ठोस दल कायम करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की। इस गतिविधि के अधीन महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर–पूर्वी खण्ड के तकनीकी सलाहकारी संगठनों; गोवा के आर्थिक विकास निगम, मद्रास के इण्डियन इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, चण्डीगढ़ के टैक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट और गुड़गांव (हरियाणा) के प्रबन्ध विकास संस्थान को लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने "प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम का भी आयोजन किया और स्थानीय विकास एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षणार्थियों/उत्प्रेरकों के विकास को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण पथ-प्रदर्शक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।

4.29 भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने जनवरी, 1985 में अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए उद्यमीय विकास पर एक अन्तरक्षेत्रीय वर्कशाप की मेजबानी भी की जिससे उद्यमीयता गतिविधियों, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों में, उल्लेखनीय रुचि पैदा हुई। इस कार्यशाला के परिणामस्वरूप मारिशस के विकास बैंक ने भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान से लगभग 30 उद्यमियों के लिए एक सप्ताह का उद्यमीय विकास कार्यक्रम आयोजित करने का निवेदन किया जिसका व्यय उक्त बैंक द्वारा उठाया जाएगा। हाल ही में भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान को ई०डी०आई० वाशिंगटन के स्टाफ और विश्व बैंक के अधिकारियों के लिए उद्यमीय विकास के प्रति दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए वाशिंगटन में उद्यमीयता विकास सेमिनारों का आयोजन करने के लिए ई०डी०आई०—वाशिंगटन और विश्व बैंक ने आमन्त्रित किया है।

4.30 संचयी रूप से भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने जुलाई 1983 से जून 1985 तक की अवधि में 20 कार्यक्रमों का आयोजन किया, और जो कार्यक्रम अभी तक वर्तमान एजेन्सियों द्वारा सारे देश में किए गए हैं, उन उद्यमीयता कार्यक्रमों के दस्तावेजीकरण व मूल्यांकन पर राष्ट्रीय अध्ययन के सम्बन्ध में एक अनुसन्धान कार्य भी शुरू किया। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने विस्तृत व्यावहारिक आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमों में 5 सफल उद्यमियों के मामलों पर आधारित, जिन्होंने उन उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया, एक दृश्य–श्रव्य प्रतिकृति तैयार की है। यह प्रतिकृतियां उत्प्रेरक प्रयासों में काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है और राज्य सरकारों, समुदाय तथा संस्थानात्मक सहायता के विकास की दृष्टि से उद्यमीय विकास पाठ्यक्रमों की साख को मजबूत बनाने में काफी सहायक रही हैं।

4.31 बहुत सी अन्य गतिविधियों के साथ–साथ, 1985-86 के दौरान भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान, फोर्ड फाउन्डेशन के साथ मिलकर प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण उद्यमीयता विकास कार्यक्रम को हाथ में लेना चाहता है। इस परियोजना के तीन वर्ष चलने की संभावना है और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आयोजित करने से प्राप्त हुए अनुभव को समुचित रूप से प्रलेखित और मूल्यांकित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इनका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जा सके।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता

4.32 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 5 फरवरी से 15 फरवरी, 1984 तक भारत में आयोजित "ग्रामीण विकास का अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन" के लिए किए गए योगदान का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, ग्रामीण विकास अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन केन्द्र ने ग्रामीण विकास प्रतिपादन के अधीन प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण परिणामों के सम्बन्ध में सूक्ष्म धरातल परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में "ग्रामीण कार्यकर्ताओं की वाणी" श्रृंखला नामक कई प्रकाशन निकाले जिनमें उन पहलुओं को प्रलेखित करने पर विशेष ध्यान दिया गया जिनके द्वारा कार्यकर्ताओं ने सफलता प्राप्त की।

अनुसंधान अध्ययन, आदि का संवर्द्धन

(i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पीठें

4.33 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विगत वर्षों में विकास बैंकिंग, वित्तीय और औद्योगिकीय प्रबन्ध औद्योगिक अर्थशास्त्र, आदि के क्षेत्रों में प्रबन्ध संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, गोहाटी और मद्रास के विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद, प्रत्येक में एक-एक पीठ की स्थापना कर के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसन्धान का संवर्द्धन करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 6 पीठों की स्थापना की है।

4.34 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पीठान्तर्गत बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डा० आर०एम० सबनिस ने 21 जनवरी, 1985 को "वित्तीय संस्थान और भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या" विषय पर बम्बई विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह सभागार में तीसरा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वार्षिक व्याख्यान दिया। व्याख्यान की अध्यक्ष बम्बई विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डा० एम०एस० गोरे ने की।

4.35 बम्बई विश्वविद्यालय की पीठ के तत्वावधान में (क) भारत में मर्चेन्ट बैंकिंग, (ख) विकास बैंकिंग और पिछड़े क्षेत्रों का विकास कुछ अध्ययन-वृत्तान्त और मूल्यांकन और (ग) चीनी उद्योग के विशेष संदर्भ में महाराष्ट्र की सहकारिताओं को प्रदान की गई विकास वित्तीय सहायता का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और (ख) भारत में पट्टा वित्त के क्षेत्रों में अनुसन्धान अध्ययन भी शुरू किए गए हैं।

4.36 भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद की भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पीठ के अधीन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध प्रोफेसर, प्रोफेसर एस०टी० कुच्छल ने वर्ष के दौरान "दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज को मूलधन के रूप में बदलने की वित्तीय जटिलताएं और कुछ लेखांकन प्रणालियां" विषय पर अनुसन्धान अध्ययन पूरा किया। इस विषय पर प्रोफेसर कुच्छल द्वारा चौथा सार्वजनिक व्याख्यान 19 सितम्बर, 1985 को दिए जाने की संभावना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पीठ के अधीन प्रोफेसर कुच्छल ने वर्ष 1985-86 के लिए "उर्वरक उद्योग में नई परियोजनाओं का संवर्द्धन" पर एक अनुसन्धान भी शुरू किया। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पीठ की स्थापना से लेकर इसके तत्वावधान में 21 अनुसन्धान फैलो लाभान्वित हो चुके हैं जिनमें से 16 ने "भारतीय प्रबन्ध संस्थान का फैलो" उपाधियां भी प्राप्त कर ली हैं।

4.37 गोहाटी विश्वविद्यालय में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पीठ प्राध्यापक डा० पी०सी० गोस्वामी ने "उत्तर पूर्वी भारत में विकास बैंकिंग का दायित्व" विषय पर अपना अनुसन्धान अध्ययन पूरा किया। अपने अनुसंधान अध्ययन पर आधारित डा० गोस्वामी ने गोहाटी विश्वविद्यालय में "पिछड़ी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास की समस्याएं-उत्तर पूर्वी भारत में एक अध्ययन" विषय पर अपना पहला भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सार्वजनिक व्याख्यान दिया। व्याख्यान की अध्यक्षता गोहाटी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति (स्थानापन्न) प्रोफेसर जे० मेधी द्वारा की गई।

4.38 दिल्ली विश्वविद्यालय में, इन्टरनेशनल मैनेजमेन्ट इन्स्टीटयूट, जेनेवा के भूतपूर्व प्रोफेसर पीटर एफ० रीथ ने 19 अप्रैल, 1985 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पीठ पर कार्य प्रारम्भ किया। आशा की जाती है कि प्रोफेसर रीथ के भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पीठ पर कार्य प्रारम्भ करने से 1985-86 के दौरान इसकी गतिविधियां तेज हो जाएंगी।

4.39 कलकत्ता विश्वविद्यालय में पीठ से सम्बन्धित सहमति ज्ञापन को वर्ष के दौरान संशोधित किया गया ताकि पीठ के अधीन विशिष्टता का मापदण्ड किसी व्यक्ति के अधीन न बनाकर जैसी कि पहले परिकल्पना की गई थी, "विशिष्ट परियोजना" के अधीन बनाया जा सके। पीठ के अधीन कलकत्ता विश्वविद्यालय ने "पश्चिम बंगाल में हल्के इंजीनियरिंग उद्योग में पूंजी-उत्पादन अनुपात का व्यवहार और इसका रुग्णता पर प्रभाव" है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अनुसन्धान अध्ययन की रूपरेखा का अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इस परियोजना के अगले लगभग 18 महीनों की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

4.40 मद्रास विश्वविद्यालय में यद्यपि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पीठ की स्थापना 1982 में की गई थी परन्तु अभी तक यह खाली पड़ी है। मद्रास विश्वविद्यालय के साथ यह मामला निरन्तर विचाराधीन है।

(ii) विशेष अनुसन्धान अध्ययन, रिपोर्ट आदि

4.41 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पहले से प्रायोजित, भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद द्वारा "रुग्ण औद्योगिक परियोजनाओं में प्रबन्ध परिवर्तन" विषय पर शुरू किया गया अध्ययन कार्य पूरा किया गया। अध्ययन के दौरान प्राप्त हुए निष्कर्षों को अब चालू वर्ष में अन्तर-संस्थानात्मक स्तर पर विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रवर्तन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए साधन

4.42 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रवर्तन गतिविधियों का वित्तपोषण या तो दानव्य आरक्षित निधियां ब्याज अन्तर अन्य निधियों से किया जा रहा है।

4.43 दानव्य आरक्षित निधि की स्थापना 1972-73 में की गई जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लाभों में से 30 जून, 1984 तक 412.00 लाख रुपये की राशि अन्तरित की गई है। 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निधि को 50.00 लाख रुपये की राशि अन्तरित की गई जिसके परिणामस्वरूप जून, 1985 को समाप्ति में इस निधि को अन्तरित कुल राशि 462.00 लाख रुपये हो गई और इसमें से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन उक्त तारीख तक 291.46 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका था।

4.44 ब्याज अन्तर अन्य निधियां, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निगम के साथ हुए ऋण करारों की शर्तों के अधीन क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वाइडरॉफबाऊ से लिए गए ऋणों पर क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वाइडरॉफबाऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य को अदा किए गए ब्याज के अन्तर के कारण भारत सरकार से प्राप्त हुई राशियों की द्योतक हैं। 30 जून, 1984 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को ब्याज अन्तर अन्य निधियों के अधीन ऋणों और अनुदानों के रूप में 1,195.10 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में 110.00 लाख रुपये की राशि और ऋणों के रूप में 90.00 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार ब्याज अन्तर अन्य निधियों में कुल आबंटन 1,395.10 लाख रुपये हो गया जिसमें से निगम की विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों के लिए 1,135.53 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका था।

बोर्ड अन्तरसंस्थानात्मक समन्वय, कार्मिक, आदि

निदेशक बोर्ड की बैठकें

5.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की 12 बैठकें हुई, जिनमें से 8 नई दिल्ली में, एक प्रबन्ध विकास संस्थान (प्र०वि०सं०) गुड़गांव के परिसर में तथा एक-एक बंगलौर, कलकत्ता तथा त्रिवेन्द्रम में हुईं।

निदेशक बोर्ड में परिवर्तन

5.02 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (ड) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने श्री एम०एल० कपूर के स्थान पर

भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली के अपर सचिव, श्री पी० मुरारी को अधिसूचना सं० एफ 7/9/85 बी० ओ०आई०, दिनांक 11 मार्च, 1985 के द्वारा निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

5.03 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (कक) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने डा० जे०सी० संदेसारा, तथा श्री एस०के० दत्ता के स्थान पर क्रमश: डॉ० वी० आर० पंचमुखी, निदेशक, गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के हितार्थ अनुसंधान संस्थान तथा सूचना प्रणाली, नई दिल्ली तथा श्री एन० वघुल, प्रबन्ध परामर्शदाता को क्रमश: 30 नवम्बर, 1984 तथा 1 जुलाई, 1985 से नामित किया।

5.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारियों की 22 अक्तूबर, 1984 को आयोजित 36वीं वार्षिक महासभा में श्री पी०सी० डी० नाम्बियार के स्थान पर अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री ए०एस० पुरी, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (ग) के अन्तर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। इस के अतिरिक्त, दो विशेष महासभाएं 11 जनवरी, 1985 तथा 22 मई, 1985 को आयोजित की गई जिनमें (क) श्री जी०वी० कपाड़िया, जिन्होंने 24 नवम्बर, 1984 को त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर, श्री एस०के० सेठ, प्रबन्ध निदेशक, साधारण बीमा निगम को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(घ) के अधीन निर्वाचित किया तथा, (ख) श्री एस०एल० बालूजा, के स्थान पर, जिन्होंने 30 मार्च, 1985 को त्यागपत्र दे दिया था, अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री जे०एस० वार्ष्णेय, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(ग) के अधीन निर्वाचित किया गया।

5.05 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री एस०एल० कपूर, डा० जे०सी० संदेसारा, श्री एस०के० दत्ता, श्री पी०सी० डी० नाम्बियार, श्री जी०वी० कपाड़िया तथा श्री एस०एल० बालूजा द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान की गई अमूल्य सेवाओं तथा उनके योगदान की अति प्रशंसा करता है।

तकनीकी सलाहकार समितियां

5.06 वर्ष के दौरान भाऔविनि की चीनी, वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, होटल, रसायन प्रक्रिया, तथा समवर्गीय उद्योगों से सम्बन्धित स्थायी सलाहकार समितियों से जब भी विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर राय मांगी गई, उन्होंने अपनी विशेष सलाह दी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रों के सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें भी, विशिष्ट प्रस्तावों पर उनकी विशेष सलाह प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई।

राज्य सलाहकार समितियां

5.07 वर्ष के दौरान, राज्य सलाहकार समितियों की आठ बैठकें, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की राजधानियों में आयोजित की गई। इन बैठकों ने भाऔविनि के राज्य सरकारों के प्राधिकरणों, राज्य-स्तरीय संस्थानों, बैंकों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघों, संयुक्त, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों के प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों, तथा अन्य सम्बद्ध तथा सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह बैठकें भाऔविनि को अपने योगदान और गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने और उनका मूल्यांकन करने में अच्छी सहायक हुई तथा सम्बन्धित राज्यों में उद्योग तथा औद्योगीकरण की समस्याओं और सम्भावनाओं की तत्काल जानकारी भी प्राप्त हुई। भाऔविनि के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों ने राज्य सलाहकार समितियों के पदेन सचिवों की हैसियत से समितियों के सदस्यों के साथ पूरे वर्ष सम्पर्क बनाए रखा।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के संस्थानों के साथ समन्वय

5.08 1984-85 के दौरान, आयोजित अन्तर-संस्थानात्मक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की क्रमश: 12 तथा 21 बैठकों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया। वर्ष की समाप्ति से कुछ पूर्व, रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के पुनर्स्थापन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुन-निर्माण बैंक के तत्वावधान में एक अन्य मंच 'अन्तर-संस्थानात्मक पुन-र्स्थापन बैठक' का भी प्रतिपादन किया गया।

5.09 भाऔविनि ने अन्तर-संस्थानात्मक समूहों, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन तथा अनुवर्तन समितियों, आदि की बैठकों में अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य अधि-कारियों के माध्यम से भाग लेकर राज्य स्तर पर समन्वय बनाए रखा।

अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर भागीदारी

5.10 भाऔविनि ने विदेश के अन्य विकास वित्त संस्थानों, विशेषकर, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) तथा कई संगठनों, जैसे, एशिया तथा प्रशान्त में विकास वित्त संस्थानों की संस्था (ए०डी०एफ०आई०ए०पी०), आर्थिक विकास संस्थान (ई०डी०आई०), अन्तरराष्ट्रीय विकास के लिए जर्मन संस्था, आदि के साथ घनिष्ठ सम्पर्क तथा सम्बन्ध बनाए रखे।

5.11 भाऔविनि के लिये यह गौरव का विषय रहा कि इसके अध्यक्ष श्री डी०एन० डावर को वियना (आस्ट्रिया) में 29 नवम्बर, 1984 को आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार "भारत-सुअवसर स्थल", जिसका प्रायोजन आस्ट्रिअिश लैंडर बैंक, आस्ट्रिया, आस्ट्रिया में स्थित भारतीय दूतावास तथा भारतीय निवेश केन्द्र, फ्रैंकफर्ट द्वारा किया गया था, में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया। श्री डावर ने भागीदारों को 'भारत में औद्योगिक परियोजनाओं तथा विदेशी व्यापार को वित्त-पोषण सहायता' विषय पर व्याख्यान दिया। इस सेमिनार से भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक सहयोग के लिए संभावनाओं तथा भारत में उद्योग की प्रगति और विकास के लिए प्रोत्साहनों के विषय में अत्यधिक जाग-रूकता उत्पन्न हुई।

5.12 भाऔविनि ने "अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली और समस्याएं" विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 17 दिसम्बर से 19 दिसम्बर, 1984 तक आयोजित अन्तरराष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। यह सम्मेलन विकासशील देशों से मुख्यत: तथा सीधे तौर पर सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रित था तथा चर्चा के मुख्य विषय, अन्तरराष्ट्रीय रिजर्व निधि पहल, विशेष आहरण अधिकार सहित समा-योजन तथा वित्त, अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा अन्य रियायती निधियों सहित शासकीय पूंजी प्रवाह, अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग तथा ऋण समस्याएं, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, और विनिमय दर प्रणाली आदि, रहे।

5.13 भाऔविनि के कई वरिष्ठ कार्यपालकों ने यू०के०, अमरीका, बेल्जियम, टोकियो, जर्मन संघीय गणराज्य, आदि का दौरा किया तथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सिक्योरिटी कम्पनियों, आदि के साथ आपसी हित के मामलों, विशेषकर भाऔविनि के विदेशी मुद्रा स्रोतों को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा की। भाऔविनि के एक महाप्रबन्धक ने, न्यूजप्रिंट के निर्माण के लिए स्याही-विलोपन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए यूरोप तथा अमरीका का दौरा किया।

एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का आठवां वार्षिक सम्मेलन

5.14 एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसो-सिएशन का आठवां वार्षिक सम्मेलन 7 मई से 10 मई, 1985 तक

इस्तानबुल (टर्की) में आयोजित किया गया। भाऔविनि ने संस्थापक सदस्य होने के नाते इस सम्मेलन में अध्यक्ष, श्री डी०एन० डावर के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। श्री डी०एन० डावर ने "विकास वित्तीय संस्थानों के वित्तीय परिचालनों में सुधार-भारतीय अनुभव" विषय पर एक लेख भी प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन ने जिसका मुख्य विषय "आर्थिक सामाजिक वातावरण में परिवर्तनों के संचालन के बीच विकास वित्तीय संस्थानों की प्रबन्ध व्यवस्था को मजबूत बनाना था, भागीदार विकास वित्तीय संस्थानों में उल्लेखनीय रुचि उत्पन्न की, तथा उन्हें आपस में अनुभव बांटने का अवसर प्रदान किया।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान

5.15 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 18 दिसम्बर, 1984 को अपना चौथा रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान आयोजित किया, जो प्रो० इसाम मियाजाकी, अध्यक्ष, डायवा सिक्योरिटीस रिसर्च इन्स्टीटयूट, कियो। द्वारा "सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र में सम्बन्ध-जापानी अनुभव" विषय पर दिया गया। व्याख्यान की अध्यक्षता श्री पी०के० कौल, तत्कालीन सचिव (बैंकिंग), तथा अब, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा की गई। व्याख्यान का मूलभूत विषय, जापान को युद्ध उपरान्त दबाव से उच्च आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने वाला कौशल था। इसमें उस पद्धति का क्रमिक रूप से संजीव विवरण दिया गया जो जापान सरकार ने डिजाइन तथा नीति के सम्बन्ध में अपनाई थी तथा जो परिवर्तनशील वातावरण की कसौटी पर खरी उतरी। व्याख्यान में 'गतिशील तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त की परिकल्पना का भी सजीव विवरण दिया गया जो जापान ने 'स्थिर तुलनात्मक लाभ संकल्पना' की तुलना में अपनाई, जिसने जापान को विश्व के अन्य उन्नत देशों के समकक्ष पहुंचाने में मदद की।

संगठनात्मक विकास

5.16 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के उच्च प्रबन्धकीय ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष के दौरान, केवल भाऔविनि के वर्तमान पुणे कार्यालय को पहली जुलाई, 1985 से एक पूर्ण शाखा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय कार्यान्वित हो गया है तथा अब भाऔविनि के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त 8 क्षेत्रीय कार्यालय, यथा, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, कानपुर चण्डीगढ़, हैदराबाद तथा गुवाहाटी में तथा 8 शाखा कार्यालय, यथा, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोचीन, जयपुर, पटना, अहमदाबाद तथा पुणे में हैं।

5.17 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने अपने कारोबार की बढ़ती हुई मात्रा तथा उसकी जटिलताओं तथा अन्य विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने संगठनात्मक ढांचे/संरचना की समीक्षा के लिए एक अध्ययन करवाने का निश्चय किया। यह अध्ययन कार्य, श्री आर०पी० गोयल, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कर रहे हैं।

मानवीय साधन और विकास

5.18 जून, 1985 की समाप्ति के समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में (इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों सहित) 1064 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें 151 कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के थे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, आदि की भर्ती अथवा पदोन्नति करते समय मापदंडों में ढील प्रदान करने की नीति अपनाए रखी।

5.19 मानवीय साधनों के विकास की महत्ता को ध्यान में रखकर भाऔविनि ने वर्ष के दौरान अपने कार्मिकों के विकास तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की ओर उल्लेखनीय ध्यान दिया। भाऔविनि के प्रशिक्षण कक्ष ने 1984-85 में, पिछले वर्ष के 28 की तुलना में 37 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे 661 स्टाफ सदस्य, 97 वरिष्ठ अधिकारी, 269 कनिष्ठ अधिकारी, 273 कर्मकार स्टाफ तथा 22 अधीनस्थ स्टाफ कैडर के सदस्य लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य स्टाफ के सदस्यों की व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाना तथा उनमें सही एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था।

5.20 भाऔविनि विभिन्न व्यावसायिक निकायों द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सुविधाओं का भी लाभ उठाता रहा। वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने देश में व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित 28 कार्यक्रमों में 31 स्टाफ सदस्यों और प्रबन्ध विकास संस्थान तथा विकास बैंकिंग केन्द्र द्वारा आयोजित 15 कार्यक्रमों में 26 स्टाफ-सदस्यों को भेजा। भाऔविनि के दो अधिकारी अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए लंदन (यू०के०) में भी भेजे गए।

5.21 प्रबन्ध विकास संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र ने भाऔविनि के स्टाफ के लिए, दो विशेष इन-कम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के सदस्यों सहित, 58 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

5.22 वर्ष के दौरान, गहन इन-हाउस तथा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा 'स्टाफ सुझाव योजना' के अन्तर्गत स्टाफ द्वारा दिए गए सुझावों पर, संगठन की समग्र उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पूर्ण विचार-विमर्श करने के उपरान्त, पहले की भांति ही स्टाफ के उन सदस्यों को नकद पुरस्कार/शंसा पत्र दिए गए जिनके सुझावों को सुझाव योजना समिति द्वारा सर्वोत्तम समझा गया।

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा

5.23 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने अपनी कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक उद्देश्यपरक आवश्यकता आधारित तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए उस की समीक्षा की। समीक्षा के आधार पर अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ के विभिन्न कैडरों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए नए प्रपत्रों को निर्धारित किया गया। नई प्रणाली में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए 'स्व-मूल्यांकन' तथा मूल्यांकन कर्मचारी की प्रशिक्षण व विकास आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया है। कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पद तथा कार्य-दायित्वों के सम्बन्ध में नई विशेषताओं का अभिनिर्धारण किया गया।

इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग कक्ष का सृजन

5.24 भाऔविनि ने वर्ष के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में भाऔविनि के परिचालनों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कक्ष की स्थापना की। भाऔविनि में कंप्यूटर आधारित प्रणालियों से सम्बन्धित व्यवहार्यता रिपोर्ट मैसर्स ए०एफ० फर्गसन एंड कम्पनी द्वारा तैयार की गई। व्यवहार्यता रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को ध्यान में रख कर तथा स्वयं मूल्यांकन करने के बाद भाऔविनि ने वर्ष के दौरान अत्याधुनिक आई०सी०आई०एम० 6040 कम्प्यूटर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया।

5.25 भाऔविनि के प्रधान कार्यालय में कम्प्यूटर-आधारित प्रणालियों के लिए प्रस्तावित, परिचालनों के विभिन्न क्षेत्र हैं: वित्तीय लेखांकन, विदेशी मुद्रा ऋण लेखांकन कंप्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए परिचालन सांख्यिकी डाटा बेस, परियोजना मूल्यांकन के लिए वित्तीय डाटा विश्लेषण, वेतन रोल तथा स्थापना लेखांकन, तथा कार्मिक व प्रशासनिक रिकार्ड। प्रारम्भ से ही, भाऔविनि के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का रुपया ऋण लेखांकन, वित्तीय लेखांकन वेतन रोल तथा स्थापना लेखांकन भी साथ-साथ कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा होगा। भाऔविनि के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को भी प्रधान कार्यालय की मुख्य कम्प्यूटर प्रणाली के साथ क्रमिक रूप में जोड़ने का प्रस्ताव है।

नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध

5.26 सम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध सौहार्द और सद्भाव पूर्ण बने रहे।

5.27 इम्पलाइज एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के सम्बन्ध में की गई बातचीत के परिणामस्वरूप 30 मई, 1985 को प्रबन्धकवर्ग तथा इम्पलाइज एसोसिएशन के बीच, सरकार द्वारा प्रदत्त मंजूरी के अनुरूप, लिपिकीय तथा अधीनस्थ स्टाफ के वेतनमानों तथा भत्तों, आदि के संशोधन से सम्बन्धित समझौता-ज्ञापन निष्पादित किया गया। इस समझौता ज्ञापन से 700 से अधिक कर्मकार कर्मचारी लाभान्वित हुए।

कार्य समय

5.28 केन्द्रीय सरकार की नीति से सामंजस्य रखते हुए भाओविनि ने 3 जून, 1985 से अपने सभी कार्यालयों में शनिवार अवकाश सहित, प्रति सप्ताह पांच दिन का कार्यसमय, निर्धारित किया।

कर्मचारी कल्याण

5.29 सभी कर्मचारियों के लिए "सामाजिक "सुरक्षा" "आवास" तथा "चिकित्सा परिचर्या", भाओविनि की कल्याण गतिविधियों के आधारभूत लक्ष्य रहे। भाओविनि के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा तथा सामूहिक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजनाओं को लागू करना जारी रखा गया ताकि उन व्यक्तियों के परिवारों, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो जाये तथा किसी चोट/दुर्घटना, आदि के कारण विकलांग हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की जा सके। स्टाफ को अधिकतम आवास सुविधाएं, स्टाफ कालोनियों/रिजिडेंशियल हाउसिंग काम्पलेक्स, बिल्डी/पट्टे के आधार पर प्लैटों के अधिग्रहण तथा पहले से अधिग्रहीत भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण द्वारा, प्रदान करना जारी रखा गया।

5.30 प्रधान कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में नियुक्त 'अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों' ने, वर्तमान स्टाफ सदस्यों तथा उनके आश्रितों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नियों को भी, निर्धारित समय के दौरान चिकित्सा परिचर्या प्रदान करनी जारी रखी।

5.31 स्टाफ कल्याण निधि से तथा भाओविनि स्टाफ कल्याण विनियमों के अनुसार स्टाफ सदस्यों को स्व-विकास हेतु तथा अपने, आश्रित पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह, और टिकाऊ घरेलू सामान खरीदने, आदि के लिए ऋण दिए गए। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने, खेल और मनोरंजन क्लबों को अनुदान देने तथा शिमला, श्रीनगर, पुरी, ऊटी, गोआ, बंगलौर तथा दार्जिलिंग में स्थित सात अवकाशगृहों तथा भाओविनि स्टाफ कालोनी पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित शिशु-गृह के रख-रखाव पर 2.94 लाख रुपये का व्यय किया गया।

5.32 भाओविनि ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता, प्रारम्भिक रूप में क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में तथा अन्तिम रूप में राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए व्यक्तियों/टीमों के बीच, करवाने का निर्णय लिया है।

जन सम्पर्क

5.33 भाओविनि के प्रधान कार्यालय स्थित जन सम्पर्क विभाग ने वर्ष के दौरान, भाओविनि के कार्य निष्पादन, विभिन्न स्थानों पर इसकी सलाहकार समितियों की बैठकों, बांड निर्गम तथा विदेशी मुद्रा जुटाने, आदि से सम्बन्धित 21 प्रेस सूचनाएं जारी की। इसने आन्तरिक परिचालन के लिए प्रतिमास 'इकनामिक एंड फाइनैंशियल न्यूज डाइजेस्ट' निकालना भी जारी रखा तथा वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अनेक प्रकाशन निकालने में सहायक रहा।

चीनी सहकारिताओं का सम्मेलन

5.34 जन सम्पर्क विभाग ने भाओविनि के बंगलौर शाखा कार्यालय के सक्रिय सहयोग से भाओविनि वित्तपोषित चीनी सहकारिताओं का दो दिवसीय सम्मेलन 27 तथा 28 अप्रैल, 1985 को बंगलौर में आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री जनार्दन पुजारी द्वारा किया गया जिन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में, सहकारी चीनी उद्योग क्षेत्र में प्रबन्धकीय कौशल के उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि चीनी उद्योग में बढ़ती हुई स्पर्धा का सामना किया जा सके। सम्मेलन में समापन भाषण माननीय कृषि मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री एम०पी०प्रकाश द्वारा दिया गया जिसमें उन्होंने भागीदारों को याद दिलाया कि "चीनी फैक्टरियों के बजाय खेतों में उगती है"। उनके अनुसार चीनी सहकारिताओं को एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य भूमिका अदा करनी है बशर्ते कि उनका प्रबन्ध सही तथा स्वस्थ दिशा में हो।

5.35 सम्मेलन में आधारभूत भाषण श्री एस०एन० गुंडुराव, भूतपूर्व निदेशक तथा सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान द्वारा दिया गया। श्री एस०एन० गुंडुराव ने चीनी से सम्बन्धित सभी मामलों के विषय में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दिया तथा चीनी उद्योग के लिए दीर्घावधि नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया। सम्मेलन के मुख्य विषय थे—गन्ना विकास क्षमता, गन्ना प्रबन्ध, उत्पादकता सुधार ऊर्जा संरक्षण उपाय और चीनी उप-उत्पाद आधारित उद्योग-काम्पलेक्सों की स्थापना की वांछनीयता। आम सहमति थी कि चीनी उद्योग को युगान्तरकारी परिवर्तनों के लिए तैयार होना है, क्योंकि बीसवीं शताब्दी की समाप्ति तक चीनी उद्योग के उप-उत्पादों, अर्थात् शीरा और खोई तथा इनके अनुप्रवाह उत्पाद, जैसे इथानोल, रसायन, कागज, आदि, चीनी उद्योग में लाभ के प्रमुख संघटक होंगे। उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्रबन्ध के उपयुक्त व्यावसायीकरण तथा प्रबन्ध संस्कार के आधुनिकीकरण पर उल्लेखनीय बल दिया गया ताकि नई चुनौतियों को देखते हुए, जिनके लिए सर्वथा भिन्न अवबोधनों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता है, प्रबन्ध कौशलों को प्राप्त किया जा सके। इस सम्मेलन का मूल तत्व यह रहा कि यदि उद्योग स्थायी गन्ना विकास कार्यक्रमों तथा पूर्णतया वचनबद्ध और अभिप्रेरित व्यावसायिक प्रबन्ध के द्वारा क्षमता उपयोग का सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे तो भारत विश्व में एकमात्र सर्वाधिक चीनी निर्माता देश की, अपनी अद्वितीय विशेषता को बनाए रख सकता है।

भाओविनि के प्रकाशन

5.36 वर्ष के दौरान, भाओविनि ने उद्यमियों तथा जनसामान्य के लाभ के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले :

—सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए मार्ग निर्देश

—भारत में उद्योगों में निवेश-आवासी तथा प्रवासी भारतीय उद्यमियों के लिए मार्ग-निर्देश

—भाओविनि की प्रवर्तन योजनाएं

—विदेशी मुद्रा ऋण-आवेदकों के लिए निर्देशिका

—उपस्कर वित्त योजना

—आधुनिकीकरण सहायता योजना

—पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास सहायता योजना

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान

5.37 वर्ष के दौरान, भाओविनि ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में एक लाख रुपए का योगदान उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दिया जो देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की दुःखद हत्या के बाद फैली गड़बड़ी से बेघर तथा निराश्रित हो गए थे।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

5.38 शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सरकारी नीति के अनुसरण में, वर्ष के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयत्न जारी रखे गए।

5.39 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की शर्तों के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने भाऔविनि में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित प्रगति की जांच के लिए वर्ष के दौरान भाऔविनि के प्रधान कार्यालय का दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 को, निरीक्षण किया। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, भाऔविनि ने शासकीय कार्य में हिन्दी के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है तथा भाऔविनि के सभी कार्यालयों में आवश्यक हिन्दी स्टाफ तथा हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किए हैं। हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित सरकारी अनुदेशों का संकलन कर एक निर्देशिका तैयार की गई है जो जून, 1985 की स्थिति के अनुसार मुद्रणाधीन थी। लेखा नियमावली तथा दो ऋण करारों के प्रपत्रों का अनुवाद कर लिया गया है तथा अन्य दस्तावेजों का अनुवाद किया जा रहा है।

5.40 भाऔविनि में हिन्दी के प्रयोग को देखने तथा उसकी प्रगति के लिए उपायों के सुझाव देने के लिए, प्रधान कार्यालय सहित निगम के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में 16 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं। भाऔविनि द्वारा अपनाई गई भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। 1984-85 में भाऔविनि के कर्मचारियों की सहायता के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

5.41 कर्मचारियों में साहित्यिक रुचि का विकास करने तथा उनके हिन्दी ज्ञान के विस्तार के लिए, वर्ष के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय बजट का एक भाग केवल हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित कर दिया जाए। प्रधान कार्यालय के पुस्तकालय में पहले ही शब्दकोष, पारिभाषिक शब्द संग्रह तथा पर्याप्त संख्या में हिन्दी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

आभार-प्रदर्शन

5.42 निदेशक बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य स्तर के वित्तीय और विकास संस्थानों से प्राप्त हुई सहायता, सहयोग और सदभाव के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

5.43 निदेशक बोर्ड, तकनीकी सलाहकारी संगठनों, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान तथा प्रबन्ध विकास संस्थान के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालकों द्वारा अपने-अपने संगठनों की गतिविधियों और भूमिका को बढ़ाने के लिए उन के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना करता है।

5.44 बोर्ड भाऔविनि की क्षेत्रीय/आंचलिक/राज्य सलाहकार समितियों तथा तकनीकी सलाहकारी/तदर्थ समितियों के सदस्यों का, समय समय पर उनके अमूल्य सहयोग और सलाह के लिए आभारी है तथा उनका धन्यवाद करता है। निदेशक बोर्ड, विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं के बोर्ड में भाऔविनि की ओर से नामित गैर-शासकीय सदस्यों का भी आभारी है।

5.45 निदेशक बोर्ड, विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग, विशेष रूप से क्रेडितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ, जर्मन संघीय गणराज्य के प्रबन्धकवर्ग, यू०के० सरकार के समुद्र पार विकास मंत्रालय और स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, स्वीडन और विदेशों में समवर्गी बैंकों आदि से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है।

5.46 अन्त में, निदेशक बोर्ड, निगम के सभी स्तर पर, समस्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए उनकी भी अत्यधिक सराहना करता है।

निदेशक बोर्ड की ओर से
डी०एन० डावर, अध्यक्ष

परिशिष्ट I

ब्याज दर, वचनबद्धता प्रभार, हामीदारी कमीशन, आदि की अनुसूची

	ब्याज की दर 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार (%वार्षिक)
1. ब्याज की दर	
रुपया ऋण	
1. मूल उधार दर	14.0
2. निम्नलिखित के लिए रियायती दरें—	
(क) निर्धारित सीमाओं तक अधिसूचित कम विकसित क्षेत्रों की इकाइयां	12.5*
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण तथा स्थापित करने हेतु	12.5
(ग) उदार ऋण योजना के अधीन आधुनिकीकरण के लिए 4.00 करोड़ रुपये तक मंजूर की गई सहायता	11.5**
विदेशी मुद्रा ऋण	
(क) के० एफ० डब्ल्यू० ऋण के अन्तर्गत	14.0
(ख) यूरो-मुद्रा बाजार से उधार के अन्तर्गत	लंदन-इंटर बैंक की छमाही विक्रय दर से 2% अधिक
(ग) जापानी येन के उधार के अन्तर्गत	10.0

*केवल नई इकाइयों पर लागू और उनकी वर्तमान इकाइयों की विस्तार/विशाखन योजनाओं पर लागू नहीं।

**वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों में 4 करोड़ रुपये तक या प्रत्येक मामले के आधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार उस उच्च राशि पर रियायती ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष होगी।

ब्याज की दर (जारी)

टिप्पणियां—कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को पहली अप्रैल, 1983 से ब्याज की रियायती दर पर रुपया ऋण (आस्थगित भुगतान गारंटियां सहित) और हामीदारी सहायता की सीमा के अनुसार है:—

(रुपये करोड़ों में)

	रुपया ऋण सहायता	हामीदारी सहायता
श्रेणी 'क' जिले .	5.00	2.50
श्रेणी 'ख' जिले . .	3.00	1.50
श्रेणी 'ग' जिले . .	2.00	1.00

—अग्रणी संस्थान द्वारा प्रथम संवितरण की तारीख से 365 दिन की समाप्ति के पश्चात ठोस प्रतिभूति दिए जाने तक मंजूर किए गए पूरक/अन्तरिम ऋण के लिए 1% प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज लगेगा (जिससे लागू ब्याज दर 1% अधिक हो जायेगा)। यह दर पहली अप्रैल, 1983 से लागू है।

—इकाई को निर्यात के आधार पर, जैसा कि मूल्यांकन के समय निर्दिष्ट किया जाता है वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को 4 करोड़ रुपये तक के रुपया ऋण पर ब्याज दर में 1.5 प्रतिवर्ष की छूट अनुमत्य है ।

—जो रुपया ऋण 5 वर्षों में प्रतिदेय है (प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित और जिस पर संपरिवर्तनीय धारा लागू नहीं होती), उन पर लागू ब्याज दर से 1% प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है ।

—श्रेणी 'क' जिलों की उन परियोजनाओं के लिए जिनकी लागत 50 करोड़ रुपये तक है, नई परियोजनाओं के लिए परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के विकास के लिए दी गई सहायता, परियोजना लागत की 20% तक सीमित है जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है और उस पर निर्माण अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं लगता । परियोजना के पूर्ण होने की तारीख से, जैसा कि परियोजना के मूल्यांकन के समय तय हुआ था रियायती दर पर ब्याज लगेगा ।

टिप्पणियां :—अतिरिक्त 1% वार्षिक की दर से रुपया ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज की उधार दर, गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में प्रथम संवितरण की तारीख (वर्तमान परियोजनाओं के सम्बन्ध में) और मूल्यांकन के समय परिकल्पित अनुसार (नई परियोजनाओं के मामले में) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से लिया जाता है । इसके अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये और इससे अधिक की सहायता प्राप्त करने वाली गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में कम्पनियों को सहायता की मंजूरी की तारीख या इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि जिसकी कि अनुमति दी जाए की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने शेयरों को सूचीबद्ध कराना पड़ता है और जिस तारीख का शेयर सूचीबद्ध हो जाते हैं उससे यह 1% वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज लगना बन्द हो जाता है । यह शर्त विदेशी मुद्रा ऋणों और सम्बन्धित ऋणी की सहायक तथा सहयोगी कम्पनियों पर लागू नहीं होती ।

—होटल उद्योग के लिए प्रत्येक परियोजना को 75 लाख तक के रुपया ऋण पर लागू ब्याज दर से 1% वार्षिक की कटौती कर दी जाती है परन्तु यह 1% की ब्याज अन्तर तभी तक मिलता है जब तक इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और लाभ-भोगी संस्था द्वारा किसी प्रकार की चूक नहीं की जाती ।

II हामीदारी कमीशन

	हामीदारों के जिम्मे पड़ी राशि पर	जनता द्वारा अभिदत्त राशि पर
(i) इक्विटी शेयर	2.5%	2.5%
(ii) अधिमान शेयर/संपरिवर्तनीय और गैर-संपरिवर्तनीय डिबेन्चर		
(क) 5 लाख रुपये तक की राशि	2.5%	1.5%
(ख) 5 लाख रुपये से अधिक की राशि	2%	1%

टिप्पणी :— हामीदारी कमीशन की उपर्युक्त दरों में निर्धारित सीमाधारीकरण के अनुसार अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं के सम्बन्ध में, चाहे परियोजना लागत कुछ भी हो, 50% की कटौती कर दी जाती है ।

III वचनबद्धता प्रभार

	सामान्य दर	ऋण के रियायती भाग के लिए दर
(1) रुपया ऋण		
(क) आशय पत्र जारी होने के 180 दिन तक या ऋण करार निष्पादन होने तक, जो भी पहले हो ।	शून्य	शून्य
(ख) उसके पश्चात 365 दिनों तक . .	1% प्रतिवर्ष	1/2% प्रतिवर्ष
(ग) उक्त 365 दिनों की समाप्ति पर .	1/2% प्रतिवर्ष	1/4% प्रतिवर्ष
(2) विदेशी मुद्रा उप-ऋण	1% प्रतिवर्ष*	लागू नहीं होता

*आशय-पत्र के जारी होने की तारीख से

टिप्पणी : श्रेणी 'क' जिलों में 50.00 करोड़ रुपये तक लागत से लगाई गई परियोजनाओं को प्रदान किए गए रुपया ऋणों पर कोई वचनबद्धता प्रभार नहीं लगता ।

IV प्रक्रिया शुल्क

जिन मामलों में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अग्रणी है और सलाहकार समिति में विचार करना आवश्यक समझा जाए, उन मामलों में आवेदक संस्था से स्थल मूल्यांकन के सम्बन्ध में, यात्रा की केवल वास्तविक लागत और प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति की बैठक बुलाने के लिए यथानुपात लागत वसूल की जाती है । ऐसे मामलों में, आवेदक को 5,000 रुपये समायोज्य राशि के रूप में जमा करने के लिए सूचित किया जाता है ताकि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर राशि कम होने पर उसकी वसूली की जा सके और अधिक होने पर लौटाई जा सके ।

V विधि प्रभार शून्य

वास्तविक फुटकर खर्च, यदि कोई हो, और बाह्य सालिसिटरों/एडवोकेटों, इत्यादि को देय प्रभार/व्यय, ऋणी को वहन करने होते हैं ।

VI गारन्टी कमीशन

(i) आस्थगित भुगतान गारन्टियां

(क) सामान्य	1% वार्षिक
(ख) कम विकसित जिले/क्षेत्र	0.75% वार्षिक
(ii) विदेशी ऋणों के लिए गारन्टियां	1% वार्षिक

परिशिष्ट 11

1984-85 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1984-85 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की विस्थापित संस्थाओं के सम्बन्ध में		
			विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1984-85 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1984-85 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चीनी	लाख टन	72.29 (356)	61.59	85.2	23.26 (113)	20.47	88.0
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)	--	24.28 मिलियन तकुए (920)*	1382.5 मिलियन कि० ग्रा०	--	7.03 मिलियन तकुए (178)**	409.31 मिलियन कि० ग्रा०	--
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	--	2.10 लाख खड्डियां	3432.2 मिलियन मीटर	--	0.70 लाख खड्डियां	1441.38 मिलियन मीटर	--
4.	पटसन वस्त्र	लाख टन	15.73 (69)	11.37	72.3	3.11 (12)	2.23	71.7
5.	कागज और कागज गत्ता	लाख टन	21.65 (252)	13.61	62.9	6.36 (45)	4.50	70.8
6.	सीमेन्ट	मिलियन टन	43.00 (102)	30.10	70.0	24.76 (67)	20.51	82.8
7.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	55.60 (36)	39.17	70.4	23.33 (12)	21.39	91.7
8.	फास्फेटिक उर्वरक	लाख टन	16.16 (16)	12.64	78.2	6.13 (10)	7.06	115.2
9.	बी०एच०सी० (टेक०)	हजार टन	41.90 (7)	29.00	69.2	7.80 (2)	5.50	70.5
10.	कास्टिक सोडा	लाख टन	9.66 (38)	6.88	71.2	5.07 (10)	2.90	57.2
11.	सोडा ऐश	लाख टन	10.05 (6)	8.17	81.3	1.54 (4)	1.19	77.3
12.	कैल्शियम कार्बाइड	लाख टन	1.70 (7)	0.92	54.1	0.48 (2)	0.25	52.1
13.	एसिटिक एसिड	लाख टन	0.81 (19)	0.40	49.4	0.15 (3)	0.08	53.3
14.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.54 (7)	0.93	60.4	0.87 (3)	0.51	58.6
15.	तरल क्लोरीन	लाख टन	5.36 (29)	3.05	56.9	1.68 (8)	0.91	54.2

*281 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं

**81 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	विस्कोस फिलामेन्ट यार्न	हजार टन	43.00 (8)	33.10	76.9	4.50 (1)	4.45	98.9
17	नायलन फिलामेन्ट यार्न	हजार टन	32.00 (9)	33.00	103.1	15.29 (3)	15.13	99.0
18.	नायलन टायर कोर्ड	हजार टन	25.00 (उपलब्ध नहीं)	19.80	79.2	13.34 (3)	15.63	117.2
19.	पॉलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न	हजार टन	42.00 (10)	55.60	132.4	8.15 (3)	10.75	131.9
20	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	45.00 (5)	39.60	88.0	25.37 (4)	16.81	66.3
21.	बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	93.30 (6)	69.98	75.0	26.72 (3)	21.08	78.9
22.	स्टील इंगोट्स (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	117.07 (6)	81.95	70.0	33.46 (3)	25.08	75.0
23.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेट्स (मिनी स्टील संयंत्र)	लाख टन	29.40 (150)	18.76	63.8	4.17 (13)	3.25	77.9
24.	स्टील गढ़ाई	हजार टन	312.00 (83)	156.00	50.0	35.40 (3)	21.95	62.0
25.	स्टील ढलाई	हजार टन	196.00 (78)	100.00	51.0	12.03 (4)	7.09	58.9
26.	एस०जी० लौह ढलाई	हजार टन	16.00 (22)	12.00	75.0	16.00 (4)	9.88	61.8
27.	पिटवां लौह ढलाई	हजार टन	48.00 (22)	31.00	64.6	7.00 (2)	3.73	53.3
28.	अप्रतीयमान पाइप व ट्यूबें	हजार टन	134.00 (4)	49.00	36.5	67.00 (2)	36.50	54.5
29.	अल्युमिनियम	हजार टन	362.00 (4)	276.50	76.4	142.00 (2)	67.00	47.2
30.	जिंक	हजार टन	96.00 (2)	57.60	60.0	14.00 (1)	6.70	47.9
31.	आटो टायर	लाख संख्या	136.45 (20)	100.00	73.3	70.76 (7)	45.13	63.8
32.	आटो ट्यूबें	लाख संख्या	147.45 (21)	87.00	59.0	73.81 (7)	36.71	49.7
33.	मोटर साइकिलें	हजार संख्या	196.00 (5)	181.90	92.8	142.00 (2)	168.00	118.3
34.	स्कूटर	हजार संख्या	404.00 (9)	322.20	79.8	270.00 (6)	207.39	76.8
35.	मोपेड	हजार संख्या	617.00 (11)	413.90	67.1	140.00 (3)	22.11	15.8
36.	पैसेन्जर कारें	हजार संख्या	79.40 (5)	64.00	80.6	48.00 (2)	42.15	87.
37.	वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	116.64 (8)	96.80	83.0	63.00 (3)	60.31	95.7
38.	ट्रैक्टर (कृषि)	हजार संख्या	102.00 (17)	85.00	83.3	40.85 (5)	34.63	84.7
39.	पावर टिलर	हजार संख्या	16.00 (5)	3.80	23.8	8.00 (2)	3.72	46.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	रबर गर्भरोधक	मिलियन संख्या	713.00 (3)	524 00	73.5	200.00 (1)	83.78	41.9
41.	पुनर्प्रयोग की गई रबर	हजार टन	34.00 (11)	25.00	73.5	4.80 (2)	4.70	97.9
42.	खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	78.32 (34)	39.71	50.7	2.00 (1)	1.83	91.5
43.	कन्वेयर बेल्टिंग	हजार टन	8.90 (8)	8.50	95.5	1.90 (1)	2.21	116.3
44.	पंखा और वी० बेल्ट	लाख संख्या	156.17 (17)	165.00	105.6	18.00 (2)	15.42	85.7
45.	प्लाइवुड	मिलियन वर्गमीटर	110.03 (51)	69.20	62.9	9.81 (3)	3.82	38.9
46.	फ्लोरेसेंट ट्यूबें	मिलियन संख्या	46.20 (12)	35 00	75.8	3.00 (1)	3.57	119.0
47.	जी०एल०एस० लैम्प	मिलियन संख्या	327.69 (18)	289.30	88.3	66.74 (3)	52.42	78.5
48.	पावर ट्रांसफार्मर	मिलियन किलोवाट्स	32.50 (29)	23.85	73.4	0.80 (1)	0.59	73.8
49.	कांच की शीटें	मिलियन वर्गमीटर	40.79 (8)	30.00	73.5	16.31 (3)	10.40	63.8
50.	फाइबर ग्लास	हजार टन	5.29 (3)	2.00	37.8	3.75 (2)	1.05	28.0
51.	कांच की बोतलें और विविध कांच का सामान	लाख टन	4.83 (31)	3.50	72.5	0.36 (2)	0.39	108.3
52.	होटल	लाख संख्या@	113.05 (427)	74.04	65.5	15.59 (26)	9.56	61.3

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराए के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है ।

परिशिष्ट

1984-85 (जुलाई) के दौरान औद्योगिक संस्थाओं को "जन-हित" में मंजूर की गई सहायता का विवरण (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1984 की धारा 26 (2)) ।

क्रम० सं०	संस्था का नाम और परियोजना की स्थिति	परियोजना/ स्कीम की प्रकृति	उत्पाद और स्थापित क्षमता	परियोजना की लागत (रु० करोड़ों में)	भा०औ०वि०नि० द्वारा वित्तीय सहायता (रु० करोड़ों में)	संस्था० में हितबद्ध भा०औ०वि०नि० के निदेशक का नाम
1	2	3	4	5		6
1.	इन्डो-स्विस एन्टी शाक लि० (तुमकुर), कर्नाटक	नई परियोजना	यांत्रिकी घड़ियों के लिए 3 मिलियन 'एन्टी शाक एसेम्बली सेट'	4 30	रुपया ऋण 0.14 वि०भु० ऋण 0.32	श्री जे०यू० पटेल
2.	संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना लि० (अहमदनगर), महाराष्ट्र	नई/ विणाखन परियोजना	लिखाई और छपाई का 8,250 टन वार्षिक कागज	8.90	रुपया ऋण 1 15	श्री वी०एस० थोरात

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षकों ने निगम के 30 जून, 1985 के संलग्न तुलन-पत्र और लेखों का लेखा-परीक्षण किया है और अंशधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा पुस्तकों के साथ तालमेल हैं।

2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गये हैं और वे संतोषजनक पाये गए हैं।

3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं और इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

एन० एम० राय जी एण्ड कम्पनी — ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 अगस्त, 1985

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपए	पिछले वर्ष लाख रुपए
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	14,213.31	5,367.99
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश	2	5,716.05	5,225.21
अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश	—	21.00	121.00
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	1,30,731.24	1,05,493.21
परिसर एवं उपस्कर	4	1,254.31	686.45
अन्य परिसम्पत्तियां	5	5,313.73	3,759.43
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता	—	786.39	410.53
जोड़		1,58,036.03	1,21,063.82
देयतायें और शेयरधारी निधि			
[शेयर पूंजी]	6	3,500.00	2,750.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	11,432.05	8,808.64
दीर्घकालीन ऋण	8	1,32,595.29	1,03,754.38
चालू देयतायें तथा व्यवस्थायें	9	9,236.07	4,939.43
स्वीकृतियों पर देयतायें	—	786.39	410.53
निर्दिष्ट निधियां	10	486.23	400.84
जोड़		1,58,036.03	1,21,063.82

पी० मुरारी	ए० एस० पुरी	जे० यू० पटेल	डी० एन० डावर	डी० जी० रमैया
फिलिप थामस	जे० एस० वार्ष्णेय	बी० एस० धोरात	अध्यक्ष	महाप्रबन्धक
बी० दीक्षित		एस० के० सेठ	आर० एन० शाह	आर० सुब्रामनियन
	निदेशक		कार्यपालक निदेशक	सहायक महाप्रबन्धक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी — ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

नई दिल्ली दिनांक 19 अगस्त, 1985

30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष	पिछले वर्ष
1	2	3	4
ऋणों और अग्रिमों से ब्याज (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	12,808.55	9,982.56
ऋणों की लागत	12	8,561.56	6,539.92
निवल ब्याज राजस्व		4,246.99	3,442.64
अन्य परिचालनों से आय	13	691.41	514.08
जोड़		4,938.40	3,956.72

30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ हानि लेखा (क्रमशः)

1	2	3	4
कार्मिक व्यय	14	443.51	357.11
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस तथा खर्चे	--	3.34	2.84
परिसर एवं उपस्कर—किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	163.11	94.83
अन्य व्यय	16	114.29	93.55
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	--	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	--	1,278.45	1,013.95
जोड़		2,007.70	1,567.28
निवल लाभ (आगे लाया गया)		2930.70	2389.44
समायोजन:			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि		823.19	815.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		1,775.72	1,313.53
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि		50.00	50.00
कर्मचारी कल्याण निधि		15.00	1.50
लाभांश		266.79	209.41
		2,930.70	2,389.44

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियाँ—

लेखे का भाग 17

डी० मुरारी, फिलिप थामस, डी० दीक्षित — ए० एस० पुरी, जे० एम० वार्ष्णेय — जे० यू० पटेल, डी० एस० थोरात, एस० के० सेट — निदेशक

डी० एन० डावर — अध्यक्ष

आर० एन० साहू — कार्यपालक निदेशक

डी० जी० रमैया — महाप्रबन्धक

आर० सुब्रामनियन — सहायक महाप्रबन्धक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

नई दिल्ली दिनांक : 19 अगस्त, 1985

अनुसूची 1

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	इस वर्ष लाख रुपए	पिछले वर्ष लाख रुपए
रोकड़ और बैंक शेष		
हाथ में नकदी	0.70	0.45
हाथ में चैक/ड्राफ्ट एवं वसूली हेतु प्रस्तुत	645.26	381.00
भारत में बैंकों में शेष		
चालू खातों में	4,645.67	1,154.06
अल्पावधि जमा में	5,664.00	3,325.00
भारत के बाहर बैंकों में		
चालू खातों में	421.47	20.22
अल्पावधि जमा में	2,836.21	487.26
जोड़	14,213.31	5,367.99

अनुसूची 2
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश

30 जून, 1985 के तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			इस वर्ष	पिछले वर्ष
	23(घ)	23(च)	23(झ)	लाख रुपए	लाख रुपए
(i) इक्विटी शेयर	3,032.99	624.62	1,229.31	4,886.92	4,368.54
(ii) अधिमान शेयर	404.64	67.01	--	471.65	509.68
(iii) डिबेन्चर	51.72	101.38	191.57	344.67	346.99
(iv) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन राशि	12.81	--	--	12.81	--
	3,502.16	793.01	1,420.88	5,716.05	5,225.21
30 जून, 1984 को जोड़	3,132,49	767.26	1,325.46		
कथित					
--बही मूल्य				2,803.33	2,989.08
--बाजार मूल्य				8,555.44	5,521.08
निवेश जिनके लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं (बही मूल्य)				2,912.72	2,236.13

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से संम्बन्धित

अनुसूची 3
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष लाख रुपए	पिछले वर्ष लाख रुपए
(i) भारतीय रुपयों में	1,21,849.28	99,093.75
(ii) विदेशी मुद्रा में	8,881.96	6,399.46
जोड़	1,30,731.24	1,05,493.21
टिप्पणियां:		
(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध है	290.87*	1,817.86
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामिता को छोड़कर) निदेशक की हैसियत हितबद्ध है ।	219.41*	302.13
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज की कुल अतिदेय राशि जिनमें, निगम के निदेशक (नामितो को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध है ।	0.54*	110.61

*कमी निगम के निदेशक बोर्ड में परिवर्तनों के कारण है ।

अनुसूची 4

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भा ग

परिसर एवं उपस्कर

विवरण	मूल लागत	संचित मूल्यह्रास	निवल मूल्य 30 जून, 1985 की स्थिति
	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(i) फ्री होल्ड भूमि तथा भवन	332.25	22.81	309.44
(ii) पट्टे पर भूमि तथा भवन	333.70	40.92	292.78
(iii) फर्नीचर तथा फिटिंग	44.21	21.88	22.33
(iv) कार्यालय उपस्कर	33.00	17.84	15.16
(v) बिजली की फिटिंग	16.54	8.67	7.87
(vi) वाहन	7.02	4.26	2.76
उप-जोड़	766.72	116.38	650.34
पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम	603.97	--	603.97
	1,370.69	116.38	1,254.31
30 जून, 1984 को			686.45

अनुसूची 5

30 जून 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं	3,731.04	2,973.70
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को अग्रिम	392.27	239.81
कर्मचारियों को अग्रिम	122.65	111.27
जमा राशियां	29.22	51.15
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां	12.50	11.00
अन्य परिसम्पत्तियां	1,026.05	372.50
जोड़	5,313.73	3,759.43

अनुसूची 6

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

शेयर पूंजी

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
अधिकृत		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,00,000 शेयर	5,000.00	5,000.00
जारी और अभिदत्त		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 80,000 शेयर (पिछले वर्ष 60,000 शेयर)	4,000.00	3,000.00
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
प्रदत्त		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवीं सीरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज)	500.00	250.00 (आंशिक प्रदत्त)
(x) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज) रुपये 2,500 प्रतिशेयर मांग और प्रदत्त	500.00	—
जोड़	3,500.00	2,750.00

अनुसूची

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	4,089.94	3,266.75
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन दातव्य आरक्षित निधि	170.54	117.47
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	7,000.00	5,224.28
क्रेडितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	71.57	70.14
जोड़	11,432.05	8,808.64

अनुसूची 8

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

दीर्घकालीन ऋण

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
बांड (आरक्षित-औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)		
(a) 5¾ प्रतिशत बांड	—	2,417.35
(b) 6 प्रतिशत बांड	12,152.99	14,500.49
(c) 6 1/4 प्रतिशत बांड	6,801.54	6,801.54
(d) 6 1/2 प्रतिशत बांड	7,500.00	7,500.00
(e) 6 3/4 प्रतिशत बांड	7,810.00	7,810.00
(f) 7 1/4 प्रतिशत बांड	10,050.22	10,050.22
(g) 7 1/2 प्रतिशत बांड	10,995.00	10,995.00
(h) 8 1/4 प्रतिशत बांड	7,975.00	7,975.00
(i) 8 3/4 प्रतिशत बांड	8,004.80	8,004.80
(j) 9 प्रतिशत बांड	19,701.00	12,100.00
(k) 9.75 प्रतिशत बांड	17,201.13	—
(l) 7.6 प्रतिशत बांड (येन मुद्रा)	2,508.78	—
	1,10,700.46	88,154.50
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	12,125.00	8,375.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	344.30	412.38
(ग) ऋवितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	603.26	536.73
(घ) विदेशी साख संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में	8,822.27*	6,275.87
जोड़	1,32,595.29	1,03,754.38

—*7,324 14 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा गारन्टी-युक्त हैं

अनुसूची 9

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(क) चालू देयताएं		
फुटकर लेनदार	5,533.22	2,227.01
प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	736.92	664.60
(ख) सरकार से उधार	13.00	11.35
(ग) विदेशी साख संस्थानों से उधार	19.75	2.21
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	139.43	7.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	500.00	100.00
अग्रिम पावतियां	6.12	4.26
दावा न किया गया लाभांश	0.27	0.07
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/ भारत सरकार को देय राशि	502.93	331.29
जोड़ (क) आगे ले जाया गया	7,451.64	3,347.79

अनुसूची 9 (जारी)

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण			इस वर्ष लाख रुपए	पिछले वर्ष लाख रुपए
जोड़ (क) आगे लाया गया			7,451.64	3347.79
(ख) व्यवस्थाएं				
विनिमय उच्चंत खाते में अन्तर			85.80	88.88
उच्चंत में डाली गई राशियां				
(क) ब्याज			417.87	464.51
(ख) वचनबद्धता प्रभार			0.05	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार			2.38	2.38
कराधान के लिए व्यवस्था		4,071.51		
घटाइये: स्रोत पर काटा गया कर	222.05			
भुगतान किया गया अग्रिम कर	2,837.92	3,059.97		
व्यवस्था की निवल राशि			1,011.54	826.40
लाभांश के लिए व्यवस्था			266.79	209.42
जोड़ (ख)			1,784.43	1,591.64
जोड़ (क)+(ख)			9,236.07	4,939.43

अनुसूची 10

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विशेष कार्य के लिए निर्धारित निधि

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि		458.73	388.34
कर्मचारी कल्याण निधि		27.50	12.50
	जोड़	486.23	400.84

अनुसूची 11

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

ऋणों और अग्रिमों से ब्याज

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय		12,628.00	9,848.86
वचनबद्धता प्रभार		180.55	133.70
	जोड़	12,808.55	9,982.56

अनुसूची 12

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

उधार लागत

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ऋणों और उधारों पर ब्याज		8,393.20	6,432.85
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार		6.98	2.23
बांड जारी करने की लागत		161.38	104.84
	जोड़	8,561.56	6,539.92

अनुसूची 13

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिचालनों से आय

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क		64.63	44.56
लाभांश		223.70	198.85
निवेशों की बिक्री से लाभ		206.77	161.73
अन्य विविध आय		196.31	108.94
	जोड़	691.41	514.08

अनुसूची 14

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

कार्मिक व्यय

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते		421.72	336.07
कर्मचारी कल्याण निधि		2.13	2.10
अन्य कार्मिक व्यय		19.66	18.94
	जोड़	443.51	357.11

अनुसूची 15

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

परिसर एवं उपस्कर—किराया, अनुरक्षण एवं मूल्यह्रास

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी		112.10	56.08
मरम्मत एवं अनुरक्षण		16.54	9.91
मूल्यह्रास		34.47	28.84
	जोड़	163.11	94.83

अनुसूची 16

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य व्यय

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क		0.81	0.84
यात्रा व विश्राम व्यय		19.35	13.00
संचार		19.66	18.41
निवेशों पर हानि		18.68	13.86
अन्य व्यय		55.76	47.44
	जोड़	114.29	93.55

अनुसूची 17

30 जून, 1985 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. राजस्व मान्यता

(क) जिन मामलों में ब्याज, वचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन, आदि की वसूली संदिग्ध समझी जाती है उनमें निगम इन्हें आय के रूप में गणना नहीं करता। ऋण करारों के निष्कर्ष होने के पश्चात ही वचनबद्धता प्रभारों को आय के रूप में गणना किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त किए है उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज गणना इसके प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

2. निवेश लेन-देन

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप बेचे गए निवेशों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) परिसमापन अथवा रुग्ण कम्पनियों में कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में यदि कोई हानि हो जिनका विलीनीकरण अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाना है, उनका गणन विलीनीकरण पूरा होने पर अन्तिम अदायगी प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) राशियां जो कि—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण

(ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष और

(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारन्टियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक देयताओं, की हैं,

उनकी अभिव्यक्ति 30 जून 1985, को तार अन्तरण विक्रय दरों पर भारतीय मुद्रा में की जाती है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुआ लाभ, यदि कोई हो, प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में तभी गणन किया जाता है जब विदेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी हो और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव में हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है जब उस ऋण का निगम द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो। इस दौरान—

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान,

(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन,

से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उक्त खाते में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है।

4. परिसर एवं उपस्कर

भूमि और भवन के मूल्यह्रास के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त लागू होते हैं—

(i) भवन और उनमें हुए परिवर्तनों का अवलिखित मूल्य आधार पर 5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास

(ii) फर्नीचर और उपस्करों का मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य आधार पर क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से किया जाता है और इनकी लागत मूल्य-ह्रास घटा कर लिखी जाती है।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है :

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) के अधीन) 112.50 लाख रुपये (108.85 लाख रुपये), और

(ख) निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए अयाचित राशि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) तथा धारा 23(च) के अधीन 25.40 लाख रुपये (41.11 लाख रुपये)

2. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के सम्बन्ध में आयकर विभाग/निगम में अपील/संदर्भ किया है। इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 40.60 लाख रुपये (40.60 लाख रुपये) है। वर्ष के लिए कर देयता की व्यवस्था निगम द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के अनुसार की गई है और निगम के दृष्टिकोण के आधार पर अधिभार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा करवा दिया गया है।

3. फुटकर लेनदारों में 3,149.67 लाख रुपये (662.77 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से सम्बन्धित है जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किए गए हैं।

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) और 23(च) के अधीन निवेशों में 43.09 लाख रुपये की राशि (68.88 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में नियोजित की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा रुग्ण हैं और उनको स्वस्थ कम्पनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है।

5. वातव्य आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 30 जून, 1985 तक 42.16 लाख रुपये (33.92 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर के किया गया है। अतः इस राशि का निगम के "निवेशों" में गणन नहीं किया गया है।

6. तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 1,030.58 लाख रुपये (1,029.86 लाख रुपये) की राशि बकाया थी, जिनकी कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारण्टरों से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 173.08 लाख रुपये (85.37 लाख रुपये) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुरूप पुनः एकत्रित किया गया है।

RESERVE BANK OF INDIA

URBAN BANKS DEPARTMENT

Bombay-400 005, the 3rd March 1986

UBD. BR. 81/A. 18-85/86.—In pursuance of Sub-section (2) of Section 36 A read with Clause (za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following salary earners' society has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

Name of the society	*State*
State Bank of Mysore Employees' Co-operative Bank Ltd., State Bank of Mysore, Avenue Road, Bangalore-9.	Karnataka

Kum. I. T. VAZ
Chief Officer

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700071, the 27th December, 1985

(CHARTERED ACCOUNTANT)

No. 3ECA/8/6/85-86 : In pursuance of Clause (iv) of Regulations (10) (1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issue to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August, 1984 as they have not paid their annual fee for the Certificate of Practice for the year 1984-85 till 31st day of July, 198 4 :

S. No.	M. No.	Name and Address
1	2	3
1.	50797	Shri N. R. Chakravorty, ACA C/o A. S. Chatterjee BB-150, Salt Lake City, Calcutta-64.
2.	50581	Smt. Ila Biswas, ACA 6, Gangadhar Babu Lane, Calcutta-12.
3.	50492	Shri T. K. Sinha, ACA N.T.P.C. Permanent Township P : Kejuriaghat, Dt. Malda.
4.	50860	Shri S. K. Chowdhury, ACA 3/8, Central Avenue, Durgapur-713204.
5.	50862	Shri P. Ray, ACA 7, Sooterkin Street, (Topfl) Calcutta-72.
6.	50874	Shri H.D. Sinha Roy ACA, 69/1, S. K. Deb Road, Block-C Flat : 8, Calcutta-48.
7.	51615	Shri R. K. Parakh, ACA Commercial Executive Internal Audit Department Bokel T. Estate, P. O. Laholal, Dt. Dibrugarh, Assam.
8.	50960	Shri S. Basu, ACA Haramohan Ghosh Street P. O. & Vill : Harinavi, Dt : 24-Pgs.
9.	51058	Shri B. P. Sarkar, ACA 6/1B, Madan Mitra Lane, Calcutta-6.
10.	51381	Shri P. K. Chakraborty, ACA P. O. Purcha, Dt. Purulia.
11.	51396	Shri A. K. Lahiri, ACA 14/1, K. P. Roy Road, Calcutta-31.
12.	51479	Shri D. K. Mazumdar, ACA 78, Joy Narayan Saha Lane, Howrah : 711101.
13.	51751	Shri A. K. Bhar, ACA P. O. & Vill : Dwarhalta Dt. Hooghly.

The 16th January 1986

No. 3ECA/8/7/85-86:—In pursuance of Regulation 10(1) (iii) of the Chartered Accountants Regulations 1964, it is hereby

notified that the Certificate/s of Practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same·

S. No.	Membership Number	Name & Address	Date of Cancellation
1.	52040	Shri Pradip Kumar Banerjee, ACA, P-162, C.I.T. Scheme, No. 6M Calcutta-700054.	1-8-85
2.	52778	Shri Asoke Kumar Chakraborty, ACA 31, K.C. Sen Road, P. O. Rishra Dt. Hooghly.	30-12-85

R. L. CHOPRA
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the March 1986

No. N. 15/13/7/2/85-P & D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-2-1986 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

CENTRE OUTSKIRTS OF TUMKUR ROAD.

S. No.	Name of the revenue village	Hobli	Taluk	District.
1.	Dasanapura	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore
2.	Chikkabidarakallu	Do.	Do.	Do.
3.	Makali Village	Do.	Do.	Do.
4.	Bagalgunta	Yeshwanta-pura	Bangalore North	Do.
5.	Madavara	Dasanapura	Nelamangala	Do.
6.	Doddabidarakallu	Dasanapura	Nelamangala	Do.

The 7th March 1986

No. N. 15/13/1/4/82-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-2-86 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

Centre : Venkatapur Village

"The area within the revenue village of Venkatapur under Nirmal Revenue Mandal of Adilabad District."

No. N. 15/13/7/1/85-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-2-1986 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

Centre : Byatarayanapura

"Revenue village Byatarayanapura in Hobli Yelahanka in Taluk Bangalore North in District Bangalore."

M. SUBBA RAO
Director (Plg. & Dev.)

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 28th February 1986

No. NCDC : 3-6/81-Admn.—In exercise of the powers conferred by Regulation 7(a) of the National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation in its 36th meeting held on 27th January, 1986 has approved the merger of cadre of Assistant (Statistics), created at its meeting held on 11th March, 1982 and notified in the Gazette of India dated 15th May, 1982, with that of the cadre of Assistants with the qualifications etc. for the post of Assistant remaining unchanged.

2. The incumbents holding the posts of Assistant (Statistics) will be accorded inter-se seniority in the cadre of Assistance based on the length of their service in the post of Assistant (Statistics) in the Corporation.

3. Consequent to the merger of the Cadre of Assistant (Statistics) with that of Assistants, the Recruitment Rules, as approved by the Board of Management, for the post of Assistant (Statistics) will be deemed redundant.

4. The above provision will be appended as note below the Recruitment Rules for the post of Assistant.

R. V. GUPTA
Managing Director

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt-133001, the 7th March, 1986

Subject : Corrigendum of wakf property in the Govt. of India Gazette Part III Section IV.

CORRIGENDUM

No.45/Gen/Pub./437/86/15983:—The following corrigendum is issued in respect of wakf property detailed below published in the Govt. of India Gazette Part III Section IV 19th September, 1970 (in respect of village Malaud Rorian, Tehsil & Distt. Ludhiana) under sub-section (II) of section 5 of the wakf Act, 1954. This corrigendum has become necessary owing to a printing mistake.

Sr. No.	Printed entry in the Gazette. Column No. 5 & 6.		Correct entry which may be read in place of existing entry.	
378	K — M	Khasra No.	K — M	Kasra No.
	2 —12	595	12 — 05	343
	12 — 04	596	12 — 05	344

K. SHEIKH AHMED
Secretary

Ambala, the 7th March 1986

ADDANDA

No. 45(Gen.)/86/15985—Add the following Wakf property in the Gazette of India, Part III Section 4 in continuation of the properties already published in the Gazette of India part III Section 4, October 3, 1970 (Asvina 11, 1892) of District.

S. No.	(i)	(ii) Location of wakfs		(iii) Details of wakf properties			(iv)	(vi)	(viii)	(ix)	(x)	(xii)	(xv)
	Name of Wakfs	(a) Districts / (b) Tehsil	(c) Village where situated / Site on which situated	(a) Area	(b) Boundaries	(c) Value Rs.	Date or year of creation of wakfs / (v) Details of wakf deeds	Gross receipts / (vii) Grants received	Nature of objects of each wakf	Gross income of properties comprised in each wakf	Amount of L. R., cess rates and taxes payable in respect of such property / (xi) Expenses incurred in the realisation of income	How the wakf is administered / (xiii) Name of Mutwalli / (xiv) Pay or remuneration of Mutwalli of each wakf	Any other particulars (Remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Graveyard	Amritsar / Baba-Bakala	Gaziwal Maini	K—M 40—09	29	300000/-	Not Known	—	Religious	—	—	Under the Management of the Secretary Punjab Wakf Board, Ambala Cantt as ex-Officio Mutwalli.	
2.	Islamia High School at present D. A. V. College Amritsar 2695—98 / 12	Amritsar / Amritsar	Katra Sher Singh ASR.	E. 115 Ft. W. 130 Ft. W. 130 Ft. N. 350 Ft. S. 356-Ft. 4805 Sq Yds	Bazar Regent Cinema D. A. V. Industrial School Do. D.A.V. College Road	1000000/-	Do	—	Do.	Rs. 75/- P. M.	—	Do.	
3.	Islamia High School at present D. A. V. Industrial School ASR. 125—221	Amritsar / Amritsar	Katra Sher Singh ASR	E. 60 Ft. W.195Ft. N. 410 Ft. S. 62-Ft. 3660Sq Yds	Bazar Regent Cinema Inner Circular Road Gali Regent Cinema D. A. V. College Road	500000/-	Do.	—	Do.	Rs. 225/- P. M.	—	Do.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Graveyard	Ferozepur	Dodaywala	46—06	225	200000/-	Not Known	—	Religious	—	—	Under the Management of the Secretary Punjab Wakf Board, Ambala Cantt as ex-Officio Mutwalli.	
		Fazilka											
				2—04	222	10000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
5.	Graveyard	Faridabad	Palwal	14—03	354	90000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
		Palwal		4—17	358	20000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				4—00	359	30000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				0—10	360	2500/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				0—17	367	30000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				1—09	378	6000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				0—19	384	3500/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				6—08	385	32000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				5—15	390	27000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
6.	Mosque	Faridabad	Palwal	0—17	215/41	20000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
		Palwal											
				B—B									
7.	Masjid Rajputan Thok Babar Khan	Rohtak	Rohtak	3—9	2480	50000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
		Rohtak		2—12	2481		Do.	—	Do.	—	—	Do.	
				6—01									
8.	Graveyard	Rohtak	Rohtak	0—6	3157	5000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
		Rohtak		0—5	3159								
				0—11									

The above items are shown as garimumkin Graveyard, Islamia School, Mosque in the jamabandi hence these are Sunni Wakfs. They have been entrered in Kitabul-Auka, and Register.

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

K. SHEIKH AHMED
Secretary

ANNEXURE-I

No. NB SECY. 243/C-7/85-86

Bombay the 3rd March 1986

Corrections to be carried out in the Gazette

Sr. No.	Page No of the Gazette	Reference	Errata	Corrections
1.	2303	Item No. 6 Column No. 4 Line No. 3	881	381
2.	2307	Item (c) Column No. 2	90,58,59,522	90,68,59,522

R. SUNDARAVARDAN, Gen. Manager.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
37TH ANNUAL REPORT 1984-85
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS

Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948

CHAPTER I

OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTLOOK

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 37th Annual Report on the operations of IFCI together with the audited Statement of Accounts for the year ended the 30th June, 1985. As a backdrop to the operations and working results of IFCI in 1984-85, it may be useful to have a synoptic view of (a) the country's economic scene, (b) the significant policy changes, (c) the operational developments in relation to IFCI, (d) the performance of industries, in general, and (e) outlook and strategies for the future.

(A) *Economic Scene*

1.02 The Indian economy which had registered substantial improvements in different sectors of economic activity in 1983-84, maintained the momentum of economic growth in 1984-85. With comfortable food situation, lower inflation rate, favourable investment climate, well maintained rate of industrial production, improved export performance and relatively satisfactory balance of payments position, the year 1984-85, which was the terminal year of India's Sixth Five Year Plan, ended with substantial achievements on the economic front.

1.03 Despite mediocre monsoon, the aggregate foodgrains production in 1984-85 was around 151 million tonnes compared with 151.5 million tonnes in 1983-84.

1.04 Among the commercial crops, for the second year in succession, the production of nine major oilseeds at 14.2 million tonnes in 1984-85, showed an impressive increase of 11% compared with 1983-84. The production of two important fibre crops, viz., cotton and jute at 1.33 million tonnes and 1.15 million tonnes respectivety, also showed an increase of 18.7% and 5.5% respectively in 1984-85 compared with the production of 1.12 million tonnes of cotton and 1.09 million tonnes of jute in 1983-84. The plantation crops, viz., tea, coffee and rubber, also did well. The increase in production in 1984-85 over 1983-84 was around 10% in tea, 50% in coffee and 11.8% in rubber. The production of sugarcane at 175 million tonnes in 1984-85, however, showed a fall of 1.1% in 1984.85.

1.05 By and large, the agricultural sector during the Sixth Five Year Plan period had a particularly strong performance. The overall increase in the agricultural production during 5-year period indicated a combined growth rate of 3.6% based on the trend value for base year 1979-80.

1.06 The growth rate in industrial production in 1984-85 was 5.7%, as against 5.5% in 1983-84. Overall, during the Sixth Five Year Plan period, the industrial performance witnessed an average growth rate of 5.6%.

1.07 The growth rate of the infrastructure sector was still better at 9.8% in 1984-85. Total power generation during 1984-85 rose by 12% to 156.65 billion units against 139.89 billion units in 1983-84. During the year, thermal power generation recorded an impressive rise of 14.1% at 98.77 billion units against 86.53 billion units in 1983-84. Hydel power increased by 7.9% to 53.81 billion units in 1984-85 from 49.86 billion units in 1983-84. Nuclear power generation in 1984-85 also rose substantially by 16.6% to 4.07 billion units from 3.49 billion units in 1983-84 and also exceeded the target of 3.50 billion units by 16.3%.

1.08 The production of coal in 1984-85 was 147.45 million tonnes, as against 138.24 million tonnes in 1983-84 showing an increase of 6.7%. However, despatches of coal during the year could record only a modest increase of 2.2% as against 6% last year.

1.09 The production of crude petroleum was 28.99 million tonnes in 1984-85 as against 26.02 million tonnes in 1983-84, recording an increase of 11.4%. This however, fell short of notable increase of 23.2% achieved in 1983-84. So also, the output of petroleum refinery products could record only a modest increase of 0.8% in 1984-85 as against the increase of 6.3% recorded in 1983-84. However, the overall production of crude petroleum and petroleum products during the Sixth Five Year Plan period exceeded its target by about 10%.

1.10 The production of nitrogenous and phosphatic fertilisers in 1984-85 was 3.92 million tonnes and 1.26 million tonnes respectively as against 3.49 million tonnes and 1.04 million tonnes in 1983-84, thereby recording an increase of 12.3% and 21.3% during the year under review. Further, the production of nitrogenous and phosphatic fertilisers together at 5.18 million tonnes in 1984-85 exceeded the target of 4.8 million tonnes fixed for 1984-85.

1.11 The production of saleable steel of maor steel plants (which account for about 85% of the total steel production) was 7.0 million tonnes in 1984-85 as against 6.4 million tonnes in 1983-84 marking an increase of 9.4%. The production of cement rose to 30.1 million tonnes in 1984-85 from 27.1 million tonnes in 1983-84, showing an increase of 11.1%.

1.12 During 1984-85, the railways carried 235.58 million tonnes of revenue-earning goods traffic compared to 229.47 million tonnes in 1983-84. The increase was 2.7% during the year and was much better compared with the increase of 0.3% achieved in 1983-84. Commodities contributing to the increase in the revenue-earning goods traffic of railways were : fertilisers, iron ore for export, raw material for steel plants, cement, pig iron and finished steel from steel plants, and coal. However, the movement of food grains and 'other goods' registered decline in loading during the period under review.

1.13 The total cargo handled at major ports during 1984-85 stood at a record level of 106.0 million tonnes against 100.4 million tonnes in 1983-84, showing an increase of 5.5% as against the increase of 2.4% achieved in the previous year. The ports also set yet another record by handling 0.3 million containers during 1984-85 against 0.2 million containers in 1983-84. With the creation of additional facilities / modernisation schemes, the cargo handling capacities at the major ports went up from 101.3 million tonnes at the beginning of the Sixth Five Year Plan to 136.7 million tonnes by the end of March, 1985, thereby exceeding the Sixth Five Year Plan target of 131.0 million tonnes.

1.14 The growth in Gross National Product (GNP) in 1984-85 is estimated around 4% as against 7.4% achieved in 1983-84. The higher growth rate in 1983-84 was due to sharp increase of 13.6% in agricultural production, while in 1984-85 the agricultural production increased nominally by about one per cent only. Nevertheless, taking an overall view, the average growth rate during the Sixth Five Year Plan period (1980-85) worked out to 5.2%, which was equal to the Plan target.

1.15 The rates of 'gross domestic savings' and 'gross capital formation' during 1984-85 were expected to be of the same level as recorded in 1983-84 i.e., 22.6% and 23.9% of 'gross domestic product' respectively.

1.16 The investment climate remained favourable throughout the year 1984-85. The number of Letters of Intent issued increased from 1,093 in 1983-84 to 1,263 in 1984-85. The number of Industrial Licences issued, however, showed a modest decline from 1,042 in 1983-84 to 944 in 1984-85.

1.17 Capital Goods Approvals during 1984-85 (April-March) were of the order of Rs. 743.37 crores as against Rs. 628.23 crores for the same period last year, thereby showing an increase of 18.3%. Industry-wise, the major increase was witnessed under iron and steel, chemicals, cement, ceramics and refractories, rubber and rubber goods, and automobile industries. The foreign collaboration approvals accorded during the year 1984 numbered 752, as against 673 in 1983 and 590 in 1982. During the period from January to March, 1985, 225 foreign collaboration approvals had further been given.

1.18 The consents for capital issues granted in 1984-85 (July—June) were for an aggregate amount of Rs. 2,098.8 crores, as against Rs. 1,184.5 crores in 1983-84 (July-June). The total capital raised during the year 1984-85 (July-June) in the form of shares and debentures was as much as Rs. 1,452.2 crores, which marked an impressive step up of 34.9% over Rs. 1,076.8 crores raised during the corresponding period of 1983-84. Non-convertible debenture issues amounting to Rs. 827.3 crores far exceeded the convertible

debentures issues of Rs. 159.5 crores and the share issues of Rs. 465.4 crores. While no issue of preference shares was made in 1984-85, the non-convertible debenture issues dominated the various types of capital issues both in 1983-84 and 1984-85. Most of the debenture issues during 1984-85 were made in terms of the guidelines issued in September, 1984 which allowed the companies to issue nonconvertible debentures on "Rights" basis for setting up new projects and expansion/diversification projects, apart from financing working capital needs. The "Rights" capital issues of Rs. 786 crores were more than half of total capital issues and included Rs. 595 crores of "Rights" non-convertible debenture issues.

1.19 The pressure on prices which was noticed in 1983-84 showed some signs of easing in 1984-85. The increase in the wholesale price index (Base 1970-71=100) on point-to-point basis as on the 30th March, 1985 was 7.4% as against 8.2% on the 31st March, 1984.

1.20 The annual rate of inflation for the 12 month period up to the end of June 1985 based on wholesale price index came down to 5.6% against 8.7% on the comparable period of the previous year.

1.21 During the financial year 1984-85, the money supply with the public (M1) recorded an expansion from Rs. 33,066 crores to Rs. 38,179 crores, the growth rate being 15.5% as against 15.9% in the previous year. The currency with the public, demand deposits with banks and other deposits with the Reserve Bank of India increased to Rs. 22,685 crores, Rs. 14,841 crores and Rs. 653 crores in 1984-85 as against Rs. 19,553 crores, Rs. 13,195 crores and Rs. 318 crores respectively in 1983-84. Aggregate monetary resources (M3) during 1984-85 went up from Rs. 85 899 crores to Rs. 1,00,550 crores recording a growth rate of 17.1% which was slightly lower than that of 17.9% recorded during 1983-84. The factors responsible for expansion in aggregate monetary resources were : (a) increase in net bank credit to the Government from Rs. 40,505 crores to Rs. 47,014 crores, (b) increase in bank credit to commercial sector from Rs. 59,992 crores to Rs. 69,312 crores, and (c) increase in the net foreign exchange assets of banking sector from Rs. 1,580 crores to Rs. 2,999 crores. The growth was further augmented by an increase in Government's currency liabilities to the public from Rs. 719 crores to Rs.777 crores. While the rates of growth of net bank credit to Government and bank credit to commercial sector at 16 1% and 15 5% respectively were lower than that of 16.6% and 17.3% respectively during the previous year, the net foreign exchange assets of banking sector showed a rise of 89.8% during 1984-85 in sharp contrast to the fall of 6.2% during the previous year. The expansionary effect of the above was slightly offset by a larger increase from Rs. 16,897 crores to Rs. 19,552 crores (15.7%) in banking sector's net non-monetary liabilities other than time deposits, as compared with the increase of 9 7% recorded during 1983-84.

1.22 The expansion in bank credit from Rs. 41,294 crores to Rs. 48,168 crores in 1984-85 was higher by 16.6% than the expansion (16.3%) recorded in 1983-84. The increase was shared by both food credit and non-food credit, which rose from Rs. 4,022 crores to Rs. 5,827 crores and from Rs. 37,272 crores to Rs. 42,341 crores respectively. Accretion of Rs. 10,590 crores in aggregate deposits of banks from Rs. 60,596 crores to Rs. 71,186 crores in 1984-85, though higher than the expansion of Rs. 9,238 crores during the previous year, showed a lower growth rate of 17.5% as against 18% in 1983-84.

1.23 The trend of improvement witnessed in India's foreign trade in the last year was maintained despite continuing difficult international trading environment. Exports rose by 15.4% from Rs. 9,872 crores to Rs. 11,396 crores in 1984-85. Imports increased by 5.3% from Rs. 15,763 crores to Rs. 16,592 crores. The trade deficit at Rs. 5,196 crores during the year 1984-85, thus, came down fairly against the deficit of Rs. 5,891 crores in 1983-84.

1.24 The balance of payments position continued to be strengthened by net inflows on several accounts despite a number of uncertainties affecting these flows. Inflows from non-residents in the form of deposits with Indian Banks which had increased to Rs. 961 crores declined in 1984-85 because of higher interest rates abroad. The volume of commercial borrowings also increased, supplementing the normal inflow of external assistance as a means of financing imports. By and large, the balance of payments situation in 1984-85 was satisfactory and the estimated deficit was around Rs. 2,000 crores, the same level as in 1983-84.

1.25 The foreign exchange reserves (excluding gold and SDRs) rose from Rs. 5,497.9 crores at the end of 1983-84 to Rs. 6,816.8 crores—an increase of 23.9% over the previous year.

1.26 With the increase in debt servicing obligations, as a result of increased commercial borrowings, external aid, change in the composition of debt, etc., while a rise in debt service ratio was evident, the position remained within manageable limits in view of inherent strengths of the economy of the country reflected in its performance during the year 1984-85, and overall, during the Sixth Five Year Plan period (1980-85).

(B) *Policy Changes*

Licensing Policies

1.27 During 1984-85, several changes at the policy level were announced by the Central Government with a view to encouraging growth and efficiency in the industrial sector. A number of bold initiatives were taken by liberalising the existing policies, rationalising procedures and relaxing controls, wherever considered necessary, with a view to carrying forward the task of achieving rapid economic growth with due regard to the objectives of self-reliance and social justice. Some of the important policy announcements related to the following :

— Increase in the limits relating to ceiling on investment in plant and equipment from Rs. 20 lakhs to Rs. 35 lakhs for the purpose of definition of a small scale unit and Rs. 25 lakhs to Rs. 45 lakhs for the purpose of defining a small scale ancillary unit.

— Broad categorisation, or say, broad banding of twenty industries, covering *inter-alia* motorised two-wheelers, 4-wheeler vehicles, chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and fertiliser machinery industry, paper and paper industry, engineering items grouped in 14 broad categories, all types of typewriters—manual, electric and electronic, etc.

— Delicensing of 25 more industries under the Industries (Development & Regulation) Act 1951 and 82 essential and mass consumption bulk drugs and their formulations.

— Raising the limit of assets for determining the MRTP nature of a company from Rs. 20 crores to Rs. 100 crores thereby freeing a number of industrial concerns from the provisions of Monopolies & Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969.

— Exemption of large industrial houses and companies falling within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (FERA) from seeking prior approval from the Company Law Board for the purpose of either implementation of new projects or expansion of existing capacities in respect of 27 indentified industries.

Policies Relating to Industries

1.28 In relation to certain industries, the Central Government announced new policies with a view to stimulating their growth and development on sound lines. Mention, in this connection, may be made of the following :

— Policy relating to Electronics Industry (announced on 24th September, 1984).

— Policy relating to Textile Industry (announced on the 6th June, 1985).

— Policy relating to Cement Industry (announced on the 4th June, 1985).

— Policy relating to Computers (announced on the 19th November, 1984).

— Policy relating to Electronics Industry (announced on the 21st March, 1985).

Fiscal and Other Policies

1.29 The other significant announcements during the year were in relation to :

— Export and Import Policy for 1985-86 with promised stability and continuity for a three years' period (1985-88) with a view to facilitating increased production and strengthening the base for exports.

— Fiscal Policy for 1985-86 with a view to promoting savings and investment so as to accelerate the rate of

economic growth. A long-term Fiscal Policy is also expected to be announced in September, 1985 with a view to providing for an "assured investment climate" as well as ensuring a greater role for non-discretionary fiscal and financial policy and placing reliance on case by-case discretionary decisions.

— Credit Policy announcements in October 1984 and April, 1985 with a focus on reducing the complexities and multiple prescriptions and simplifying the operation of the credit controls.

Policy Relating to Environmental Protection

1.30 During the year, the Government declared 20 industries, viz., primary metallurgical producing industries like zinc, lead, copper, aluminium and steel; paper, pulp and newsprint; pesticides/insecticides; refineries; fertilisers; paints; dyes; leather tanning; rayon; sodium/potassium cyanide; basic drugs; foundry; storage batteries (lead acid type); acids/alkalies; plastics; synthetic rubber; cement; asbestos; fermentation and electro-plating industry as highly pollutive industries and made it obligatory for the entrepreneurs seeking registration with the licensing authorities for setting up such industries to obtain environmental clearance from the State Director of Industries to the effect that the project has been approved from the environmental angle by the competent State Authority. Under the Environmental Protection Policy, the entrepreneur is also required to commit both to the State Government and the Central Government that he would install the appropriate equipments and implement the prescribed measures for the prevention and control of pollution. In addition, a certificate from the State Pollution Control Board has also to be obtained by the entrepreneur to the effect that the equipment installed or proposed to be installed is adequate and appropriate to prevent air, water and soil pollution.

Policy for Development of Backward Areas

1.31 The Government policy of providing incentives to entrepreneurs for setting up projects in specified backward areas, which was introduced in 1983, was extended during the year for another period of one year ending the 31st March, 1986.

1.32 Further, with a view to encouraging more electronics industries in Hill Districts included in category 'A' (i.e. No-Industry/Special Region) Districts, it was decided by the Central Government that the maximum ceiling of Central Investment Subsidy would be raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs or 25% of the fixed capital investment, whichever is lower, in the case of electronics industries proposed to be set up in "Special Region Districts' in Category 'A'.

1.33 The Government also clarified during the year that the know-how, design and engineering fee, etc., actually paid and capitalised but not exceeding 5% of the capital cost of building, plant and machinery, could be taken into account for arriving at the total 'fixed capital investment' for the purpose of determining the quantum of Central Investment Subsidy.

1.34 Mention was made in last year's Report of Central Government assisting the State Governments for taking up infrastructure development in identified growth centres in each No-Industry District (NID). During the year, as a result of further developments and discussions between the Central Government, representatives of State Governments and IDBI, it was agreed that the cost of infrastructure development scheme in each of the NIDs could be taken at Rs. 6 crores to be shared by way of Rs. 2 crores as subsidy from the Central Government, Rs. 2 crores as the contribution of the State Government and Rs. 2 crores as loan from IDBI on concessional terms. It was also agreed that within the over-all limit of Rs. 6 crores for each NID, normally, one growth centre per NID would be established. However, in case a State Government desired to have more than one growth centre per NID, establishment of two growth centres per NID could be taken up within the overall total expenditure limit of Rs. 6 crores.

Policies in Relation to Promotion of Investments

1.35 With a view to promoting investments, the ceiling on the rate of dividend on preference shares was raised in May, 1984 from 13.5% per annum to 15% per annum (free of companies tax but subject to deduction of tax at prescribed rate). During the course of Budget proposals, the Central Government announced the creation of a new instrument, viz., convertible cumulative preference shares. An increase in the maximum interest payable on convertible debentures by non-MRTP and non-FERA companies was also allowed from 13.5% to 15% to improve their marketability. In the case of non-convertible debentures, the rate of interest continued to remain unchanged at 15% per annum.

1.36 Relaxations, during the year, were made in the guidelines for issue of Bonus Shares. One of the requirements for issue of Bonus Shares was that the total amount permitted to be capitalised out of free reserves at any time could not exceed the total amount of paid-up equity capital of the company. In March, 1985, it was notified by the Central Government that relaxation with regard to the above could be considered on merits in respect of unlisted non-FERA companies which had been in existence for more than 10 years or which were making profits for the last five years prior to the year in which they sought listing under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. The aforesaid relaxation would be allowed on a case-to-case basis to closely held companies till the 31st March, 1986.

1.37 On the 15th September, 1984, the Government issued revised guidelines for issue of debentures by public limited companies. A special feature of these revised guidelines was that the objects for which the issue of secured convertible as well as non-convertible debentures could be made by public limited companies and public sector companies, were elaborated in detail. The objects included not only setting up of new projects as also expansion, diversification or modernisation of existing projects, but also proposals relating to merger/amalgamation of companies in pursuance of schemes approved by banks/Financial Institutions and/or any legal authority, restructuring of capital as approved by banks/Financial Institutions and/or any other legal authority, acquisition of assets in accordance with legal provisions and/or MRTP Act as also augmenting long term resources of the company for meeting its working capital requirements. The revised guidelines also mentioned the extent up to which the companies could be permitted to retain the subscription in the case of over-subscription to the issue of debentures, and specified the circumstances under which relaxations could be granted in the normal period of redemption of debentures. The revised guidelines also provided for simultaneous listing of shares and debentures, exemption of public sector companies from listing of shares in certain circumstances, linking of share issues with debenture issues and restriction on extra financial and non-financial incentives considered undesirable for debenture issues.

1.38 In order to encourage the entry of more unlisted companies to the Stock Exchange fold, which had been earning profits for the last five years and had accumulated substantial reserves, it was decided by the Government in August, 1984 that the existing closely held companies could be granted listing on the basis of two-stage-public-offer subject to the condition that the total public offer was not less than 40% of the issued capital of the company, and that the first stage of initial public offer was not less than 33-1/3% of the company's issued capital and the second stage of the balance public offer was proposed to be made by the company within three years of the date of enlistment with the Regional Stock Exchange. Simultaneous issue and listing of equity shares and debentures was also allowed subject to the compliance with the listing requirements and guidelines for issue of debentures/shares.

1.39 Subsequently, in March, 1985, with a view to further developing the capital market and to have more listed companies, it was notified by the Government that the existing non-FERA companies which were more than 10 years old and which had earned profits in at least four out of the past five years, could be granted listing facility on Stock Exchanges with a public offer of 40% as against the existing requirements of 49% of the issued capital of the company. Further, such companies, could, at their option, make public offer in two stages, the first stage of 20% to be offered at the time of listing and the balance to be offered within a period of three years from the date of enlistment.

1.40 On the 18th March 1985, the Central Government issued further guidelines in connection with issue of fresh/further capital enabling the companies raising equity capital to retain, on a voluntary basis, but subject to the consent of the Central Government, the oversubscribed equity to the extent of 25% and compliance with specified conditions,

1.41 On the 7th May, 1985, in the light of the recommendations made by the High Powered Committee on Stock Exchanges, the Government announced several measures to reduce the prevailing high cost of public issues. These included rationalising the fee/commission structure of underwriters, brokers, managers of public issue, etc., and fixation of overall ceiling on the cost of public issues. Minimum limits were also laid down in respect of applications for securities and for minimum allotment.

(C) OPERATIONAL DEVELOPMENTS

Equipment Finance Scheme

1.42 During the year under review, IFCI systematised its existing practice of considering requests for small loans in rupee or foreign currency expeditiously without a reference to the Technical Advisory Committee/Ad-hoc Group of Advisers, etc., in the form of 'Equipment Finance Scheme' (EFS) so that, under a simplified procedure, requests from existing industrial concerns for making available to them rupee and foreign currency loans for purchase of capital goods and equipment of balancing nature, both under Open General Licence (OGL) or against IFCI's foreign Lines of Credit or for imports covered by Technical Development Fund (TDF) licences could be handled expeditiously. A summary procedures is being adopted for sanction of assistance to existing industrial concerns under the scheme so that it is possible to sanction assistance and even open Letters of Credit within a month from the date of receipt of complete information and data about the proposal.

Foreign Currency Loans

1.43 During the year, IFCI augmented its resources for granting foreign currency loans by raising loans in international capital market. Presently, the foreign exchange resources of IFCI consist of 23 Lines of Credit from Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Federal Republic of Germany, DM Revolving Funds under the Indo-FRG Financial Co-operation Agreements, Euro-Currency Loans aggregating US $ 45 million and Japanese Yen of 5 billion through private placement of Bonds.

1.44 During the year, the procedure for handling applications for foreign currency loans was further simplified and a check-list containing all important requirements to be complied with by the borrower precedent to the opening of the Letter of Credit was finalised so that the Letters of Credit could be opened as expeditiously as possible.

1.45 The Exchange Control Department of the Reserve Bank of India (RBI) also delegated powers to IFCI, during the year, to accord on its behalf, approval to its sub-borrowers for signing the loan agreements subject to compliance of certain terms and conditions. Foreign currency loans approved by IFCI in favour of companies having more than 40% non-resident interests were also covered by RBI's general permission. This general permission accorded by RBI to IFCI has further facilitated the expeditious despatch of business insofar as foreign currency loan transactions handled by IFCI are concerned.

Scheme of Concessional Finance for Projects in Identified 'A', 'B' and 'C' Category Districts

1.46 The revised scheme of incentives for setting up industries in No-Industry Districts/backward areas introduced by the Central Government with effect from the 1st April, 1983 for a period of two years ending 31st March, 1985 was extended during the year, by another year. In line with that, the Institutions' scheme of granting concessional finance for projects in identified 'A', 'B' and 'C' category districts was also extended by one year ending the 31st March, 1986.

1.47 There was no change during the year in the basic tenets of the Institutional Scheme of Concessional Finance for projects coming up in 'A', 'B' and 'C' category districts, except that effective from the 1st July, 1985, all new projects in the whole of Punjab have been made eligible for concessional finance from Institutions as available to category 'B' backward districts.

1.48 During the year, the Central Government notified 54 Blocks/Talukas/Urban Agglomerations/Extension of Townships in category 'B' and 'C' districts where investments had exceeded Rs. 30 crores as on the 31st March, 1983. It was accordingly agreed that the concessional assistance might not be granted by the Institutions in respect of projects in these notified blocks in category 'B' and 'C' districts; however, the pipeline cases excluded from the purview of the Government notification as also the cases already sanctioned assistance on concessional terms by the Institutions might continue to be eligible for concessional assistance as hitherto.

1.49 During the year, it was agreed amongst the Institutions that only projects with capital cost up to Rs. 50 crores would be eligible for the 'Project-Specific Infrastructure Development Loan', the maximum amount of such loan not to exceed Rs. 5 crores or 20% of the cost of the project, whichever is lower. Further, it was also agreed that for the purpose of non-levy of interest on such loans during the construction period, the date of completion of the project (and not the date of going into production) would be the date of completion as envisaged at the time of appraisal.

Soft Loans Scheme for Modernisation of Industries

1.50 There was no change, during tre year, in the Soft Loans Scheme for providing modernisation assistance except that the 10 year limit regarding the age of the machinery and equipment proposed to be replaced was agreed to be relaxed in respect of projects with fast changing technology or where there were specific advantages for undertaking upgradation of technology through modernisation process or where the modernisation programme aimed at increasing exports, substituting imports, conserving energy and adopting anti-pollution measures.

1.51 It was further agreed that since all modernisation proposals were normally expected to lead to certain increase in the capacity, increase in the capacity up to 25% within the existing licensed capacity could be permitted under the overall tenets of the scheme. Accordingly, modernisation proposals of cement units involving increase in capacity up to 25% due to introduction of pre-calcination technology were regraded as eligible under the Soft Loans Scheme up to the specified ceilings. So also, in respect of sugar units, expansion up to 1,500 TCD if accompanied by modernisation programme, was considered to be eligible for modernisation assistance. In respect of certain industries, backward/forward integration was also allowed under the Scheme on a case-to-case basis, e.g., diversification of mini steel mills by way of addition of rolling mill, etc.

1.52 In respect of financially weak units, which were provided on a case-to-case basis soft loan assistance at 10% per annum rate of interest, the Institutions agreed to reserve the right to review and step up the rate of interest at a later date, should the improvement in the financial health of such assisted concerns so warranted.

1.53 From the 1st July, 1985, expansion of capacities and diversification in the related products with upgradation of existing equipment is admissible under the Soft Loans Scheme so long as such expansion/diversification is incidental to modernisation and necessary Government clearances in that regard are available. Multi-division companies having units in different locations and/or producing diverse products have also been made eligible for separate division-wise limits of soft loan assistance under the scheme with effect from the 1st July, 1985. From the same date, expenditure on rationalisation of labour related to modernisation has been allowed to be covered under the Soft Loans Scheme.

Assistance to 100% Export-oriented Units

1.54 A mention was made in the last year's Report about the Institutions allowing effective from the 1st January, 1984, a rebate of 1.5% per annum in the applicable rate of interest (normal or concessional as the case may be) on rupee loans to 100% export-oriented units for the first five operating years based on the units' export performance. During the year, it was decided that the rebate of 1.5% per annum in interest to 100% export-oriented units would be available on the amount of rupee loan assistance up to Rs. 4 crores and that the period of first five operating years would be reckoned from the date of commercial production as envisaged at the time of appraisal.

Convertibility Clause

1.55 A mention was made in the last year's Annual Report about the guidelines received from the Central Government on the subject of convertibility option being retained/applied by the Financial Institutions while granting loan assistance to

eligible industrial concerns. During the year 1984-85, the Financial Institutions evolved operative guidelines for stipulation of conversion option as also for operation of conversion, in line with the convertibility guidelines issued by the Central Government.

1.56 In terms of the operative guidelines evolved by the Institutions, convertibility clause is now applicable to only those cases where the aggregate financial assistance (inclusive of outstandings) from the all-India Financial Institutions exceeds Rs. 5 crores. Where the aggregate assistance is in excess of Rs. 5 crores, the assistance to the extent of Rs. 5 crores is allowed as 'standard deduction' and the conversion is stipulated in respect of balance assistance only. For the purpose of applicability of convertibility clause, the aggregate financial assistance includes rupee loan and/or rupee debenture sanctions as part of project financing, and outstanding balances of similar assistance given earlier as also actual devolvement, if any, in respect of financial guarantees issued by the Institutions. The extent to which, and the price at which, conversion option, wherever applicable, is to be exercised, are determined by Institutions generally while stipulating the conversion option after taking into account various relevant factors. Normally 20% of loans/debentures may be subject to conversion option. In the case of new projects, conversion may be exercised at par value of shares while in the case of existing concerns, the price for shares may be fixed on the basis of the usual valuation formula and other relevant factors in this regard.

Charging of Additional Interest in respect of Non-listed Companies

1.57 The Institutions were having the practice of charging 1% additional interest in respect of assistance sanctioned to private limited companies and closely held companies from the 1st April, 1980. The rationale behind the practice was to give some disincentive to non-listed companies in accordance with the Government's policy to attach considerable importance to the listing of shares so that their ownership became more broad-based and the benefits could flow to the wider section of public. Further, the listing of shares could also help the Financial Institutions to exercise conversion option when due, and unload shares at the opportune time in the capital market.

1.58 During the year, the matter of charging 1% additional interest in respect of assistance granted to closely held companies was reviewed, as a result of which the practice as evolved and now put in operation is as follows :

— 1% additional interest is now stipulated only in case of non-listed companies and the practice of charging 1% per annum additional interest in the case of listed companies having promoters shareholding of 75% or more has been discontinued.

— The assistance sanctioned to non-listed companies of Rs. 2 crores and above is subject to the condition that the company would have its shares listed within a period of three years from the date of sanction of assistance, whereafter, the additional interest at 1% per annum would cease.

— For new projects, additional interest at 1% per annum is charged from the date of commencement of commercial production as envisaged at the time of appraisal, and, in the case of existing projects, from the date of first disbursement. Where the project schedule envisages implementation in phases, the date of charging additional interest is from the date of completion of the first phase, as envisaged at the time of appraisal.

— The additional interest of 1% per annum is not applicable in the case of companies whose shares are not listed as a result of (a) institutions directly subscribing to the share capital of concerns with a view to avoiding expenses of public issue in those cases where the amount of public subscription, excluding the contribution by promoters, does not exceed Rs. 50 lakhs, and (b) Central or State Governments or Government agencies holding the entire or major shareholding or public sector institutions holding 51% of shareholding or co-operative societies or wholly owned subsidiaries of widely held public limited companies.

Contribution by State Industrial Development Corporations as Promoters in the Projects

1.59 During the year, it was agreed that the contribution made by State Industrial Development Corporations (SIDCs)/State Industrial & Investment Corporations (SIICs) in the form of non-cumulative preference shares redeemable between 12 to 15 years with dividend rates as prescribed by the Central Government might be treated as promoters' contribution in respect of projects promoted by SIDCs/SIICs.

Role of Nominee Directors

1.60 There was no change in the guidelines issued by the Central Government in respect of institutional nominee directors. However, during the year, a suitable clause was incorporated in the Loan Agreements requiring the constitution of such Committees of the Board, as might be required by the Financial Institutions. The aforesaid provision in the Loan Agreement has enabled the Financial Institutions to direct the assisted concerns in appropriate cases to constitute small Audit Sub-Committees of the Board of Directors of the assisted concerns as required in terms of Government guidelines on the subject. For closely monitoring the different aspects of the borrowers' working, a "Nominee Directors' Cell" within the organisation was also set up during the year.

Rates of Interest, Underwriting Commission, Brokerage, etc.

1.61 There was no change in the basic lending rates of interest during the year. However, in respect of foreign currency loans against Yen borrowings of the Institutions, the rate of interest was brought down to 10% with effect from the 1st April, 1985. So also, the rates of underwriting commission, brokerage, managing brokers remuneration, etc., were also rationalised in the light of Government directions with effect from the 7th May, 1985. A schedule of rates of interest, commission, charges, etc., as obtaining in IFCI as at the close of the year on the 30th June, 1985 is given in Appendix I.

Procedural Developments

1.62 It was agreed during the year that on the deferred/postponed instalments of concessional component of Soft Loans Scheme, the Institutions would charge the current lending rate of interest (applicable to normal loans) on deferred instalments of concessional component of soft loan assistance on second and subsequent occasions. However, in respect of sick units, such deferments would continue to be allowed on merits at the concessional rate of interest.

1.63 With a view to deepening the 'Lead Institution' concept further in the field of institutional financing, it was agreed during the year that :

— proposals from the existing borrowers involving additional assistance up to Rs. 50 lakhs could be taken care of fully by the lead institution alone and for additional assistance between Rs. 50 lakhs to Rs. 100 lakhs, the Lead Institution might have the discretion to provide assistance by itself or share it with other Institutions.

— the Lead Institution alone could sanction 'project-specific infrastructure development loan' where it worked out to be less than Rs. 5 lakhs.

— the Lead Institution could authorise and take a decision on merits of each case with regard to the proposals involving deferment of instalments of principal and interest without reference to inter-institutional forum in regard to rescheduling of loans within the original repayment schedule for projects with a capital cost up to Rs. 10 crores provided no other sacrifices from the Institutions were involved.

1.64 The Project Financing Participation Certificate Scheme (PFPCS) was further streamlined with each of the participating Institutions having a nodal point within their organisational set-up with a view to effectively co-ordinating the functions as a clearing house, and facilitating smooth operations of PFPCS. Further, during the year, Investment Institutions viz. LIC and GIC, also agreed to join under the PFPCS so as to provide totally one-window dispensation of credit at the level of all-India Term Lending as well as Investment Institutions.

Co-ordination Between Financial Institutions and Banks

1.65 The co-ordination between Financial Institutions, viz., IDBI, IFCI and ICICI and Commercial Banks continued to be achieved during the year through a forum known as Standing Co-ordination Committee. At the 5th meeting of this Committee held on the 18th August, 1984, it was agreed that the threshold limit in respect of cost of projects which could be financed by commercial banks, preferably in participation with State-level institutions might be raised from Rs. 1.50 crores to Rs. 3.00 crores. As regards projects in the 'grey area', i.e., those in the financing of which, banks were not ordinarily expected to participate, it was agreed that Financial Institutions would not expect the participation in the project cost by banks in the projects falling within the cost range of Rs. 3.00 crores to Rs. 7.50 crores. Banks, however, could continue to participate in the financing of such projects by way of granting Deferred Payment Guarantees (DPGs) provided such guarantees were given in terms of the financing pattern approved by the Institutions. Banks could also participate in the financing of such projects of their existing clients in exceptional cases (if they chose of their own to do so) on consideration of maintaining existing relations. In respect of larger projects with a capital cost exceeding Rs. 7.50 crores, it was agreed that the banks, at their option, could participate to the extent of 25 to 30% of the term loan (including deferred payment guarantee) requirements of the project.

1.66 It was further agreed as a measure of on-going co-ordination between banks and financial institutions that the existing requirement of IDBI's clearance for financing pattern of projects involving rupee term loan in excess of Rs. 1 crore would be dispensed with. However, in cases, where project cost exceeded Rs. 3 crores including DPG, no separate clearance of the financing pattern from IDBI would be required where all-India Financial Institutions were involved.

1.67 It was further agreed that Financial Institutions could agree to concede second charge in favour of banks over the fixed assets of a borrower in certain circumstances, subject to the usual conditions required to protect the interests of the first charge holder.

(D) General Review of Industries

Factors Affecting Industrial Growth

1.68 Despite substantial improvement in power generation in 1984-85, the shortage of power continued to prevail in the country as the overall supply of power fell short of the growing demand. However, the power shortage in 1984-85, was the lowest during the Sixth Five Year Plan period, thanks to 12% increase in overall power generation during the year. In the Northern Region, the States which suffered the most due to power shortage were Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab and Uttar Pradesh. In the Western Region and North-Eastern Region, the power availability remained, by and large, satisfactory. The Eastern Region had a power shortage of more than 17%. The highest power shortage was in Bihar, with about 39% followed by Orissa with 16.5%. In Southern Region, while Andhra Pradesh remained somewhat surplus, Karnataka faced considerable power shortage. The power position in Kerala and Tamil Nadu, though, by and large, satisfactory, was punctuated by power cuts and restrictions in varying degrees from time to time.

1.69 The labour situation, remained by and large, satisfactory during 1984-85, and except for the jute textile industry, no strike worth mentioning took place in 1984 in the industrial sector.

Trends in Industrial Production

1.70 Due to the aforesaid situation and satisfactory performance on the infrastructural front, the recovery in industrial production started gaining strength in 1984-85. The overall level of production during the first two quarters of 1984-85 was more than 7% than that in the corresponding period of 1983-84. However, this significant growth rate could not be sustained during the second half of 1984-85 mainly due to deceleration in hydel power generation and severe power restrictions. All the same, the General Index of Industrial Production (Base 1970=100) went up from 183.4 to 193.9 registering a growth of 5.7% during 1984-85. The sectoral trends in industrial production during 1983-84 and 1984-85 are given in Table 1 :

Table 1: Sectoral Trends in Industrial production

Base 1970=100

Weight	sector	Percentage increse over the previous year	
		1983-84 (April-March)	1984-85 (April-March)
9.7	Mining and Quarrying	11.5%	8.0%
81.1	Manufacturing	4.5%	4.7%
9.2	Electricity	7.6%	12.0%
100.0	All industries	5.4%	5.7%

1.71 According to the data available, out of 149 industries (which together accounted for about 80% of the total weight in the Official Index of Industrial Production), as many as 110 industries registered an increase in their production in 1984-85. Only 37 industries recorded a fall in their production while two industries, viz., Dissolved Acetylene Gas and Bicycles were able to achieve the same production level as in 1983-84.

1.72 The industries which recorded an increase in production of 10% and above, over the production in 1983-84 were : crude oil (11.2%), baby food (13.8%), jute textiles (30.1%), linolcum (135.5%), newsprint (12.1%), tractor tyres (13.8%), scooter tyres (27.3%), nitrogenous fertilisers (12.2%), phosphatic fertiliser (20.6%), PVC resins (31.3%), polystyrene (12.1%), synthetic rubber (24.9%), viscose staple fibre (22.1%), nylon tyre cord (20%), polyester fibre (44.5%), polyester filament yarn (14.6%), paints & varnishes (14.8%), DDT (20.8%), malathion (12.9%), sulpha ter fibre (44.5%), polyster filament yarn (14.6%), paints & drugs (18.6%), chloramphenicol (35.3%), synthetic detergents (17.9%), cement (11.1%), grinding wheels (18.7%), aluminium (25.7%), copper cathodes (14.7%), twist drills (11.4%), boilers (10.1%), cement machinery (20.1%), printing machinery (42.7%), lifts (27.6%), ball & roller bearings (17.6%), machine tools (12.3%), tractors (12.1%), domestic refrigerators (18.4%), fluorescent tubes (14.8%), ACSR/AAC wires and cables (15.4%), wire rods for ACSR (51.6%), PILC cables (31.7%), VIR/PVC cables (13.6%), dry cells (11.1%), graphite electrodes and anodes (12.4%), passenger cars (58.5%), motor cycles (13.4%), scooters (14.9%), mopeds (22.4%), three-wheelers (13.3%), house service meters (30.1%), clocks (32.1%) and zip fasteners (15.4%).

1.73 Industries which lagged behind in their production by 10% and above in 1984-85 and recorded negative growth rates in production over the preceding year were : sugar (—13.8%), viscose tyre cord (—26.0%), cellulose film (—20.0%), BHC (technical) (—10.6%), penicillin (—27.3%), vitamin A (—11.4%), saleable pig iron (—20%), CI spun pipes (—29.6%), sugar machinery (—12.2%), paper and pulp machinery (—16.9%), rubber machinery (—52.6%), earth moving machinery (—10.3%), road rollers (—29.8%), and railway wagons (—25.0%).

Trends in Capacity Utilisation

1.74 Industries showing significant increase in capacity utilisation during 1984-85 as compared to the previous year were, fertilizers, cement, aluminium, power generation under the Basic Industries group; storage batteries, dry cells, power transformers, diesel engines, electric motors, agricultural tractors under the Capital Goods Industries group; petroleum products, jute manufactures, cotton spinning, under the Intermediate Goods Industries group; and rubber products, electric fans, vanaspati and cigarettes under the Consumer Goods Industries group. The decelerating trend in average capacity utilisation of the industry, as a whole, could not however, be arrested in 1984-85 also. *Appendix II* to this report gives the installed capacity, production, capacity utilisation percentage of 52 selected industries for the year 1984-85 and in relation thereto, the corresponding data relating to 605 assisted concerns of IFCI based on the reports received from them.

1.75 In the *consumer goods industries* sector, which occupies a prominent place in IFCI's assistance portfolio, the performance of sugar, cotton, woollen and jute textiles, paper

and other miscellaneous industries remained somewhat subdued in 1984-85.

1.76 Lower production of *sugar* at 61.59 lakh tonnes in 1984-85 as against 71.49 lakh tonnes in 1983-84 was due to countrywide decline in the availability of sugar cane as well as a significant drop in recovery, due to peculiar agro-climatic factors. The capacity utilisation percentage of industry in 1984-85 came down to 85.2% as against more than 100% achieved last year. The financial results of sugar mills were also adversely affected due to high and uneconomic actual cane prices, which had to be paid by the mills resulting in high cost of production. Arrears of cane dues to cane growers for the 1983-84 season were also responsible to some extent for the shrinkage in the area under sugarcane cultivation. The area under sugarcane cultivation which had gone up to 33.58 lakh hectares came down to 31.66 lakh hectares in 1983-84 and 30.02 lakh hectares in 1984-85. To meet the shortage of sugar, the country had to go in for import of sugar of about 9 lakh tonnes in 1984-85.

1.77 In *textiles*, the production of yarn showed a modest improvement from 1,340.7 million kgs in 1983-84 to 1,382.5 million kgs in 1984-85. However, the production of cloth during the year was only 3,432.2 million metres as against 3,556.3 million metres in 1983-84. The decline in mill made cloth was due to demand constraints for fabrics and a rising number of closed mills. In the year 1984 as a whole, the number of closed mills was reportedly 151. Of these closed mills, Tamil Nadu (70), Gujarat (22) and Uttar Pradesh (19) together accounted for 73% of the total. Continuing agitation in Gujarat State during the last three months of 1984-85 also affected the industrial production, particularly in the textile industry in Gujarat. This apart, obsolescence of plant and machinery, shortage of raw cotton in relation to demand and consequent rise in their prices, delay in getting imported viscose staple fibre and the ever-increasing share of the decentralised sector, particularly powerloom sector, specially contributed to the subdued performance of the textile industry in the organised composite mills sector. Overall, while the spinning sector showed slight improvement in capacity utilisation from 66.4% to 66.9% in 1984, the capacity utilisation in mill cloth sector came down from 65.3% to 59.6%. Of late, with the arrival of new and improved cotton crop in the market as a result of centrally sponsored *Intensive Cotton Development Programme*, decline in the prices of cotton and announcement of New Textile Policy, the textile industry has started showing signs of recovery.

1.78 For *Jute* textiles, 1984-85 could be regarded a year of modest recovery production-wise, after a set-back in 1983-84. The industry was able to achieve 30.1% rise in the production at 11.37 lakh tonnes as against 8.74 lakh tonnes in 1983-84. The average capacity utilisation during 1984-85 was 72.3% as against 57.5% in the previous year. The industry, however, continued to suffer from the scarcity of raw jute due to raw jute production falling short of the demand—thereby leading to sharp increase in the prices of the raw, jute, high cost of production, obsolescence of the plant and machinery and irregular power supply. As at the end of the year, reportedly 20 jute mills were under lock-out/closure. However, a significant feature of the industry's performance during the year was that the demand for jute goods remained strong due to sustained production of foodgrains and other packageable materials. The export of jute goods at 2.75 lakh tonnes, though less than the targeted figure of 3.50 lakh tonnes, turned in export earnings of Rs. 300 crores as against the target of Rs. 260 crores, in view of the higher unit value realisation. In order to arrest falling trend in exports, the Government also extended cash compensatory support for jute goods export for the period from the 1st April, 1985 to the 31st December, 1985. A new comprehensive policy so as to give boost to the industry is expected to be in the offing.

1.79 Production of *paper* and paper boards as also *newsprint* recorded a significant improvement in 1984-85 over 1983-84. Strong demand for paper and paper products, commissioning of additional capacity, better availability of inputs, etc., were the major contributory factors for increase in production, which worked out to 23.75 lakh tonnes (inclusive of newsprint, cultural paper, paper and paper boards) in 1984-85 as against 21.78 lakh tonnes in 1983-84. Despite strong demand and increase in the cost of paper, the paper industry continued to have piquant situation. Three large integrated pulp and paper mills remained closed during the year. Units based on forest raw materials, such as bamboo and mixed hardwood continued to face dwindling raw material supply apart from the uphill problem of modernisation and renovation of the old plant. Mini paper mills apart from their inherent weaknesses also faced difficulties due to fluctuations in the availability and prices of agricultural residues and other secondary fibres and poor performance with frequent break-downs in respect of second-hand imported paper machines. Due to rapid growth in the installed capacity, the average capacity utilisation of the industry also could not exceed 63%.

1.80 *Basic industries*, viz., basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilisers, cement, mining, power generation, etc., contributed significantly high rate of growth in 1984-85.

1.81 Amongst basic metals, the production of *saleable steel* by the major integrated steel plants was higher by 9.4% due to comparatively better availability of power, improved supply of imported as well as domestic coking coal and pick-up in demand. The performance of ministeel plants, however, was not as encouraging as expected. The overall production of saleable steel in 1984-85 was 8.85 million tonnes, which though better than 1983-84, was not to the level of 9.52 million tonnes achieved in 1982-83. The capacity utilisation also could not improve beyond 61%. Nevertheless, the increased production during 1984-85 helped to relieve, to some extent, shortage of wire rods, LPG quality steel, HR&CR coils, etc.

1.82 *Amongst the non-ferrous metals*, while aluminium and copper showed a rise in production by 25.7% and 14.7% respectively in 1984-85 compared with the production achieved in 1983-84, the production of zinc and lead was less by 4.5% and 7.8% respectively during the year vis-a-vis the previous year. The aluminium units could have performed much better if enough power, which is a basic input for the production of aluminium, could be ensured. All the same, it is creditable that they were able to step up capacity utilisation from 64% to 74%.

1.83 Fertilisers and cement industries had an impressive growth rate in 1984-85. The production of *nitrogenous* and *phosphatic fertilisers* was 12.2% and 20.6% respectively more than that in the last year. The production of *cement* at 30.1 million tonnes also exceeded by 11.1% over the production in 1983-84.

1.84 Under the *capital goods industries*, machine tool industry, printing machinery, cement machinery, metallurgical machinery and equipment, indicated a satisfactory growth rate. However, the production of sugar machinery, paper and pulp machinery, rubber machinery, earth moving machinery, could not be achieved in 1984-85 to the level of the previous year. In contrast, the electrical machinery and items under the wires and cables group put up an impressive performance during the year. The production of PILC cables, wire rods for ACSR, VIR/PVC cables, dry cells, graphite electrodes and anodes, power transformers and fluorescent tubes was significantly better during the year compared with 1983-84.

1.85 The overall increase in the index of industrial production for industrial (non-electrical) machinery was 3.4% and for electrical machinery 4.5% in 1984-85. The significant growth in *electrical machinery* group during the year was due to the implementation of power projects by the State Electricity Boards and substantial progress made in the area of rural electrification.

1.86 Under the *transport sector*, the rise in the index of industrial production was about 10% in 1984-85 due to spurt in demand for commercial vehicles, passenger cars, three wheelers, scooters, mopeds and motorcycles. In fact, except railway wagons, where the production during the year 1984-85 was about 13,000 compared to 17,400 in 1983-84, the production of two/three/four wheelers had, by and large, a very impressive increase. With a booming market for automobiles, the production of tyres and tubes also registered a sharp increase in 1984-85.

1.87 *Agricultural tractors* industry also showed, by and large, a satisfactory performance and the production was about 12.1% more in 1984-85 compared with 1983-84. However, some of the tractor units faced problems in procuring bought-out components, imbalances in plant and other constraints. The performance of power tiller units remained sub-optimal, as in the last year.

1.88 The value of output of *drugs and pharmaceutical industry* during the year 1984-85 showed a poor increase of 6.2% in the area of bulk drugs and 3.8% in the area of formulations. In view of decelerating growth rate in the drugs and pharmaceutical industry for the last five years, the Central Government, during the year, de-licensed a number of bulk drugs and formulations. This number, as at the close of the year 1985, worked out to an impressive 94 out of 225 or so bulk drugs produced in the country. The Government also allowed under the new policy for distribution of canalised drugs, 25% more canalised bulk drugs than the unit's entitlement based on its licensed capacity for formulations. It is expected that with the measures taken, the production of bulk drugs and formulations is likely to show a good increase in 1985-86.

Performance Analysis

1.89 Insofar as the profitability of the corporate sector is concerned, based on the operations of IFCI assisted units, it may be stated that their financial performance, on the whole, remained less than satisfactory in 1983-84. Sales of 400 selected concerns in 1983-84 had a modest increase of 8.3% over the previous year. The profit margin (i.e. gross profit as percentage of sales) showed a decline of 8.9% in 1983-84.

1.90 The gross capital formation of 400 selected concerns, however, showed an increase of 12.6% in 1983-84 in which the increase in the fixed assets accounted for 90.4%. The rate of growth in gross fixed assets worked out to 15.9%, while inventories of finished goods declined by 4.4%.

1.91 During 1984-85, based on a quick assessment of 605 assisted concerns which were in production, only 323 have indicated that their operations in 1984-85 were likely to result in profits, which reflects that 46.6% of assisted industrial concerns are expected to be in the red.

(E) *Outlook and Strategies*

1.92 The record foodgrains production around 151.5 million tonnes in succession for the last two years and with a buffer stock of foodgrains estimated to have reached about 31 million tonnes by the end of June, 1985. have helped considerably strengthen the economic base for facilitating acceleration in overall growth. With the timely on-set of the monsoon, the target of 160 million tonnes of foodgrains production during 1985-86 appears to be quite achievable.

1.93 The infrastructural sectors have also reflected considerable improvement both the way of increases in capacity/production as also in the rate of utilisation of capacities. The liberalisation of industrial policies and relaxation of controls have rendered the environment most conducive for industrial growth. The proposals made by the Government in 1985-86 Budget provide considerable supportive strength to the country's development and its progress towards economic maturity. These developments augur well for the country's industrialisation and technological advance into the 21st century as a modern agro-industrial society.

1.94 'Food', 'Work' and 'Productivity' have been laid down as the three inter-related main objectives in the Seventh Five Year Plan (1985-90). In the area of industry, the emphasis is on achieving a break-through in the quality of products and services of Indian industry combined with measures for energy conservation and abatement of pollution. A growth of 7% in the industrial sector has been envisaged, for which the emphasis would have to be given by the industry more on increasing productivity, fuller utilisation of existing capacities, completion of on-going projects in time, without involving, as far as possible, any time and cost overrun, technological upgradation and reducing cost of production with an eye on the quality of the products and services. New units to be established in the Seventh Five Year Plan need to be of optimum scale to ensure efficient and low cost of production. Existing units also need to expand and diversify themselves with a view to taking advantage of economies of scale and be able to respond flexibly to changing market conditions. An investment strategy that lays considerable emphasis on higher growth rate of exports and effective import substitution has to be one of the cornerstones of the operating plans of industrial units in operation.

1.95 The total Plan outlay of the Centre, States and Union Territories for 1985-86 at Rs. 32,161 crores is higher by about 6% over the revised Plan outlay of Rs. 30,371 crores in 1984-85. Central assistance for Plans of States and Union Territories for 1985-86 at Rs. 6,752 crores is higher by 30% over that of 1984-85. The States have also been allocated higher share in the total market borrowings.

1.96 More significant than the increase in the Plan outlay is the substantial step-up in outlays in critical sectors. The provision for power development during 1985-86 in the Central Sector shows an increase of 35.8% over the revised outlay for 1984-85. In the transport and communications sector also, the increase in the outlay is by 9.9%.

1.97 All the above measures should be able to provide a strong basis for a stable and orderly growth of the economy. Even with the existing capital stock, the industry can bring about substantial increase in production rates and incremental capital-output ratio, if the projects undertaken are well formulated and implemented in time so as to avoid time and cost overruns, and are able to build up optimum capacity utilisation, at the earliest.

1.98 The industry can also improve its productivity considerably if it adopts such corporate strategies as can help it in keeping its plant and equipment in an efficient condition, and makes use of modern management techniques. Modernisation is a continuous process, but the need of the hour is, that an integrated programme of modernisation, (covering modernisation of machinery and equipment, modernisation of products in terms of design, quality and standardisation, modernisation of technology consistent with economic, efficiency and quality, modernisation of organisational structure and, above all the modernisation of 'management culture'), is undertaken so that there is a perceptible improvement in the overall profitability and viability of industrial units.

1.99 Financial Institutions also have the responsibility of improving the qualitative aspects of project identification, project appraisal and project implementation through better evaluation, monitoring and follow-up. These areas are engaging the attention of the Institutions and they are endeavouring constantly to improve their own systems, procedures and attitudes to accomplish the set targets and goals. IFCI will have in 1985-86 computer-based systems in almost all key areas of its operations, so as to provide a better and efficient service to its clientele. IFCI has also been endeavouring to bring qualitative improvements in its resources, both material and human.

PROJECT FINANCING OPERATIONS AND WORKING RESULTS

(A) *Project Financing Operations*

IFCI's Overall Operations

2.01 The operations of IFCI scaled new heights in 1984-85. Net sanctions at Rs. 450.64 crores for 418 projects of 385 concerns in the year ended the 30th June, 1985, crossed the mark of Rs. 450 crores for the first time and were the highest ever sanctioned in any year during 37 years of IFCI's existence. These sanctions showed a growth rate of 27.2% over Rs. 354.27 crores for 337 projects in the previous year.

2.02 The total assistance disbursed in 1984-85 was Rs. 309.72 crores, registering a growth of 22.2% over the assistance of Rs. 353.33 crores disbursed during the preceding year.

2.03 A significant feature of IFCI's assistance sanctioned during 1984-85 was that more than 60% of the total assistance sanctioned went to projects located in notified backward districts/areas. The percentage share of each category of notified backward districts i.e., category 'A', 'B' and 'C' in the total assistance sanctioned for projects in notified backward districts worked out to 32%, 36% and 32% respectively.

Flow of Applications

2.04 During the year 1984-85, there was a marked improvement in the number of applications received for

financial assistance. IFCI, jointly with other Financial Institutions, processed during the year, applications from 419 concerns for an aggregate assistance of Rs. 3,028.57 crores as against applications from 332 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,931.19 crores in the previous year. Out of these 419 applicant concerns, applications from 150 concerns were for the setting up of new projects, and applications from 269 concerns were for their expansion/diversfication/ modernisation scheme and or additional assistance for meeting a part of overrun, etc.

2.05 Out of the applications from 419 concerns taken up for processing during the year, 385 concerns were sanctioned *gross* financial assistance aggregating Rs. 452.38 crores and applications from five concerns had to be treated as withdrawn or closed. As at the end of the year, applications from 29 concerns under IFCI's lead for an aggregate assistance on joint financing basis for Rs. 182.53 crores were pending.

Applications Pending at the Close of the Year

2.06 The position regarding pending applications in respect of which IFCI was in the lead, as on the 30th June, 1985 (with corresponding figures for the previous year) is given in Table 2.

Table 2 : Pending Applications

(As at the 30th June, 1985)

(Rs. crores)

Category of applications pending (IFCI lead cases)	Number of concerns from which applications were pending	Amount of assistance sought for *jointly from* institutions Rs.
(1)	(2)	(3)
Applications for concerns ready for processing (classified)	3	8·50
category ('A')	3	(8) (29·78)
Applications from concerns in regard to which certain important matters/ basic issues were outstanding and remained to be sorted out (classified as category 'B')	26	174·03
	(9)	(120·15)
Total	29	182·53
	(17)	(149·93)

Note : Figures in brackets denote the position at as the close of the previous year, i.e., 1983-84

2.07 In addition, applications from 78 concerns for an aggregate amount of Rs. 960.03 crores, were pending consideration under the lead of IDBI, ICIC and IRBI, in which IFCI is also likely to be involved during 1985-86.

Sanctions and Disbursements

2.08 The net financial assistance after making adjustments for cancellations, etc., of the order of Rs. 1.74 crores sanctioned by IFCI during the year aggregated Rs. 450,64 crores for 418 projects of 385 concerns, as against the net sanctions of Rs. 354.27 crores for 337 projects of 308 concerns in the previous year.

2.09 Disbursements in 1984-85 aggregated Rs. 309.72 crores as against Rs. 253.53 crores in 1983-84.

2.10 Table 3 gives the facility-wise classification of assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the year 1984-85 and also since inception up to the 30th June, 1985.

Table 3 Facility-wise Classification of Sanctions and Disbursements

(Rs. crores)

Facility	1984-85 (July-June)		Cumulative up to the 30th June, 1985	
	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rupee loans				
—Normal	231·11 (51·3%)	239·73 (77·4%)	1669·61 (64·4%)	1382·26 (72·2%)
—Soft Loans Scheme	63.12 (14·0%)	35·35 (11·4%)	265·78 (10·3%)	192·67 (10·0%)
Foreign currency loans	99·85 (22·1%)	27·60 (8·9%)	355·69 (13·7%)	217·32 (11·3%)
Underwritings	31·54 (7·0%)	4·81 (1·6%)	191·34 (7·4%)	55·18 (2·9%)
Direct subscriptions	1·18 (0·3%)	1·03 (0·3%)	12·28 (0·5%)	10.92 (0·6%)
Guarantees				
—For deferred payments	15·63 (3·5%)	1·20 (0·4%)	61·38 (2·4%)	32·73 (1·7%)
For foreign loans	8·21 (1·8%)	— (—)	34·82 (1·3%)	24·92 (1·3%)
Total	450·64 (100·0%)	309·72 (100·0%)	2590·00 (100·0%)	1916 00 (100·0%)

Note : Figures in brackets denote the percentages to the total.

Time taken for Processing of Applications

2.11 Of the 385 concerns sanctioned assistance during the year, 373 concerns were sanctioned assistance within a period of four months, nine within a period of four to six months, and three after a period of more than six months reckoned from the date of submission of complete information in each case.

Rupee Loans

2.12 Sanctions of rupee loans during the year amounted to Rs. 294.23 crores, which were 16.6% higher than the last year's sanctions of Rs. 252.35 crores. These included Rs. 63.12 crores of soft loan assistance sanctioned under the Soft Loans Scheme. This assistance marked an increase of 104.5% over the sanctions under the Soft Loans Scheme in 1983-84.

2.13 The disbursements of rupee loans inclusive of disbursements under Soft Loans Scheme during the year amounted to Rs. 275.08 crores as against Rs. 234.22 crores in 1983-84, marking an increase of 17.4%.

Foreign Currency Loans

2.14 Foreign currency loans sanctioned during the year amounted to Rs. 99.85 crores as against foreign currency loans of Rs. 55.70 crores sanctioned in 1983-84. With the augmentation of the foreign currency resources, the growth rate of foreign currency loan sanctions recorded an all-time increase of 79.3%.

2.15 The disbursements of foreign currency loans in 1984-85 were of the order of Rs. 27.60 crores as against Rs. 12.09 crores in 1983-84. The increase was as high as 128.3%

Guarantees

2.16 The sanctions of 'guarantees for deferred payments' and 'foreign loans' in 1984-85 aggregated Rs. 23.84 crores, as against Rs. 7.45 crores in 1983-84, recording an increase of 220.0%. The guarantees facility for deferred payments of Rs. 15.63 crores was for import of equipment from abroad. The said assistance was to varied projects in the field of processing and freezing of vegetables, ceramics, fertilizers, zinc, watches, textiles and mining. The guarantees for foreign currency loans were sanctioned to the extent of Rs. 8.21 crores to two projects, one relating to bicycle and one high-carbon-charge-chrome unit.

2.17 The guarantees issued during the year were for Rs. 1.20 crores which were granted on behalf of a zinc project in Kerala and an arecanut processing co-operative unit in Karnataka.

Underwriting and Direct Subscription Assistance

2.18 The facility of underwriting of equity shares and debentures to the extent of Rs. 31.04 crores and Rs. 0.50 crore was sanctioned during the year to 86 concerns and one concern respectively. The direct subscriptions to equity shares of 11 concerns to the extent of Rs. 0.79 crore and to debentures to the extent of Rs. 0.39 crore in the case of one concern were also sanctioned.

2.19 During the year under review, 49 issues of shares for Rs. 14.76 crores which were underwritten by IFCI were placed in the market, compared with 42 issues of shares for Rs. 12.37 crores in 1983-84. Shares amounting to Rs. 3.92 crores devolved on IFCI, pursuant to underwriting obligations.

2.20 During the year 1984-85, disbursements in respect of shares devolved under underwriting obligations (including those devolved in earlier years) amounted to Rs. 4.81 crores. In addition, disbursements in respect of direct subscriptions to shares and debentures, to an aggregate extent of Rs. 1.03 crores (for 13 companies) were also made in 1984-85.

Cumulative Sanctions and Disbursements

2.21 The cumulative net financial assistance sanctioned by IFCI during the period of 37 years of its service to Indian industry amounted to Rs. 2,590.90 crores to 2,093 projects of 1,728 concerns, spread all over the country. The cumulative disbursements as on the 30th June, 1985, amounted to Rs. 1,916.00 crores which represented 74.0% of the total sanctions. However, in relation to the total loan assistance sanctioned, the disbursements against the loan assistance accounted for 78.2% as at the end of the 30th June, 1985. The total assistance outstanding as on the 30th June, 1985, amounted to Rs. 1,372.31 crores from 1,302 concerns.

Assistance to Priority Sector

2.22 Financial assistance sanctioned during 1984-85 to industries of high national priority amounted to Rs. 249.21 crores to 228 projects. In addition, other selected industries of importance (basically those listed in Appendix I to Industrial Policy Statement dated the 2nd February, 1973 as amended from time to time but excluding those already included in the list of high priority industries) claimed assistance of Rs. 90.63 crores for 74 projects. Thus, out of 418 projects sanctioned assistance of the order of Rs. 450.64 crores, 302 projects in industries of high national priority and other selected industries of importance claimed an assistance of Rs. 339.84 crores accounting for 75.4% share in the total assistance sanctioned in 1984-85.

2.23 Out of the disbursement of assistance of Rs. 309.72 crores in 1984-85, 85.0% i.e., Rs. 263.14 crores, was in respect of projects in industries of high national priority and other selected industries of importance.

2.24. About 82% of the Assistance granted by IFCI during the decade 1975-85 had gone to industries of high national priority and other selected industries of importance.

Purpose-wise Classification of Assistance

2.25 Table 4 gives the purpose-wise analysis of the assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the year and also cumulatively up to the 30th June 1985.

Table 4 : Purpose-wise Cassification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. crores)

Purpose	No. of projects	1984-85 (July-June)		Cumulative up to the 30th June, 1985	
		Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	Sanctions Rs.	Disbursement Rs.
(i) New projects	141	244·54 (54·3%)	215·38 (69·5%)	1668·48 (64·4%)	1227·61 (64·1%)
(ii) Expansion/diversification	50	67·60 (15·0%)	27·54 (8·9%)	474·93 (18·3%)	380·75 (19·9%)
(iii) Modernisation/renovation, etc. —Soft Loans Scheme	87	63·12 (14·0%)	35·35 (11·4%)	265·78 (10·3%)	192·67 (10·0%)
—Normal					
(iv) Other puposes viz., for meeting overrun in the cost of projects, rehabilitation, balancing equipment, etc.	140	75·38 (16·7%)	31·45 (10·2%)	181·71 (7·0%)	114·97 (6·0%)
Total	418	450·64 (100·0%)	309·72 (100·0%)	2590·90 (100·0%)	1916·00 (100·0%)

Note - Figures in brackets denote percentages to the total.

Assistance to New Projects

2.26 Out of 418 projects assisted during the year, 141 (33.7%) were new projects, which claimed assistance of the order of Rs. 244.54 crores (54.3% of the total sanctions). Of these, 19 projects each had a capital outlay up to Rs. 3 crores; 33 projects had individually a capital outlay exceeding Rs. 3 crores but up to Rs. 5 crores; 48 projects were in capital outlay range exceeding Rs. 5 crores but up to Rs. 10 crores, and 41 projects were those, whose capital cost was above Rs. 10 crores. It ouwld, thus, be observed that among the new projects financed during the year, 36.9% of the projects were in the project cost range of up to Rs. 5 crores and 34.0% of the projects were those which individually had a project cost between Rs. 5 crores and Rs. 10 crores while 29.1% of the projects had individual project cost about Rs. 10 crores.

Assistance to Modernisation Projects

2.27 The projects claiming assistance for the purpose of modernisation were 87, which accounted for an aggregate assistance of Rs. 63.12 crores, being 14% of the total assistance sanctioned during the year, as against 74 projects sanctioned assistance of Rs. 42.17 crores in 1983-84. This showed an increase of 17.6% in the number of projects and 49.7% in the quantum of assistance sanctioned for modernisation.

2.28 The assistance sanctioned under the Soft Loans Scheme which covered the entire assistance sanctioned for modernisation during the year was higher by 29.9% by number of projects and 104.5% by the quantum of assistance, when compared with the previous year's sanctions of the order of Rs. 30.87 crores to 67 projects under the Soft Loans Scheme.

Assistance to Expansion and diversification Projects

2.29 Assistance of the order of Rs. 67.60 crores during the year went to 50 projects for their expansion and diversification programmes in 1984-85. This was more by 92.0%, the number of projects being more by 13.6% when compared with the assistance of Rs. 35.21 crores sanctinoed to 44 projects last year for their expansion/diversification programmes.

Assistance for Other Purposes

2.30 Financial assistance amounting to Rs. 75.38 crores were sanctioned to 140 projects during 1984-85 for other purposes, viz., for meeting overrun in the cost of projects, rehabilitation schemes, acquisition of balancing equipments, etc. as compared to Rs. 24.13 crores sanctioned for 72 projects during the preceding year.

Sectoral Classification of Assistance

(a) *Co-operative Sector*

2.31 During the year, IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 26.45 crores to 28 projects in the cooperative sector. These included 10 sugar co-operatives claiming assistance of the order of Rs. 7.65 crores, 14 textile co-operatives with an assistance of Rs. 14.45 crores, and four bagasse-based paper mills in the co-operative sector with an assistance of Rs. 4.35 crores. The assistance sanctioned to industrial co-operatives in 1984-85 formed 5.9% of the total assistance sanctioned during the year.

2.32 Disbursements to the units in the co-operative sector during the year, amounted to Rs. 25.86 crores, of which, Rs. 12.86 crores were disbursed to 40 sugar co-operatives, Rs. 1.81 crores to one cocoa processing co-operative and Rs. 2.93 crores to three paper co-operatives.

2.32 Disbursements to the units in the co-operative sector sanctioned assistance of the order of Rs. 294.05 crores to 274 co-operatives, of which, Rs. 253.09 crores (86.1%) had already been disbursed. Table 5 gives the break-up of the assistance sanctioned and disbursed to various industrial cooperatives.

Table 5 : Assistance to Industrial Co-operatives (1984-85)

(Rs. crores)

Nature of industrial co-operatives	No. of co-operatives	Amount sanctioned Rs.	Amount disbursed Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Sugar	183	192·69	183·96
Cotton spinning	80	73·63	57·88
Jute	1	0·79	0·79
Paper	4	4·35	2·93
Fertilisers	3	18·00	3·00
Synthetic fibres	1	2·50	2·50
Vegetable oil	1	0·22	0·22
Cocoa processing	1	1·87	1·81
Total	274	294·05	253·09

The assistance to the cooperative sector formde 11.3% of the total cumulative assistance portfolio of IFCI as on the 30th June, 1985.

(b) *Corporate Sector*

2.34 Table 6 gives the analysis of assistance sanctioned during the year, and cumulaitvely up to the 30th June, 1985 to indusrtial projects in the corporate sector, which includes industrial units in private, joint as well as public sectors.

Table 6 : Analysis of Assistance Sanctioned and Disbursed to the Corporate Sector

(Rs. crores)

Sector	1984-85 (July-June) Sanctions No. of projects	Sanctions Amount Rs.	Disbursements Rs.	Cumulative up to the 30th June, 1985 Sanctions No. of projects	Sanctions Amount	Disbursements Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private	314	331·01	189·52	1·419	1,641·49	1,198·27
Joint	52	56·25	58·20	179	346·67	224·03
Public	24	36·93	36·14	221	308·69	240·61
Total	390	424·19	283·86	1,819	2,296·85	1,662·91

2.35 Compared with the previous year, the quantum of assistance during the year increased by 62.8% to concerns in the private sector. The share of assistance to joint sector and public sector units, during the year, however, came down by 33.1% and 7.3% respectively compared with the sanctions accorded last year. The overall share of assistance claimed durnig the year by private, joint and public sector units, was 73.4%, 12.5% and 8.2% respectively.

2.36 In view of the considerable relaxations offered to MRTP/FERA companies, the share of assistance of Large Industrial House, (i.e. inter connected undertakings with total assets above Rs. 20 crores registered under the MRTP Act, 1969), during the year, went up from Rs. 22.10 crores last year to Rs. 87.17 crores for 61 projects of 48 concerns. This formed 19.3% of the total assistance sanctioned in 1984-85 as compared to 6.2% of the total assistance sanctioned in the previous year.

2.37 Out of the assistance sanctioned to 61 projects belonging to Large Industrial Groups in 1984-85, 49 projects were inhigh priority sector industries, like fertilisers, cement, paper, textiles, non-ferrous metals, basic industrial chemicals, etc. Out of the remaining 12 projects, 11 were in connection with the modernisation assistance under the Soft Loans Scheme and one project was assisted under a rehabilitation programme.

2.38 The cumulative financial assistance sanctioned by IFCI to concerns belonging to Large Industrial Houses i.e., inter-connected undertakings with total assets above Rs. 20 crores registered under the MRTP Act, 1969, upto the 30th June, 1985, amounted to Rs. 543.52 crores for their 378 projects. This comprised Rs. 346.52 crores by way of rupee loans, Rs. 134.80 crores of foreign currency loans, Rs. 32.46 crores by way of underwritings/direct subscriptions and Rs. 29.74 crores in the form of guarantees, and, formed 21% of the total cumulative assistance sanctioned to industrial concerns by IFCI up to the 30th June, 1985.

2.39 It needs to be appreciated that the basic role conceived for IFCI when it was set up in 1948, was financing of medium and large scale industries, mainly in the private corporate sector and co-operative sector. It was only in 1970 that IFCI took to the financing of medium scale public sector units also on selective basis, on the same terms and conditions as applicable to the private corporate sector. Thereafter, IFCI also started extending assistance to projects under the then evolved concept of establishing industries in the joint sector. The share of the public and joint sector projects in IFCI's assistance portfolio has to be viewed in this context.

2.40 Cumulatively, the share of assistance of proviate sector projects in IFCI's total assistance portfolio as on the 30th June, 1985, was the largest, i.e., 63.4%; the share of joint and public sector projects being 13.4% and 11.9% respectively. The assistance sanctioned to the entire corporate sector formed 88.7% of the total assistance portfolio of IFCI up to the 30th June, 1985.

Industry-wise Coverage of Assistance

2.41 Industry-wise coverage of assistance during the year and cumulatively up to the 30th June, 1985 is given in Table 7.

Table 7. Industry-wise Coverge of Assistance

(Rs. crores)

Industry	1984-85 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1985		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic industries (viz., basic metal industries, basic industiral chemicals, fetilisers, cement, mining, power generation, etc.)	110	163·08	36·2	459	833·21	34·1
Capital goods industries (viz., machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.)	56	61·72	13·7	307	312·55	12·0
Intermediate goods industries (viz. chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes, etc)	99	106·31	23·6	391	450·26	17·4
Consumer goods Industries (viz. sugar, other food products, cotton/woollen textiles, paper and other miscellaneous industries)	137	107·45	23·8	881	890·66	34·4
Service industries (Viz. hotels shipping, etc.)	16	12·08	2·7	55	54·02	2·1
Total	418	450·64	100·0	2093	2590·90	100·0

2.42 The industries which claimed a significant share in IFCI's assistance during the year were textiles (11.6%), fertilisers (10.1%), synthetic fibres (9.9%), cement (9.4%), chemicals and chemical projects (6.1%), electrical machinery and equipments (5.9%), transport equipment (5.5%), plastic products and materials (4.9%), paper (3.9%), iron and steel (3.5%), etc.

2.43 In the cumulative picture, textile, cement and sugar continued to be the largest beneficiaries of IFCI's assistance having claimed together 36.2% of assistance in IFCI's total assistance portfolio followed by chemicals & chemical products (8.5%), paper (6.4%), fertilisers & pesticides (5.9%), iron & steel (5.7%), synthetic fibres (5.2%), transport equipment (4.7%), electrical machinery and appliances (3.8%) non-ferrous metals (2.4%), power generation (2.3%), etc.

Table 8: State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. crores)

State/Territory	1984-85 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1985		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	35	45·79	10·2	184	257·69	9·9
Assam	1	3·20	0·7	19	25·89	1·0
Bihar	7	4·76	1·1	62	64·89	2·5
Gujarat	33	34·13	7·6	198	270·54	1.4
Haryana	11	6·42	1·3	90	78·22	3·0
Himachal Pradesh	7	5·71	1·3	23	26·77	1·0
Jammu & Kashmir	5	7·66	1·7	14	14·50	0·6
Karnataka	27	24·71	5·5	157	184·99	7·1
Kerala	13	16·28	3·6	66	83·83	3·2
Madhya Pradesh	24	23·11	5·1	76	107·58	4·2
Maharashtra	57	65·88	14·7	372	393·36	15·2
Meghalaya	—	—	—	2	2·74	0·1
Nagaland	1	1·41	0·3	3	2·08	0·1
Orissa	10	20·61	4·5	48	89·20	3·5
Punjab	23	17·81	3·9	77	104·98	4·1
Rajasthan	32	25·51	5·7	92	148·85	5·8
Sikkim	—	—	—	1	1·00	—
Tamil Nadu	42	32·41	7·2	177	220·95	8·5
Tripura	—	—	—	1	1·16	—
Uttar Pradesh	54	84·81	18·9	226	315·56	12·2
West Bengal	20	21·33	4·7	160	141·41	5·5
Andaman & Nicobar Islands	1	0·30	0·1	1	0·82	—
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0·16	—
Chandigarh	2	0·41	0·1	2	0·76	—
Dadra & Nagar Haveli	1	0·61	0·1	1	0.61	—
Delhi	8	5·17	1·1	20	30·99	1·2
Goa	2	1·25	0·3	17	11·78	0.5
Pondicherry	2	1·36	0·3	9	9.70	0·4
Total	418	450·64	100·0	2093	2590·90	100·00

State-wise Spread of Assistance

2.44 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1984-85, and cumulatively up to the 30th June, 1985, is set out in Table 8.

2.45 A special feature of the State-wise pattern of assistance, during the year, was that Union Territory of Dadra & Nagar Haveli was covered by IFCI's assistance for the first time, where assistance was sanctioned for setting up a new auto-ancillary and billet grinding machine manufacturing unit by an existing concern under its diversification scheme.

2.46 Uttar Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh claimed the first three positions in the IFCI's assistance portfolio during the year 1984-85, claiming 18.9%, 14.7% and 10.2% shares respectively in the total assistance sanctioned.

2.47 Compared with the previous year, while the States of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu, and West Bengal, were able to improve their share in IFCI's assistance during the year, the States whose share in IFCI's assitance slided down, during the year, were Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh and Orissa.

2.48 Cumulatively, Maharashtra, Uttar Pradesh and Gujarat continued to occupy the first three positions in the IFCI's total assistance portfolio. The next in order were Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Rajasthan and West Bengal.

Assistance to Projects in Notified Backward Districts/Areas

2.49 Out of the total assistance of Rs. 450.64 crores for 418 projects sanctioned during the year, 60.5%, i.e., Rs. 272.59 crores was accounted for by 220 projects (52.6% of the total number of projects assisted) located in notified backward districts/areas.

2.50 With the re-classification of backward districts/areas as category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts; 'B' and 'C', IFCI made special endeavours so that its assistance could reach as many 'No-Industry' Districts/industrially backward areas, as possible. During the year, 49 projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 87.03 crores in category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts, as against 23 projects with an assistance of Rs. 26.99 crores sanctioned last year. Thus, the assistance sanctioned for projects in category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts, in 1984-85 was more than three times the sanctions made in 1983-84 for such projects. In category 'B' and 'C' Districts, 97 and 74 projects were sanctioned assitance of the order of Rs. 97.75 crores and Rs. 87.81 crores, respectively.

2.51 Of the projects assisted in the notified industrially backward districts/areas 100 were new projects, of which 72 projects each involved a capital outlay of Rs. 10 crores and below and 28 projects each had a capital outlay of more than Rs. 10 crores.

2.52 The assisted projects in category 'A', 'B' and 'C' districts mainly pertained to industries like textiles (37), cement (29), chemicals & chemical products (21), fertilisers & pesti-

cides (17), synthetic resins & plastic products (13), electrical machinery & appliances (13), iron & steel (9), synthetic fibres (13) paper (10), transport equipment (9), metal products (7), miscellaneous non metallic mineral products (7), sugar (6), etc.

2.53 *Cumulatively, up to the 30th June, 1985, IFCI had* sanctioned financial assistance aggregating Rs. 1,345.80 crores to 954 projects located in notified backward districts/area which has constituted 51.9% of IFCI's net cumulative sanctions.

Projects Promoted by New Entrepreneurs

2.54 Out of 141 new projects assisted during the year, 18 projects were those promoted by new and technician entrepreneurs, which claimed an assistance of Rs. 17.56 crores. The said projects were spread over industries like cement, plastic products, chemicals, glass, hotel, miscellaneous food products, etc. Further, of the above mentioned 18 new projects promoted by new entrepreneurs, 15 projects were located in notified backward districts/areas out of which seven were located in category 'A' (No-Industry/Special Region) District.

2.55. During 37 years of its service to Indian Industry, IFCI has been able to bring up a number of first generation entrepreneurs from diverse backgrounds on the industrial horizon of the country. As many as 253 projects promoted by these new entrepreneurs have claimed assistance of the order of Rs. 167.63 crores from IFCI alone, out of its total assistance portfolio.

Assistance to Export-oriented Projects

2.56 During the year, nine 100% export-oriented projects were sanctioned assistance of Rs. 21.92 crores. In addition, three more projects, having substantial export obligation above 60% of their production, were sanctioned assistance of the order of Rs. 4.48 crores during the year. The range of products of these projects included leather products, cotton combed yarn, floppy discs, electronic PAB systems, wrist watches, magnetic tapes, high carbon ferro chrome, ceramic tiles, miscellaneous food products, stainless steel cutlery, diesel engine, etc.

Assistance to Projects involving Foreign Collaborations and Technology Transfer from Abroad

2.57 Out of 418 projects assisted during the year, 68 projects, which were sanctioned assistance of the order of Rs. 149.63 crores, involved foreign collaborations and/or technology transfer from abroad. Of the above, 21 projects involved both financial and technical collaboration, while the remaining 47 projects involved only technical collaboration. The 68 projects involving foreign collaborations were spread over industries like automobiles (11 projects), electrical machinery and equipments (13 projects), industrial machinery (6 projects), plastic products (6 projects), synthetic fibres (5 projects) iron & steel (4 projects,) metal products (4 projects), chemical & chemical products (4 projects) and other industries (15 projects).

2.58 *The countries from where,* and the number of projects for which, the technology was obtained, were Japan (10), USA (24), Federal Republic of Germany (12), Italy (2), France (6), U. K. (3), Switzerland (2), Denmark (1), Norway (1), Finland (1), Ireland (1), Netherlands (1), Luxembourg (1), South Korea (1), Singapore (1), and Poland (1).

Special Features of Projects Assisted (1984-85)

2.59 During the year, IFCI assisted a number of projects which had some special characteristics, e.g, introducting the product proposed to be manufactured for the first time in the country, making full utilisation of by-products or waste material, using fuel-efficient or power-efficient technology, besides use of local resource endowments, etc. Among these projects were projects which were intending to introduce, for the first time, products like heavy and light weight non-woven fabrics, poly-tetra fluoro-ethylene (PTFE), biaxially-oriented and balanced polyester film of sophisticated grade, synthetic, mirrors, cross film laminates, thermostatic bimetal strips, video tapes and cassettes, gypsum fibre board, edible grade rice bran oil, etc. In sulphuric acid and single super phosphate projects, which were sanctioned financial assistance during the year, it was ensured that the plants adopted DCDA process to make the sulphuric acid plans pollution-free and had the facilities for recovery of the fluorine as sodium silicofluoride. It was further ensured that the plants were fuel efficient and were able to utilise properly the waste heat available from the process gases of sulphuric acid plant. In other cases, envisaging acquisition of foreign technology, it was ensured that the technology was not only the advanced one but also fuel as well as power-efficient.

Plan-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

2.60 A significant feature of IFCI's operations over the years has been the integration of its lending policies with the country's Five Year Plans. The way, IFCI has been able to keep pace with the tempo of industrialisation in the country during each of the Plan periods, can be gauged from the assistance sanctioned and disbursed by it as is given in Table 9.

2.61 It would be observed from the above that during the Sixth Five Year Plan period (1980-85), IFCI's total sanctions and disbursements amounted to Rs. 1,505.76 crores and Rs. 1,098.18 crores, which were higher by 160.1% and 190.9%, respectively, than those in the Fifth Five Year Plan period and the two years 1978-79 and 1979-80.

Tabe 9 : Plan-wise Assistance Sanctioned and Disburesed

(Rs. crores)

Year ending the 30th June	Net financial assistance sanctioned				Financial assistance disbursed			
	Loans Rs	Under-writings Rs.	Guarantees Rs.	Total Rs	Loans Rs.	Under-writngs Rs.	Guarantees Rs.	Total Rs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Period prior to the First Plan 1949-51	8·13	—	—	8·13	5·79	—	—	5·79
The First Plan 1952-56	27·03	—	—	27·03	10·94	—	—	10·94
The Second Plan : 1957-61	52·96	3·57	16·30	72·83	40·62	1·31	15·11	57·04
The Third Plan : 1962-66	123·92	17·22	29·48	170·62	100·33	14·00	26·80	141·13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
The Annual Plan :								
1967	13·18	1·87	4·00	19·05	34·76	2·90	5·64	43·30
1968	14·95	1·49	0·89	17·33	27·24	1·06	2·62	30·92
1969	24·19	2·41	0·39	26·99	16·44	1·68	0·28	18·40
Total	52·32	5·77	5·28	63·37	78·44	5·64	8·54	92.62
1970	12·07	1·24	0·04	13·35	18·85	0·85	0·34	19·23
1971	28·29	2·15	0·42	30·86	19·03	0·87	0·20	20·10
1972	33·71	4·57	—	38·28	23·82	1·00	0·12	24·94
1973	40·87	2·01	0·60	43·48	33·43	2·30	0·62	36·35
1974	35·75	2·47	0·04	38·26	30·67	1·46	0·05	32·18
Total	150·69	12·44	1·10	164·23	124·99	6·48	1·33	132·40
The Fifth Plan :								
1975	29·73	3·89	—	33·62	37·72	1·07	0·34	39·13
1976	45·18	3·10	—	48·28	43·65	2·40	—	46·05
1977	84·18	8·29	—	92·47	58·85	1·72	—	60·57
1978	99·33	5·50	0·28	105·11	59·36	5·10	—	64·46
Total	258·42	20·78	0·28	279·48	199·58	10·29	0·34	210·21
The Annual Plans :								
1979	138·98	9·67	—	148·65	68·97	3·15	0·20	72·32
1980	142·12	8·68	—	150·80	92·73	2·24	—	94·97
Total	281·10	18·35	—	299·45	161·70	5·39	0·20	167·29
The Sixth Plan:								
1981	177·93	17·15	0·70	195·78	125·96	2·14	—	128·10
1982	227·10	19·41	5·77	252·28	183·97	2·67	0·87	187·51
1983	238·23	18·79	5·71	262·73	210·94	7·04	1·34	219·32
1984	299·17	37·42	7·74	344·33	246·31	5·30	1·92	253·53
1985	394·08	32·72	23·84	450·64	302·68	5·84	1·20	309·72
Total	1336·51	125·49	43·76	1505·76	1069·86	22·99	5·33	19098·18
Grand Total	2291·08	203·62	96·20	2590·90	1792·25	66·10	57·65	1916·00

Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI

2.62 IFCI's assistance has a significant catalytic role in mobilising resources for investment in industrial projects. An analysis of funding pattern of 342 projects assisted by IFCI during 1984-85 (excluding 76 cases of sanctions of additional assistance during the year for financing purely overrun in the cost of projects, etc.) reveals that the total estimated cost of these projects aggregating Rs. 4,508.48 crores was funded as per details given in Table 10 on the next page.

Stipulation, Exercise and Waiver of Convertibility Options

2.63 In respect of sanctions accorded during the year, convertbility clause was stipulated only in 68 cases. The convertibility right was exercised during the year only in 10 cases and waived in 61 cases.

2.64. Cumulatively, IFCI had stipulated the convertibility clause in 997 cases, had exercised the convertibility option in 103 cases and had waived the same, after taking into account all the relevant factors, in 346 cases.

Nominations

2.65 During the year, IFCI appointed nominees (officials as well as non-officials) on the Boards of Directors of 60 assisted concerns. Cumulatively, up to the 30th June, 1985, IFCI had appointed 265 nominees on the Boards of 486 assisted concerns, of which, 104 were officials and 161 were non-officials.

Sanctions Accorded in Public Interest

2.66 During the year, assistance aggregating Rs. 1.62 crores was sanctioned to two concern in which IFCI Directors were interested and to whom assistance was sanctioned by the Board of Directors in 1984-85 in public interest in terms of Industrial Finance Corporation of India (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982, framed by the Board of Directors and approved by IDBI for the purpose of regulating the conduct of business attracting the provisions of Section 26(2) of the IFC Act, 1948. A Statement giving particulars of such sanctions, is given in *Appendix III* to the Report.

Table 10 : Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI

(Rs. crores)

Financing Pattern	New projects	Expansion/ diversification projects	Modernisation projects	Assistance for rehabilitation balancing equipment etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of projects	141	50	87	64	342
I. Promoters' contribution					
—Share capital	346·82 (13·4%)	47·43 (8·8%)	38·12 (3·4%)	2·94 (1·1%)	435·31 (9·7%)
—Unsecured subordinated loans	11·16 (0·4%)	4·11 (0·8%)	5·67 (0·5%)	8·70 (3·2%)	29·64 (0·7%)
—Internal accruals etc.	151·86 (5·9%)	91·54 (17·0%)	179·98 (16·2%)	56·88 (21·2%)	480·26 (10.7%)
II. Assistance by term lending Institutions viz. IFCI, IDBI & ICICI	1148·48 (44·3%)	170·89 (31·8%)	365·26 (32·9%)	125·29 (46·6%)	1809·92 (40·2%)
—Loans & Debentures					
—Equity support	159·67 (6 2%)	1·70 (0·3%)	— (—)	— (—)	61·37 (3.6%)
III. Assistance by investment Institutions, viz, LIC, GIC & UTI	97·82 (3·8%)	43·65 (8·1%)	100·59 (9·1%)	25·23 (9·4%)	267·29 (5·9%)
IV. Assistance by Banks (term finance)	262·94 (10·2%)	21·50 (4·0%)	55·26 (5·0%)	30·63 (11·4%)	370·33 (8·2%)
V. Assistance by state level Institutions	39·26 (1·5%)	7·38 (1·4%)	3·50 (0·3%)	2·42 (0·9%)	52·56 (1·1%)
VI. Rights issues	78·78 (3·0%)	57·64 (10·7%)	9·16 (0·8%)	0·53 (0·2%)	146·11 (3·2%)
VII. Deferred payments	256·91 (9·9%)	24·45 (4·5%)	— (—)	13·76 (5·2%)	295·12 (6·5%)
VIII. Loans from foreign institutions	10·48 (0·4%)	16·87 (3·1%)	205·00 (18·5%)	— (—)	232·35 (5·2%)
IX. Others	27·20 (1·0%)	51·00 (9·5%)	147·79 (13·3%)	2·23 (0·8%)	228·22 (5·0%)
Total	2591·38 (100·0%)	538·16 (100·0%)	1110·33 (100·0%)	268·61 (100·0%)	4508·48 (100·0%)

Notes : 1. Figures in brackets denote percentages to the total.

2. The above exclude the cases of sanction of assistance for meeting the overrun in the cost of projects etc.

(B) Resources

2.67 For its project financing operations, the resources of IFCI comprise its share capital, reserves, repayment of loans by the borrowers and sale/redemption of Investments, borrowings from the market by issue of Bonds, loans from the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the Central Government, foreign credits secured from foreign Financial Institutions, and borrowings in the international capital markets. Developments on the resources scene of IFCI in 1984-85 are reported below.

Share Capital

2.68 During the year, the paid-up share capital of IFCI was raised from Rs. 27.50 crores to Rs. 35.00 crores by calling the balance amount of Rs. 2,500/- per share on 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each and making an additional issue of 20,000 shares (Tenth Series) of Rs. 5,000/- each on which 50% of the amount by way of application money per share, was called up.

Reserves

2.65 With the transfer of Rs. 25.99 crores out of the profits for the year ended the 30th June 1985 and after providing for net increase as a result receipt and utilisation of funds under Interest Differential Funds (Grants Portion) to the extent of Rs. 0.01 crore, and under the Benevolent Reserve Fund (BRF) to the extent of Rs. 0.23 crore, the reserves of IFCI increased from Rs. 88.09 crores to Rs. 114.32 crores. These exceeded the paid-up capital of IFCI by Rs. 79.32 crores.

Repayments of the Loans and Sale/Redemption of Securities

2.70 During the year, the net cash receipts on account of repayment of principal made by the borrowers amounted to Rs. 67.05 crores as against Rs. 57.75 crores in the previous year.

2.71 The receipts from sale/redemption of investments amounted to Rs. 1.42 crores during the year, as against Rs. 1.85 crores in the previous year.

2.72 With the total receipts on account of (a) repayment of loans, (b) sale/redemption of investments, (c) loans converted into equity shares to hte extent of Rs. 0.90 crore, aggregating Rs. 69.37 crores in 1984-85, the increase over the previous years receipts of the order of Rs. 60.12 crores, worked out to 15.4%.

Bond Issues

2.73 During the year, IFCI made two public issues of Bonds, viz., 9% Bonds 1999 (Second Series) for Rs. 69.25 crores on the 20th December, 1984 and 9.75% Bonds 1998 (Forty-first Series) for Rs. 160.00 crores on the 10th June, 1985. Both the issues were fully subscribdd and including premissible 10% amount of the issues which could be retained by IFCI, the total amount of funds mobilised by issue of bonds, during the year, amounted to Rs. 248.02 crores.

2.74 After redeeming four series of Bonds, viz. 5¼% Bonds 1984, 6% Bonds 1984fi 5¼% Bonds 1985 and 6% Bonds 1985 for Rs. 11.01 crores, Rs. 13.17 crores, Rs. 11.00 crores and Rs. 12.47 crores respectively, i.e., Rs. 47.65 crores in aggregate the net amount of Bonds as on the 30th June, 1985 stood at Rs. 1,081.91 crores, as against Rs. 881.54 crores on the 30th June, 1984. With the inclusion of 7.6% Bonds in Yen currency to the tune of Rs. 25.09 crores, the outstandings amounted to Rs. 1,107.00 crores.

Borrowings from IDBI and the Central Government

2.75 Execpt temporary borrowings from Industrial Development Bank of India (IDBI) of Rs. 40 crores which were outstanding as on the 30th June. 1985, no loans were raised either from IDBI or from the Central Government. However, Rs. 2.50 crores and Rs. 0.68 crore were repaid to IDBI and the Central Government respectively during the year, with the result that net outstanding borrowings from IDBI and the Central Government came down from Rs. 83.75 crores and Rs. 4.12 crores to Rs. 81.25 crores and Rs. 3.44 crores respectively, as on the 30th June. 1985. Including the temporary loan of Rs. 40 crores from IDBI, the outstanding borrowings from IDBI stood at Rs. 121.25 crores.

2.76 Insofar as the loans portion under the Interest Differential Funds (IDFs) is concerned, during the year, a sum of Rs. 0.90 crore was obtained from the Central Government, and a sum of Rs. 0.24 crore was repaid under this account. Thus, the total loan portion of IDFs payable to the Central Government aggregated Rs. 6.03 crores as on the 30th June, 1985 as against Rs. 5.37 crores as on the 30th June, 1984.

Borrowings from Foreign Financial Institutions

2.77 With the allocation of 23rd Line of Credit of DM 25 million during the year, IFCI's borrowings in foreign currency, from Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) Federal Republic of Germany, aggregated DM 302.500 million, against which IFCI had sanctioned sub-loans to eligible industrial concerns aggregating DM 313.890 million up to the 30th June, 1985. In addition, sub-loans for DM 97.074 million had been sanctioned against DM Revolving Funds which represented the amounts recovered from the DM sub-borrowers and converted, with the approval of the Government of India, into DM, pending repayment of the same to KFW.

2.78 As on the 30th June, 1984, the outstanding balance of DM Lines of Credit availed of by IFCI from KFW was DM 155.704 million. During the vear, a sum equivalent to DM 28.912 million was availed of and an amount of DM 5.028 million was repaid. The outstanding amount against borrowings in foreign currency from KFW as on the 30th June, 1985 stood at DM 179.588 million equivalent to Rs. 73.24 crores (at TT selling rates prevailing on the 30th June, 1985.)

Borrowings in the International Capital Markets

2.79 To augment its foreign exchange resources, IFCI, during the year, also contracted an agreement on the 24th July, 1984 for a Euro-Dollar Loan of US $ 20 million, with the Continental Bank S.A./N.V., Brussels (Belgium), acting as Manager and Agent for other participating Banks/Financial Institutions, viz., Mitsubishi Bank (Europe) S.A., Bank of Yokohama (Europe) S.A., European Arab Bank (Brussels) S.A., and Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) S.A. out of which, a sum of US $12 million equivalent to Rs. 14.98 crores (at TT selling rate prevailing on the 30th June, 1985) was drawn up to the 30th June, 1985. The above Loan stands fully committed to the sub-borrowers as on the 30th June, 1985.

2.80 In addition to the above Euro-Dollar Loan, IFCI, for the first time, in December 1984, also raised/availed Japanese Yen 5 billion (equivalent to Rs. 25.09 crores at the TT selling rate prevailing on the 30th June, 1985) by way of private placement of Bonds in the Japanese capital market. An Agreement to this effect was signed on the 5th December, 1984 with Daiwa Securities Co. Ltd., as the lead Arrangers, for the said Bond Issue. This amount had also been fully committed as on the 30th June, 1985.

2.81 To augment its foreign exchange resources further, IFCI, with the approval of the Central Government, also signed an Agreement on the 12th July, 1985 for a second Euro-Dollar Loan o US $ 25 million lead managed by Lloyds Bank International Ltd., with participation from Lloyds Bank International Ltd., Banque Belge Ltd., Banque Belge Pour L'Etranger S.A., Credit du Nord, Italian International Bank PLC, Royal Bank of Canada (Belgium) S.A., and Nippon Europaen Bank S.A.

2.82 The raising of the above commercial borrowings has enabled IFCI, amongst others, to meet the foreign exchange requirements of even those industrial concerns, as e.g., mining, shipping, sea fishing, generation of electricity, power and gas, hotels, etc., which, otherwise, were not eligible under the KFW DM Lines of Credit with IFCI. Moreover, large projects including those in the public sector, would be considerably benefited by the aforementioned commercial borrowings by IFCI.

2.83 Since, in accordance with the terms and conditions of the borrowings, the repayment liability did not arise during the year 1984-85, no repayment against these borrowings was made during the course of the year.

Sources and Uses of Funds

2.84 In 1984-85, the total requirements of funds for disbursement of assistance, repayment of borrowings, redemption of bonds, payment of interest, dividend, tax, and for closing cash balance, etc., aggregated Rs. 519.88 crores, signifying an increase of 49.7% over the previous year's requirement of funds of the order of Rs. 347.35 crores.

2.85 The aforesaid requirement of funds was met by (i) increase in the paid-up capital to the extent of Rs. 7.50 crores, (ii) generation of profits before tax of Rs. 42.09 crores, (iii) recoveries of principal amount of loans from borrowers and sale of investments etc., to the extent of Rs. 69.37 crores, (iv) borrowings from market by way of bonds of Rs. 248.02 crores, (v) deposits to the extent of Rs. 400 crores (vi) borrowings in foreign currency equivalent to Rs. 51.86 crores, (vii) receipt of Rs. 2.00 crores under Interest Differential Funds, (viii) Rs. 40.00 crores borrowed from IDBI, (ix) Rs. 1.36 crores from miscellaneous sources and (x) the opening cash balance of Rs. 53.68 crores.

(C) Overdues, etc.

Overdues

2.86 As on the 30th June 1985, IFCI had in its outstanding assistance portfolio, loans aggregating Rs. 1,307.31 crores from 1,245 assisted concerns. Undoubtedly, a few of them had run into difficulties—some at the implementation stage, some during initial operating years, and, yet, some became

sick after having run successfully for a number of years. Further, due to poor performance of some of the industries during the year, as e.g. textiles, sugar, metal products, paper etc., these concerns found it genuinely difficult to meet their obligations to the Institutions in time. As such, IFCI, in tune with its policy of helping the units in difficulties (particularly where the reasons for the overdues were purely external and discernible in a large group of industrial units), provided them need-based reliefs by way of postponement/ rescheduling of overdue amounts, etc.

2.87 After accounting for the reliefs given to the concerns in difficulties, these were, as at the end of the year, 184 concerns with total overdues (covering principal Rs. 33.73 crores and interest Rs. 17.05 crores) aggregating Rs. 50.78 crores. These overdues formed about 3.9% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 30th June, 1985 as against 5.9% on the 30th June, 1984.

2.88 The Industry-wise analysis of these overdues for the year 1984-85 revealed that out of 184 concerns, 31 concerns in textiles, 24 in sugar, 17 in metal products, 14 in paper and 11 in iron & steel industry accounted for Rs. 7.88 crores, Rs. 12.54 crores, Rs. 4.52 crores, Rs. 7.48 crores and Rs 2.90 crores of overdues respectively. The aforesaid five industries together accounted for 69.6% of the total overdues as on the 30th June, 1985.

Rehabilitation of Sick Units

2.89 During the year, the Problem Cases Department (PCD) in IFCI, in consonance with the Government's policy towards revival of sick units, evolved rehabilitation schemes in respect of nine cases, approved/brought about changes in controlling interest/management in five cases, agreed to support holdings on operations in two cases, approved schemes of merger in two cases and reached arrangements for settlement of dues in three cases.

2.90 During the year, IFCI/Institutions had recalled loans in 10 cases, with a view to safeguarding and protecting interests of the lending Institutions.

2.91 IFCI had referred the cases of four sick units to Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), the principal reconstruction agency for formulation of appropriate rehabilitation schemes.

2.92 In other cases, the rehabilitation programmes or appropriate courses of action were in the process of being formulated/sorted out by the concerned Lead Institution jointly with the other Institutions, Bank and other concerned agencies.

2.93 Reports about inherently non-viable units were made to the Central Government from time to time and liaison was maintained with the concerned State Governments as also State-level agencies involved in such cases.

(D) Working Results

Gross Profit

2.94 The gross profit for the year amounted to Rs. 42.09 crores as against Rs. 34.03 crores for 1983-84 showing an increase of 23.7%.

Net Profit

2.95 The net profit for the year 1984-85 after providing Rs. 12.78 crores for taxation, amounted to Rs. 29.31 crores as against Rs. 23.89 crores for 1983-84, showing an increase of 22.7%.

Appropriations

2.96 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table 11.

Table 11 : Appropriations of Net Profit

(Rs. crores)

	This year (1984-85) (July-June)		Previous year (1983-84) (July-June)	
(1)		(2)		(3)
Net Profit for the year		29·31		23.89
Appropriations				
Transferred to—				
(a) General Reserve Fund	8·23		8·15	
(b) Benevolent Reserve Fund	0·50		0·50	
(c) Special Reserve [under section 36(I)(viii) of the Income Tax Act, 1961]	17·76	26·49	13·14	21·79
Allocation to the Staff Welfare Fund		0·15		0·01
Payment of Dividend		2·67		2·09
Total		29·31		23·89

Dividend

2.97 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 9% per annum, as against 8½% per annum declared last year.

Tax

2.98 A sum of Rs. 12.78 crores has been provided in the accounts for taxation for the accounting year ended the 30th June 1985, as against Rs. 10.14 crores provided last year.

Expenditure on Entertainment, etc.

2.99 During the year, IFCI incurred a sum of Rs. 1.57 lakhs on entertainment, Rs. 1.44 lakhs on the maintenance of its Staff Transit Rooms (STRs), Rs. 3.09 lakhs on Publicity

and Advertisement, and Rs. 2.04 lakhs on the Visits/participation in courses/seminars by its officers abroad. The expenditure on Chairman's foreign tours, duly approved by Government, aggregated Rs. 0.84 lakh.

Working Result Trends

2.100 The Working results of IFCI for five years are given in Table 12.

Table 12 : Working Results of IFCI for Five Years

(Rs. crores)

Year ended the 30th June

Particulars	1981 Rs.	1982 Rs.	1983 Rs.	1984 Rs.	1985 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest on lendings	44·93	59·89	78·56	99·83	128·09
Less : Cost of Borrowings	31·17	40·16	51·56	65·40	85·62
Net Interest Revenue	13·76	19·73	27·00	34·43	42·47
Other Income	3·32	4·04	4·86	5·14	6·91
Net Income	17·08	23·77	31·86	39·57	49·38
Expenditure :					
Personnel Expenses	2·60	2·60	3·09	3·57	4·44
Loss on Investments	0·47	0·64	0·44	0·14	0·19
Directors and Committee Members Fees & Expenses	0·02	0·03	0·03	0·03	0·03
Other Expenses & Grants	1·00	1·03	1·16	1·51	2·29
Depreciation	0·05	0·11	0·12	0·29	0·34
Gross Profit	12·94	19·36	27·02	34·03	42·09
Taxation	4·56	6·85	9·71	10·14	12·78
Net Profit	8·38	12·51	17·31	23·89	29·31
Dividend (Rate)	7·0%	7·5%	8·0%	8·5%	9·0%

It would be observed from the above :

* The increase under the head 'Interest received on Loans and Advances' was 28.3% over the previous year.
* The increase under the head 'Cost of Borrowings' was 30.9% during the year compared to the previous year.
* The 'Net Income' comprising Net Interest Revenue and Income from Other Operations went up by 24.8% compared to the previous year.
* The 'Gross Profit' for the year showed an increase of 23.7% over the previous year.
* The 'Net Profit' for the year showed an increase of 22.7% over the previous year's Net Profit.

Financial Position

2.101 The position of assets and liabilities of IFCI for five years is indicated in Table 13 below.

Accounts

2.102 The audited accounts of IFCI comprising Profit & Loss Account for the year and the Balance Sheet as at the 30th June 1985, giving details of assets and liabilities are annexed to this Report.

Table 13 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years

(Rs. crores)

Year ended the 30th June

Particulars	1981 Rs.	1982 Rs.	1983 Rs.	1984 Rs.	1985 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assets					
Cash & Bank Balances	21·16	47·81	39·83	53·68	142·13
Investments					
—In assisted concerns	34·52	38·31	44·60	52·25	57·16
—In other Institutions	0·96	1·21	1·21	1·21	0·21
Loans to assisted concerns	548·01	690·82	864·73	1,054·93	1,307·31
Premises, equipment & other assets	23·61	26·86	34·96	44·46	65·68
Customers' Liabilities for Acceptances	0·50	1·21	2·40	4·11	7·87
	628·76	806·22	987·73	1,210·64	1,580·36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Liabliitles					
Borrowings					
(a) Bonds	433·47	554·55	689·30	881·54	1,107·00
(b) From Govt. & IDBI	59·84	85·25	96·60	93·24	124·70
(c) In Foreign Currencies	42·51	51·01	59·67	62·76	94·25
Current Liabilities & Provisions	32·50	40·16	46·90	49·39	92·36
Earmarked Funds	2·32	2·84	3·43	4·01	4·86
Liability for Acceptances	0·50	1·21	2·40	4·11	7·87
	571·14	735·02	898·30	1,095·05	1 431·04
Net worth represented by Share Capital	17·50	20·00	22·50	27·50	35·00
Reserves & Reserve Fund	40·12	51·20	66·93	88·09	114·32
Debt : equiry Ratio	9·3:1	9·7:1	9·5:1	9·0:1	8·9:1

2.103 During the year, in pursuance of the review of accounting systems made by the consultants, steps were taken to develop the software so as to streamline the existing accounting systems and computerise the accounting operations. It s expressed that by the close of 1985-86, both the financial as well as loan accounting of IFCI at its Head Office would become computer-based.

Audit

2.104 Apart from having regular internal audit system, the statutory audit of accounts of IFCI is carried out every year by two auditors, of whom one is nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the other one elected by the shareholders other than IDBI. For the year, 1984-85, M/s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., Chartered Accountants, New Delhi were appointed as Statutory Auditors by ODBI. The shareholders of IFCI (other than IDBI) elected M/s. N. M. Raiji & Co., Chartered Accountants. Bombay, as Auditors for the same period. The Report of the Auditors for the year 1984-85 is also given with the accounts for the year in this Report.

CHAPTER 3

Economic and Social Impact of IFCI's Operations

IFCI's Operations during the Sixth Plan Period

3.01 The year 1984-85 was not only the 37th year of IFCI's existence but also the terminal year of the Sixth Five Year Plan of the country.

3.02 Under its project financing operations, IFCI, during tht Sixth Fie Year Plan period, sanctioned net financial assistance aggregating Rs. 1,505.76 crores, against which disbursements amounted to Rs. 1,098.18 crores. In fact, the aggregate assistance sanctioned and disbursed by IFCI, during the Sixth Five Year Plan period, was more than the total assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the preceding 32 years' period covering 5 Five Year Plans, five intermittent Annual Plans, and three years' period prior to the First Plan.

3.03 The number of projects assisted by IFCI which stood at 1,265 as at the end of June, 1980 had reached 2,093 as at the end of June, 1985, many of them had been assisted more than once.

3.04 More than the quantum of assistance or the number of projects assisted by IFCI is its catalytic role which has been instrumental in overall resources mobilisation of Rs. 22,385.49 crores for the completion of projects assisted up to the 30th June, 1985.

3.05 Under its project financing operations, IFCI has covered a wide spectrum of industries and there is hardly any industry in the organised sector which has not been the beneficiary of some assistance from IFCI.

3.06 A significant feature of IFCI's project financing operations is that they are carried out keeping in view the national economic and socal policies enunciaed by Government of India from time to time. The overall policy framework and operations of IFCI are in consonance with the objectives and targets set in various Five Year Plans of economic and social development. IFCI's operations reflect in a small but significant measure the pattern of industrial development and the structural changes that have taken place during the last three-and-a-half decades of the planned economic development in the country.

Direct Economic Contribution

3.07 The direct economic contribution of IFCI's assistance during the last 37 years can be perceived in the overall industrialisation spread-effect all over the country since Independence. IFCI's assistance has reached every part of the country wherever a large or medium large scale sector project has come up.

3.08 IFCI's assistance during the Sixth Five Year Plan period has been able to create/catalyse substantial capacities in various industries like sugar (14.83 lakh tonnes), cotton textiles (21.76 lakh spindles), cement (173.51 lakh tonnes), paper (3.08 lakh tonnes), fertilisers (46.17 lakh tonnes), etc. In addition, substantial capacities have been created in various other industries including hotels. The new, expansion and diversification projects assisted by IFCI during the Sixth Five Year Plan period have been able to generate direct employment for more than three lakh persons.

3.09 Based on a study of 191 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1984-85, it is observed that IFCI's assistance sanctioned during the year is expected to create additional capacities in a wide variety of industries. A detailed statement giving the analysis of the direct economic contribution of the new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1984-85 is given in Table 14.

Table 14 : Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects Assisted by IFCI during 1984-85 (July-June)

(Rs. crores)

Industry	Projects (nos.)	Total capital cost (Rs.)	Expected direct employment (nos.	Value of output	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	11	67·61	2,710	59·48	14·95	1·59 lakh tonnes of sugar
Textiles	23	149·14	12,760	161·15	40·21	3·29 lakh spindles, 24 looms, processing of 187 lakh metres of fabrics, 875 tonnes of sewing thread, 480 tonnes of light weight non-woven fabrics and 396 tonnes of Woollen blankets and auto floor coverings.
Paper and paper products	6	59·16	1,960	38·56	13·90	23,100 tonnes of writing & printing paper, 24,550 tonnes of MG kraft & packing paper and 9,900 tonnes of duplex boards.
Cement and cement products	10	373·10	2,364	162·18	83·72	33·24 lakh tonnes of cement and 0·36 lakh tonnes of asbestos sheets.
Chemical and chemical products	16	123·38	2,546	79·20	36·15	22,440 tonnes of caustic soda, 19,800 tonnes of liquid chlorine, 9,900 tonnes of hydrochloric acid, 10,000 tonnes of slurry explosives, 3,900 tonnes of calcium carbide, 2,500 tonnes of calcium silicide, 2,500 tonnes of ferro silicon, 33,000 tonnes of methanol, 18,500 tonnes of aluminium sulphate/ferric alum, 2,560 tonnes of aluminium fluoride, 10.75 lakh cu. metres of oxygen, 1.92 lakh cu. metres of dissolved acetylene, 4,100 tonnes of salicylic acid, 250 tonnes of sodium salicylate, 16 tonnes of piperazine, 72 tonnes of pyrazolone, 30 tonnes of analgin, 1,000 tonnes of aspirin, 150 kgs. of riboflavin-5 phosphate sodium, 30 tonnes of sodium saccharin, 300 tonnes of artificial sweetners, 500 million nos. of hard shell gelatine capsules, 2·5 million nos. bottles of transfusion solution, one million nos. of amoxycilin capsules, 5 lakh nos. of refampicil capsules, 10 million nos. of ferro-chelate capsules, 75 lakh nos. of plastic asceptic ampoules with intravenous dextrose fluids/solutions and 200 tonnes of powdered paints.
Fertilizers	11	814·59	2,563	474·20	240·17	5,94 lakh tonnes, of single super phosphate, 2·75 lakh tonnes of sulphuric acid, 4·45 lakh tonnes of ammonia, 7·26 lakh tonnes of urea and 1·50 lakh tonnes of Di-ammonium phosphate.
Synthetic & man-made fibres	8	372·37	1,532	380·04	135·75	7,830 tonnes of nylon-filament yarn, 8,000 tonnes of polyester filament yarn, 45,000 tonnes of polyester staple fibre, 2,000 tonnes of tyre cord yarns, facility for conversion of 1,700 tonnes of tyre cord into fabric and 4,500 tonnes of polyester chips.
Rubber & plastic products etc.	19	124·59	2,305	148·50	46·85	3,900 tonnes of reclaimed rubber, 500 tonnes of crumb rubber, 4,000 tonnes of polyester film, 2,900 tonnes of biaxially-oriented polyester film, 800 tonnes of biaxially-oriented polypropylene film, 150 tonnes of dilectric grade metallised plastic film, 1,325 tonnes of cross film laminates, 1,500 tonnes of lnw density polythylene, 500 tonnes of polytitle ferro ethylene, 4,940 tonnes of high density polythylene woven sacks, 6·56 lakh nos. of plastic moulded cabinets for televisions, 108 lakh nos. sets of accessories for black and white television sets, 1,500 tonnes of synthetic mirrors, 637 tonnes of polythlene terephalete bottles and 2,550 tonnes of thermoplastics.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Iron & steel	8	48·24	1,211	82·81	16·74	2·50 lakh tonnes of steel billets, 19,440 tonnes of mild steel, alloy steel ingots, 1,000 tonnes of high chrome high hardness liners, 25,000 tonnes of cold rolled mild steel strips, 4,250 tonnes of ferrous precision forgings, 16,000 tonnes of cold twisted deformed bars and 215 tonnes of bi-metal strips and clad products.
Machinery and accessories	4	41·66	2,180	65·52	30·75	6,000 tonnes of equipment for nuclear power plants, heavy water plants and space research, 20 nos. of water well drills, 25 nos. of all hydraulic diamond core drills, 6,000 nos. of rock roller bits, 550 nos. of float shoes/float collors, 10,000 nos. of electric typewriters, 60,000 nos. of zig-zag sewing machines and 8 nos. of billet grinding machines.
Electrical machinery	17	133·85	3,640	212·18	62·01	881 nos. of micro-processor based computer communication and control systems, 1,000 nos. of magnetic ink character recognition encoding devices, 760 nos. of testing and measuring instruments, 20 nos. of data acquisition systems, 8,500 nos. of portable generator sets, 30,000 nos. of multi purpose engines, 3,000 nos. of automatic control valves and accessories, 72 lakh nos. of flexible magnetic media/floppy disks, 1,000 MRM of video magnetic tapes, 2,350 tonnes of audiotapes, 54,000 lines of fully electronic 'Private Automatic Branch Exchange' and allied equipment, 1,500 nos. of single line feature telephones, 1·02 lakh nos. of stuffing/soldering of printed circuit boards and various assemblies, 18.50 lakh conductor kilometres of polythelene insulated jelly filled telephone cables, 820 nos. of telephone cable pressurisation/monitoring systems, 56·55 million nos. of aluminium electrolytic capacitors, 3 lakh sq. metres of glass epoxy copper laminates, 3,000 nos. of automatic control valves and accessories, 215 tonnes of thermostatic bimetal strips and clad products, 23 million nos. of GLS lamps and 11 million nos. of fluorescent tubes.
Transpor· equipmen ·	13	169·09	6,592	537·77	84·38	0·27 lakh nos. of light commercial vehicles, 2·25 lakhs nos. of two wheeler scooters, 500 nos. of lifts, 10·00 lakh nos. of bicycles, aerial ropeways to carry 5·84 lakh persons, one lakh nos. of high power flywheel magnets, 7,400 nos. of automobile air brake systems, 2 lakh nos. of tie rod ends, and one lakh nos. of drag line assemblies, 2·50 lakh brake panels, flange panel drives and brake shoes, 80,000 nos. of crankshafts and 50,000 nos. of automobile seats.
[Hotel · · ·	6	54·57	1,673	25·99	14·54	931 rooms.
Others · · ·	39	598·19	12,033	330·33	150·23	
Total · · ·	191	3,129,54	56·069	2,757·91	970·35	

3.10 The aforesaid projects are expected to create direct employment for about 56,069 persons. The vlaue of output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 2,757.91 crores. The 'gross value added' is likely to be Rs. 970.35 crores, which indicates the contribution of these projects to Gross National Product. Overall, the total capital cost of 418 projects assisted during 1984-85 is estimated at Rs. 4,852.79 crores, which is an indication of the total resources to be mobilised for implementation of these projects.

Contribution to National Exchequer

3.11 IFCI has endeavoured to have its operations consistently profitable. During 37 years of its existence, it has paid to the National Exchequer by way of income-tax a sum of Rs. 73.36 crores, which is more than twice its paid-up capital.

Impact on Evaluation of Projects

3.12 National-level Development Financing Institutions (DFIs) in India, and IFCI in particular, being the oldest

among the development banks in the country, can take some credit for instilling basic disciplines related to project planning implementation and operation of industrial projects.

3.13 At the time of appraising the projects, the DFIs, under the prevailing 'joint financing' and 'lead institution' concepts, which enable them to pool each others' wisdom and expertise, probe fairly intensely whether the concern promoting the project or its promoters have both management and technical operational capabilities, and, if found wanting, advise them and quite often insist, as a condition of financial assistance, on the project taking early steps for inducting professional staff in areas like production, finance, market, executive management, etc., IFCI, in its capacity as the lead institution, often guides the entrepreneurs even at the project conception stage, the choice of product mix, technology and phasing out of unduly ambitious projects. Apart from the viability of the project, which is examined from several aspects, viz. technical, financial commercial and economic, utmost importance is being given to the managerial and social aspects of the projects.

3.14 The Institutions are now able to advise the promoters in the matter of even foreign collaboration agreements to enable them to secure better terms and dealings in the matter of technology transfer from abroad. Enlightened promoters and capable managements are now able to appreciate in an increasing number the contribution of Financial Institutions in respect of project improvements, in which area, IFCI has been playing an important role over the years.

Impact on the Managerial Effectiveness

3.15 Importance of proper organisational structure, systems and managerial effectiveness during the implementation of the project, and thereafter, cannot be overemphasised. About two decades back, in India, it was difficult to separate 'ownership' from 'management'. Now, gradually, the entreprencurs and promoters are realising that the successful operation of the project depends considerably on the way it is managed. Professionalisation of management is taking roots. In the area of management development, IFCI has endeavoured to fill in an important gap by setting up the Management Development Institute (MDI), realising that unless highly compeent, trained and experienced professional managers are developed in an increasing number, the success in professionalising the managements at a creditable rate cannot be achieved.

3.16 The emphasis of Financial Institutions, including IFCI, has been basically on the creation of a proper management structure, in the assisted concerns, viz., (a) proper composition of Board of Directors, (b) creation of a good second level of management, (c) creation of management committees/Audit Committees, wherever desirable, and (d) use of consultants and specialists for establishing on sound lines or improving the existing operational systems. In determining the composition of boards of assisted concerns, the endeavour of IFCI is not to specify any names always, but to look for a pattern of composition covering proper representation for promoters, and inclusion of adequate independent outsiders with expertise in fields where the Chief Executive or the Managing Director in the opinion of IFCI, would need support. Institutional nominees are appointed on the Boards of assisted concerns generally after mutual consultation with other involved Institutions and depending upon thhe extent of Institutions' combined shareholdings, size of aggregate assistance and the category, viz., MRTP or non-MRTP to which the assisted concern belongs. All these measures have been able to create some qualitative impact on the management culture of the assisted concerns, though, lot more remains yet to be achieved.

Developing a Culture for Consultancy

3.17 No promoter, and for that matter, no organisation can be a 'master of all trades'. Just as the birth of a human child requires the need of an obstetrician and adequate prenatal and post-natal care, so also the birth of a new project equally requires an expert consultant, both at its pre-natal and post-natal stage. In larger projects, Financial Institutions, including IFCI lay stress on the concerns appointing a firm of Consulting Engineers right from the initial stage, so as to provide expert advice on detailed engineering, project scheduling, site supervision and general co-ordination, etc., towards implementation of projects. In medium and medium-large scale projects, the need of either a Consultant or at a Project Manager within the organisation itself, is emphasised from the beginning. In fact, the need for expert consultancy has been realised by DFIs for every sector or project. For medium and large scale sector projects, while there is no dearth of Consultants for the small scale the DFIs, in particular, have set up Technical Consultancy Organisations (TCOs) to provide under a single roof a total package of consultancy services from 'concept' to the 'Commissioning' stage. Extension and counselling services are available from these TCOs to the small and medium scale sector projects during their operations period as well. The *Directory of Industrial Consultants*— yet another joint venture of IDBI, IFCI and ICIC, being the principal DFIs in India at the national level—provides useful basic information about consultancy services obtaining in the country. All these measures have considerably helped in developing a healthy 'consultancy culture' in the industrial sector.

Impact on Development and Broad-basing of Entrepreneurship

3.18 with the recognition of the fact that mere availability of finance, raw materials and other infrastructure facilities alone cannot make any appreciable impact on the economic growth of a region, unless the human resources are adequately re-oriented to take entreprencurial risks and meet the challenges in the industrial arena, the Institutions including IFCI, are giving funds support not only to 'Entrepreneurship Development Programmes' (EDPs), but have also set up, at the apex level, a national institution known as the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII). EDII has been instrumental in giving momentum to the entrepreneurship movement in the country to such an extent that a number of State Governments, having realised the need for entrepreneurship development, have mooted porposals for the establishment of Entrepreneurship Development Centres in their respective States during the Seventh Five Year Plan period.

3.19 In the matter of broadening of the entrepreneurial base in the country, particularly in the medium and medium-large scale sectors, the Risk Capital Foundation (RCF) sponsored and funded independently by IFCI has made an appreciable impact in the area of providing 'risk capital finance' to the promoters free of interest and at a very nominal service charge. RCF has been instrumental in bringing more than 136 technocrats, as promoters of medium and medium-large scale projects, on the industry at horizon of the country.

Support to Development of Technology

3.20 Sophisticated technological inputs are considered to be a fast moving ehicle for the country's social and economic transformation. As a capital-short country, our need for excellence in technology is all the more important. IFCI, on its own, has endeavoured to provide assistance in this vital area, however modest it might be through its two Promotional Schemes, viz. Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology and Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R&D Efforts. While the Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology covers tiny and small scale sector units as also medium scale sector industrial units with a total project cost up to Rs. 5 crores, and provides subsidy to the extent of 80% of the cost of acquisition of indigenous know-how subject to ceiling of Rs. 20,000/- for small scale sector project and Rs. 5 lakhs to medium scale sector projects, the overall subsidy not exceeding 10% of the total cost of a project; the Scheme of Assistance for Development of Technology through In-house R&D Efforts envisages the grant of loan assistance on soft terms at 10% rate of interest, limited to 50% of the cost of in-house R&D efforts for indigenously developing/ harnessing the technology from laboratory to commercial scale or Rs. 25 lakhs, whichever is lower. Both the Schemes, introduced recently, are expected to make a mark and create their impact on the development of technology in course of time to come. Meanwhile, IFCI is also considering to provide technology finance, through the agency of RCF, with a view to improve the countrys technological structure and strengthening the international competitiveness of the industry.

Support for Self-Development & Self-Employment Measures

3.21 Another Scheme of IFCI which helps in the eradication of poverty and unemployment and endeavours to incul-

cate a sense of resourcefulness, instead of helplessness in the unemployed youths of the country, is the Scheme of Assistance for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons. Under this Promotional Scheme, such of the persons who have undergone an Entrepreneurship Development Programme are provided soft loans through the agency of Technical Consultancy Organisations (TCOs)/Specified Agencies from IFCI to meet their margin money requiremnts for obtaining loans from banks etc.

Support to Ancillarisation

3.22 Ancillarisation has to be viewed as a means of achieving the economies of modern large scale production on the one hand and the benefits of the decentralised operations and employment generation on the other. While appraising the projects, IFCI tries to explore and examine various items of manufacture with a view to identifying the scope for farming out some of them to ancillary and small scale industries. During the course of follow-up inspections also, the Inspecting Officers of IFCI also discuss (a) the scope for ancillarisation, if there are no ancillary units, (b) contribution, if any, made by the assisted concern towards the development of ancillary units, and (c) parent-ancillary relationship and the status thereof, One of the Promotional Schemes of IFCI also helps in the process of ancillarisation by making available feasibility study/project/report/viability report of the product(s) suitable for ancillarisation and processing in the ancillary scale sector. 100% free of cost to an entrepreneur, if he gives the assignment to a TCO/Specified Agency. Payment of subsidy up to 75% is made to TCO/Specified Agency upon completion of the assignment and the balance 25% subsidy is released after the ancillary unit has been able to tie-up its financial assistance and has acquired ancillary status by formalising the arrangement with the parent unit.

Impact of IFCI's Assistance to Projects in No-Industry Districts

3.23 In 1984-85, IFCI's assistance was more than three times its assistance to projects in No-Industry Districts in 1983-84. The economic and social impact of IFCI's assistance to projects in No-Industry District/other industrially backward areas can be judged by the 'developmental consciousness' created by these projects in meeting the economic welfare of the local people and strengthening the social infrastructure. Since most of the projects in notified backward districts/areas have been set up in rural and/or semi-urban atmosphere, the economy of these areas has undergone a sea-change. The projects have provided considerable impetus to the generation of direct as well as indirect employment establishment of a number of tiny and small scale units and varied business shops, repair services, etc.

Support to Measures for Energy Conservation and Management

3.24 Greater attention is now being bestowed by IFCI on energy conservation and its proper management by its assisted industrial units. While evaluating the projects posed to IFCI for financing, IFCI examines in depth the energy consumption aspects, the steps proposed to be taken for either improving the energy efficiency or reducing the energy losses, or scope for using the renewable and alternate sources of energy.

3.25 IFCI looks upon energy management not only from the angle of larger national interest, but also as a means of reducing the cost of production so as to improve or at least maintain the margin of profit in several segments of industry. The impact of these measures can be judged form the awareness that has been created in the industry in the area of energy management, coupled with 'energy audit', etc. For the industrial concerns manufacturing or using equipment related with use of alternate and renewable energy sources, the finance is made available by IFCI at a concessional rate of interest.

Support to Pollution Control/Abatement Measures

3.26 With increasing accent being place on the control of industrial pollution and safety measures, IFCI pays greater consideration to ecological factors in relation to industrial projects posed to it for financing, and endeavours to make assisted concerns feel that industrial effluents are controlled and kept within the limits prescribed by regulatory bodies in every State. Projects contemplating recycling of wastes, environmental protection and pollution abatement are given considerable weightage in the matter of financing.

Impact of IFCI's Assistance to Projects in the Cooperative Sector

3.27 It would be no exaggeration to state that cooperative movement took roots in the industry with the advent of IFCI, In the organised industry sector, IFCI had assisted during 37 years of its service to Indian industry as many as 274 co-operatives with an aggregate assistance of Rs. 294.05 crores. Since almost all these co-operatives in the industrial sector are agro-based, IFCI, by providing impetus to the co-operative movement in the industry, has also been able to develop a nexus between agriculture and industry.

3.28 A noteworthy feature of IFCI's assistance to these agro-based industrial co-operatives has been that it has gone to the units located in somewhat remote corners of the country and has been instrumental not only in bringing industries to places where there were none, but also in changing the entire rural scene. It is not unoften that the coming into being of an industrial co-operative in a rural areas has brought in its wake such amenities as improved roads, better irrigation facilities, provision of drinking water, establishment of schools and hospitals, apart from strengthening the villagers' faith in the co-operative movement and mobilising the savings of the agricultural sector for productive purposes. Ancillary and associated industries like distilleries for the manufacture of industrial alcohol, confectionary units or bagasse-based paper plants or production of mixed and granulated fertilisers, etc., have also come into being, as off- shoot of the co-operative sugar factories. So also, textile spinning co-operatives have afforded opportunities for the development of the handloom sector in the rural and semi-urban areas. The successful operation of most of the co-operatives in some of the States has strengthened the confidence of the masses in the co-operative movement, thereby adding a new class of entrepreneurs in the country. The spread of the co-operative movement to many other industries like jute, fertilisers, synthetic fibres, vegetable oil, cocoa processing, paper, etc., over the years, bears adequate testimony to the above.

Promotional Activities

Overall Review

4.01 The year under review witnessed a marked step-up in IFCI's Promotional Activities. New dimensions were added during the year to these activities by improving the existing scheme for encouragement of indigenous technology, and introducing new schemes for (a) upgradation of technology through in-house R & D efforts, (b) promotion of rural, cottage & tiny industries, and (c) providing marketing assistance to units in the small scale sector.

4.02 IFCI incurred a sum of Rs. 305.49 lakhs in 1984-85 as against Rs. 180.28 lakhs in 1983-84 on various Promotional Activities, marking an increase of 69.5% oer the previous year.

4.03 Table 15 gives the break-up of the amount utilised by IFCI on various Promotional Activities during the year and cumulatively up to the 30th June. 1985.

Table 15 : Amount utilised by IFCI on the Promotional Activities

(Rs. lakhs)

Nature of activities supported	1984-85 (July-June) Amount Rs.	Cumulative up to the 30th June, 1985 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
(i) Promotional Schemes (Subsidy)	58·90	161·72
(ii) Industrial Potential Surveys for the Development of Backward Areas, including 'No-Industry Districts' (NIDs)	3·61	6·66

(1)	(2)	(3)
Brought forward		
(iii) Technical Consultancy Support	62·51	
Equity and other support to Technical Consultancy Organisations (TCOs)	168.38 9·21	52·36
Directory of Industrial Consultants	0·13	0·22
Total	7185	220·96
(iv) Seed/Risk Capital Assistance	190·00	600·85
(v) Management Development and Upgradation of Managerial Skills	25·23	462·36
(vi) Development of Entrepreneurship Support to Entrepreneurship Development Programmes (EDPs)	4·66	6·69
Resources Support to Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)	9·75	37·75
(vii) Rural Development Programmes	—	1·00
(viii) Promotion of Research Studies, etc. IFCI Chairs	2·64	22·68
Special Research Studies, Reports, etc.	0·31	9·99
Indian Economic Journal	0·05	00·5
(ix) Conference on Research and information Systems for the Non-aligned and other Developing Countries	1·00	1·00
(x) Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions	–	4·30
(xi) Others*	—	59·36
Total	305·49	1,420·99

*Utilised for direct financing of projects.

Promotional Schemes

4.04 As at the beginning of the year 1984-85, IFCI had the following seven Promotional Schemes, which had been instituted by it, on its own, and were in operation from the dates mentioned against each :

(a) *Subsidy Schemes*

— Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology (30-11-1977)

— Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting cost of Market Studies, etc. (30-11-1977)

— Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility Studies, etc. (1-7-1978)

— Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries (1-9-1978)

— Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny & Small Scale Sectors (28-6-1982)

(b) *Assistance Schemes*

— Scheme of Assistance for Self-Development and self-Employment of Unemployed Young Persons (28-6-1982)

— Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R & D Efforts (1-7-1984)

4.05 As at the end of the year, the Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility Studies etc., was revamped and a revised scheme has been brought into force with effect from the 1st August, 1985. In its revised form, the Scheme is applicable to small entrepreneurs in rural, cottage, tiny and small scale sectors (for units with capital cost not exceeding Rs. 10 lakhs) only. From the same date, a new Scheme known as 'Scheme of Subsidy for providing Marketing Assistance to Small Scale Industrial Units' has been added to the existing Promotional Schemes. The salient features of the two Schemes, as now obtaining, are as under :

(a) *Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for meeting cost of Feasibility Studies, etc.*

Under the Scheme, only rural, cottage, tiny and small scale sector units (with a capital cost not exceeding Rs. 10 lakhs), which are set up by first generation entrepreneurs are entitled for subsidised feasibility study/project report, etc., from a Technical Consultancy Organisation (TCO); the amount of IFCI's subsidy being 90% of the fee charged by the TCO or Rs. 2,700/- whichever is lower. The amount of the subsidy, subject to the monetary ceiling of Rs. 3,000/- can go up to 100% in the case of entrepreneurs belonging to scheduled castes, scheduled tribes or those who happen to be physically handicapped or to those who are covered under the Integrated Rural Development Programme (IRDP).

(b) *Scheme of Subsidy for providing Marketing Assistance to Small Scale Industrial Units*

Under the Scheme, all small scale sector industrial units including those falling under rural, cottage and tiny scale sectors can avail themselves of the marketing assistance rendered by a Technical Consultancy Organisation (TCO). This assistance may cover (a) market intelligence, (b) evolution of a market strategy, (c) designing of marketing organisation for the industrial unit, (d) helping the small scale industrial unit in having a marketing tie-up with some other unit or agency, (e) counselling on project improvement and technology upgradation so as to improve the marketing competitiveness of the product, and (f) providing expert services as are generally expected from marketing consultants. The assignment undertaken by TCO under the Scheme is to for a minimum period of one year which is to cover provision of need-based marketing assistance to the small scale industrial unit. The TCO may charge 20% of its fees from the partly while accepting the assignment; next 20% when it is able to provide blueprint of the marketing strategy or marketing organisation, etc to the party; next 40% when the TCO is able to implement the Scheme prepared by it in relation to the market assistance to the party; and the last and the final 20% of its fees, subject to the ceiling of Rs. 3,500/- chargeable by the TCO from the party, can be subsidised by IFCI, subject to a certificate from the beneficiary party that the marketing assistance provided by the TCO has actually been implemented and has resulted in a perceptible improvement in the sales turnover of the organisation.

Subsidy disbursed under the Promotional Scheme of IFCI

4.06 Table 16 below gives the amount disbursed by IFCI in 1984-85 under its Promotional Schemes envisaging grant of subsidy, and the position of subsidy disbursements cumulatively up to the 30th June, 1985. It would be observed that during the year, 953 projects were benefited under IFCI's Promotional (Subsidy) Schemes with the subsidy of Rs. 58.90 lakhs as against 638 project granted subsidy of Rs. 40.45 lakhs in 1983-84, registering an increase of 45.6%.

Table 16 : Subsidies Disbursed under IFCI'S Promotional Schemes

(Rs. lakhs)

Promotional (Subsidy) Schemes	1984-85 (July-June)		Cumulative up to 30th June, 1985	
	No. of Projects	Amount disbursed	No. of projects	Amount disbursed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology	1	18·58	3	42·95
Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting cost of Market Studies, etc.	1	0·15	6	0·87
Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility Studies, etc.	892	37·29	2,969	104·92
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries	7	0·83	97	10·50
Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors	52	2·05	61	2·48
Total	953	58·90	3 136	161·72

Assistance granted under the Promotional Schemes of IFCI

4.07 As mentioned in para 4.04, two Promotional Schemes of IFCI envisage grant of loan assistance on soft terms. While the Scheme of Assistance for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons, which is being operated through TCOs and other Specified Agencies, was yet to make a headway; under the Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R & D Efforts, IFCI during the year, sanctioned a loan assistance of Rs. 23.50 lakhs to a company engaged in the manufacture of bulk drugs, fine chemicals and formulations, for financing a part of its R & D project aimed at developing and scaling up the technology from laboratory to commercial scale in the areas of synthetic bulk drugs/drug intermediates research, natural products research, steroids research and pharmaceutical formulations research. The research includes *inter-alia* development of 'anti-ulcer', 'anti-inflammatory', 'anti-asthmatic', 'anti-hypertensive', and 'anti-cholinergic', drugs, development of nasal drug delivery systems, as also steroid research for treatment of endometriosis, etc.

Support for the Industrial Potential Surveys for the Development of Backward Area including No-Industry Districts

4.08 It was mentioned in the previous year's Report that the all-India Financial Institutions, including IFCI, had undertaken, on a systematic and planned basis, the Industrial Potential Surveys of 30 'No-Industrial Districts' (NIDs), in consultation with the respective State Governments. Initial work for identifying project ideas as also the extent of infrastructural requirement both 'project-specific' as well as 'area-specific' of these NIDs was assigned to Technical Consultancy Organisations (TCOs). During the year, Reports in respect of all 30 NIDs were received from the TCOs and screened by a Screening Committee (SC-NID) comprising officials of IDBI, IFCI and ICICI. Sixty-six project ideas in respect of 24 NIDs involving an investment of Rs. 215 crores were identified during the year, which were passed on to the respective State Governments/State-level promotional agencies for further necessary action.

4.09 The responsibility for identifying the entrepreneurs as also giving publicity to the identified project ideas has been vested with the concerned State Governments and the State-level developmental institutions. However, once an entrepreneur is identified, IDBI, IFCI and ICICI have agreed to subsidise together, the cost of preparation of Techno-economic Feasibility Reports (TEFRs) to the extent of 75%, provided the entrepreneur meets 25% of the cost and the assignment is handled by a Technical Consultancy Organisation (TCO). In case an entrepreneur prefers an approved consultant other than a TCO for the preparation of TEFR, the Institutions can subsidise the cost of preparation of TEFR to the extent of 50%.

4.10 By the close of the year, the Industrial Potential Survey Work in respect of 14 more NIDs was assigned to five TCOs, by all-India Financial Institutions including IFCI.

Technical Consultancy Support

(a) Technical Consultancy Organisations

4.11 It was reported last year that as at the end of June, 1984, 16 Technical Consultancy Organisations (TCOs) were providing a wide spectrum of consultancy services, to rural, tiny, small and medium scale entrepreneurs, particularly the new ones, Government Departments, commercial banks, State-level financial institutions and other agencies engaged in industrial promotion and management. During 1984-85, another TCO, known as Haryana Industrial Consultants Limited (HARICON) with its Registered Office at Sonepat (Haryana) and Branch Office at New Delhi was set up under the lead of IFCI, so as to make available low-cost but quality consultancy services to the entrepreneurs in the State of Haryana and the Union Territory of Delhi. With this, the entire country is now serviced by a network of 17 TCOs (eight under the lead of IDBI, five under the lead of IFCI, three under the lead of ICICI and one sponsored by the Government of Karnataka).

4.12 IFCI has participated not only inthe formation of TCOs sponsored by all-India Financial Institutions but has also been instrumental in developing their business and growth through a number of its Promotional Schemes (mentioned in para 4.04) six of which are being operated through the agency of TCOs.

4.13 Overall, the sixteen TCOs put together had executed 2,422 assignments in 1984-85 and cumulatively 17,082 assignments up to the 30th June, 1985, pertaining to feasibility studies, project reports, industrial potential surveys, rehabilitation studies, appraisals and other assignments, etc., as per particulars given in Table 17, which bear testimony to the

ongoing impact being created by them in the area of consultancy to the tiny, small and small-medium industrial projects.

Table 17 : Summary of Operations of all TCOs

Nature of assignaments	No. of assignments completed	
	1984-85 (July-June)	Since inception of each TCO and up to the 30th June 1985
(1)	(2)	(3)
1. Pre-investment Consultancy assignments		
Feasibilitiy, Pre-feasibility Studies/ Project Reports	1,222	6,825
Industrial Potential/Area Development Surveys	56	338
Market Surveys	39	230
Project Profiles	410	5,918
Preliminary fact finding Studies . .	4	79
Appraisals	39	854
Others	316	1,258
Sub total (i)	2,086	15,502
II. Post-investment Consultancy Assignments		
Diagnostic Studies . . .	71	566
Rehabilitation of Sick Units .	62	259
others	194	737
Sub Total (II)	327	1,562
III. Turnkey assignments/Functional Industrial Complexes, etc. . .	9	18
Sub Total (III)	9	18
Grand Total (1+II+III) . .	2,422	17,082

4.14 In the field of entrepreneurship development, the TCOs in most of the States continued to function as nodal agencies for Entrepreneurship Development Programmes (EDPs). Altogether, the TCOs had carried out, up to the 30th June, 1985, 312 Entrepreneurship Development Programmes, had trained 9,254 entrepreneurs and had rendered help to the trained entrepreneurs in the implementation of their projects.

4.15 During the year, IFCI's emphasis continued upon improving the qualitative aspects of the working of TCOs under its lead by better monitoring and including 'systems approach' in their overall functions.

(b) Directory of Industrial Consultants

4.16 Through a joint endeavour IDBI, IFCI and ICICI had brought into being a *Directory of Industrial Consultants*, the third edition of which appeared in October 1984, under the aegis of IDBI. The Directory, which serves as a guide and reference manual, contains full particulars including the field of specialisation of 469 technical and non-technical consultants as also of research laboratories affiliated to Central/State Government/Council of Scientific & Industrial Research, etc.

Support for Risk Capital Assistance

4.17 Financing of 'risk capital' and 'technology' are two areas which need to be given prime importance, if the industry's entrepreneurial and technological base is to be broadened. The Risk Capital Foundation (RCF) sponsored by IFCI in 1975, which has already specialised itself, as an unique organisation in this part of the continent, providing interest-free personal loans to entrepreneurs ranging from Rs. 15 lakhs to Rs. 30 lakhs (depending upon the number of promoters) to enable them to meet 50% of their quota of promoters' contribution for setting up new projects, was asked, during the year, by IFCI, to formulate a comprehensive scheme for the financing of 'technology' so that the Foundation under a changed name, viz. 'Risk Capital & Technology Finance Foundation (RCTFF),' could fill in one more gap in the institutional infrastructure by securing and providing finance on soft terms for the development of technology. It is expected that, subject to the completion of various formalities, the Scheme would become operational in 1986.

4.18 Meanwhile, RCF, in its financial year ended the 31st December, 1984, and, thereafter, during the period ended the 30th June, 1985, had recorded sanctions and disbursements as per data given in Table 18 below :—

Table 18 : Sanctions and Disbursements of RCF

Particulars relating to RCF's Risk Capital Assistance	(Jan-Dec)	(Jan-June)	Cumulatively up to the 30th June, 1985
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Projects sanctioned (Nos.)	22	6	84
(ii) Entrepreneurs involved with (i) above (Nos.) .	37	8	136
(iii) Net sanctions (Rs. lakhs)	262·49	71·12	787·09
(iv) Disbursements (Rs. lakhs)	102·39	78·10	530·07

4.19 The sanctions and disbursements of RCF in 1984 were higher by 181.8% and 71.4% respectively over the corresponding sanctions of Rs. 93.14 lakhs and disbursements of Rs. 59.74 lakhs in 1983. The substantial increase in the assistance provided by RCF in 1984 was due to the liberalisation of the Risk Capital Assistance Scheme and the enlargement of the scope of RCF's assistance as also its eligibility criteria.

4.20 Under the liberalised Scheme of Risk Capital Assistance of RCF, the following categories of entrepreneurs promoting a public limited company in India and proposing to take up an industrial project (within the cost of Rs. 3 crores to Rs. 10 crores) are now eligible for assistance from RCF subject to fulfilment of criteria of eligibility :—

— Technical/professionally qualified entrepreneurs or entrepreneurs possessing adequate experience in industry or business and setting up a medium-sized industry for the first time.

— Entrepreneurs intending to graduate from small scale sector to medium scale sector of industry for the first time.

— Entrepreneurs already in medium scale sector and intending to undertake diversification or expansion of their industrial units for achieving better viability.

— Entrepreneurs possessing relevant industrial experience intending to take over existing sick or closed units, pursuant to a well-formulated scheme of rehabilitation/take-over duly approved by Financial Institution(s)/Bank(s).

4.21 In special cases, RCF can also now consider, on merits, grant of additional loans to existing beneficiaries to meet a part of the additional promoters' contribution arising on account to overrun in the cost of the projects for which assistance had originally been sanctioned by RCF. So also, RCF can also consider grant of additional loans, within its prescribed ceilings, to its existing beneficiaries to enable them to subscribe their 'rights' in the additional equity issued by their companies for financing a part of the cost of the expansion/diversification schemes undertaken by them.

4.22 The resources of RCF, for the present, are being totally met by IFCI. Up to the 30th June, 1985, IFCI had provided resource support to RCF of the order of Rs. 760.00 lakhs of which Rs. 590.94 lakhs had already been disbursed to it.

Management Development and Upgradation of Managerial Skills

4.23 In an industry, managerial obsolescence is as bad as the obsolescence of plant and equipment. Productivity of the industry and remedy for industrial sickness lie in the professionalisation of managements, continual upgradation of managerial skills, adoption of modern management techniques, etc. With this end in view, the Management Development Institute (MDI), sponsored by IFCI in 1973, continued to provide management training with focus on specific needs of industries as also research and consultancy services in specialised areas. For meeting the training and human resource development needs of Development Finance Institutions in the country and abroad, the Development Banking Centre (DBC) of MDI organised several programmes, some of which were in collaboration with international organisations like United Nations Development Programme (UNDP) International Labour Organisation (ILO), Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), Economic Development Institute (EDI), etc.

4.24 During its accounting year 1984, MDI (including DBC) successfully organised 78 programmes benefiting 1,484 participants. In the next six months' period ended the 30th June, 1985, MDI (including DBC) had conducted 47 more programmes benefiting 1,128 participants.

4.25 Cumulatively MDI (including DBC) had organised up to the 30th June, 1985, 629 programmes benefiting 15,795 participants of whom 518 were from other developing countries.

Development of Entrepreneurship

4.26 For encouraging growth of new entrepreneurs, IFCI continued its active support to Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) conducted by Technical Consultancy Organisations (TCOs), National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) and several other agencies all over the country. In 1984-85, financial support was sanctioned for 112 EDPs for training about 2,300 potential entrepreneurs, to which IFCI's contribution worked out to Rs. 4.66 lakhs. Cumulatively, IFCI had provided assistance of Rs. 6.69 lakhs to 122 EDPs benefiting about 2,500 entrepreneurs.

4.27 A notable feature of entrepreneurial development activity of IFCI, during the year, was to agree to fund the entire cost of EDPs proposed to be conducted by Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd., (MPCON) for rehabilitating the gas-affected victims in Bhopal. Importance was also attached to EDPs for specific targets groups like women entrepreneurs, persons with science and technology background, entrepreneurs from rural and tribal communities, etc.

Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)

4.28 Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), set up by all-India Financial Institutions in the middle of 1983 as the principal agency for entrepreneurship development, accelerated its activities and carried out, during 1984-85 (April-March), 12 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs), of which two were Demonstration Model EDPs at Patna and Bhubaneswar, two General EDPs conducted at Gangtok (Sikkim) and Itanagar (Arunachal Pradesh), one Self-employment Special Programme carried out at New Itanagar (Arunachal Pradesh), one Existing Entrepreneurs Programme at Panaji (Goa), two Extension Motivation Programmes for (i) the officers of the Economic Development Corporation, Panaji (Goa) and (ii) Directorate of Industries, Itanagar (Arunachal Pradesh) respectively, one Achievement Motivation Programme conducted at London (UK) for Developing Countries' participants and three Science & Technology EDPs conducted specifically in collaboration/association with Women's Polytechnic, New Delhi, Economic Development Corporation, Goa and North-Eastern Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd. (NEITCO) at Guwahati (Assam), respectively. In addition, EDII provided support to various institutions in training and creating core teams for EDPs. The beneficiaries under this activity were TCOs in Maharashtra, Rajasthan, Orissa, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, North-Eastern Region, Economic Development Corporation, Goa, Indian Institute of Technology, Madras, Technical Teachers Training Institute, Chandigarh and Management Development Institute, Gurgaon (Haryana) EDII also conducted, during the year, a 'Training of Trainers' programme and two pioneering 'Accredited Trainers Programmes' with a view to developing trainers/motivators for local development agencies.

4.29 An Inter-Regional Workshops on Entrepreneurship Development for African countries was also hosted by EDII at Ahmedabad (Gujarat) in January, 1985, which generated considerable interest in the entrepreneurship activities, specially among the developing countries. As a sequel to this workshop, EDII was requested by the Development Bank of Mauritius to conduct a one-week EDP for some 30 entrepreneurs being financed by that Bank. Of late, EDII has also been invited by EDI-Washington and the World Bank to conduct seminars on entrepreneurship development in Washington to expose the EDI-Washington staff and the World Bank officials to the EDP approach.

4.30 Cumulatively, EDII, since July, 1983 to June, 1985, had conducted 20 programmes and had also taken up research on the subject of *National Study on Documentation-cum-Evaluation of the Entrepreneurship Programmes*, carried out by the existing agencies all over the country. EDII had also prepared an audio-visual presentation based on five cases of successful entrepreneurs from diverse personal economic-socio background who had earlier gone through its Entrepreneurship Development Programmes. These presentations are proving considerably useful in motivating efforts for promotional work and have strengthened the credibility of EDPs as a strategy of development for generating support of community, Institutions and the State Governments.

4.31 In 1985-86, apart from various other activities, EDII proposes to take up Rural Entrepreneurship Development experiments in collaboration with Ford Foundation. It is likely to be a three-year project and the experiences gained in conducting rural development programmes are proposed to be adequately documented and evaluated so that the same are available for national spread.

Support for Rural Development Programmes

4.32 A reference was made in the last year's Report about IFCI's contribution to the International Exposition of Rural Development (IERD) which was held in India from the 5th February to the 15th February, 1984. During the year IERD Co-ordination Centre brought out several publications documenting the tangible results shared at IERD under the title of *Voices of Rural Practitioners Series* written from a micro-level perspective, the focus being on documenting those approaches which the practitioners have found successful.

Promotion of Research Studies, etc.

(i) *IFCI Chairs*

4.33 IFCI, over the years, has built up good nexus with Management Institutes and Universities in the area of Research and Development (R&D) in Development Banking, Financial and Industrial Management, Industrial Economics, etc. Six Chairs, one each at the Universities of Bombay, Delhi, Calcutta, Gauhati and Madras and one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA), have been created by IFCI for promoting research in specified areas.

4.34 During the year, Dr. R. S. Sabnis, IFCI Professor of Economics, delivered the Third IFCI Annual Lecture at the Bombay University Convocation Hall on the 21st January, 1985 on the subject of *Financial Institutions and the Problem of Regional Imbalances in India*. The Lecture was presided over by Dr. M. S. Gore, Vice-Chancellor, Bombay University.

4.35 Under the auspices of Bombay University Chair, research studies have also been undertaken on (a) Merchant Banking in India, (b) Development Banking and Economic Development of Backward Areas—Some Case Studies and Evaluation, (c) Socio-economic Impact of Development Finance Institutions' Assistance to Cooperatives in Maharashtra with special reference to Sugar Industry and (d) Lease Finance in India.

4.36 Under the IFCI Chair at the Indin Institute of Management, Ahmedabad, (IIMA), Prof. S. C. Kuchhal, IFCI Professor of Management, completed, during the year, a research study on *Financial Implications of Capitalisation of Interest on Long-Term Borrowings and some Accounting Practices.* The Fourth Public Lecture on this subject is likely to be delivered by Prof. Kuchhal on the 19th September, 1985. A research study on *Promotion of New Projects in Two-wheeler Industry* has also been undertaken by Prof. Kuchhal under IFCI's Chair for the year 1985-86. Since inception, under the aegis of IFCI Chair at IIMA, 21 Research Fellows have received the IFCI Award, out of which 16 have already taken their titles of "Fellow of IIMA."

4.37 At the Guwahati University, Dr. P. C. Goswami, IFCI Chair Professor, conducted a research study on *The Role of Development Banking in North-East India.* Based on his research study, Dr. Goswami delivered the first IFCI Public Lecture at Guwahati University on the topic of *Problems of Industrial Development in Backward Economy—A Study in North-East India.* The Lecture was presided over by Prof. J. Medhi, Vice-Chancellor (Offg.), Gauhati University.

4.38 At Delhi University, IFCI Chair was occupied with effect from the 19th April, 1985 by Prof. Peter F. Reith, who was formerly at International Management Institute, Geneva. It is expected with the joining of Prof. Reith, the activities under IFCI Chair would gain momentum during 1985-86.

4.39 At Calcutta University, the Memorandum of Understanding in relation to the Chair was modified during the year so as to ensure that the 'degree of specificity' under the 'Chair' was built up around a 'specific project' and not around the person, as had been envisaged earlier. The University of Calcutta, under the Chair, has proposed a research project on the subject of *Behaviour of Capital Output Ratios and its Causative Influence of Sickness in Light Engineering Industry in West Bengal.* The synopsis for the research study has been cleared by IFCI and the project is likely to be completed within next 18 monthsor so.

4.40 At Madras University, IFCI Chair, though established in April, 1982, has remained unoccupied. The matter is being constantly followed up with the University of Madras.

(ii) *Special Research Studies, Reports, etc.*

4.41 During the year, the study sponsored earlier by the all-India Financial Institutions, including IFCI, on *Management of Turnaround of Sick Industrial Projects* which was undertaken by Indin Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) was completed. The findings of the study are now proposed to be deliberated at the Inter-Institutional level during the current year.

Resources for Financing Promotional Activities

4.42 The Promotional Activities of IFCI are being financed either out of Benevolent Reserve Fund (BRF) or Interest Differential Funds (IDFs).

4.43 The Benevolent Reserve Fund (BRF) was created in 1972-73 to which, up to the 30th June, 1984, a sum of Rs. 412.00 lakhs had been transferred out of the profits of IFCI. During the year ended the 30th June, 1985, another sum of Rs. 50.00 lakhs was transferred with the result that the total amount of BRF as at the end of June, 1985 stood at Rs. 462.00 lakhs, against which a sum of Rs. 291.46 lakhs had been utilised till the said date on various Promotional Activities of IFCI.

4.44 Interest Differential Funds (IDFs) represent the monies received from the Government of India out of the interest paid by IFCI on KFW Loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and the Federal Republic of Germany. Up to the 30th June, 1984, IFCI had received a sum of Rs. 1,195.10 lakhs by way of loans and grants under the IDFs. During the year, a sum of Rs. 110.00 lakhs was received by way of grants and Rs. 90.00 lakhs by way of loans. With this, the total allocation of IDFs as on the 30th June, 1985, stood at Rs. 1,395.10 lakhs against which, an amount of Rs. 1,135.53 lakhs had been utilised on various Promotional Activities of IFCI.

Meetings of the Board of Directors

5.01 During the year, the Board of Directors held 12 meetings—eight at New Delhi, one at the Campus of the Management Development Institute (MDI), Gurgaon, and one each at Bangalore, Calcutta and Trivandrum.

Changes in the Board of Directors

5.02 The Central Government, in terms of Section 10(1) (b) of the IFC Act, 1948 nominated Shri P. Murari, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, New Delhi, as a Director on the Board of Directors of IFCI *vide* Notification No. F.7/9/85 BOI dated the 11th March, 1985, *vice* Shri S. L. Kapur.

5.03 The Industrial Development Bank of India (IDBI), in terms of Section 10(1) (aa) of the IFC Act, 1948, nominated Dr. V. R. Panchamukhi, Director, Research & Information System for the Non-aligned and Other Developing Countries, New Delhi, and Shri N. Vaghul, Management Consultant, with effect from the 30th November, 1984 and the 1st July, 1985, respectively, in places of Dr. J. C. Sandesara and Shri S. K. Datta.

5.04 Further, at the 36th Annual General Meeting of the shareholders of IFCI held on the 22nd October, 1984, Shri A. S. Puri, Managing Director, State Bank of India, was elected as a Director under Section 10(1)(c) of the IFC Act, 1948 to represent Scheduled Banks in place of Shri P. C. D. Nambiar. In addition, two Special General Meetings were convened on the 11th January, 1985 and the 22nd May, 1985 in which (a) Shri S. K. Seth, Managing Director, General Insurance Corporation of India, was elected as a Director under Section 10(1) (d) of the IFC Act, 1948 to represent Insurance Concerns, Investment Trusts, etc., *vice* Shri G. V. Kapadia resigned with effect from the 24th November, 1984, and (b) Shri J. S. Varshneya, Chairman & Managing Director, Punjab National Bank, was elected as a Director under Section 10(1) (c) of the IFC Act, 1948, to represent Scheduled Banks, in place of Shri S. L. Baluja, who had resigned on the 30th March, 1985.

5.05 The Board of Directors of IFCI place on record their high appreciation of the very valuable services rendered and the contribution made by Shri S. L. Kapur, Dr. J. C. Sandesara, Shri S. K. Datta, Shri P. C. D. Nambiar, Shri G. V. Kapadia and S. L. Baluja, during the period of their association with IFCI as its Directors.

Technical Advisory Committees (TACs)

5.06 The Standing Technical Advisory Committees (TACs) of IFCI in the field of Sugar, Textiles, Jute, Engineering, Hotels, Chemical Process & Allied Industries continued to render during the year their expert advice on the specific project proposals as and when placed for their consideration. In addition, meetings of Ad-hoc Group of Advisers in specialised areas were convened with a view to securing their expert advice on specific proposals.

State Advisory Committees (SACs)

5.97 During the year, eight meetings of the State Advisory Committees (SACs) were held, one each at the State Capitals of Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Kerala, Bihar and West Bengal. These meetings enabled IFCI to maintain good rapport with the authorities in the State Governments, State-level institutions, banks, chambers of commerce, industry associations, representatives of industry in the joint, public and co-operative sectors, economists, and representatives of other related and sister institutions, etc. IFCI was able to promote a better understanding and appreciation through the forum of these meetings about its role, contribution and activities and also understand and appreciate, on the spot, the problems of industry and pros-

pects of industrialisation in the concerned State. The Heads of Regional and Branch Offices of IFCI in their capacity as *ex-officio* Secretaries of the SACs, continued to maintain liaison with the members throughout the year.

Co-ordination with the Institutions at the National and State-Level

5.08 Inter-Institutional coordination among the national-level Financial Institutions continued to be maintained through the forum of Inter-Institutional Meetings (IIMs) and Senior Executives Meetings (SEMs). During 1984-85, 12 IIMs and 21 SEMs were held. By the close of the year, to consider rehabilitation proposals of sick-industrial units another forum under the aegis of Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) was created, known as 'Inter-Institutional Rehabilitation Meeting' (IIRM).

5.09 At the State-level, IFCI continued to maintain co-ordination by participating through the Heads of its Regional and Branch Offices in the meetings of the Inter-Institutional Groups (IIGs), State-level Co-ordination Committees, State-level Guidance & Monitoring Committees, etc.

Participation of International Forums

5.10 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Finance Institutions (DFIs) abroad, particularly, the World Bank, the Asian Development Bank, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), etc., and a number of organisations like Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), Economic Development Institute (EDI), German Foundation for International Development (DCS), etc.

5.11 As a distinction to IFCI, its Chairman, Shri D. N. Davar was invited to participate in an international seminar on *India—Land of Opportunities at* Vienna (Austria), sponsored by Osterreichische Landerbank Austria, Embassy of Indian Investment Centre, Frankfurt, on the 29th November, 1984. Shri Davar addressed the participants on the subject of *Financial Assistance to Industrial Projects and Foreign Trade in India.* The Seminar was able to create greater awareness about Indian economy, possibilities for economic co-operation and incentives for growth and development of industry in India.

5.12 IFCI also participated in an International Round Table Conference held at Vigyan Bhavan, New Delhi from 17th to 19th December, 1984 on the subject of *International Monetary and Financial Systems & Issues.* The focus at the Conference was on issues of direct and major concern to developing countries. The main areas covered in the discussion included, International Reserve Aspects including SDRs—Adjustment and Finance, Official Capital Flows including IDA and other concessional funds, International Banking and Debt soblems, International Trade Regimes and Exchange Rate Regimes, etc.

5.13 A number of senior executies of IFCI visited UK, USA, Belgium, Tokyo, Federal Republic of Germany, etc., and discussed matters of mutual interest with the concerned Financial Institutions, anks, Security Companies, etc., in particular, in connection with the raising of oreign currency resources of IFCI. One of the General Managers of IFCI visited Europe and USA for evaluating the de-linking technology for manufacture of newsprint on a large scale through de-linking process.

Eighth Annual Conference of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific

5.14 The Eighth Annual Conference of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) was held at Istanbul (Turkey) from the 7th May to the 10th May, 1985. IFCI, being the founder-member of ADFIAP, was represented at the Conference by its Chairman, Shri D. N. Davar, who also presented a paper on *Improving Financial Operations of DFIs—Indian Experience.* The Conference, whose theme was *Strengthening DFIs Management Structure amidst the Impact of Changes in the Economic & Social Environment,* evoked considerable interest amongst the participating DFIs, and enabled them to share their experiences with each other.

IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture

5.15 IFCI had its Ninth Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 18th December, 1984 by Prof. Isamu Miyazaki, Chairman, Daiwa Securities Research Institute, Tokyo, on the subject of *Relationship between the Government and Private Sector—the Japanese Experience.* The Lecture was presided over by Shri P. K. Kaul, the then Finance Secretary, Government of India, and presently, Cabinet Secretary, New Delhi. The Lecture placed focus on the strategies which led Japan out of the post-war depression to a period of high economic growth. It gave a vivid description of 'step-by-step' approach that the Government of Japan followed in terms of design and policy, and which stood the test of changing environment. The Lecture also gave a vivid description of the application of 'dynamic comparative advantage principle' practised by Japan compared to the 'static comparative advantage concept', which helped Japan in catching up with the advanced nations of the world.

Organisational Developments

5.16 There was no change in the top manameent setup of IFCI during the year. A decision was taken, however, during the year, to upgrade the existing Pune Office of IFCI to the status of a full-fledged Branch with effect from the 1st July, 1985. This has since been done, and now, IFCI, apart from its Head Office at New Delhi, has eight Regional Offices, one each at Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Kanpur, Chandigarh, Hyderabad and Guwahati, and eight Branch Offices, one each at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Cochin, Jaipur, Patna and Pune.

5.17 During the year, IFCI instituted a study to review its organisational set-up/structure keeping in view the growing volume of its business, the complexities thereof and various other operational necessities. The study has been entrusted to Shri R. P. Goyal, formerly Chairman of State Bank of India.

Human Resources and their Development

5.18 As at the end of June, 1985, IFCI had a complement of 1,064 employees (inclusive of staff strength at its Regional and Branch Offices) of which 151 employees belonged to scheduled caste and scheduled tribe categories. IFCI continued to follow the policy of applying relaxed norms while recruiting or promoting candidates belonging to the categories of scheduled castes & scheduled tribes, physically handicapped, ex-servicemen, etc.

5.19 Keeping in view the importance of developing the available human resources, IFCI devoted considerable attention during the year to the development and training needs of its personnel. The Training Cell of IFCI organised in 1984-85, 37 In-House Training Programmes, as against 28 last year, benefiting 661 staff members, comprising 97 senior officers, 269 junior officers, 273 workmen staff and 22 members from the subordinate staff cadre. The focus of the training programmes was on up-grading the professional skills and building up correct and positive attitudes amongst the staff members at all levels.

5.20 IFCI also continued to avail itself of the facilities for training provided by various professional bodies. During the year, IFCI deputed 31 staff members to 28 programmes organised by professional Institutes in the country and 26 staff members to 15 programmes conducted by the Management Development Institute (MDI) and its Development Banking Centre (DBC). Two officers of IFCI were also sent abroad for attending the International Banking Course in London (U.K.).

5.21 The Development Banking Centre of Management Development Institute organised two specialised In-Company Training Programmes for the IFCI's staff in which 58 staff members, including those at Regional/ Branch Offices also, participated.

5.22 Apart from intensive 'in-house' and 'on-the-job' training, thorough consideration was given during the year to the suggestions made by staff under the 'Staff Suggest on Scheme' for improving the overall productivity of the organisation. As in the past, cash awards/commendation certificates were given to those members of the staff whose suggestions were adjudged as the best by the Suggestion Scheme Committee.

Review of Performance Appraisal System

5.23 During the year, IFCI reviewed its Performance Appraisal System with a view to making it more objective, need-based and result-oriented. On the basis of a study,

new formats were devised for having performance appraisal of various cadres of officers and other staff. In the new system, good deal of emphasis has been laid on the self-appraisal by the appraisee officers and the training and development needs of the appraisee employees. For assessment of the performance, new sets of traits have been identified having regard to the functional responsibilities and the status of the appraisee employees.

Creation of Electronic Data Processing Cell

5.24 With a view to computerising the operations of IFCI in selected areas, IFCI set up, during the year, an Electronic Data Processing Cell. A feasibility report for having the computer-based systems in IFCI, was prepared for IFCI by M/s. A. F. Ferguson & Co. In the light of the recommendations made in the feasibility report and after having its own assessment, IFCI decided, during the year, to go in for a modern ICIM 6400 Computer.

5.25 The various areas of operations which are proposed to be brought on computer-based systems in Head office of IFCI are : financial accounting, foreign currency loan accounting, operational statistics data base for computerised Management Information System, project information data base, financial data analysis for project appraisal, pay roll and establishment accounting and personnel & administration records. To begin with, the Delhi Regional Office of IFCI is also to have simultaneously its rupee loan accounting, financial accounting, pay roll and establishment accounting, on computer system. The other Offices of FCI are also proposed to be networked to the main computer system at Head Office of IFCI in a phased manner.

Employer-Employee Relations

5.26 The employer-employee relations continued to be cordial and harmonious throughout the year.

5.27 As a sequel to the negotiations on the Charter of Demands submitted by the Employees' Association, Memoranda of Settlement, pursuant to approval by Government, was entered into between the Management and Employees' Association on the 30th May, 1985 regarding revision of pay scales and allowances, etc., of clerical and subordinate staff. Over 700 workmen employees have been benefitted by the said Memoranda of Settlement.

Working Hours

5.28 In consonance iwth the Central Government's Policy, IFCI introduced, effective from the 3rd June, 1985, in all its offices, five days' working week with all Saturdays closed.

Staff Welfare

5.29 Social security. 'housing' and 'medical attendance' to all employees continued to be the cornerstones of IFCI's welfare activities. All full-time employees of IFCI continued to be covered under the Group Insurance and Group Personal Accident Insurance Schemes with a view to providing relief (a) to families of those employees who die while in service and (b) to employees disabled on account of any injury/accident, etc. Maximum housing facilities to the staff continued to be provided by construction of staff colonies/residential housing complexes, acquisition of flats on sale/lease basis and undertaking construction of staff quarters at places where land had already been acquired.

5.30 Part-time Medical Officers at Head Office and at all Regional and Branch Offices continued to provide medical attendance not only to the existing members of staff and their dependents, but also to the retired employees and their spouses during the specified hours.

5.31 From out of the Staff Welfare Fund, and in accordance with IFCI Staff Welfare Regulations, loans were given to staff members for self-development, self-marriage, marriages of dependent sons and daughters and for purchasing household durables. Further, an amount of Rs 2.94 lakhs was utilised by way of awards for merit scholarship to children of employees, grants to sports and recreation clubs, maintenance of seven holiday homes at Shimla, Srinagar, Puri, Ooty, Goa, Bangalore and Darjeeling and the maintenance of a Day Care Centre at IFCI Staff Colony at Paschim Vihar, New Delhi.

5.32 IFCI has also decided to have, on an annual basis, a sports meet initially at the Regional/Branch offices and finally at the national-level covering selected individual/team events.

Public Relations

5.33 The Public Relations Dapartments of IFCI at Head Office issued during the year 21 Press Releases relating to the performance of IFCI, its State Advisory Committee meetings at various places, issue of Bonds, raising of foreign currency resources, etc. It also continued to bring out a monthly *Economic and Financial News Digest* for internal circulation, and was also instrumental in bringing out several publications of IFCI during the year.

Conference of Sugar Co-operaives

5.34 The Public Relations Department, with the active co-operation of the Bangalore office of IFCI organised a two-day Conference of IFCI assisted sugar co-operatives at Bangalore on the 27th and 28th April, 1985. The Conference was inaugurated by Hon'ble Minister of State for Finance, Government of India, Shri Janardhana Poojary, who in his inaugural address, emphasised the need for upgradation of managerial skills in the co-operative sugar industry sector so as to combat the growing incidence of sickness in the sugar industry. The valedictory address at the Conference was delivered by Hon'ble Minister of Agriculture, Government of Karnataka, Shri M. P. Prakash, who reminded the participants that 'sugar was grown in farms rather than in factories'. The sugar co-operatives, according to him had a great and pivotal role to play, provided they were managed on sound and wealthy lines.

5.35 The keynote address at the Conference was delivered by Shri S. L. Gunau Rao, Ex-Director & Professor Emeritus, National Sugar Institute. Shri S. N. Gunau Rao pleaded for a co-ordinated approach both at the Centre and at the State level in relation to all matters connected with sugar, and underlined the need for a long-term policy for sugar industry. The main focus at the Conference was on cane development efficacy, sugarcane management productivity improvement energy conservation measures and the desirability of establishing sugar-by-products based-industry-complexes. There was a general consensus that the sugar industry was poised for revolutionary changes and by the close of the 20th century, the by-products of sugar industry, viz., molasses and bagasse, and their downstream products, viz., ethanol, chemicals, paper, etc., were expected to be major ingredients of profit centre for sugar industry. Considerable emphasis was laid, not only on modernisation of industry, but also on, thorough professionalisation of management and modernisation of management culture so that management strategies could be devised, taking into account the new challenges, which required completely different set of perceptions, plans and programmes. The crux of the Conference was that India could continue to maintain the unique distinction of being the largest single producer of sugar in the world, if the industry endeavoured to achieve the optimum level of capacity utilisation supported by a stable cane development programme and with a thoroughly committed and well-motivated professionalised management.

Publicatoins of IFCI

5.36 During the year, IFCI brought out the following publications for the benefit of entrepreneurs as well as general public :

— *Guidelines for Applicants Seeking Assistance*

— *Investing in Industries in India—A Guide to Resident & Non-Resident Indian Entrepreneurs*

— *Promotional Schemes of IFCI*

— *Foreign Currency Loans—Guide to Applicants*

— *Equipment Finance Scheme*

— *Modernisation Assistance Scheme*

— *Backward Areas Development Scheme*

Contribution to Prime Minister's National Relief Fund

5.37 During the year, IFCI contributed a sum of Rupees one lakh to the Prime Minister's National Relief Fund for

the purpose of rehabilitation of persons who were rendered homeless and destitute in the wake of disturbances that followed the tragic assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister of the country.

Progressive Use of Hindi

5.38 In pursuance of Government's Policy regarding the progressive use of Hindi for official purposes, efforts continued to be made during the year to promote the use of Hindi in IFCI.

5.39 During the year, the Committee of Parliament on Official Language, constituted in terms of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, visited IFCI's Head Office on the 12th October, 1984 to study the progress made in the use of Hindi in IFCI. Pursuant to the Committee's recommendation, IFCI has prepared a time-bound programme for expediting implementation of Hindi in the official work, and has taken steps to provide necessary nucleus Hindi Staff and Hindi typewriting machines available at all offices of IFCI. A guide-book containing Government instructions on the use of Hindi has been prepared and was under print as at the end of June, 1985. Accounting Manuals and two Loan Agreement Forms had been translated into Hindi and translation of other documents was under way.

5.40 To monitor the use of Hindi in IFCI and to suggest ways and means for its promotion, 16 Official Languages Implementation Committees (OLICs) are functioning at Regional/Branch Offices of IFCI, including the one at its Head Office. Under the Hindi Teaching Scheme of the Government of India adopted by IFCI, employees are being deputed for training in Hindi, Hindi typewriting, and Hindi stenography. In 1984-85, three workshops on the use of Hindi were conducted for the benefit of the employees of IFCI.

5.41 With a view to developing the literary taste amongst the employees as also to broaden their knowledge in Hindi, it was decided, during the year to allocate a portion of the library budget exclusively for the purchase of books in Hindi. Already the Head Office Library has been equipped with dictionaries, glossaries and sufficient number of books in Hindi language.

Acknowledgements

5.42 The Board of Directors express their gratitude for the assistance, co-operation and cordiality received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Industrial Development Bank of India (IDBI), the other sister all-India Financial Institutions, various State Governments, and the State-level financial and developmental institutions.

5.43 The Board of Direcors also place on record their appreciation of the work done by the Chairmen and Chief Executives of Technical Consultancy Organisaitons (TCOs), Risk Capital Foundation (RCF), and the Management Development Institute (MDI), particularly in furthering the acivities and the role of their respective organisation.

5.44 The Board are also grateful to the members, who have served on the Regional/Zonal/State Advisory Committees (SACs) and Technical Advisory/Adhoc Committees of IFCI and thank them for their valuable co-operation and counsel received from time to time. The Board of Directors are also grateful to several non-officials who have served as IFCI's nominees on the Boards of various assisted concerns.

5.45 The Board of Directors further acknowledge the continued support and active co-operation received from various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly the assistance received from the Management of Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany, Overseas Development Ministry of the U.K. Government, Swedish International Development Authority, Sweden, and a number of correspondent banks abroad.

5.46 Finally, the Board of Directors wish to record their deep sense of appreciation for the loyal and devoted services put in by all members of staff, at all levels,, in IFCI during the year.

On behalf of the Board of Directors
D. N. DAVAR
Chairman

Appendix

Schedule of Rates of Interest, Commitment Charge, Underwriting Commission, etc.

	Rate of Interest (As on 30-6-1985) (% p'a.)
I. Rate of Interest	
Rupee Loans	
1. Basic lending rate . . .	14·0
2. Concessional rates for—	
(a) Units in notified back ward areas upto specified limits . .	12·5*
(b) Manufacture and installation of Renewable Energy Systems .	12·5
(c) Assistance sanctioned under the Soft Loans Scheme for modernisation up to Rs. 4 crores .	11·5**
Foreign Currency Loans	
(a) Against KFW Lines of Credit	14·0
(b) Against borrowings from Euro Currency Market . . .	2% above six-monthly LIBOR
(c) Against borrowings in Japanese Yen	10·0

*Applicable to new units only and not to expansion/diversification projects in their existing units.

**In the case of financially weak units the concessional rate of interest is 10% p.a. up to Rs. 4 crores or up to such higher amount as might be decided on a case to case basis.

Notes:—The limits up to which the rupee loans (including Deferred Payment Guarantee) and underwriting assistance are available to projects located in backward areas at concessional rate with effect from the 1st April, 1983 are as under :—

(Rs. in crores)

	Rupee loan assistance	Underwriting assistance
Category 'A' Districts . . .	5·00	2·50
Category 'B' Districts . . .	3·00	1·50
Category 'C' Districts . . .	2·00	1·00

— Effective from the 1st April 1983, the Bridging/Interim loans sanctioned pending creation of substantive security, carry additional interest of 1% p.a., (thereby making the applicable lending rate higher by 1% p.a) after the expiry of 365 days from the date of first disbursement by lead institution.

— A rebate of 1.5% p.a. in applicable lending rate is allowed on Rupee loans up to Rs. 4 crores to 100% Export-Oriented Units for first five operating years, reckoned from the date of commercial production, as specified at the time of appraisal, based on units' export performance.

— Rupee loans which are repayable within a period of 5 years (including the period of moratorium and are not subject to convertibility clause) carry additional interest @ 1% p.a. over and above the applicable lending rate.

— For projects costing up to Rs. 50 crores coming up in 'A' Category Districts, assistance given for development of 'propect-specific-infrastructure' to new projects, limited to 20% of project cost with a ceiling

of Rs. 5 crores is not to carry any interest during the construction period. This assistance carries concessional rate of interest from the date of completion of the project as envisaged at the time of appraisal of the project.

Notes—Additional interest @ 1% p.a. above the appliable lending rate is charged on rupee loans in respect of non-listed companies from the date of first disbursement (in respect of existing projects) and date of commencement of commercial production as envisaged at the time of appraisal (in the case of new projects). Further, in respect of non-listed companies seeking assistance of Rs. 2 crores and above, the companies are required to get their shares listed within a period of 3 years from the date of sanction of assistance or such extended period, as might be allowed and the charging of additional 1% p.a. interest ceases to apply from the date from which the shares have been listed. The stipulation does not apply for foreign currency loan and to subsidiaries and associate companies of the listed companies.

— Rupee loan up to Rs. 75 lakhs only per project for hotel industry carry the applicable rate of interest reducted by 1% p.a., provided and so long as the interest differential of 1% is subsidised by the Govt. of India and there is no default on the part of the beneficiary.

Underwriting Commission

	On amounts developing on the underwriters	On amounts subscribed by the public
(i) Equity Shares	2·5%	2·5%
(ii) Preference shares/convertible and non-convertible debentures		
(a) For amounts up to Rs. 5 lakhs	2·5%	1·5%
(b) For amounts in excess of Rs. 5 lakhs	2%	1%

Note—The rates of underwriting commission as above, are reduced by 50% in respect of project in notified backward Districts/Areas up to the prescribed ceilings, indicated hereinbefore.

III. Commitment Charge

	Normal Rate	Rate for concessional portion of loan
(1) Rupee Loan		
(a) Up to 180 days from the date of issue of the Letter of Intent or up to the date of execution of Loans Agreement, whichever is earlier	Nil	Nil
(b) For a period of 365 days thereafter	1% p.a.	½% p.a.
(c) At the expiry of the said period of 365 days	½% p.a.	½% p.a.
(2) Foreign Currency Sub-loans .	1% p.a.*	Not applicable

*From the date of issue of the Letter of Intent.

No te—No. Commitment Charge is levied on Rupee Loans granted to projects in 'A' category district, costing upto Rs. 50·00 crores.

IV. Processing Fee

Only the actual cost of travel, etc., in connection with site appraisal and pro-rata cost of holding the meeting (s) of Advisory Committee for consideration of the proposal is recovered from the applicant concern in cases where IFCI is in the lead and a reference to Advisory Committee is considered advisable. In such cases, the applicant is advised at the appropriate time to make an adjustable deposit of Rs. 5,000/- subject to shortfall being recovered from and excess being refunded back to the applicant on the basis of actuals.

V. Legal Charges

Actual out-of-pocket expenses, if any, and charges/expenses payable to outside solicitors/advocates, etc. to be borne by the borrower.

VI. Guarantee Commission

(i) Deferred payment guarantees	
(a) Normal . . .	1% p.a.
(b) Less developed Districts/Areas	0·75% p.a.
(ii) Guarantees for foreign loans	1% p.a.

APPENDIX-II

Statement showing the Installed Capacities, Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in 1984-85

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1984-85					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. of units	Production 1984-85 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no. of units	Production 1984-85 (April-March)	Capaci utilisaiton %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	72·29 (356)	61·59	85·2	23·26 (113)	20·47	88·0
2.	Cotton yarn (mill sector)	—	24·28 Million spindles (920)*	1382·5 Million kgs	—	7·03 Million spindles (178)**	409·31 Million kgs.	—
3.	Cotton cloth (mill sector)	—	2·10 Lakh looms	3432·2 Million metres	—	0·70 Lakh looms	1441·38 Million metres	—
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	15·73 (69)	11·37	72·3	3·11 (12)	2·23	7·71
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	21·65 (252)	13·61	62·9	6·36 (45)	4·50	70·8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Cement	Million tonnes	43·00 (102)	30·10	70·0	24·76 (67)	20·51	82·8
7.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	59·60 (36)	39·17	70·4	23·33 (12)	21·39	91·7
8.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	16·16 (16)	12·64	78·2	6·13 (10)	7·06	115·2
9.	B.H.C. (Tech.)	Thousand tonnes	41·90 (7)	29·00	69·2	7·80 (2)	5·50	70·5
10.	Caustic soda	Lakh tonnes	9·66 (38)	6·88	71·2	5·07 (10)	2·90	57·2
11.	Soda ash	Lakh tonnes	10·05 (6)	8·17	81·3	1·54 (4)	1·19	77·3
12.	Calcium carbide	Lakh tonnes	1·70 (7)	0·92	54·1	0·48 (2)	0·25	52·1
13.	Acetic acid	Lakh tonnes	0·81 (19)	0·40	49·4	0·15 (3)	0·08	53·3
14.	Carbon black	Lakh tonnes	1·54 (7)	0·93	60·4	0·81 (3)	0·51	58·6
15.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	5·36 (29)	3·05	56·9	1·68 (8)	0·91	54·2
16.	Viscose filament yarn	Thousand tonnes	43·00 (8)	33·10	76·9	4·50 (1)	4·45	98·9
17.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	32·00 (9)	33·00	103·1	15·29 (3)	15·13	99·0
18.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	25·00 (N.A)	19·80	79·2	13·34 (3)	15·63	117·2
19.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	42·00 (10)	55·60	132·4	8·15 (3)	10·75	131·9
20.	Polyester staple fibre	Thousand tonnes	45·00 (5)	39·60	88·0	25·37 (4)	16·81	66·3
21.	Saleable steel (main plants)	Lakh tonnes	93·30 (6)	69·98	75·0	26·72 (3)	21·08	78·9
22.	Steel ingots (main plants)	Lakh tonnes	117·07 (6)	81·95	70·0	33·46 (3)	25·08	75·0
23.	Steel ingots/billets (mini steel plants)	Lakh tonnes	29·40 (150)	18·76	63·8	4·17 (13)	3·25	77·9
24.	Steel forgings	Thousand tonnes	312·00 (83)	156·00	50·0	35·40 (3)	21·95	62·0
25.	Steel castings	Thousand tonnes	196·00 (78)	100·00	51·0	12·03 (4)	7·09	58·9
26.	S.G. iron castings	Thousand tonnes	16·00 (22)	12·00	75·0	16·00 (4)	9·88	61·8
27.	Malleable iron castings	Thousand tonnes	48·00 (22)	31·00	64·6	7·00 (2)	3·73	53·3
28.	Seameless pipes and tubes	Thousand tonnes	134.00 (4)	49·00	36·5	67·00 (2)	36·50	54·5
29.	Aluminium	Thousand tonnes	362·00 (4)	276·50	76·4	142·00 (2)	67.00	47·2
30.	Zinc	Thousand tonnes	96·00 (2)	57·60	60·0	14·00 (1)	6·70	47·9
31.	Auto tyres	Lakh nos.	136·45 (20)	100·00	73·3	70·76 (7)	45·13	63·8
32.	Auto tubes	Lakh nos.	147·45 (21)	87·00	59·0	73·81 (7)	36·71	49·7
33.	Motorcycles	Thousand nos.	196·00 (5)	181·90	92·8	142·00 (2)	168·00	118·3
34.	Scooters	Thousand nos.	404·00 (9)	322·20	79·8	270·00 (6)	207·39	76·8
35.	Mopeds	Thousand nos.	617·00 (11)	413·90	67·1	140·00 (3)	22·11	15·8
36.	Passenger cars	Thousand nos.	79·40 (5)	64·00	80·6	48·00 (2)	42·15	87·8
37.	Commercial vehicles	Thousand nos.	116·64 (8)	96·80	83·0	63·00 (3)	60·31	95·7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38.	Agricultural tractors	Thousand nos.	102·60 (17)	85·00	83·3	40·85 (5)	34·62	84·7
39.	Power tillers	Thousand nos.	16·00 (5)	3·80	23·8	8·00 (2)	3·72	46.5
40.	Rubber contraceptives	Million pieces	713·00 (3)	524·00	73·5	200·00 (1)	83·78	41·9
41.	Reclaimed rubber	Thousand tonnes	34·00 (11)	25·00	73·5	4·80 (2)	4·70	97·9
42.	Finished leather from hides	Lakh pieces	78·32 (34)	39·71	50·7	2·00 (1)	1·83	91·5
43.	Conveyor belting	Thousand tonnes	8·90 (8)	8·50	95·5	1·90 (1)	2·21	116·3
44.	Fan & V-Belts	Lakh nos.	156.17 (17)	165.00	105.6	18·00 (2)	15·42	85·7
45.	Plywood	Million sq. mtrs.	110·03 (51)	69·20	62·9	9·81 (3)	3·82	38·9
46.	Fluorescent tubes	Million nos.	46·20 (12)	35·00	75·8	3.00 (1)	3·57	119·0
47.	GLS lamps	Million nos.	327·69 (18)	289·30	88·3	66·74 (3)	52·42	78·5
48.	Power transformers	Million KVA	32·50 (29)	23·85	73·4	0·80 (1)	0·59	73·8
49.	Sheet glass	Million sq. mtrs.	40·79 (8)	30·00	73·5	16·31 (3)	10·40	63·8
50.	Fibre glass	Thousand tonnes	5.29 (3)	2·00	37·8	3·75 (2)	1·05	28·0
51.	Glass bottles & misc. glassware	Lakh tonnes	4·83 (31)	3·50	72·5	0·36 (2)	0·39	108·3
52.	Hotels	Lakh nos.@	113·05 (427)	74·04	65·5	15·59 (26)	9·56	61·3

@Figures in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupied respectively.

APPENDIX III

Particulars of Assistance Sanctioned to Industrial Concerns in 1984-85 (July-June) in "Public Interest" [Section 26 (2) of IFC Act, 1948]

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Nature of the project/ scheme	Product and installed capacity	Cost of the project (Rs. crores)	Financial assistance by IFCI (Rs. crores)	Name of the Director of IFCI interested in the concern
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indo-Swiss Anti-Shock Ltd. (Tumkur), Karnataka	New project	3 million nos. p.a. of 'Anti-Shock Assembly Sets' for mechanical watches	4·50	RL 0·14 FCL 0·32	Shri J. B. Patel
2.	Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Ahmednagar Maharashtra	New/Diversification project	8,250 tonnes p.a. of writing and printing paper	8·90	RL 1·15	Shri E. S. Thorat

ANNUAL ACCOUNTS
1984-85

Report of the Auditors

To the Shareholders of the Industrial Finance Corporation of India.

We, the undersigned, auditors of the Industrial Finance Corporation of India, have audited the attached Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1985, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.
2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.
3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

N.M. Raiji & Co. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.

Chartered Accountants

Place : New Delhi
Dated : 19th August, 1985

BALANCE SHEET AS AT THE 30TH JUNE, 1985

Description	Schedule	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Assets			
Cash and Bank Balances	1	14,213·31	5,367·99
Investments in Assisted Concerns	2	5,716·05	5,225·21
Investments in other Financial Institutions	—	21·00	121·00
Loans to Assisted Concerns	3	1,30,731·24	1,05,493·21
Premises and Equipments	4	1,254·31	686·45
Other Assets	5	5,313·73	3,759·43
Customers' Liability for Acceptances	—	786·39	410·53
Total		1,58,036·03	1,21,063.82
Liabilities and Shareholders' Fund			
Share Capital	6	3,500·00	2,750·00
Reserves and Reserve Fund	7	11,432·05	8,808·64
Long Term Borrowings	8	1,32,595·29	1,03,754·38
Current Liabilities and Provisions	9	9,236·07	4,939·43
Liability on Acceptances	—	786·39	410·53
Earmarked Funds	10	486·23	400·84
Total		1,58,036·03	1,21,063·82

P. Murari	A.S. Puri	J.U. Patel	D.N. Davar	D.G. Ramaiah
Philip Thomas	J.S. Varshneya	B.S. Thorat	Chairman	General Manager
V. Dixit	Directors	S.K. Seth	R.N. Sahoo Executive Director	R. Subramanian Asstt. General Manager

As per our report of even date.

N.M. Raiji & Co.
Chartered Accountants

Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.

New Delhi dated : 19th August, 1985

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1985

Description	Schedule	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(1)	(2)	(3)	(4)
Interest from Loans and Advances (less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	12,808·55	9,982·56
Cost of Borrowings	12	8,561·56	6,539·92
Net Interest Revenue		4,246·99	3,442·64
Income from Other Operations	13	691·41	514·08
Total		4,938·40	3,956·72
Personnel Expenses	14	443·51	357·11
Directors' and Committee Members' Fees and Expenses	—	3·34	2·84
Premises and Equipment—Rental, Maintenance and Depreciation	15	163·11	94·83
Other Expenses	16	114·29	93·55
Grant to Management Development Institute	—	5·00	5·00
Provision for Taxation	—	1,278·45	1,013·95
Total		2,007·70	1,567·28

(1)	(2)	(3)	(4)
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Gorporation Act, 1948		823·19	815·00
Special Reserve Fund under Section 36(i) (viii) of the Income Tax Act, 1961		1,775·72	1,313·53
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		50·00	50·00
Staff Welfare Fund		15·00	1·50
Dividend		266·79	209·41
Total		2,930·70	2,389·44
Accounting Policies and notes forming part of Accounts	17		

P. Murari	A.S. Puri	J.U. Patel	D.N. Davar	D.G. Ramaiah
Philip Thomas	J.S. Varshneya	B.S. Thorat	Chairman	General Manager
V. Dixit	Directors	S.K. Seth		
			R.N. Sahoo	R. Subramanian
			Executive Director	Asstt. General Manager

As per our report of even date.

N.M. Raiji & Co. Thakur Vidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants

New Delhi dated : 19th August, 1985

SHEDULE 1
Cash and Bank Balanced

Annexed to and forming part of the Balanced Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Cash and Bank Balances		
Cash in Hand	0·70	0·45
Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	645·26	381·00
Balances with Banks in India		
In Current Accounts	4,645·67	1,154·06
In Short Term Deposits	5,664·00	3,325·00
Balances with Banks outside India		
In Current Accounts	421·47	20·22
In Short Term Deposits	2,836·21	487·26
Total	14,213·31	5,367.99

SCHEDULE 2

Investments in Assisted Concerns

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	Under Section*			This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
	23(d)	23(f)	23(i)		
(i) Equity Shares	3,032·99	624·62	1,229·31	4,886·92	4,368·54
(ii) Preference Shares	404·64	67·01	—	471·65	509·68
(iii) Debentures	51·72	101·38	—	344·67	346·99
(iv) Application money on Shares and Debentures	12·81	191·57	—	12·81	—
	3,502·16	793·01	1,420·88	5,716·05	5,225·21
Total as at the 30th June, 1984	3,132·49	767·26	1,325·46		
Quoted					
—Book Value				2,803·33	2,989·80
—Market Value				8,555·44	5,521·08
Investments for which quotations are not available (Book value)				2,912·72	2,236·13

*Relates to Industrial Finance Corporation Act, 1948

SCHEDULE 3

Loans to Assisted Concerns

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(i) In Indian Rupees	1,21,849·28	99,093·75
(ii) In Foreign Currencies	8,881.96	6,399·46
Total	1,30,731.24	1,05,493·21
Notes :		
(i) Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	290·87*	1,817·86
(ii) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	219·41*	302.13
(iii) Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	0·54*	110·61

*The decrease is due to changes in the Board of Directors of the Corporation.

SCHEDULE 4

Premises and equipments

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	Original Cost Rs. lakhs	Depreciation to date Rs. lakhs	Net Value as at 30th June, 1985 Rs. lakhs
(i) Freehold Land and Buildings	332·25	22·81	309·44
(ii) Leasehold Land and Buildings	333·70	40·92	292·78
(iii) Furniture and Fixtures	44·21	21·88	22·33
(iv) Office Equipments	33·00	17·84	15·16
(v) Electrical Installations	16·54	8·67	7·87
(vi) Vehicles	7·02	4·26	2·76
Sub-Total	766·72	116·38	650·34
Advances against capital expenditure	603·97		603·97
	1,370·69	116·38	1,254·31
As at 30th June 1984			686·45

SCHEDULE 5
Other Assets

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest accrued but not due	3,731·04	2,973·70
Advances to Risk Capital Foundation	392·27	239·81
Advances to Employees	122·65	111·27
Deposits	29·22	51·15
Net Assets of State Welfare Fund	12·50	11·00
Other Assets	1,026·05	372·50
Total	5,313·73	3,759·43

SCHEDULE 6
Share Capital

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Authorised		
1,00,000 shares of Rs. 5,000/- each	5,000·00	5,000·00
Issued & Subscribed		
80,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 60,000 shares)	4,000·00	3,000·00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200·00	200·00
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134·60	134·60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165·40	165·40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000 each fully paid-up	500·00	250·00 (partly paid-up)
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000 each, Rs. 2,500 per share called and paid-up	500·00	—
Total	3,500·00	2,750·00

SCHEDULE 7
Reserves & Reserve Fund

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	4,089·94	3,266·75
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100·00	100·00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	170·54	147·47
Specific Reserve Fund under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961	7,000·00	5,224·28
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	71·57	70·14
Total	11,432·05	8,808·64

SCHEDULE 8

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Long Term Borrowings

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 guaranteed by the Government of India)		
(a) 5½% Bonds	—	2,417·35
(b) 6% Bonds	12,152·99	14,500·49
(c) 6¼% Bonds	6,801·54	6,801·54
(d) 6½% Bonds	7,500·00	7,500·00
(e) 6¾% Bonds	7,810·00	7,810·00
(f) 7¼% Bonds	10,050·22	10,050·22
(g) 7½% Bonds	10,995·00	10,995·00
(h) 8¼% Bonds	7,975·00	7,975·00
(i) 8½% Bonds	8,004·80	8,004·80
(j) 9% Bonds	19,701·00	12,100·00
(k) 9·75% Bonds	17,201·13	—
(l) 7·6% Bonds (Yen currency)	2,508·78	—
	1,10,700·46	88,154·40
Borrowings		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	12,125·00	8,375·00
(b) From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	344·30	412·38
(c) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	603·26	536·73
(d) From Foreign Credit Institutions in foregien currencies	8,822·27*	6,275·87
Total	1,32,595·29	1,03,754·38

*Includes Rs. 7,324·14 lakhs guaranteed by Government of India

SCHEDULE 9

Annexed to and forming par' of the Balance Sheet as at the 30thJune, 1985

Current Liabilities and Provisions

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(A) Current Liabilities		
Sundry Creditors	5,533·22	2,227·01
Interest accrued but not due		
(a) On Bonds	736·92	664·60
(b) On Borrowings from Government	13·00	11·35
(c) On Borrowings from foreign credit Institutions	19·75	2·21
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others	139·43	7·00
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	500·00	100·00
Advance receipts	6·12	4·26
Unclaimed Dividend	0·27	0·07
Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of interest on borrowings in Foreign Currency	502·93	331·29

SCHEDULE 9 (contd.)

Current Liabilities and Provisions

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description			This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(B) Provisions				
Difference in exchange suspense account			85·80	88·88
Amounts held in suspense				
(a) Interest			417·87	464·51
(b) Commitment charges			0·05	0·05
(c) Incidental charges			2·38	2·38
Provision for taxation		4,071·51		
Less : Tax deducted at Source	222·05			
Advance Tax paid	2,837·92	3,059·97		
Net amount of provision			1,011·54	826·40
Provision for dividend			266·79	209·42
Total (B)			1,784·43	1,591·64
Total (A) + (B)			9,236·07	4,939·43

SCHEDULE 10

Earmarked Funds

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	458·73	388·34
Staff Welfare Fund	27·50	12·50
Total	486·23	400·84

SCHEDULE 11

Interest from Loans & Advances

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest Income	12,628·00	9,848·86
Commitment Charges	180·55	133·70
Total :	12,808·55	9,982·56

SCHEDULE 12

Cost of Borrowings

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest on Loans and Borrowings	8,393·20	6,432·85
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	6·98	2·2
Cost of issue of Bonds	161·38	104·83
Total :	8,561·56	6,539·92

SCHEDULE 13
Income from Other Operations

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Business Service Fee	64·63	44·56
Dividend	223·70	198·85
Profit on Sale of Investments	206·77	161·73
Other Miscellaneous Income	196·31	108·94
Total	691·41	514·08

SCHEDULE 14
Personnel Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Salary and Allowances	421·72	336·07
Staff Welfare Fund Expenses	2·13	2·10
Other Personnel Expenses	19·66	18·94
Total	443·51	357·11

SCHEDULE 15
Permises and Equipment—Rental, Maintenance and Depreciation

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Rant Taxes, insurance and Lighting	112·10	56·08
Repairs & Maintenance	16·54	9·91
Depreciation	34·47	28·84
Total	163·11	94·83

SCHEDULE 16
Other Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Audit Fees	0·84	0·84
Travelling and Halting Expenses	19·35	13·00
Communication	19·66	18·41
Loss on Investments	18.68	13.86
Other Expenses	55.76	47.44
Total	114.29	93.55

SCHEDULE 17

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1985

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES

(A) *Significant Accounting Policies*

1. *Revenue recognition*

(a) The Corporation does not account for Income by way of Interest, Commitment Charges and Commission, etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote. Commitment Charges are accounted for as incoce only on conclusion of the loan agreements.

(b) Interest on those loans and advances where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

2. *Investment Transactions*

(a) Gains or losses on sale of investments are measured against the average cost of the investments sold.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies in liquidation or sick companies which are proposed to be merged with other healthy companies is accounted for when the final payment is received or the merger is complete.

3. *Exchange Transactions*

(a) The balances of—

(i) foreign currency loans availed of by the Corporation,

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency accounts with banks and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantees undertaken in foreign currency.

are all expressed in Indian Currency at TT selling grates prevailing as on the 30th June, 1985.

(b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans

(ii) conversion of year-end foreign currency balances and

(iii) operation in the foreign currency accounts with Banks.

are accounted for in difference in exchange suspense account. The contribution received from Central Government, in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

4. *Premises and equipment*

Following principal depreciation rates are applied on written down values :

(i) Buildings and improvements thereto are depreciated at the rate of 5%

(ii) Furniture and equipment are depreciated at the rate of 10% and 15% respectively and the assets are stated at cost less depreciation.

(B) NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

(Figures in brackets relate to the previous year)

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of the following, in addition to such liabilities appearing in the Balance Sheet :

(a) Outstanding underwriting contracts [under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 112.50 lakhs (Rs. 108.85 lakhs), and

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as Investment [under Section 23(d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 25.40 lakhs (Rs. 41.11 lakhs).

2. The Income Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the earlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disputed liability in this regard amounts to Rs. 40.60 lakhs (Rs. 40.60 lakhs). The provision for taxation for the year has been made on the basis of the stand taken by the Corporation and on the basis of Corporation depositing surcharge with Industrial Development Bank of India.

3. Sundry Creditors include Rs. 3,149.67 lakhs (Rs. 662.77 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

4. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, include a sum of Rs. 43.09 lakhs (Rs. 68.88 lakhs) in the share capital of some companies which have either gone into liquidation or which are 'sick' and are proposed to be merged with the healthy companies.

5. Up to the 30th June, 1985, a sum of Rs. 42.16 lakhs (Rs. 33.92 lakhs) has been utilised partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisations as part of the promotional activities of the Corporation. Hence these investments have not been included in the 'Investments' of the Corporation.

6. An aggregate amount of Rs. 1030.58 lakhs (Rs. 1029.86 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum of Rs. 173.08 lakhs (Rs. 85.37 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

7. Previous year figures have been recast, wherever necessary, to make these comparable to those of the current year.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986